हा माला, खंड 26, अंक 5

FOR REFERENCE ONLY.

शुक्रवार, 19 जुलाई, 2002
28 आषाढ़, 1924 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 2 54
Date 13/6/2003

(खण्ड 26 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी. सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

राजकुमार
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 26, दसवां सत्र, 2002/1924 (शक)
अंक 5, शुक्रवार, 19 जुलाई, 2002/28 आषाढ़, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 82 से 84	1-32
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 81 और 85 से 100	33-56
अतारांकित प्रश्न संख्या 812 से 1012	56-379
सभा पटल पर रखे गए पत्र	380-382
सभा का कार्य	382-386
सरकारी विधेयक-पुरःस्थापित	
(एक) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन विधेयक, 2002	386
(दो) परक्राम्य लिखत (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) विधेयक, 2002	387
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अध्यादेश के बारे में विवरण	386-387
भारतीय क्षेत्र के कुछ भागों (लद्दाख और उत्तरांचल) पर चीन द्वारा कथित दावे के बारे में	387-397
भारत में विशेषकर असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चाय उद्योग के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में	397-401
संविधान अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2001	410-438
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री रतन लाल कटारिया	410-415
श्री बाजू बन रियान	415-419
डा. मन्दा जगन्नाथ	419-422
श्री रामजीलाल सुमन	422-426
श्री थावरचन्द गेहलोत	426-431
श्री पवन कुमार बंसल	431-437
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल	437-438

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के पच्चीसवें और छब्बीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव.	438-439
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक-पुरःस्थापित	439-442
(एक) देशी लौह और इस्पात उद्योग संवर्धन विधेयक	
श्री सुनील खां	439
(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 275 का संशोधन)	
श्री एस. मुरूगेसन	440
(तीन) काम का अधिकार विधेयक	
श्री जी. एम. बनातवाला	440-441
(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 243ग का संशोधन)	
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	441
(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 21क का अंतःस्थापन)	
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	441-442
अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) निवारण विधयेक	442-443
(एक) वाद–विवाद स्थगित किए जाने के बारे में प्रस्ताव	442
(दो) नियम 30 और नियम 29 के परन्तुक का निलम्बन किए जाने के बारे में प्रस्ताव	443
संविधान (संशोधन) विधेयक–विचाराधीन (अनुच्छेद 44, आदि का लोप)	443-496
योगी आदित्यनाथ	443-450
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	451-460
श्री अनादि साहू	460-465
श्री हन्नान मोल्लाह	465-469
प्रो. रासासिंह रावत	469-474
श्री भर्त्रुहरि महताब	474-478

विषय कॉलम

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव 478-481

श्री अली मोहम्मद नायक 481-484

श्री श्रीराम चौहान 485-486

श्री जी. एम. बनातवाला 486-496

कार्य मंत्रणा समिति

अड़तीसवां प्रतिवेदन 496

लोक सभा

शुक्रवार, 19 जुलाई, 2002/28 आषाढ़, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 82, डा. जसवंतसिंह यादव।

[हिन्दी]

आदिवासियों के लिये योजनाएं

***82. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में आदिवासियों के लाभार्थ बनाई गई योजनाओं का राज्यवार और योजनावार ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिये इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उक्त योजना के दौरान इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है/उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इन योजनाओं से वास्तव में जरूरतमंदों को लाभ पहुंचा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दो स्कीमें शुरू की गईं (1) वर्ष 1998–99 के दौरान तैयार की गई/शुरू की गई स्कीम आदिम जनजातीय समूहों का विकास (2) वर्ष 2001–02 में शुरू की गई स्कीम जनजातीय लोगों द्वारा परस्पर भ्रमण करना ताकि देश के एक राज्य की अनुसूचित जनजातियां दूसरे राज्यों में भ्रमण कर सकें। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। इन दो स्कीमों के अंतर्गत नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य–वार और वर्ष–वार निर्मुक्त की गई निधियां दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिये वास्तविक लक्ष्य, अभी अंतिम रूप से निर्धारित नहीं किये गये हैं। तथापि दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन दोनों स्कीमों के लिये अंतरिम रूप से अलग रखी गई राशि संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(ग) और (घ) ये स्कीमें चूंकि हाल ही में शुरू की गई हैं, अतः इन दोनों स्कीमों का अभी कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

विवरण-I

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	आदिम जनजातीय समूहों का विकास नामक योजना के लिये निर्मुक्त की गई धनराशि				जनजातीय लोगों द्वारा अदल–बदल कर भ्रमण की योजना
		1998–99	1999–2000	2000–01	2001–02	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	117.19	217.33	129.37	268.45	–

1	2	3	4	5	6	7
2.	बिहार	100	–	–	–	–
3.	छत्तीसगढ़	–	–	36.81	54.019	
4.	गुजरात	–	16.8	–	325	1.86
5.	झारखंड	–	–	155.36	147.038	–
6.	कर्नाटक	8.91	4.02	27	122.71	6.25
7.	केरल	8.15	25.63	36.34	–	–
8.	मध्य प्रदेश	100	135.88	188.61	–	–
9.	महाराष्ट्र	–	15	84.71	66.476	–
10.	मणिपुर	4.65	9.74	35.74	–	–
11.	उड़ीसा	21.31	54.54	236.62	120.95	–
12.	राजस्थान	33.5	–	–	–	–
13.	तमिलनाडु	–	–	–	49.54	–
14.	त्रिपुरा	100	108.07	26.4	86.314	1.29
15.	पश्चिम बंगाल	–	–	119.5	50	–
16.	उत्तरांचल/उत्तर प्रदेश	–	74.8	–	123.48	–
17.	मिजोरम	–	–	–	–	1.63
	कुल	493.71	661.81	1072.46	1413.977	11.03

विवरण-II

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय में शुरू की गई योजनाओं के लिये दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिये आवंटित अंतरिम धनराशि

(रु. करोड़ में)

स्कीम/कार्यक्रम का नाम	2002–03 के लिये बजट आवंटन	2003–04 के लिये बजट आवंटन	2004–05 के लिये बजट आवंटन	2005–06 के लिये बजट आवंटन	2006–07 के लिये बजट आवंटन	दसवीं योजना का कुल
आदिम जनजातीय समूहों का विकास	20.00	21.66	22.41	23.90	23.90	111.87
जनजातीय लोगों द्वारा परस्पर भ्रमण करना	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
कुल	20.50	22.16	22.91	24.40	24.40	112.37

डा. जसवंतसिंह यादव : माननीय अध्यक्ष जी, आदिवासियों के संबंध में मेरा मूल प्रश्न था कि भारत सरकार ने आदिवासियों के लाभार्थ कौन–कौन सी कल्याणकारी योजनायें चला रखी हैं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मैंने जो प्रश्न पूछा, यदि आप उसके उत्तर को देखें तो जो सवाल मैंने पूछा है, उसका कहीं उत्तर ही नहीं है। एकदम प्रश्न से हटकर उत्तर दिया गया है।

जो केंद्र से आदिवासियों के कल्याण की योजनाओं के लिये पैसे दिये जाते हैं, उनके विकास के लिये, उनको आगे बढ़ाने के लिये, उनमें भारत सरकार की बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जिनमें स्टेट गवर्नमेंट्स की मैचिंग ग्रांट्स होती हैं लेकिन बहुत सी राज्य सरकारें अपने वित्तीय संकट की बात कहकर या कोई और बहाना बनाकर अपनी मैचिंग ग्रांट्स उन योजनाओं में शेयर नहीं कर पाती हैं, जिससे वे योजनाएं उन आदिवासियों तक पहुंच नहीं पाती हैं, आदिवासियों को उनका लाभ नहीं मिल पाता है और उनका डेवलपमेंट रुक जाता है।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन–कौन सी राज्य सरकारें हैं जिन्होंने मैचिंग ग्रांट्स के अभाव में इन योजनाओं को अपने यहां लागू नहीं किया या भारत सरकार से पैसे नहीं उठाये हैं। इसके उपाय के लिये आपके पास कोई योजना है या नहीं जिससे आदिवासी लोगों को लाभ मिल सके?

श्री जुएल उराम : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में नौवीं पंचवर्षीय योजना में क्या नई स्कीम्स सरकार ने शुरू की हैं, यह पूछा गया था। उसका लिखित उत्तर दिया है कि दो नई योजनाएं नौवीं पंचवर्षीय योजना में चालू हुई हैं। उसमें एक डेवलपमेंट ऑफ प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स है और दूसरा एक्सचेंज ऑफ विजिट्स बाय ट्राइबल्स है। ये दो नई स्कीम्स हमने ली हैं।

जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है कि किन स्कीमों में 50 : 50 शेयर केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट्स को करना है, वे तीन स्कीम्स हैं–बॉयज होस्टल, गर्ल्स होस्टल और आश्रम स्कूल्स। राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति आप जानते हैं। उसके कारण हर राज्य सरकार ने इसका विरोध किया है। लेकिन उसका भी अपने मंत्रालय ने प्लानिंग और कोआर्डिनेशन मिनिस्ट्री से बात करके हल निकालने का उपाय किया गया है। माननीय सदस्य अगर 50 प्रतिशत एमपीलैड ग्रांट में से राज्य सरकार की ओर से व्यवस्था करा देंगे तो हम 50 प्रतिशत मिनिस्ट्री से कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा हमने सूचित किया है और इसके लिये सभी माननीय सदस्यों को भी पत्र लिखा है। राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वे ब्वायज होस्टल, गर्ल्स होस्टल और आश्रम स्कूलों की स्कीमों के तहत जितना पैसा लेना चाहिए था, उतना नहीं ले पा रही हैं। इस कारण हम उन्हें मैचिंग ग्रांट की सुविधा भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं।

डा. जसवंतसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदय से यह भी पूछा था कि ऐसी कितनी और कौन–कौन सी राज्य सरकारें हैं जो अपनी ओर से आदिवासियों की कल्याणकारी योजनाओं के तहत धन उपलब्ध नहीं करा पाने के कारण केंद्र सरकार की मैचिंग ग्रांट नहीं उठा पाई हैं, लेकिन उसका जवाब मंत्री महोदय ने नहीं दिया है। मैं चाहता हूं कि वे मेरे प्रश्न के इस भाग का भी उत्तर दें?

श्री जुएल उराम : अध्यक्ष महोदय, एक भी राज्य सरकार ऐसी नहीं है जिसने उक्त तीनों स्कीमों के तहत पूरी मैचिंग ग्रांट सरकार से उठाई हो। 100 परसेंट मैचिंग ग्रांट अभी तक एक भी राज्य सरकार ने नहीं ली है।

डा. जसवंतसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आदिवासियों के कल्याण के लिये राज्य सरकारों के पास केंद्र सरकार की ओर से अनेक लाभकारी योजनायें भेजी जाती हैं, लेकिन जब हम प्रवास पर जाते हैं तो अनेक राज्यों के आदिवासी संगठनों की ओर से हमें ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि उनके कल्याण के लिये जिन लाभकारी योजनाओं हेतु केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश सरकारों को धन भेजा जाता है, वे उस धन को आदिवासियों के कल्याण के लिये उन योजनाओं पर व्यय नहीं करती हैं बल्कि अन्य योजनाओं और अन्य मदों पर व्यय कर लेती हैं? मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी शिकायतें उनके ध्यान में आई हैं, यदि आई हैं, तो वे कौन–कौन सी राज्य सरकारें हैं? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की अनियमितताओं की जांच के लिये मंत्री महोदय ने कोई मानिटरिंग सिस्टम बनाया है जिससे केंद्र सरकार के धन को राज्य सरकार दूसरी योजनाओं या मदों पर व्यय नहीं कर सकें और जिस योजना के लिये धन यहां से भेजा गया

है वह उसी योजना और उसी मद पर व्यय हो, यदि हां तो उन्होंने कब मूल्यांकन कराया है?

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी को जवाब देने दीजिए। वे बताएंगे कि मूल्यांकन किया है या नहीं।

श्री जुएल उराम : सर, यह प्रश्न बहुत लिमिटेड है। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि माननीय सदस्य संतुष्ट हो सकें। मैं बताना चाहता हूं कि सी.ए.जी. की रिपोर्ट के आधार पर जो–जो राज्य सरकारें डावर्शन आफ फंड की दोषी पाई जाती हैं उनके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। हम अपने दौरे में और सैक्रेट्री द्वारा रिव्यू कर के भी चैक करते हैं कि डायवर्शन आफ फंड न हो। जो राज्य सरकारें ऐसा करती हैं उन्हें हम बार–बार सचेत करते हैं और बहुत सी राज्य सरकारों को हम कई बार फंड रिलीज भी नहीं करते हैं। यदि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सही समय पर हमें प्राप्त नहीं होते हैं, तो हम फंड रिलीज नहीं करते हैं।

डा. जसवंतसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय से यह भी पूछा था कि जिन राज्य सरकारों ने दूसरी योजनाओं या मदों पर केंद्र सरकार के धन को व्यय किया, उनके नाम बताएं, लेकिन मंत्री ने उसका कोई जवाब नहीं दिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : भारत सरकार पूरे देश में आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु बहुत ही अधिक दिलचस्पी ले रही है। हम भी वैसे क्षेत्रों से आते हैं जहां कुछ खास राज्यों की 70 से लेकर 80 प्रतिशत तक आदिवासी जनसंख्या है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में छपे समाचार की तरफ आकर्षित किया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्यों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार आपके और आपके कार्यालय के चारों ओर कोई गुट सक्रिय है। यह बात समाचार पत्र में छपी है...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री पर आरोप लगाने से पहले, उन्हें इस बात को प्रमाणित करना चाहिये...*(व्यवधान)*। इसे प्रमाणित किये बगैर समाचार पत्र में छपे समाचार के आधार पर कुछ नहीं किया जा सकता है...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : किसी भी चीज की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये...*(व्यवधान)*। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है?...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह : वे क्यों चिल्ला रहे हैं? मंत्री महोदय स्पष्ट कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें।

श्री संतोष मोहन देव : कृपया मुझे मेरा प्रश्न पूरा करने दें। मुझे अपनी बात पूरी करने दें.....*(व्यवधान)* यहां तक कि एक हत्यारे को भी उसे फांसी पर चढ़ाने से पहले अपनी बात कहने की छूट दी जाती है...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : इस तरह के आरोप लगाने की अनुमति हर समय नहीं दी जा सकती...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, यदि आप इसे नहीं चाहते हैं और ऐसा कहते हैं तो मैं इसे वापस ले लूंगा परंतु आप शीर्षक को सिर्फ देख तो लीजिये।...*(व्यवधान)* शीर्षक में लिखा : "आई वी सेज एन. जी. ओ. फोस्र्ड टू पे ब्राइव फोर ग्रांट"...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, आई. बी. की यह रिपोर्ट थी कि सही मायने में एन. जी. ओज. को पैसा नहीं दिया जा रहा है। यह मामला गंभीर है।...*(व्यवधान)* ये आर. एस. एस. के प्रचारक हैं।...*(व्यवधान)* क्या आर. एस. एस. यही कल्चर सिखाता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सभी बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, जब से आपने यह पद संभाला है, आप हमेशा ही निष्पक्ष रहे हैं, कृपया आप अपनी निष्पक्षता बनाये रखें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री संतोष मोहन देव, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं बोल रहा हूं। कृपया बैठ जाइये। प्रश्न एक खास विषय से संबंधित है। यदि आप किसी मंत्री पर आरोप लगाना चाहते हैं तो आपको इसकी अनुमति है। परंतु इसके लिये आपको पूर्व सूचना देनी चाहिये थी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनी है तथा मैं कार्यवाही–वृत्तांत (रिकार्ड्स) को भी देखूंगा। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आरोपों के सिवाय आपके द्वारा कही गई अन्य सभी बातें कार्यवाही–वृत्तांत में बनी रहेंगी। बिना किसी पूर्व सूचना के लगाया गया कोई व्यक्तिगत आरोप सभा के कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। आप प्रश्न पूछ सकते हैं परंतु यदि आप कोई आरोप लगाना चाहते हैं तो मैं आपको इसके लिये अनुमति नहीं दे सकता। यदि आप कोई आरोप लगाना नहीं चाहते हैं तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, मुझे अपनी बात समाप्त करने की अनुमति नहीं दी गई है। मैं माननीय मंत्री पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं जनजातीय कार्य मंत्रालय में घूसखोरी से संबंधित अखबार में छपे इस खास समाचार की सत्यता के बारे में जानना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : महोदय, इस बात का प्रश्न से कोई संबंध नहीं है...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : आपको एक अलग नोटिस देना होगा...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : इसका मुख्य प्रश्न से बिलकुल संबंध नहीं है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : आपने इनको बोलने के लिये कहा तो उधर से लोग क्यों खड़े हो गये?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इस मुद्दे पर पहले ही एक नोटिस दे चुके हैं। आप अब क्यों खड़े हैं?

[हिन्दी]

वे लोग भी बैठेंगे, आप भी बैठिये। जब आपके नोटिस का नम्बर आयेगा तब मैं आपको बोलने के लिये कहूंगा। मुझे मालूम है कि आपने नोटिस दिया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया : महोदय, उन्हें नोटिस अवश्य देना चाहिये। उन्हें इस बात को अवश्य प्रमाणित करना चाहिये। तभी जाकर इसकी अनुमति दी जा सकती है। उनका प्रश्न मुख्य प्रश्न से बिलकुल संबंधित नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री ए. सी. जोस : महोदय, वे कुछ छिपाना चाहते हैं। अन्यथा, इस प्रश्न को पूछने की अनुमति दी जानी चाहिये। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, माननीय सदस्य, श्री संतोष मोहन देव को अपना प्रश्न पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें अपना प्रश्न समाप्त करने की अनुमति दे रहा हूं। मैं उन्हें बिलकुल नहीं रोक रहा हूं। वे अपना प्रश्न रख सकते हैं जो इस प्रश्न से संबंधित हो। यदि यह इससे संबंधित है तो वे इसे बिलकुल रख सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, मैं समाचार पत्र को यहां छोड़ जाऊंगा।...*(व्यवधान)*

अब, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि लोगों के एक गुट द्वारा पूरे देश में जनजातीय क्षेत्रों के लिये आवंटित धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है जिसका प्रसार मंत्रालय से लेकर राज्यों तक है। समाचार पत्र में मंत्री महोदय के बारे में कुछ नहीं कहा गया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब आप प्रश्न पर आये हैं। प्रश्न पूरा कीजिये।

श्री संतोष मोहन देव : अतएव, मैं जानना चाहता हूं

कि क्या यह बात सही है। यदि वे कहते हैं, 'नहीं' तो हमें अगला कदम मालूम है। वे कृपया 'हां' या 'नहीं' में बतायें। यह समाचार पत्र में छपी खबर है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस बात के लिये जिद्द नहीं कर सकते। वे अपने तरीके से जवाब देंगे।

[हिन्दी]

श्री जुएल उराम : यह प्रश्न नौवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में था लेकिन मान्यवर स्पीकर साहब ने मुझे बोलने के लिये मौका दिया है, इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि मैंने मंत्रालय का दायित्व लेने के बाद कलैक्टर की रिपोर्ट और स्टेट गवर्नमैंट की रिकमेंडेशन पाने के बाद ही 'ग्रांट इन एड रिलीज' की है। मैंने हर एम.पी. को पत्र लिखकर कहा है कि आपके यहां जो एन. जी. ओ. काम कर रहा है, अगर वह ठीक काम नहीं कर रहा है तो उसके बारे में आप मुझे जानकारी दीजिये। इसके बाद ही पैसा दिया जाता है। जब मैंने उनको टाइट किया तो कुछ लोगों को तकलीफ हुई। मैंने ऐसी कोई न्यूज आइटम नहीं पढ़ी जो यहां रेज की गई है। मैं किसी को स्पेयर करने के लिये सरकार में...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, उनका प्रश्न अलग है। यह तरीका नहीं है। माननीय सदस्यों को संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिये। उनका प्रश्न बहुत स्पष्ट है। वे उसका उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री जुएल उराम : मैं उत्तर दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : वे विभाग में विद्यमान प्रणाली को स्पष्ट कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उनका प्रश्न बहुत प्रासंगिक और स्पष्ट है। वे यह जानना चाहते हैं कि क्या समाचार पत्र में छपी खबर उनकी सूचना के अनुसार सही है अथवा नहीं।...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, समाचार पत्रों में जो खबर छपी है वह माननीय उप प्रधान मंत्री और गृह मंत्री के अधीन कार्यरत विभाग, आसूचना ब्यूरो से प्राप्त हुई है। इसलिये, यह आरोप मेरा नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उप–प्रधान मंत्री के विरुद्ध प्रयुक्त किये गये शब्दों को कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल दिया जायेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : ये आदिवासी मंत्री हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री संतोष मोहन देव, आपने वस्तुतः अच्छी तरह से शुरूआत की है। कृपया अपनी बात को अच्छी तरह से ही पूरा करें।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : इन्होंने अखबार न पढ़ा हो लेकिन अखबार पढ़ कर सदन को जानकारी दी जाये और मंत्री जी को भी जानकारी दी जाये।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका जीरो आवर के लिये नोटिस है, उस समय पूछिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, सदस्य का यह न्यूनतम अधिकार है कि वह प्रश्न से संबंधित सूचना की मांग करे तथा मंत्री का यह कर्तव्य है कि वह तत्संबंधी उत्तर दे। वे इस प्रकार स्थिति को स्पष्ट करने से बच नहीं सकते ...*(व्यवधान)* यह महत्वपूर्ण मामला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अतएव, मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रियरंजन दासमुंशी, यदि आपको आगे भी कुछ पूछना है, तो कृपया उनसे प्रश्न पूछिये। मैं आपको अनुमति दूंगा। प्रश्न कहां है?

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री संतोष मोहन देव ने जो कुछ भी कहा है उसे आपने सुना है। वे यह जानना चाहते हैं कि क्या माननीय मंत्री सहमत हैं अथवा नहीं। मुझे यही कहना था।...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : उन्होंने कहा है कि उन्होंने इसे नहीं देखा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि उन्होंने समाचार पत्र नहीं देखा है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : उन्होंने उत्तर दे दिया है कि उन्होंने इसे नहीं देखा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री चिंतामन वनगा, कृपाया अपना प्रश्न पूछिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चिंतामन वनगा : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अब, मंत्रीगण ऐसे हैं कि वे सुबह समाचार पत्र नहीं पढ़ते।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वनगा जी, आप प्रश्न पूछिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन : क्या आप प्रत्येक मंत्री से उम्मीद करते हैं कि वे सुबह सभी समाचार पत्र पढ़ें और ग्यारह बजे यहां आयें?...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सरकार का यह कर्तव्य है कि वह समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों को पढ़े...*(व्यवधान)* मैं पुनः बल देकर कहता हूं कि यह सरकार का दायित्व है। यदि सरकार यह कहती है कि वह समाचार पत्र नहीं पढ़ती और यह नहीं जानती कि प्रश्नों से संबंधित विषयों के अलावा अन्य घटनाओं के बारे में नहीं जानती है तो वह असत्य कह रही है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये सभी बातें प्रश्नों से संबंधित नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : प्रश्न वाले दिन मंत्री अपने प्रश्नों की तैयारी करेगा। वह अपना पूरा समय प्रश्नों का अध्ययन करने के लिये लगायेगा न कि अपना समय समाचार पत्रों को पढ़ने में लगायेगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत : अध्यक्ष जी, इन्होंने पहले भी हाउस में नकली पत्र पेश किया था।...*(व्यवधान)* यह वही पुरानी बात है।...*(व्यवधान)* क्या आपने हाउस के अंदर पहले भी कोट नहीं किया था? अब फिर जोर से चिल्ला रहे हैं।...*(व्यवधान)* मंत्री जी ने जब अखबार देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है तो कैसे कहें।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उसमें क्या असली है, क्या नकली है, वह पानी आपको पिलायेंगे, टाइम आने दीजिये ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल का महत्व जानते हुए यहां ऐसी चर्चा नहीं होनी चाहिये, इसे आप सब जानते हैं। प्रश्नकाल का बहुत महत्व है। यहां जो प्रश्न उपस्थित किया गया है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

वनगा जी, आप अपना प्रश्न पूछिये।

(व्यवधान)

श्री चिंतामन वनगा : अध्यक्ष महोदय, आदिवासियों के लिये बहुत सी योजनाएं बनी हैं। वे योजनायें आदिवासियों तक पहुंचनी चाहिये, आदिवासियों को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिये। लेकिन देखा गया है कि गैर–आदिवासी लोग आदिवासियों के नाम से बोगस सर्टिफिकेट देकर उन योजनाओं

का फायदा उठाते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो गैर–आदिवासी लोग बोगस सर्टिफिकेट देकर आदिवासी लोगों की योजनाओं का लाभ उठाते हैं, उसे रोकने के लिये आपने क्या कोई कदम उठाये हैं और यदि उठाये हैं तो वे क्या हैं?

श्री जुएल उराम : अध्यक्ष महोदय, यह स्टेट गवर्नमैंट का काम है कि कास्ट सर्टिफिकेट शैड्यूल्ड लिस्ट के हिसाब से ईशू करे और ऐसा स्टेट अथारिटीज में ईश्यू होता है। अगर ऐसी कोई गलती मिलती है तो उस व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का केस बनता है, अगर वह व्यक्ति नोकरी में है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी होती है और यह लेड–डाउन प्रोसीजर है।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मैं घोर अन्याय को इंगित करना चाहता हूं जो कि केरल में होने वाला है। केरल राज्य के साथ–साथ कर्नाटक राज्य में मराठी लोगों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाना है और संवैधानिक आदेश में भी वह प्रावधान है। मैंने इस मामले की केरल सरकार के साथ जांच की है। केरल सरकार ने इस आशय का कोई अभ्यावेदन नहीं दिया है कि 'मराठी' लोगों को अनुसूचित जनजातियों की सूची से निकाला जाये। अभी भी 'मराठी' लोगों की स्थिति, जहां तक केरल सरकार का संबंध है, यह है कि कासरगोड जिले में रहने वाले मराठी लोग अनुसूचित जनजाति माने जाते हैं और वे सभी प्रकार के लाभों के हकदार नहीं हैं। अब केरल और कर्नाटक की हास्यास्पद स्थिति यह है कि दोनों राज्य कमोबेश एक छोटी नदी से बंटे हुए हैं। कासरगोड में रहने वाला एक भाई अनुसूचित जनजाति का नहीं माना जायेगा जबकि उसका बड़ा भाई जो दूसरी ओर रहता है अनुसूचित जनजाति का माना जायेगा। यह बहुत ही मजेदार और हास्यास्पद है। अतः मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे ऐसी खतरनाक बातों में न उलझें। जब राज्य सरकार अथवा किसी की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं है तो यह कैसे हो गया? अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं के साथ–साथ आगामी दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में कोई परिवर्तन न किया जाये। नदी के दोनों ओर अर्थात केरल और कर्नाटक में रहने वाले मराठी लोग एक ही जनजाति, उसी परिवार के हैं। अतः मैं आपसे इनमें किसी प्रकार का भेदभाव अथवा अलगाव नहीं करने का अनुरोध करता हूं और आपसे इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और संवैधानिक अधिकारों के सुरक्षोपाय और संवैधानिक अधिसूचना का निश्चित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का भी अनुरोध है। कुछ लोगों ने इस संबंध में हमसे, संसद सदस्यों से संपर्क किया है। इस पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी चर्चा की गई। मुख्य मंत्री ने भी हमें सूचित किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जुएल उराम : यह प्रश्न नवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने आदिवासियों के लिये क्या नई योजनाएं चालू की हैं, इसके बारे में है। सरकार ने दो योजनाएं चालू की हैं, जिनका नाम मैंने बताया है। माननीय सदस्य का प्रश्न सप्लीमेंटरी के परव्यू में नहीं आता है। कृपया अलग से प्रश्न पूछें तो मैं इसका उत्तर दूंगा।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है; उन्होंने कुछ और ही उत्तर दिया है। मैंने किसी प्रैस रिपोर्ट अथवा समाचार का संदर्भ नहीं दिया है। तो फिर वे उत्तर को क्यों टाल रहे हैं? यह तो बिलकुल सीधा प्रश्न है जिसपर उनसे उत्तर की अपेक्षा थी ...*(व्यवधान)* महोदय, कृपया मुझे संरक्षण प्रदान कीजिये। मुझे सही स्थिति जानने का अधिकार है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपका प्रश्न नोट कर लिया है।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, उन्हें इस मामले की जांच करनी चाहिये। यह समाचार नहीं है, यह मामला केरल के कासरगोड जिले में रहने वाले 50,000 लोगों से संबंधित है। कृपया यह सुनिश्चित कीजिये कि संवैधानिक उपबंध में कोई परिवर्तन न हो। नौकरशाही की प्रवृत्ति को पनपने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री, क्या आपने उनके सुझाव को नोट कर लिया है?

[हिन्दी]

श्री जुएल उराम : इनका सजेशन हमने नोट कर लिया है।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वतंत्रता के 54 वर्षों के बीत जाने के बाद भी, आदिवासियों के कल्याण हेतु निधियां उपलब्ध कराना संवैधानिक दायित्व है। अभी भी वे पूरे देश में सबसे निर्धन हैं। मंत्री जी अब यह कहते हैं कि राज्य सरकारें आर्थिक दृष्टि से समर्थ नहीं हैं। यदि राज्य सरकारें निधियों की 50 प्रतिशत राशि उपलब्ध नहीं कराती हैं तो केंद्र सरकार भी राज्यों को धनराशि उपलब्ध नहीं कराती है। इसलिये मैं यह कहता हूं कि यदि सरकार 80 प्रतिशत निधियां प्रदान करती है तो हम कई योजनाओं को बदल पायेंगे। यदि राज्य सरकारें 50 प्रतिशत निधियां उपलब्ध नहीं कराती हैं तो निधियां व्यपगत हो जायेंगी। जनजातियों के लिये भारत की संचित निधि से छः से सात प्रतिशत निधियां उपलब्ध कराना संवैधानिक दायित्व है। इसलिये आप इस अनुपात का पुनः निर्धारण कर सकते हैं। यदि राज्य सरकारें 20 प्रतिशत उपलब्ध कराती हैं और आप 80 प्रतिशत उपलब्ध कराते हैं तो जनजातियों की कुछ योजनायें कार्यान्वित की जायेंगी। वर्तमान फार्मूला के अंतर्गत कोई भी राज्य आगे नहीं आयेगा। निधियां व्यपगत हो जायेंगी और किसी जनजाति को कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। यदि भारत सरकार 80 प्रतिशत निधियां उपलब्ध कराती है और राज्य सरकारें 20 प्रतिशत निधियां प्रदान करती हैं तो ये योजनायें कार्यान्वित की जायेंगी। कृपया इस प्रश्न का उत्तर दीजिये।

[हिन्दी]

श्री जुएल उराम : अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनायें हैं। उनमें से कई योजनाओं में हम लोग 90 प्रतिशत और 100 प्रतिशत तक पैसा देते हैं। तीन योजनायें, बॉयस हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल और आश्रम स्कूल, के लिये हम लोग पचास प्रतिशत की मदद करते हैं, बाकी का पचास प्रतिशत राज्य सरकार देती है। माननीय सदस्य का कहना ठीक है कि कई राज्यों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वे अपने हिस्से का पैसा नहीं दे पातीं, जिसके कारण यहां से भेजा गया पैसा भी लैप्स हो जाता है। इसको देखते हुए हमने तय किया है कि जो राज्य सरकारें अपने हिस्से का पचास प्रतिशत पैसा नहीं दे पा रही हैं, तो माननीय सदस्य एम.पी. लैंड से वह पैसा राज्य सरकार की ओर से दे सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू : महोदय, यह माननीय मंत्री क्या कह रहे हैं?*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिये।

[हिन्दी]

श्री जुएल उराम : इसके बावजूद भी माननीय सदस्य और राज्यों का आग्रह है कि इसके अंतर्गत 100 प्रतिशत पैसा केंद्र द्वारा दिया जाये, यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन है। अगर योजना आयोग और संबंधित विभाग इससे एग्री करते हैं और जो नया कमीशन बनने जा रहा है, उसमें जो सुझाव आयेंगे, उनको देखते हुए सरकार इस पर विचार करेगी।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जनजातियों के लिये योजनायें तैयार किये जाने के ब्यौरे के बारे में जानना चाहूंगा। जनजातीय लोगों का समग्र विकास वनों के संरक्षण और विकास से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में, कई वर्षों से जनजातीय लोगों का वनों पर अधिकार रहा है और वे वन सामग्री का इस्तेमाल करते थे और वे अपनी आजीविका उसी से कमाते थे और इसके साथ ही वे वनों का संरक्षण भी करते थे। हमारे देश में सदियों से वनों और जनजातीय लोगों का अत्यधिक घनिष्ठ संबंध रहा है।

परंतु, वन संरक्षण अधिनियम के कारण जनजातीय लोगों के अधिकार समाप्त कर दिये गये हैं और उनका वन पर कोई अधिकार नहीं है। ठेकेदारों, सरकारी अधिकारियों और नौकरशाहों की मिलीभगत से वन समाप्त हो रहे हैं और पेड़ों की व्यापक रूप से कटाई की जा रही है और हम यह जानते हैं कि इससे कितनी क्षति हो रही है।

इस संदर्भ में, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार जनजातीय लागों के पक्ष में वन कानून को बदलने पर विचार करेगी ताकि जनजातीय लोगों का वन संपत्ति पर अधिकार

हो और वे वनों का सदियों से चली आ रही परम्परा के अनुसार उपयोग कर सकें और वे वनों से अपनी आजीविका अर्जित कर सकें और साथ ही वे वनों की सुरक्षा कर सकें। इस समय इस वन संरक्षण अधिनियम में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री जुएल उराम : माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि आदिवासियों और जंगल का आपस में गहरा संबंध है और इसमें फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट उनको बहुत तकलीफ दे रहा है। हमारी सरकार आने के बाद तीन दिन की एक कांफ्रेंस अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसदों की हुई थी। उसमें प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी कि जो आदिवासी 20 साल से ज्यादा समय से जंगलों में रह रहे हैं, यदि उनके नाम पट्टा नहीं हुआ है या रेग्युलराइज नहीं हुआ है, तो उसको शीघ्र ही रेग्युलराइज किया जायेगा। इस बारे में राज्य सरकारों को निर्देश दे दिये गये हैं। जंगलों में जो उत्पादन होता है, जो नान टिम्बर फारेस्ट प्रोड्यूस है, जैसे इमली है, महुआ है, उसके बारे में केन्द्र सरकार का आग्रह है कि उनको माइनर फारेस्ट प्रोड्यूस लिस्ट में डालकर उन पर अननैसेसरी रिस्ट्रक्शन नहीं लगाई जाये। उनका फ्री कलेक्शन, प्रोसेसिंग किया जाये। केंद्र सरकार की जो ट्रायफड योजना है, मल्टी पर्पज कार्पोरेशन है और राज्य सरकारों का जो टी. डी. सी. है, वे मिलकर कारोबार करते हैं और ट्राइबल को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, ऐसा हमारा प्रयत्न रहता है।

श्री हन्नान मोल्लाह : क्या आप फारेस्ट एक्ट से ऐसे प्रावधान को रिमूव करेंगे? वन संरक्षण अधिनियम जनजातीय लोगों के विकास में बाधक है।

अध्यक्ष महोदय : आप सीधे उत्तर दें।

श्री जुएल उराम : फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

[अनुवाद]

राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध सी. बी. आई. की जांच

+

*83. **श्री रामजीवन सिंह** :

श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा करोड़ों की बेहिसाब संपत्ति रखने का मामला दर्ज किये जाने के बावजूद कुछ राजस्व अधिकारी अब भी अपने सरकारी पदों पर बने हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001 के दौरान और 2002 में आज की तिथि तक केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कितने राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध मामले दर्ज किये गये और उनमें से कितने अधिकारी अभी भी अपने सरकारी पदों पर बने हुए हैं;

(ग) केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बेहिसाब संपत्ति पकड़े जाने के बावजूद उनके अपने पदों पर बने रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

[हिन्दी]

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) जी, हां। वर्ष 2001 तथा 2002 के दौरान आय से अधिक संपत्ति रखने के लिये केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा तलाशियां ली गईं तथा आयकर और सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क समूह 'क' के 19 अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किये गये। उन अधिकारियों में से ग्यारह अधिकारियों को केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमों के संगत प्रावधानों के तहत निलंबित कर दिया गया है। एक अधिकारी सेवा से निवृत्त हो गये हैं। छः अधिकारी अपनी सरकारी सेवा में बने हुए हैं, क्योंकि इन छः अधिकारियों को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने हिरासत में नहीं लिया था और न ही उनके निलंबन की सिफारिश केंद्रीय जांच ब्यूरो से प्राप्त हुई है। सभी अठारह अधिकारियों के खिलाफ जांच पूरी कर लेने के बाद और उचित कार्रवाई की जायेगी।

श्री रामजीवन सिंह : महोदय, अपने देश में धनिकों की संपत्ति के आकलन की व्यवस्था है और आकलन करके फिर उस पर कर निर्धारित कर वसूल करने के लिये आयकर विभाग हैं। कर निर्धारण करने और वसूल करने के लिये

कई विभाग हैं। लेकिन उस विभाग में नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि न तो संपत्ति का सही आकलन हो पाता है, न कर का आकलन हो पाता है और न ही कर वसूल हो पाता है। जब करों की वसूली ठीक से नहीं हो पाती है और इसके परिणामस्वरूप जब वित्त मंत्री जी द्वारा बजट पेश किया जाता है, उसमें राजस्व वसूली करने के लिये जो लक्ष्य रखे जाते हैं, उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। इसका असर बजट पर पड़ता है और संपूर्ण वित्त व्यवस्था पर पड़ता है। उन भ्रष्ट पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायत मिलने पर सीबीआई द्वारा जब कभी छापामारी की जाती है, तो उनके पास करोड़ों की संम्पत्ति, उनकी आय से अधिक, प्राप्त होती है। इसके बावजूद भी वे पदाधिकारी अपने पदों पर बने रहते हैं। इसीलिये मैंने प्रश्न किया था कि राजस्व विभाग में, जिनके विरुद्ध सीबीआई द्वारा छापामारी की गई, वे अपने पद पर अब तक क्यों बने हुए हैं? माननीय मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि ग्रुप–ए में ऐसे 18 पदाधिकारी हैं, जिनके विरुद्ध छापामारी की गई और उनके पास आय से ज्यादा संपत्ति प्राप्त हुई। मैंने अपने प्रश्न में इसका वर्गीकरण नहीं किया है। मैंने सीधा प्रश्न किया था कि जिनके विरुद्ध छापामारी की गई, ऐसे पदाधिकारी राजस्व विभाग में कितने हैं? छापामारी के बाद जिनके पास अधिक संपत्ति पाई गई और वे अपने पद पर बने हुए हैं, उनके बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया कि 18 पदाधिकारी ग्रुप–ए में हैं। इन 18 पदाधिकारियों में से 11 पदाधिकारी निलंबित हुए, एक सेवानिवृत्त हुआ और छः अपने पदों पर बने हुए हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिन 11 पदाधिकारियों को निलंबित किया गया है और एक को सेवानिवृत्त किया गया है, उनके पास आय से अधिक कितनी–कितनी संपत्ति प्राप्त हुई है और छः पदाधिकारी जिनको पदों से निलंबित नहीं किया गया है, उनके पास आय से अधिक कितनी कितनी संपत्ति प्राप्त हुई है? प्रश्न का 'ख' भाग है कि जिन 6 पदाधिकारियों को निलंबित नहीं किया गया है, उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया गया है, उनके विरुद्ध सीबीआई ने अनुशंसा भी नहीं की। मेरा प्रश्न है कि जिन 11 पदाधिकारियों को निलंबित किया गया था, क्या उनके विरुद्ध सीबीआई ने गिरफ्तार करने के लिये अनुशंसा की थी? प्रश्न का 'ग' भाग है कि आय से अधिक संपत्ति होने पर क्या निलम्बन के लिये सीबीआई की अनुशंसा प्राप्त करना आवश्यक है?

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न की ओट में कर प्रणाली का विश्लेषण किया है और कई टिप्पणियां की हैं कि जो कर लागू होता है, वह मात्र धनी लोगों पर होता है। ऐसा नहीं है। कर प्रणाली सभी नागरिकों पर लागू है, जो कर देने की सीमा में आते हैं ...*(व्यवधान)* आपने धनी कह दिया था। मैं नहीं समझता हूं कि इसमें अपने आप में किसी प्रकार का कोई वर्गीकरण होता है। जो कर प्रणाली की सीमा बनी हुई है, कर उसी के अनुसार देंगे। इसमें मात्र डायरेक्ट टैक्स का प्रश्न नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं।

माननीय सदस्य ने मूल रूप से तीन प्रश्न किये हैं। कर प्रणाली के विश्लेषण–लाभ, गुण और अवगुण पर, आप मानेंगे कि प्रश्नकाल के दौरान अवसर नहीं है कि इस पर लंबी चर्चा हो। आपने जो प्रश्न पूछे हैं, उनमें एक प्रश्न पूछा है कि 18 आफिसरों में से 11 निलंबित हुए और एक सेवानिवृत्त हुआ, जिन पर कार्रवाई नहीं हुई है। मैं मोटे तौर पर बता दूं कि सीबीआई आपनी कार्रवाई करती है।

वह जहां भी कार्यवाही करती है, जिसमें हमारा वित्त मंत्रालय भी शरीक है, वह हमारी सलाह से नहीं करती, स्वतः करती है। जब वह इस प्रकार की जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल के दौरान यदि वह किसी आफिसर या कर्मचारी को 48 घंटे तक गिरफ्तार रखती है तो वह बिना किसी अन्य जांच के निलंबित हो जाता है ऐसा कानून है। इसमें अन्य कोई मीन मेख नहीं निकाला जाता और न कोई परिवर्तन या फेर बदल होता है। मैंने जिन 18 अधिकारियों का उल्लेख किया, उनमें जितने गिरफ्तार हुए या कुछ नहीं हुए, यह उसी वर्गीकरण के अनुसार है। 48 घंटे तक जिन्हें सीबीआई गिरफ्तार करके रखना आवश्यक नहीं समझती तो उसे निलंबित करना आवश्यक नहीं है, लेकिन जांच पूरी तरह होती है। उन सब के खिलाफ अभी जांच चलेगी, परंतु जो निलंबित होंगे उनके ऊपर कार्यवाही होगी, यह एक मापदंड है। आपने पूछा कि किस के यहां कितनी अवैध संपत्ति मिली, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जब तक करदाता दोषी सिद्ध न हो जाये, उसे हम दोषी के रूप में यहां विश्लेषण नहीं कर सकते। हर करदाता को कानूनन अधिकार है कि उस पर जो भी आरोप लगा है, उसके लिये कानून में जितने दरवाजे हैं, उनके तहत वह अपनी सफाई दे। अगर वह स्पष्ट करना चाहे कि मैं निर्दोष हूं तो सिद्ध करने का, हर करदाता और नागरिक को पूरा अधिकार है। जब तक यह प्रक्रिया

पूरी नहीं हो जाती है, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि हम इस प्रकार की सूचनायें नहीं दे सकते, कि किस के घर में क्या मिला। करदाता या नागरिक की प्राइवेसी के बारे में जानने का अधिकार है, हम जो चाहे पूछ सकते हैं, परंतु क्या हम यह चाहेंगे कि जब तक वह दोषी सिद्ध न हो जाये, उसकी प्राइवेसी के ऊपर हम दखलअंदाजी करते रहे। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे इस पर विचार करें। जिसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं हुई है, उसके यहां कुछ नहीं पाया गया था। जब रेड हुआ, उसके यहां कुछ नहीं पाया गया और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे रीइंस्टेट हो गये मोटे रूप से यह विश्लेषण है।

श्री रामजीवन सिंह : अध्यक्ष जी, एक तो सेवानिवृत्त हो गये और छः के विरुद्ध निलम्बन की कार्यवाही नहीं हुई, मैंने इसलिये इस बारे में पूछा, क्योंकि इसमें बताया कि सब के विरुद्ध सीबीआई ने छापामारी की। जितने भी पदाधिकारी पकड़े गये, जिनके यहां छापामारी की गई, मेरे पास उनकी पूरी सूची है। मंत्री जी चाहेंगे तो मैं उन्हें दे दूंगा। मैंने जानना चाहा था कि इनमें से किस के यहां छापामारी में कितनी आय से अधिक या अवैध संपत्ति पाई गई। अगर यह ब्यौरा उपलब्ध हो जाता तो स्पष्ट हो जाता कि जिन छः पदाधिकारियों को निलंबित नहीं किया गया, जिनके पास ज्यादा अवैध संपत्ति पाई गई, उन्हें क्यों छोड़ा गया? वे अपने पदों पर आज भी बैठे हुए हैं। इसलिये मैंने सब की संपत्ति के बारे में कहा। सीबीआई ने जो छापामारी की और उन्होंने एक लिस्ट सबमिट की कि इस–इस के यहां इतनी अवैध संपत्ति पाई गई, तभी मैंने इस बारे में जानना चाहा था। सभी नागरिकों की संपत्ति, अन्य लोगों की स्वतंत्रता या चीजों पर कोई आंच आये, मेरे पूछने का मतलब यह नहीं था। इससे स्थिति स्पष्ट हो जाती कि जो छः पदाधिकारी हैं, क्या ये इतने पावरफुल हैं करोड़ो रुपये की अवैध संपत्ति उनके यहां मिलने के बावजूद भी अपने पदों पर बने हुए हैं?

मैं मंत्री जी की कर्मठता और लायकियत का कायल हूं। क्या सरकार ऐसी पद्धति बनाना चाहती है कि ऐसे पदाधिकारियों या जिन के विरुद्ध छापामारी की गई हो, यदि उनके यहां इस तरह की अवैध संपत्ति पाई जाती है और प्रथम दृष्टया में कोई ठोस परिणाम परिलक्षित होते हों तो संपत्ति पाने के बाद स्वतः कम से कम उनका निलंबन हो जाये। निलंबन सजा नहीं होती है, स्वतः निलंबन हो जाये, वे अपने पद से हट जायें जिससे वे दोबारा गलत काम करने से वंचित हो जायें और सरकार तथा राजस्व का नुकसान न हो क्या सरकार ऐसी पद्धति प्रारंभ करना चाहती है?

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं कोई बात आपसे छिपा नहीं रहा हूं और मेरी ऐसी मंशा भी नहीं है। आपने जिन छः अधिकारियों के बारे में पूछा और कहा कि वे शायद इतने बलशाली हैं कि अपने स्थान पर बने हैं, मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूं कि उन्हेंने भी शपथ ली है लेकिन बलशाली तो ईश्वर है। उन 6 अधिकारियों को उन्हीं पदों पर नहीं रखा गया है और वे किसी सैंसिटिव पोजीशन पर नहीं हैं। उनके यहां कितनी संपत्ति मिली, अभी यह कहां हैं, मैं निजी तौर से माननीय सदस्य को यह सूचना अलग से भिजवा दूंगा। अफसर भी नागरिक हैं और उनकी प्राइवेसी के बारे में हम ख्याल रखें। जहां तक नई पद्धति लाने की बात है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। नई पद्धति का प्रश्न तभी उठता है, अगर सुधार की आवश्यकता हो। मैं मानता हूं कि सुधार की आवश्यकता है। क्या इस दिशा में जो कुछ हो रहा है वह ठीक है? वह सब ठीक नहीं है। इसके पीछे मूल रूप से क्या कारण हैं? मेरी मान्यता है कि जितना हम कायदे कानूनों में सरलीकरण लायेंगे, जितनी डिस्क्रिशनरी पावर कम होगी, चाहे मेरी डिस्क्रिशनरी पावर हो या अफसरों की डिस्क्रिशनरी पावर हो, उतना काम अच्छी तरह से होगा। पहला कायदे कानून का सरलीकरण, दूसरा डिस्क्रिशनरी पावर जहां तक संभव हो सके, रिअलिस्टिकली कम करते जायें और तीसरा, मेरी यह मान्यता है कि कर विभाग में जितनी जल्दी कम्प्यूटराइजेशन करेंगे, उतनी जल्दी डेटा साइंटिफिकली बेस पर खड़ा होगा–हमने इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। आपका कहना है कि क्या इसके तहत ऐसा करेंगे और जो कोई गलत काम करते पाया जाता है, क्या उसका तुरंत निलंबन करेंगे, मैं इसके बारे में जानकारी दे दूंगा कि यह कहां तक संभव है?

श्री दिनेश चन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में कहा कि 18 पदाधिकारियों में से 11 के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हुई और 6 पदाधिकारी बचे हैं। उनका यह भी कहना था कि अधिकारी भी पब्लिक है लेकिन यह भी सही है कि उनको एक समान रूप में नहीं देखा जा सकता है क्योंकि ऐसे अधिकारियों को सरकार

ने नियुक्त किया है। उनकी भी जवाबदेही है। उनको आज भी सारी सुविधायें उपलब्ध हैं। यह वही बात हो गई कि रक्षक ही भक्षक हो गया। इनकम टैक्स, जो एक आय बढ़ाने वाली संस्था है यदि वही चोरी करने लगे तो उन अधिकारियों को पब्लिक के समान कैसे देखा जा सकता है? जिस समय सीबीआई का रेड हुआ, उस समय यह बात प्रकाश में आई थी कि इन पदाधिकारियों के घर से जो पेपर वगैरह मिले, उसमें बड़े–बड़े पदाधिकारियों से संपर्क करने की बात थी। सरकार का जवाब है कि जिन 6 पदाधिकारियों के घर से करोड़ों रुपये बरामद हुए, उनके खिलाफ निलम्बन की कार्रवाई इसलिये नहीं हुई क्योंकि सीबीआई ने उनके खिलाफ अनुशंसा नहीं की।

क्या सरकार के पास ऐसा कोई तंत्र है कि जिसके घर में करोड़ों रुपया मिला हो और रेड करने वाला पदाधिकारी, उसके लिये अनुशंसा नहीं कर रहा हो, सरकार उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिन बड़े–बड़े अधिकारियों के संबंध उन लोगों से रहे हैं, क्या उन पदाधिकारियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्यवाही करेगी?

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जहां वे पदाधिकारी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मैं मानकर चलता हूं कि उनका आशय अधिकारी से है। माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि क्या हम कभी इस बात को स्वीकार करेंगे कि जिनका काम रक्षा करना है, वे ही भक्षक बन जायेंगे। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि यह संभव नहीं है और यह कहीं संभव नहीं हो सकता। यह कैसे संभव है कि बाढ़ ही खेत को खाने लगे। जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो खेत की रखवाली कौन करेगा? जब अधिकारी को कोई काम सुपुर्द किया जाता है तो उससे यह अपेक्षा रहती है कि वह काम कानून और संविधान की दृष्टि से ईमानदारी से करेगा। जब वह उस लाइन से हटता है तो जांच पड़ताल होती है। उस अधिकारी को अपने आपको निर्दोष साबित करने के लिये अवसर मिलता है। यह अधिकार सभी नागरिकों के साथ–साथ और अधिकारियों को भी है, यह आप मानकर चलिये।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि यदि जिसके पास करोड़ों रुपये की अवैध संपदा पाई जाती है, मेरा कहना है कि यदि वह अनअकाउंटेड मनी है, निश्चित रूप से अवैध है तो उस पर कार्यवाही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वह अधिकारी हो या नागरिक हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, इस में कोई दो राय नहीं है। जहां तक माननीय सदस्य ने 6 अधिकारियों के बारे में पूछा है, मैं पहले कह चुका हूं कि सीबीआई ने जब रेड किया, 48 घंटों का जो कानून है, उसके तहत सीबीआई ने उतने समय गिरफ्तारी में नहीं रखा। इसलिये उन्हें छोड़ दिया गया।

[अनुवाद]

श्री जे. एस. बराड़ : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 82 के उत्तर के दौरान आपकी सम्मानित उपस्थिति में, हमने माननीय संसदीय कार्य मंत्री का व्यवहार देखा। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं क्योंकि वे तो हमारे ऊपर बरस पड़े वे हमें जिस प्रकार के तौर तरीके और शिष्टाचार सिखा रहे हैं। हमारे माननीय प्रमुख सचेतक अभी–अभी खड़े हुए थे और जिस प्रकार का मंत्री जी ने बर्ताव किया वह शिष्टतापूर्ण नहीं था।

महोदय, श्री राम जीवनसिंह का यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न के सभी भागों, (क) से (घ) का केवल एक पैरा में उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

मैं आपसे सीधी बात पूछना चाहता हूं कि जो 17 अधिकारी दोषी पाये गये, सीजर्स हुए, अनअकाउंटेड वैल्थ का जिक्र हुआ, बैसिकली ये वे लोग हैं–रखवालों की रखवाली कौन करेगा? जो बहुत बड़े घरानों के खिलाफ तहकीकात करते हैं। तब 6 अधिकारियों के खिलाफ इलजाम पाये गये हैं तो वे दोषी हैं। लेकिन उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, इसका बुनियादी कारण क्या है? क्या मैं आनरेबल मिनिस्टर से यह जान सकता हूं कि जब इतने–इतने बड़े–बड़े मुद्दों में प्राइमा फेसी केस नहीं बनता है तो फिर देश में बोफोर्स जैसे मामले में बिना कोई बात हुए व्हिस्परिंग कैम्पेन के साथ कैसे बदनामी कर दी गई थी कि फार्मर प्राइम मिनिस्टर दोषी पाये जा चुके हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन सरकार नहीं ले रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न के 'डी' भाग के जवाब को पढ़कर हैरान रह गया और

[अनुवाद]

मेरे विचार से इस प्रश्न पर कोई तैयारी नहीं की गई

है और माननीय मंत्री यह नहीं जानते हैं कि प्रश्न क्या है। इस प्रश्न में इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का संदर्भ दिया गया है।

[हिन्दी]

जो इन्होंने कहा, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। क्या एक्शन लिया गया, सीजर्स क्या हुए, उन लोगों के खिलाफ क्या इलजाम हैं, कौन लोग दोषी हैं? क्या हम अपने निजी पत्र द्वारा आनरेबल मिनिस्टर साहब से यह जान सकते हैं कि वे 17 आदमी कौन हैं, वे 6 आदमी जिनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, चार्ज शीटेड हैं, प्राइमा फेसी साबित हो गया, उनके खिलाफ इलजाम हैं, क्या सरकार उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लेगी या नहीं?

श्री जसवंत सिंह : मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूं कि जो मूल प्रश्न का उत्तर है उसमें जिन 18 अधिकारियों का उल्लेख है, वे सीबीआई की रेड से जुड़े हुए हैं। सीबीआई ने कार्रवाई शुरू की और कुछ अफसरों के ठिकानों पर रेड करके जो कुछ भी संपत्ति का ब्यौरा पाया। इसे मैं पुनः दोहरा देता हूं...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उनके खिलाफ चार्जशीट दी गई या नहीं?

श्री जसवंत सिंह : मैं यहीं बता रहा हूं, मैं आपको फिर से दोहरा दूं कि कई बार सीबीआई जिनके यहां रेड करती है, जांच पड़ताल के दौरान अगर उन्हें वह 48 घंटे तक गिरफ्तार रखे तो वे अपने आप निलंबित हो जाते हैं ऐसा कानून है। हमें यह सूचना थी कि इतने लोग निलंबित हो गये हैं। उसमें आपने पूछा कि छः लोग निलंबित क्यों नहीं हुए हैं, मैंने इसे जानने का प्रयत्न किया कि जो छः लोग निलंबित नहीं हुए हैं, वे इसलिये नहीं हुए हैं क्योंकि उन्हें सीबीआई ने 48 घंटे तक गिरफ्तार नहीं किया, इसलिये वे निलंबित नहीं हुए यह कानून है।

[अनुवाद]

श्री जे. एस. बराड़ : अपराध गंभीर स्वरूप के हैं।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह : इन सभी 18 अधिकारियों के खिलाफ इनवैस्टीगेशन अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इनवैस्टीगेशन बंद हो चुका है। इसमें आपकी यह आशंका है कि ये छः कहीं ऐसी जगहों पर लगे हैं जहां पर...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या आपका कोई कर्तव्य नहीं है। आपको जानकारी मिली है तो आप तुरंत इसकी जांच करें...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। किसी भी व्यक्ति को 48 घंटे तक गिरफ्तार करने के दो कारण होते हैं। पहला कारण यह है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध एवीडैंस इकट्ठा करने में 48 घंटे से ज्यादा का समय लगा और कुछ ऐसे होते हैं जो उस आरोप में सिद्ध पाये गये, लेकिन जहां एवीडैंस पर्याप्त नहीं थी और उन्हें 48 घंटे तक गिरफ्तार रखने की जरूरत नहीं थी, जहां पर आरोप प्राइमा फेसी सिद्ध हो गये हैं, इसके बाद भले ही उन्हें 48 घंटे गिरफ्तार न रखा जाये, क्या सरकार बाध्य है कि ऐसे लोग निलंबित नहीं किये जा सकते। क्या ऐसा कोई कानून है कि आरोप सिद्ध होने के बाद भी आपको उन्हें निलंबित करने से रोकता है।

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों प्रश्नों का साथ-साथ उत्तर दीजिये, यह सप्लीमैंटरी टू सप्लीमैंटरी हो गया है।

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, श्री जे. एस. बराड़ जी ने जो सवाल पूछा है मैं उसका जवाब दे देता हूं, पंडित जी को भी जवाब दे देता हूं। मुझे इसमें किसी बात को छिपाने की जरूरत नहीं है, हम किसलिये छिपायेंगे...*(व्यवधान)* रघुवंश बाबू तो गाली-गलौच पर उतर आये, पता नहीं हमें क्या-क्या कह दिया। आप क्यों नाराज हो रहे हैं।

माननीय स्पीकर साहब, मैं पहले ये स्पष्ट कर दूं कि उन सारे 18 लोगों के खिलाफ हमारी तरफ से पूरी विभागीय जांच चल रही है। ऐसा नहीं है कि सीबीआई ने 48 घंटे तक जांच नहीं की, जैसा यहां उल्लेख हुआ है। रहा सवाल कि क्या ये छः लोग सैंसिटिव पोजीशन पर हैं इन छः में से दो लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया है, चार को पहले ही हमने नॉन-सैंसिटिव पोजीशन पर लगा दिया है। उनके खिलाफ जांच होगी। सीबीआई की जांच के बारे में मैं माननीय सदस्यों को बता दूं कि सीबीआई की जांच में काफी वक्त लगता है। जब सीबीआई इस प्रकार की कोई जांच करती है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि विभाग बिलकुल निकम्मा

होकर बैठ जाता है, हम कोई जांच नहीं करते, साथ–साथ हम अपनी जांच करते हैं। अफसरों को वहां से हटा दिया जाता है। हमारा प्रयत्न यह है कि किसी के साथ किसी प्रकार का गैर इंसाफी का काम न हो, साथ में यह भी नहीं चाहते हैं कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसे उसकी सजा न मिले। हमारा निश्चित रूप से यह प्रयत्न है और आगे भी रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 84।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिये बार–बार वही प्रश्न पूछ रहे हैं और वही उत्तर आ रहा है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इसी वित्त मंत्रालय ने 'फर्स्ट ग्लोबल' के मामले में उन्हें केवल 24 घंटे के भीतर सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार करवा दिया था। परंतु, अब इस मामले में वे इन लागों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका क्या प्रयोजन है?...*(व्यवधान)* सरकार उन्हें बचा रही है...*(व्यवधान)* इनकी उनके साथ मिलीभगत है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : चौधरी जी, आप अपना प्रश्न पूछिये।

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : मैं क्षमा चाहता हूं, यह मेरे हाथ की बात नहीं है। स्पीकर साहब ने अगला प्रश्न बुलाया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, मैंने अगला प्रश्न पुकारा है और उस प्रश्न से संबंधित मंत्री कौन हैं? आप ही हैं।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : सरकार ने उन छः अफसरों के खिलाफ या तो चार्जशीट दी होगी या फाइनल रिपोर्ट दी होगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मंत्री जी सभा को यह आश्वासन दें कि आरोप पत्र को अंतिम रूप देने के लिये तत्काल कार्यवाही की जायेगी। वे इस मामले में चुपचाप बैठे नहीं रह सकते हैं।

[हिन्दी]

सरकार बहाना ढूंढ़ रही है, अभी तक रिपोर्ट फाइनल नहीं हुई है। जब चार्जशीट नहीं हुई तो रिपोर्ट फाइनल कैसे होगी? मंत्री महोदय कृपा करके सदन को आश्वस्त करें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को जो उत्तर देना चाहिये था, वह बार–बार उन्होंने दिया। छः सात प्रश्न इस विषय पर हो गये हैं। मंत्री जी का कहना है कि कानून में जो सुविधा है उसी के अनुसार कार्रवाई की गई है। अभी यदि आपका समाधान नहीं हुआ है तो दूसरे किसी माध्यम से प्रश्न उठाइये। उसका मंत्री जी उत्तर देंगे। मंत्री जो ने यह भी कहा है कि किसी को बचाने का उनका इरादा नहीं है, किसी को वे सेव नहीं करना चाहते। मैं नहीं जानता कि इससे ज्यादा जाकर आप कितनी बार भी उनसे प्रश्न पूछें तो कोई दूसरा उत्तर मिलेगा। ऐसा मैं सोचता हूं और इसलिये मैंने आगे का प्रश्न पुकारा है। मंत्री अगले प्रश्न का उत्तर दें।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : एक केस में तो 24 घंटे का दिया है लेकिन इसमें क्यों नहीं दिया है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न उठाइये लेकिन किसी दूसरे माध्यम से। आपको इजाजत है।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, आप इस पर आधे घंटे की चर्चा दे दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : अगर मंत्री जी तैयार हों तो मैं आधे घंटे की चर्चा देने के लिये तैयार हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : जिनके यहां बेहिसाब संपत्ति पकड़ी गई उनको नॉन सैंसिटिव पोस्ट पर कर दिया गया। तब तक उसको बचने का अवसर दिया गया।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री तैयार हों तो मुझे इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा के लिये अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मुद्दे पर आधे घंटे की चर्चा के लिये अनुमति करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह आप क्या कर रहे हैं? मैंने आधे घंटे की चर्चा इस पर दी है। आप बैठिये

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक रूप में व्यवधान डालना क्यों चाहते हैं?

[हिन्दी]

आप प्लीज बैठिये। अभी नहीं

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दूसरे लोगों के भी प्रश्न हैं, मुझे वह भी लेने पड़ेंगे।

[अनुवाद]

मैंने आधे घंटे की चर्चा के लिये अनुमति प्रदान की है। कृपया अपने सभी प्रश्न उस समय पूछिये जब सभा में इस मुद्दे पर चर्चा आरंभ होगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : इस पर आधे घंटे की चर्चा दे दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने दे दी है।

श्री पदमसेन चौधरी, आप अपना प्रश्न पूछिये।

ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा के बारे में जानकारी

+

***84. श्री पदमसेन चौधरी :**

डा. अशोक पटेल :

क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा के बारे में जानकारी देने के लिये कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना कब तक कार्यान्वित की जायेगी?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं। विशेष रूप से जागृति पैदा करने के उद्देश्य से कोई योजना तैयार नहीं कई गई है। तथापि, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के लिये बाध्यता) विनियम, 2000 में प्रत्येक बीमा कंपनी पर ग्रामीण क्षेत्रों में कारोबार करने की न्यूनतम बाध्यता निर्धारित की गई है। राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही सामाजिक सुरक्षा योजना मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कमजोर वर्गों के लिये लक्षित है। पिछले वर्षों में भारतीय जीवन बीमा निगम का ग्रामीण कारोबार भी निरंतर बढ़ा है। तथापि, सरकारी तथा निजी क्षेत्र की विभिन्न बीमा कंपनियों की प्रोत्साहन संबंधी गतिविधियों से ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा के संबंध में बेहतर जागरूकता पैदा हुई है।

श्री पदमसेन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य में कोई ऐसी योजना बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में बीमा को प्रोत्साहन दिया जा सके और किसानों को उसका पूरा लाभ मिल सके?

श्री जसवंत सिंह : मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा की कई योजनायें हैं। साथ-साथ एक प्रावधान है जिसमें हर साल दो प्रतिशत की बढ़ोत्तरी ग्रामीण लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इन्श्योरेंस के तहत करनी पड़ती है।

मध्याह्न 12.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मेरे पास जो आंकड़े हैं, उनके अनुसार मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि जहां तक लाइफ इंश्योरेंस का सवाल है, जब से एल.आई.सी. इस क्षेत्र में आई है तब से इसमें विशिष्ट प्रगति हुई है, जो संतोष का विषय है। इसके अलावा चूंकि समय नहीं है इसलिये केवल मैं इतना कहना चाहता हूं कि नई पालिसी के तहत ग्रामीण क्षेत्र में सन् 2001–2002 में जो प्रगति हुई है वह अपने आप में संतोषजनक है, फिर चाहे वह नई पालिसी का सवाल हो, टोटल प्रीमियम का हो, नई कंपनीज के आने का हो। वैसे यह मामला लाइफ इंश्योरेंस का नहीं है बल्कि जनरल इंश्योरेंस से संबंधित है।

श्री पदमसेन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि निजी क्षेत्र में बीमा कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने क्या कार्रवाई की है और इस योजना के परिणामस्वरूप भारतीय जीवन बीमा निगम के कारोबार में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और इससे सरकार को कितना राजस्व मिल रहा है?

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष जी, जो सूचना मेरे पास अभी है उसके आधार पर मैं बता सकता हूं कि करीब 18 नई प्राइवेट कंपनियां हैं जिनमें से 12 का लाइफ इंश्योरेंस में और 6 का जनरल इंश्योरेंस में रजिस्ट्रेशन हुआ है। उन्होंने करीब 3 लाख 20 हजार नई जीवन बीमा पालिसियां बेची हैं जिनके तहत प्रीमियम की इनकम करीब 306 करोड़ रुपये हुई है। यह मार्च, 2002 तक की फीगर्स हैं। यह प्रीमियम के रूप में इनकम है, इसलिये इसे राजस्व की कमाई नहीं कहा जा सकता है। इसके बाद कंपनियों को, जो टैक्स वगैरह हैं, आगे जाकर वे भी देने हैं।

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

चावल की खरीद का लक्ष्य

***81. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों, विशेषकर आंध्र प्रदेश ने केंद्र सरकार से राज्यों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाने वाली चावल की खरीद के वर्तमान लक्ष्य 50 प्रतिशत को बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अनुरोधों पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार के दिनांक 13.7.2002 के पत्र द्वारा आंध्र प्रदेश राइस प्रोक्यूरमेंट (लेवी) आर्डर, 1984 को संशोधित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ताकि लेवी चावल की प्रतिशतता को मौजूदा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया जाये। किसी अन्य राज्य सरकार से ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

आयकर के मुख्य आयुक्तों और महानिदेशकों का अखिल भारतीय सम्मेलन

***85. श्रीमती कांति सिंह :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर के मुख्य आयुक्तों और महानिदेशकों का अखिल भारतीय सम्मेलन मई, 2002 में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बैठक में दिये गये सुझावों पर क्या कार्यवाही की गई अथवा की जायेगी?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां। ये सम्मेलन समय–समय पर आयोजित किये जाते हैं।

(ख) दो दिनों तक चर्चा की गई थी और इनमें आयकर विभाग से संबंधित कार्य क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया गया था।

(ग) सम्मेलन में की गई सिफारिशों/दिये गये सुझावों का मूल्यांकन किया गया है और उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

चीनी का उत्पादन/निर्यात

***96. श्री दानवे रावसाहेब पाटील :**
श्री मानसिंह पटेल :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिराई के गत दो मौसमों के दौरान और आज की तिथि तक चीनी का राज्यवार कितना वार्षिक उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्षवार कितने प्रतिशत और कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान उत्पादन और निर्यात में गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा चीनी के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) पिछले दो पेराई मौसमों और वर्तमान पेराई मौसम (31.5.2002 को स्थिति के अनुसार) के दौरान चीनी के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वाणिज्यिक आसूचना और संख्यिकी महानिदेशालय (डी.जी.सी.आई. एंड एस.), कोलकाता द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर अपेक्षित सूचना नीचे दी जाती है :

क्र.सं.	चीनी मौसम	उत्पादन (लाख मी. टन)	निर्यात (लाख मी. टन)	प्रतिशत	मूल्य लाख रु. में
1.	1999-2000	181.93	0.23	0.13	2980.26
2.	2000-2001	185.10	9.87	5.33	126394.13
3.	2001-2002	129.71 (फरवरी 2002 तक)	4.44 (फरवरी 2002 तक)	3.42	52441.07

(ग) और (घ) पिछले दो मौसमों के दौरान चीनी का उत्पादन उनसे पिछले चीनी मौसमों के उत्पादन से अधिक था। वर्तमान पेराई मौसम के दौरान 180 लाख मी. टन से अधिक चीनी का उत्पादन होने की संभावना है।

चीनी मौसम 1999-2000 की तुलना में चीनी मौसम 2000-01 के दौरान चीनी के निर्यात में भी वृद्धि हुई है, जैसाकि प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में उल्लेख किया गया है। वर्तमान पेराई मौसम के दौरान लगभग 10 लाख मी. टन चीनी का निर्यात होने की संभावना है।

(ङ) चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य, से चीनी उद्योग को सितंबर, 1998 से लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है और उद्यमी अपनी परियोजनाओं की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने अथवा मौजूदा चीनी फैक्ट्रियों की क्षमता का विस्तार करने के लिये स्वतंत्र हैं। इसके अतिरिक्त, गन्ने के विकास, आधुनिकीकरण/विस्तार और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये चीनी विकास निधि से ब्याज की रियायती दरों पर ऋण दिये जा रहे हैं।

चीनी के निर्यात में वृद्धि करने के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं-

(i) चीनी के निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है।

(ii) निर्यात के लिये निर्धारित चीनी की मात्रा पर लेवी देयता से छूट दी गई है।

(iii) निर्यात के लिये रिलीज की गई चीनी की मात्रा को खुली बिक्री की चीनी की अग्रिम निर्मुक्ति के रूप में माना जाता है, जिसका समायोजन 18 माह की अवधि के पश्चात चीनी फैक्ट्रियों की खुली बिक्री की चीनी के स्टॉक से किया जाता है।

(iv) चीनी के निर्यात के जहाज तक निशुभार मूल्य की 4 प्रतिशत की दर पर डी.ई.पी.बी. की अनुमति दी गई है।

(v) अभी तक केवल मिल व्हाइट शुगर का निर्यात किया जा रहा था। यह स्पष्ट किया गया है कि मिल व्हाइट शुगर के अतिरिक्त चीनी मिलें/निर्यातक वर्तमान निर्यात–आयात नीति के अधीन कच्ची चीनी का भी निर्यात कर सकते हैं।

(vi) सरकार ने चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में संशोधन किया है ताकि यह अन्य बातों के साथ–साथ चीनी विकास निधि का उपयोग चीनी के निर्यात के लिये शिपमेंट पर चीनी फैक्ट्रियों को आंतरिक ढुलाई तथा माल भाड़े के खर्च की अदायगी के लिये कर सके।

(vii) प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों की राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि निर्यात की जाने वाली चीनी को तैयार करने में प्रयुक्त गन्ने पर क्रय कर में छूट दी जाये।

विवरण

पिछले दो चीनी मौसमों और वर्तमान चीनी मौसम 2001–2002 के दौरान चीनी के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा देने वाला विवरण

राज्य	चीनी मौसम 1999–2000	चीनी मौसम 2000–2001	चीनी मौसम 2001–2002 (अ) (31.5.2002 को स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4
पंजाब	4.20	4.96	5.88
हरियाणा	4.77	5.86	6.33
राजस्थान	0.14	0.06	0.02
उत्तर प्रदेश	45.56	47.55	54.43
मध्य प्रदेश	1.03	0.93	0.94
गुजरात	11.41	10.73	10.26
महाराष्ट्र	65.03	67.05	56.74
बिहार	3.68	2.88	2.74
असम	0.04	0.03	0.00
उड़ीसा	0.53	0.34	0.24
पश्चिम बंगाल	0.03	0.03	0.00
आंध्र प्रदेश	11.82	10.22	10.48
कर्नाटक	15.71	16.04	13.78
तमिलनाडु	17.20	17.81	15.14
पांडिचेरी	0.49	0.38	0.24
केरल	0.14	0.07	0.04
गोवा	0.15	0.16	0.10
समस्त भारत	181.93	185.10	177.36

अ–अनंतिम

प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत का स्थान

*87. **श्री वाई. जी. महाजन :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2001–2002 (वर्ल्ड इकानोमिक फोरम्स ग्लोबल

कंपीटीटिवनेस रिपोर्ट 2001–2002) के अनुसार "इंडिया स्लिप्स टू फिफटी सेवंथ पोजीशन इन कंपीटीटिवनेस रैंकिंग" (प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत खिसककर 57वें स्थान पर आ गया है) जैसा कि 3 जून, 2002 को "हिंदुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्थिति के लिये उत्तरदायी कारकों का आकलन और उनकी पहचान कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार का इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता रिपोर्ट (2001–2002) के अनुसार भारत का रैंक 2000 में 48 से गिरकर 2001 में 57 हो गया है। यह रैंक निर्धारण पूरी तरह से तुलनीय नहीं है क्योंकि वर्ष 2001–02 की रिपोर्ट में 17 नये देश शामिल किये गये हैं और इसमें प्रौद्योगिकी परिवर्तन, आधार ढांचे और वित्तीय बाजारों के नये पैरामीटर सम्मिलित हैं। तथापि, वर्तमान रिपोर्ट में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी), सहायक विधिक तंत्र का संवर्द्धन, ऋण के लिये पहुंच, मुद्रास्फीति, वास्तविक विनिमय दर और वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों की उपलब्धता तथा अनुसंधान की गुणवत्ता जैसे क्षेत्रों में भारत के प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभों पर प्रकार डाला गया है। रिपोर्ट में भारत में प्रतिस्पर्द्धा के नुकसानों में सरकारी घाटे, सड़क आधार ढांचे की गुणवत्ता, विकृत सरकारी आर्थिक सहायता और श्रमिक–मालिक संबंधों का उल्लेख किया गया है।

(घ) सरकार को उल्लिखित कमियों की जानकारी है और इसने भारतीय उद्योगों की कार्यकुशलता, उत्पादकता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार लाने और समग्र विकास प्रक्रिया को भी गतिशील बनाने के लिये व्यापार उद्योग, वित्तीय और सरकारी क्षेत्रों में कई सुधार किये हैं। राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण तथा भूमि और श्रम बाजारों में सुधार को भी सरकार की कार्यसूची में उच्च स्थान दिया जाता है।

[अनुवाद]

भारत-श्रीलंका व्यापार समझौते की समीक्षा

***88. श्री के. पी. सिंह देव : क्या वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और श्रीलंका के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा करने के लिये बैठक आयोजित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बैठक के कब तक होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से 28 दिसंबर, 1998 को दोनों देशों के बीच एक मुक्त व्यापार करार पर हस्ताक्षर हुए थे। इस करार में नकारात्मक सूची की सीमित मदों को छोड़कर सभी उत्पादों पर टैरिफों को एक निश्चित अवधि में चरणबद्ध ढंग से समाप्त किये जाने की परिकल्पना की गई है। यद्यपि भारत 3 वर्ष की अवधि में टैरिफ समाप्त करने की प्रक्रिया पूरी कर लेगा किंतु श्रीलंका यह प्रक्रिया 8 वर्षों में पूरा करेगा। भारत निर्दिष्ट पत्तनों के जरिये टैरिफ रेट कोटा (टीआरओ) तंत्र के अंतर्गत चाय और परिधानों की निर्धारित मात्रा के आयात की अनुमति भी देता है। इस करार के तहत निर्धारित मूल देश के नियमों का पालन करने पर ही टैरिफ रियायतें उपलब्ध होती हैं।

(ख) से (घ) भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार करार के अनुच्छेद XI में यह व्यवस्था है कि करार के क्रियान्यन में हुई प्रगति की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस करार से होने वाले व्यापार के विस्तार का लाभ दोनों देशों को समान रूप से मिले, एक संयुक्त मंत्रालयी समिति (जेएमसी) की स्थापना की जाये। मुक्त व्यापार करार के अंतर्गत संयुक्त मंत्रालयी समिति (जेएमसी) की प्रथम बैठक नई दिल्ली में 7 जून, 2002 को आयोजित की गई थी।

[हिन्दी]

फिल्मी सितारों/क्रिकेट खिलाड़ियों पर आयकर

***89. श्री सुंदर लाल तिवारी : क्या वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फिल्मी सितारों और क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम क्या हैं जिन पर आयकर बकाया है और प्रत्येक पर आयकर की बकाया राशि का पिछले तीन वर्षों का वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस बकाया राशि की वसूली करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यह वसूली कब तक किये जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) फिल्मी हस्तियों अथवा क्रिकेट खिलाड़ियों जैसे पेशे की श्रेणियों के संबंध में आय कर विभाग द्वारा अलग से ब्यौरे नहीं रखे जाते।

(ख) करों की वसूली एक सतत प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न सांविधिक प्रक्रियायें शामिल हैं। इन देय राशियों की वसूली के लिये सरकार द्वारा की गई कार्रवाई प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगी।

(ग) वसूली करने के लिये कोई समय–सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती क्योंकि सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिये जाने के उपरांत कर निर्धारितों से देय राशियों के अंतिम निर्धारण पर ही निर्भर हैं।

[अनुवाद]

हवाला कारोबार

***90. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला** : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय ने पता लगाया है कि करोड़ों रुपये की हवाला राशि मुंबई स्थित चार बैंकों में जमा की गई थी और 60 दिनों के भीतर उसे दक्षिण भारत स्थित बैंकों के खातों में स्थानांतरित कर दिया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 2000 के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने एक मामले की जांच पड़ताल की थी जिसमें नवंबर, 1999 से दिसंबर 2000 के बीच कुछ व्यक्तियों के फेडरल बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक, नेदुनगेडी बैंक, लॉर्ड कृष्णा बैंक तथा इंडियन ओवरसीज बैंक की मुंबई शाखाओं में रखे गये खातों में कुल 336 करोड़ रु. (लगभग) की राशि जमा पाई गई थी। यह पाया गया है कि इन राशियों को, नवंबर, 1999 से दिसम्बर, 2000 की अवधि के दौरान, उक्त बैंकों की तमिलनाडु तथा केरल स्थित शाखाओं के कुछ खातों में धीरे–धीरे स्थानांतरित कर दिया गया है। इन लेन–देनों में संलिप्त बड़ी राशि को ध्यान में रखते हुए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राजस्व आसूचना निदेशालय तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सहित विभिन्न जांच एजेंसियों को इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिये संदर्भ भेज दिये गये थे। जांच अभी चल रही है।

(ग) और (घ) इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कोई गिरफ्तारियां नहीं की गई थीं।

'नाबार्ड' द्वारा पुनः वित्तपोषण पर प्रभारित ब्याज दर

***91. श्री सुबोध मोहिते :**
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक/केंद्र सरकार की नीतियों के माध्यम से नियमित हस्तक्षेप के द्वारा गत दो वर्षों के दौरान सभी क्षेत्रों में ब्याज दरें कम हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या 'नाबार्ड' बहुत ऊंची ब्याज दर ले रहा है और कुछ राज्य सरकारों ने निर्धन किसानों की सहायता के लिये 'नाबार्ड' की पुनः वित्तपोषण ब्याज दर में कमी करने की अपील की है;

(ग) यदि हां, तो कृषि ऋण पर प्रभाव के मद्देनजर केंद्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां। हाल में अर्थव्यवस्था में ब्याज की दरों में नरमी की प्रवृत्ति दिखाई दी है।

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय बैंकों को उत्पादन ऋण के लिये 5.5 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत के बीच की ब्याज दरों पर पुनर्वित्त सुविधायें प्रदान करता है, जिसे 'बहुत अधिक' नहीं माना जा सकता है। तथापि, नाबार्ड की पुनर्वित्त दरों में और कमी के लिये कुछ राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) सरकार का यह प्रयत्न है कि वह किसानों को उचित ब्याज दर पर पर्याप्त और समय पर ऋण उपलब्ध कराये। सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने इस संबंध में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरूआत, 10,000/– रुपये तक के ऋणों के लिये संपार्श्विक/प्रतिभूति को माफ करने, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, विशेषज्ञ कृषि वित्त शाखायें खोलने आदि जैसे कई उपाय किये हैं।

चाय क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

*92. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंत्रिसमूह की आपत्ति के बावजूद चाय क्षेत्र में शत–प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) चाय क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितने प्रस्तावों को अब तक कंपनी–वार स्वीकृति दी गई है;

(घ) क्या इस कदम से छोटे और मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घरेलू खुदरा बाजार पर पकड़ कम होने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा चाय उद्योग के छोटे खुदरा विक्रेताओं के हितों की सुरक्षा हेतु क्या उपाय करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से घरेलू चाय उद्योग किस तरीके से लाभान्वित होगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह) : (क) और (ख) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) पर मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने पांच वर्षों की अवधि के अंदर किसी भारतीय भागीदार/भारतीय जनता के पक्ष में कंपनी की 26 प्रतिशत इक्विटी का अनिवार्य रूप से विनिवेश करने; और भविष्य में भूमि के प्रयोग में परिवर्तन किये जाने की स्थिति में संबद्ध राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लिये जाने की शर्तों के अध्यधीन चाय बागवानी सहित चाय क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश करने की हाल ही में अनुमति प्रदान कर दी है।

(ग) नई घोषित नीति के अंतर्गत अभी तक चाय क्षेत्र में कोई एफ.डी.आई. का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) जी, नहीं। नई नीति केवल चाय क्षेत्र अर्थात चाय की बागवानी, चाय के उत्पादन/प्रसंस्करण/पैकेजिंग और संबद्ध सेवाओं में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देती है। खुदरा व्यापार क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं है, जो कि चाय उद्योग में खुदरा व्यापार पर भी लागू है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(च) चाय क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से देशी चाय उद्योग को निम्नलिखित रूप से सहायता मिलेगी :

(i) भारतीय चाय बागानों का नवीकरण करना, क्योंकि पुराने चाय के पेड़ों (झाड़ियों) को तत्काल बदलने की आवश्यकता है।

(ii) भारतीय चाय उत्पादन उद्योग के प्रसंस्करण और पैकेजिंग क्षमताओं का आधुनकीकरण किये जाने के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाना।

(iii) बागान लगाने वालों, अनुसंधान अभिकरणों, भेषज कंपनियों और चाय विपणन कंपनियों

के बीच सहयोग के माध्यम से आगे तथा पीछे संपर्क बनाना।

(iv) विदेशी बाजार में बेहतर पैठ मुहैया कराना।

विदेशी बैंक

***93. श्री ए. रह्मनैया : क्या वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में विदेशी बैंकों का कार्य संचालन बढ़ाने के संबंध में उनके लिये दिशानिर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी बैंकों को अन्य वाणिज्यिक बैंकों की उन शाखाओं के अधिग्रहण की अनुमति है जिनका कारोबार शिथिल पड़ गया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी कितनी शाखाओं के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी बैंकों को उनके कार्य संचालन की अनुमति दी है; और

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखायें बंद न हों?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) परस्पर सम्मत शर्तों के आधार पर, विदेशी बैंकों पर अन्य वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं के अधिग्रहण करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि, इसके लिये भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की पूर्वानुमति अपेक्षित है। तथापि, अब तक भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष किसी भी विदेशी बैंक ने इस संबंध में अनुमति हेतु प्रस्ताव नहीं रखा है।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से ही ग्रामीण शाखाओं को बंद कर दिया जा सकता है। रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार, एकल वाणिज्यिक बैंक शाखा वाले ग्रामीण केंद्रों पर घाटे वाली शाखाओं को बंद करने की अनुमति नहीं दी जाती है। ऐसे केंद्रों पर, जहां वाणिज्यिक बैंकों की दो शाखायें (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं को छोड़कर) कार्यरत हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के साथ परस्पर विचार विमर्श से संबंधित बैंकों द्वारा एक शाखा बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है।

रुपये का मूल्य

***94. डा. एस. वेणुगोपाल : क्या वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई 2002 में अमरीकी डालर के मुकाबले रुपये का मूल्य अब तक के न्यूनतम स्तर पर आ गया था;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष इसका न्यूनतम मूल्य कितना रहा;

(ग) प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपये का मूल्य कितना है; और

(घ) सरकार द्वारा अमरीकी डालर के मुकाबले रुपये के मूल्य को स्थिर रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। 16 मई, 2002 को अमरीकी डालर की तुलना में रुपये की विनिमय दर 49.06 रुपये हो गई। चालू वर्ष में यह सबसे कम दर थी।

(ग) जनवरी, 2002 से लेकर जून, 2002 तक विश्व की प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपये की मासिक औसत विनिमय दरें नीचे दी गई हैं :

माह	रुपये प्रति अमरीकी डालर (अवधि औसत)	रुपये प्रति येन* (अवधि औसत)	रुपये प्रति यूरो (अवधि औसत)	रुपये प्रति पाउण्ड स्टर्लिंग (अवधि औसत)
1	2	3	4	5
जनवरी, 2002	48.33	36.47	42.77	69.38
फरवरी, 2002	48.39	36.46	42.36	69.28

1	2	3	4	5
मार्च, 2002	48.74	37.23	42.75	69.37
अप्रैल, 2002	48.92	37.38	43.30	70.53
मई, 2002	49.00	38.76	44.93	71.53
जून, 2002	48.97	39.65	46.74	72.57

*रुपये प्रति 100 येन।

(घ) रुपये की विनिमय दर में घट-बढ़ अधिकांशतः विदेशी मुद्रा बाजार में मांग एवं पूर्ति की स्थितियों द्वारा निर्धारित होती है। भारत और विदेशों में, वित्तीय बाजारों के घटनाक्रमों को सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों द्वारा बारीकी से मानीटर किया जाता है और जब भी आवश्यकता हो विनिमय दर में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को कम करने, अस्थिरता पैदा करने वाली सट्टेबाजी की गतिविधियों को रोकने, सुव्यवस्थित विदेशी मुद्रा बाजार दशायें विकसित करने तथा विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों को पर्याप्त स्तर पर बनाये रखने में मदद करने के लिये उचित उपाय किये जाते हैं।

खाद्यान्नों के निर्यात का लक्ष्य

***95. श्री आनंदराव विठोबा अडसुल :**
श्री वी. वेत्रिसेलवन :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने वर्ष 2002-2003 के लिये खाद्यान्नों के निर्यात का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो खाद्यान्न-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिये भारत और आयात करने वाले देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) सरकार ने केंद्रीय पूल से गेहूं और चावल के निर्यात पर से इस शर्त के अधीन मात्रा संबंधी प्रतिबंध हटा लिया है कि केंद्रीय पूल में किसी भी समय स्टाक 243 लाख टन (143 लाख टन गेहूं और 100 लाख टन चावल) से कम नहीं होगा। तथापि, वर्तमान वित्तीय वर्ष, अर्थात 2002-03 के दौरान 150 लाख टन 100 लाख टन गेहूं और 50 लाख टन चावल का निर्यात होने की संभावना है।

(ग) और (घ) निर्यात के प्रयोजन से सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों, राज्य एजेंसियों, प्राइवेट पार्टियों, आदि को केंद्रीय पूल से खाद्यान्नों की पेशकश की जा रही है। भारत सरकार खाद्यान्नों का सीधे निर्यात नहीं कर रही है। अतः भारत सरकार और आयातकर्ता देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है।

"मिनरल वाटर" की गुणवत्ता

***96. श्री राम नायडू दग्गुबाटि :**
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में बेचा जा रहा मिनरल वाटर न तो स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार है और न ही भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार है और अधिकांश मामलों में यह दूषित पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा कुछ अग्रणी कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके ब्यौरे और कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन से अन्य सुधारात्मक उपाय किये गये हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ख) भारत सरकार ने स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई दिनांक 29 सितंबर, 2002 की अधिसूचना सं. जी एस आर 759

(ई) और जी एस आर 760 (ई) में प्राकृतिक मिनरल जल और पैक किये हुए पेय जल को 29.03.2001 से भारतीय मानक ब्यूरो की अनिवार्य प्रमाणन स्कीम के तहत ला दिया है। इसलिये भारत में बेचे जाने वाले प्राकृतिक मिनरल जल और पैक किये हुए पेय जल के लिये बी आई एस मानक चिह्न होना अनिवार्य है। संलग्न विवरण के अनुसार भारत और विदेशों में प्राकृतिक मिनरल जल के 6 अनुमोदित विनिर्माता हैं। सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि बेचा जा रहा मिनरल जल अधिकांश मामलों में दूषित होता है। भारतीय मानक ब्यूरो के पास अपने लाइसेंसधारियों के उत्पाद की गुणवत्ता की आवधिक जांच करने के लिये अंतर्निहित प्रणाली है।

(ग) से (ङ) भारतीय मानक ब्यूरो ने मैसर्स दिल्ली बिसलेरी कंपनी लि. को पैक किये हुए पेय जल संबंधी लाइसेंस सं. सीएम/एल–8428381 को लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने जैसे गलत लेबिल लगाने के कारण 16.05.2002 को रद्द कर दिया। अपील प्राधिकारी ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो के आदेश को खारिज कर दिया है। तथापि अपील प्राधिकारी ने निदेश दिया है कि उपभोक्ता के हित को ध्यान में रखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो और लाइसेंसधारी द्वारा संयुक्त रूप से तकनीकी लेखा परीक्षा करनी चाहिये और लाइसेंस के नवीकरण से पहले भारतीय मानक ब्यूरो की संतुष्टि के लिये सुधारक उपाय किये जायें। भारतीय मानक ब्यूरो के विशेषज्ञों ने तकनीकी लेखा परीक्षा और उसकी संतुष्टि के लिये किये गये सुधारक उपायों के सत्यापन के लिये 19, 20 और 26 जून, 2002 को बिसलेरी के संयंत्र का दौरा किया। संयंत्र से लिये गये नमूनों की अनुमोदित प्रयोगशाला से जांच कराई गई और उन्हें ठीक पाया गया। इसलिये भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 27 जून, 2002 को लाइसेंस का नवीकरण कर दिया गया।

विवरण

क्र.सं.	लाइसेंसी का नाम	लाइसेंस संख्या	लाइसेंस की अनुमति की तारीख	ब्रांड का नाम
1	2	3	4	5
1.	जी.सी. बीवरेज, प्लाट नं. 63 एचपीएसआईडीसी बद्दी, सोलन (हिमाचल प्रदेश)	एल–9270680	2001 01 18	लाइफ स्प्रिंग
2.	माउंट एवरेस्ट मिनरल वाटर लि. वी एंड पी ओ धौला खान, तहसील पाओंटा साहिब, सिरौर (हिमाचल प्रदेश)	एल–9273181	2001 03 02	हिमालयन
3.	डी एस फूड्स लि. रायसन, कुलु (हिमाचल प्रदेश)	एल–9276490	2001 03 03	कैच
4.	अल्फा एक्वा एसोसिएट्स 7/1, इंडस्ट्रियल एरिया, रुद्रपुर, डिस्ट्रिक्ट यू एस नगर	एल–9309883	2001 11 25	हैलो अल्फा ब्लू
5.	विकास मिनरल फूड्स (प्रा.) लि. विलेज : ककरियाली, रामगढ़ डेराबस्सी रोड, दी : डेराबस्सी, डिस्ट्रिक्ट पटियाला	एल–9334478	2002 05 27	टोटल–जेड

1	2	3	4	5
6.	एस ए डेस इओक्स मिनरल्स डी इवियान फ्रांस,* मार्फत मैसर्स डोनोन इंटरनेशनल ब्रांड्स इंडिया, 1102 मेकर चेंबर, नारीमन प्वाइंट, मुंबई–400021	एल–4000323	2001 09 28	इवियान

*विदेश विनिर्माता स्कीम की तहत

काली सूची में डाले गये गैर-सरकारी संगठन

*97. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ गैर–सरकारी संगठनों को काली सूची में डाल दिया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक काली सूची में डाले गए गैर–सरकारी संगठनों के राज्यवार नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास गैर–सरकारी संगठनों को काली सूची में डालने के संबंध में कोई स्पष्ट नीति/दिशा–निर्देश हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार, योजनावार और संगठनवार कुल कितनी सहायता राशि जारी की गई?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) मंत्रालय ने संलग्न विवरण के अनुसार नौ गैर सरकारी संगठनों को काली सूची में डालने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) मंत्रालय वित्तीय सहायता के लिये संगठनों को उस हालत में काली सूची में डालता है या वंचित रखता है जब वह यह संतुष्टि कर लेता है कि उन्होंने स्वीकृत निधियों का उपयोग अभिप्रेत उद्देश्यों के लिये नहीं किया है।

(ङ) विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों को राज्यवार और योजनावार निर्मुक्त सहायता अनुदान का ब्यौरा, मंत्रालय की वर्ष 2000–01 की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	संगठन का नाम	परियोजना का नाम	काली सूची का कारण
1	2	3	4
1.	अरुंधती एजुकेशन सोसायटी, मं.नं. 10–5–779/34, वेंकट नगर, तुकाराम गेट, नार्थ लल्लागुड़ा, सिकंदराबाद, आं.प्र.	शैक्षिक परिसर	निरीक्षण के दौरान संगठनों का कार्य निष्पादन बिलकुल संतोषजनक नहीं पाया गया।
2.	रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सोसायटी, डोर नं. 32–35–22, जमींदार स्ट्रीट, मच्छवारम, विजयवाड़ा, आं.प्र.	सचल औषधालय	–वही–
3.	सैम सोसायटी फार सोशल जस्टिस, 96, एचसी कालोनी, डीयर पार्क के सामने, रंगारेड्डी जिला, आं.प्र.	शैक्षिक परिसर	–वही–
4.	रूरल एंड अर्बन प्रोग्राम सोसायटी, एच.नं. 1/6/39, नजदीक इंस्पेक्शन बंगला, पो. एंड मंडल–सदाशिवपेट, जिला मेढक, आं.प्र.	शैक्षिक परिसर	–वही–

1	2	3	4
5.	लिटल फ्लावर सोसायटी, प्लॉट नं. 96, हाई कोर्ट कोलोनी, वनस्तिपुरम, आर आर जिला, आं.प्र.	शैक्षिक परिसर	–वही–
6.	श्री वेंकटश्वरा महिला मंडली, डोर नं. 5–8 11/3/2/7, बरोदीपट, गुंटूर, आं.प्र.	शैक्षिक परिसर	–वही–
7.	ग्रामीण महिला सिलाई कढ़ाई बुनाई प्रशिक्षण केंद्र, ग्राम मुस्तफाबाद, पोस्ट गुंजनपुर, आजमगढ़ (उ.प्र.)	शैक्षिक परिसर व आवासीय स्कूल	–वही–
8.	डा. अम्बेडकर सर्वोदय विकास परिषद, 10 इकबाल कालोनी, भोपाल, म.प्र.	शैक्षिक परिसर	–वही–
9.	हिंदू मुस्लिम एकता एवं कल्याण समिति, 82/75, गुरु गोबिंद मार्ग, लाल कुआं, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक परिसर व आवासीय स्कूल	–वही–

निर्यात संबंधी मुद्दों के लिये "कोर ग्रुप"

*98. **डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात संबंधी सभी छोटे–मोटे मुद्दों को हल करने के लिये उनके मंत्रालय में वरिष्ठ सीमा शुल्क और कर अधिकारियों का एक कोर ग्रुप गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफ. आई. ई. ओ.) ने इस संबंध में सरकार के सामने कोई मांग/अनुरोध रखा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कोर ग्रुप द्वारा कब तक इनकी जांच किये जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) जी हां। निर्यातकों की समस्याओं को हल करने और मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिये जुलाई, 2002 में एक कृतिक बल गठित किया गया है। कृतिक बल में सीमा शुल्क, आयकर (सी बी डी टी), ड्रा बैक निदेशालय और डी जी एफ टी के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफ आई ई ओ) ने निर्यातों की लेन–देन लागतों को युक्तियुक्त बनाने और इन्हें कम करने के लिये सुझाव दिये हैं।

ये सुझाव संबंधित विभागों को उनके विचार जानने हेतु भेज दिये गये हैं और इन पर कृतिक बल द्वारा चर्चा की जायेगी।

इस्पात के व्यापार पर तकनीकी प्रतिबंध

*99. **श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात उद्योग के एक बड़े वर्ग ने इस्पात उत्पादों के आयात पर लगाये गये व्यापार संबंधी तकनीकी प्रतिबंधों को हटाने के लिये सरकार को अभ्यावेदन दिया है क्योंकि अपेक्षित ग्रेडों के इस्पात की अनुपलब्धता के कारण इस्पात उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है या किये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) निर्यात एवं आयात नीति (2002–2007) के पैराग्राफ 2.2 में यह व्यवस्था है कि समस्त आयातित माल भी स्वदेश में उत्पादित माल पर यथा लागू घरेलू कानूनों, नियमों, आदेशों, विनियमों, तकनीकी विनिर्दिष्टाओं, पर्यावरणीय एवं सुरक्षा संबंधी मानकों के अध्यधीन होगा। तदनुसार दिनांक 24.11.2000 की डीजीएफटी की अधिसूचना सं. 44 द्वारा इस्पात उत्पादों के आयात को समान घरेलू माल पर यथा लागू अनिवार्य भारतीय गुणवत्ता मानकों के अनुपालन के अध्यधीन कर दिया गया है।

इस्पात एवं खान मंत्रालय, लोहा एवं इस्पात विभाग की दिनांक 4.1.1965 और 26.3.1971 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत इस्पात मदों संबंधी मानक घरेलू उत्पादकों पर लागू हैं।

ऐसे सभी प्रतिबंधों को समाप्त करने/उनकी समीक्षा करने के लिये समय–समय पर व्यापार एवं उद्योग जगत से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं जो आयात एवं निर्यात नीति के पैराग्राफ 2.2 के अंतर्गत लगाये जाते हैं। इन प्रतिबंधों की आवधिक समीक्षा की जाती है और समीक्षा के दौरान संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के परामर्श से सभी अभ्यावेदनों को ध्यान में रखा जाता है।

दीर्घकालीन खाद्यान्न नीति

***100. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक नई खाद्यान्न नीति तैयार करने के लिये गठित उच्च स्तरीय समिति ने केंद्र सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और अंतिम रिपोर्ट कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि समिति को खाद्यान्न नीति तैयार करने के लिये विभिन्न मामलों पर राज्य सरकारों के विचार मालूम करने के लिये राज्य सरकारों से परामर्श करना था इसलिये समिति अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दे सकी। समिति के इस महीने में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आशा है।

[हिन्दी]

गुजरात और झारखंड के लिये धनराशि

812. श्री लक्ष्मण गिलुवा :
श्री मानसिंह पटेल :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु झारखंड और गुजरात राज्यों को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) इन राज्यों द्वारा वास्तविक रूप में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस धनराशि के उचित उपयोग हेतु क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) निधियों का राज्य–वार आवंटन नहीं किया जाता। विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत निधियों की निर्मुक्ति राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद मानदंडों के अनुसार की जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा उपयोग प्रमाण पत्र तथा पिछले वर्षों में कार्यक्रमों की वास्तविक निष्पादन संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। पिछले तीन वर्षों में झारखंड तथा गुजरात राज्य को निर्मुक्त निधियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त राशि					
		झारखंड			गुजरात		
		1999–00	2000–01	2001–02	1999–00	2000–01	2001–02
1	2	3	4	5	6	7	8
	अनुसूचित जाति विकास						
1.	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष संघटक योजना को विशेष केंद्रीय सहायता	0.00	500.00	578.84	682.27	1521.88	1227.91
2.	अनुसूचित जातियों से संबंधित छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	149.39	0.00
3.	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों को मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	0.00	0.00	2.21	306.33	459.25	510.07
4.	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये पुस्तक बैंक	0.00	0.00	0.00	1.34	0.00	0.00
5.	अनुसूचित जाति के लड़कों के लिये होस्टलों का निर्माण	0.00	0.00	245.80	0.00	0.00	0.00
6.	अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिये होस्टलों का निर्माण	0.00	0.00	245.80	0.00	0.00	0.00
7.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये कोचिंग और संबद्ध योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मुक्ति और पुनर्वास योजना	0.00	1085.00	0.00	1161.00	0.00	0.00
9.	अनुसूचित जाति विकास निगम	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	48.79
10.	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989	0.00	0.00	0.00	270.93	325.79	178.20
11.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की प्रतिभा का उन्नयन	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य पिछड़ा वर्ग						
12.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिये मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	0.00	0.00	31.45	0.00	0.00	0.00
13.	अन्य पिछड़ वर्गों के लिये पी–एच.डी. तथा उच्च स्तरीय उच्चतर छात्रवृत्ति सहित मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	0.00	0.00	191.88	0.00	0.00	0.00
14.	अन्य पिछड़े वर्ग के लड़कों एवं लड़कियों के लिये होस्टल का निर्माण	0.00	0.00	147.28	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
	निःशक्त व्यक्तियों का कल्याण						
15.	विकलांगों को रोजगार	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25	0.00
16.	निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम	0.00	210.85	156.05	12.50	74.45	156.05
	समाज रक्षा						
17.	किशोर सामाजिक कुसमंजन निवारण और नियंत्रण	0.00	0.00	0.00	36.16	35.98	47.5

[अनुवाद]

टी.सी.आई.डी.एस. के अंतर्गत सहायता

813. श्री टी. गोविन्दन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वस्त्र केंद्र अवसंरचना विकास योजना (टी.सी.आई.डी.एस.) के अंतर्गत सहायता प्रदान करने हेतु केरल से आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे आवेदनों पर क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने वस्त्र केंद्र अध्यसंरचना विकास योजना (टी.सी.आई.डी.एस.) के अंतर्गत सहायता हेतु किनफ्रा इंटरनेशनल अपैरल पार्क्स लि. द्वारा तैयार परियोजना रिपोर्ट अग्रेषित की है। इस प्रस्ताव में तिरुअनंतपुरम में किनफ्रा इंटरनेशनल अपैरल पार्क में सुविधायें बढ़ाने हेतु सहायता की मांग की गई है।

(ग) राज्य सरकार ने "निर्यात हेतु अपैरल पार्क" योजना के अंतर्गत किनफ्रा इंटरनेशनल पार्क के लिए सहायता की मांग करते हुए परियोजना प्रस्ताव को अलग से अग्रेषित किया है जो ऐसे परियोजना प्रस्तावों के विचारार्थ योजना के अंतर्गत गठित परियोजना अनुमोदन समिति के समक्ष पहले से है।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण

814. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री बीर सिंह महतो :
श्री मानसिंह पटेल :
डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य-वार शामिल किये गये लाभार्थियों के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ख) उन लाभार्थियों की संख्या कितनी है जिन्हें उक्त अवधि के दौरान निर्धारित किये गये लक्ष्यों के मुकाबले प्रत्येक राज्य में बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किये गये हैं;

(ग) क्या बैंक लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों अर्थात 1999-2000, 2000-01 और 2001-02 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा हिताधिकारियों को मंजूर ऋणों की संख्या तथा राज्य-वार लक्ष्य (अनंतिम) विवरण में दिये गये हैं। बैंकों ने कार्यक्रम वर्ष 1999-2000 तथा 2000-01 के लिये प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत मंजूरियों का क्रमशः 78.5 प्रतिशत एवं 77.2 प्रतिशत संवितरित किया है। वर्ष 2001-02 के दौरान 30.9.2002 तक संवितरण की अनुमति दी गई है और 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार अनंतिम आंकड़ों के अनुसार बैंकों के संवितरण की राशि मंजूरियों

का 58.73 प्रतिशत थी। बैंकों की उपलब्धि संतोषजनक मानी जा सकती है। सरकार को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अधीन लक्ष्य प्राप्त करने में बैंकों द्वारा सहयोग न किये जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के अंतर्गत वर्ष 1999–2000, 2000–01 एवं 2001–02 के दौरान राज्य–वार लक्ष्य एवं बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋणों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

राज्य का नाम	1999-2000		2000-01		2001-02*	
	लक्ष्य	स्वीकृत ऋण संख्या	लक्ष्य	स्वीकृत ऋण संख्या	लक्ष्य	स्वीकृत ऋण संख्या
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	33600	16782	33800	14857	33000	14484
अंडमान व निकोबार द्वीप	200	131	150	132	200	141
अरुणाचल प्रदेश	500	413	500	417	400	434
असम	12800	9235	6600	4297	6600	3843
बिहार	21800	10774	21900	11033	18000	10757
चंडीगढ़	100	67	100	63	100	160
छत्तीसगढ़	–	–	–	–	2500	2853
दादरा और नागर हवेली	50	36	50	22	50	14
दमण और दीव	50	18	50	19	50	8
दिल्ली	4800	860	5000	959	4600	747
गोवा	600	447	625	305	500	181
गुजरात	14600	10723	14700	8707	16250	7545
हरियाणा	7500	7207	8600	8037	8800	7870
हिमाचल प्रदेश	2500	2300	2500	2282	3000	2770
जम्मू–कश्मीर	4000	1286	4000	928	1300	1058
झारखंड	–	–	–	–	9000	4309
कर्नाटक	22200	18446	22000	12687	18700	12324
केरल	24000	16822	23700	13810	22000	12568

1	2	3	4	5	6	7
लक्षद्वीप	50	33	50	19	50	14
मध्य प्रदेश	31600	29593	32400	29710	28000	24301
महाराष्ट्र	43600	35207	45000	31261	27900	22833
मणिपुर	1350	963	1100	353	1100	263
मेघालय	550	548	600	464	2000	547
मिजोरम	350	244	250	251	250	48
नागालैंड	200	79	200	27	500	25
उड़ीसा	12150	8400	15500	8734	12050	7824
पांडिचेरी	550	381	625	288	450	307
पंजाब	9000	9608	9000	9415	9000	914
राजस्थान	16100	15230	16600	15713	16400	1575
सिक्किम	150	29	50	50	50	4
तमिलनाडु	15000	14181	18500	11759	20000	1563
त्रिपुरा	1300	1072	1300	415	3000	166
उत्तर प्रदेश	52000	44191	52200	44384	50200*	4168
उत्तराचंल	–	–	–	–	5000	497
पश्चिमी बंगाल	22800	3752	22500	2693	22000	252

*अनंतिम

[अनुवाद]

कर दायरा बढ़ाने के लिये नये नियम

815. श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री अधीर चौधरी :
श्री ज्यातिरादित्य मा. सिंधिया :

क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राजस्व घाटे को समाप्त करने और वर्ष 2002–03 के दौरान 1,72,965 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य प्राप्त करने के लिये तलाश और जांच को तेज करने के साथ–साथ कर दायरे को बढ़ाने और कर चोरी को समाप्त करने हेतु नये नियम बनाने के लिये कुछ कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2001–2002 के घाटे के संशोधित आंकड़े क्या हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में कर दायरे को बढ़ाने के लिये कोई नये उपाय शुरू नहीं किये हैं।

(ग) वर्ष 2001–2002 के लिये राजस्व घाटे का संशोधित अनुमान 91,733 करोड़ रुपये का है।

[हिन्दी]

उद्यमियों को आई.डी.बी.आई. की सहायता

816. श्री राम टहल चौधरी : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को झारखंड और उत्तर प्रदेश के उद्यमियों से कितने ऋण आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से कितने आवेदन पत्रों को स्वीकृत/अस्वीकृत किया गया; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त बैंक द्वारा झारखंड और उत्तर प्रदेश के उद्योगों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्राप्त/अनुमोदित/अस्वीकृत ऋण आवेदनों की संख्या और झारखंड तथा उत्तर प्रदेश राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता की राशि नीचे दी गई है :

झारखंड

	1999–00	2000–01	2001–02
प्राप्त आवेदनों की संख्या	1	1	1
अनुमोदित आवेदनों की संख्या	1	0	1
अस्वीकृति आवेदनों की संख्या	0	1	0
लंबित मामलों की संख्या	0	0	0
मंजूर की गई कुल राशि करोड़ (रु.) में	114	13	3
संवितरित की गई कुल सहायता करोड़ (रु.) में	208	34	6

उत्तर प्रदेश

	1999–00*	2000–01	2001–02
प्राप्त आवेदनों की संख्या	38	39	18
अनुमोदित आवेदनों की संख्या	26	26	7
अस्वीकृति आवेदनों की संख्या	11	13	5
लंबित मामलों की संख्या	1	0	6
मंजूर की गई कुल राशि करोड़ (रु.) में	756	821	514
संवितरित की गई कुल सहायता करोड़ (रु.) में	781	614	211

*अविभाजित उत्तर प्रदेश (अर्थात उत्तरांचल शामिल है)

चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों का कार्यकरण

817. श्रीमती निवेदिता माने : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है कि अमरीका के इतिहास में दूरसंचार कंपनी 'वर्ल्ड कॉम' और ऊर्जा कंपनी 'एनरॉन' दिवालियापन का सबसे बड़ा उदाहरण साबित हो रही हैं और अपने लेखों को निपटाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट 'आर्थर और एंडर्सन' भी आरोपों का साामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्मों और चार्टर्ड अकाउंटेंटों के कार्यकरण के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये गये कानूनों का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21 के अंतर्गत चार्टर्ड एकाउंटेंट/चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों द्वारा किया गया दुराचार दंडनीय है। उनके द्वारा कंपनी अधिनियम के संबंधित उपबंधों की गैर अनुपालना कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 233 के अंतर्गत दंडनीय है।

[अनुवाद]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम

818. श्री रघुनाथ झा : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 35 (च) में यह प्रावधान है कि आयुक्त (अपील) या (ट्रिब्यूनल) ऐसी जमा राशि को पूर्णतः या अंशतः माफ कर सकता है जब वह यह महसूस करता हो कि ऐसी जमा राशि से अपीलकर्ता को बिना वजह के कठिनाई हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी माफी से अपीलकर्ता को उस सरकारी धनराशि का उपयोग करने में सहायता मिलेगी जो सरकार पर देय है और अपीलकर्ता जिसे बढ़ाते रहते हैं के संबंध में आयुक्त के पास ऐसे कौन से मानदंड उपलब्ध हैं जिसके द्वारा वह यह भांप सके कि वह जमा राशि अपीलकर्ता के लिये बिना वजह से कठिनाई उत्पन्न कर सकती है;

(ग) अधिनियम से ऐसे उपबंध को शीघ्र हटाने और देय राशि को अपीलकर्ता से वसूलने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) 1 जुलाई, 2002 की स्थिति के अनुसार अधिनिर्णय के कितने मामले लंबित हैं और इसमें कितनी शुल्क राशि अंतर्ग्रस्त है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (ग) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 35 (च) के अंतर्गत किसी निर्धारिती को आयुक्त (अपील) अथवा अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील में किसी निर्णय अथवा किसी आदेश के लंबित रहने पर मांगे गये शुल्क अथवा उद्ग्रहीत अर्थदंड को न्याय निर्णयन प्राधिकरण के पास जमा कराना होता है। उक्त धारा का परंतुक अपीलीय प्राधिकारियों को ऐसी जमा राशियों को छोड़ देने का अधिकार प्रदान करता है जहां यह महसूस किया जाता है कि मांगा गया शुल्क अथवा लगाये गये अर्थदंड को जमा करने से ऐसे व्यक्ति को अनावश्यक कठिनाई हो सकती है। दूसरे शब्दों में धारा 35 च स्थगन शक्ति (एक अपीलीय प्राधिकारी को सौंपी गई अंतर्निहित शक्ति) को इस सीमा तक प्रतिबंधित करती है कि अपीलकर्ता अपनी वित्तीय कठिनाईयों के बारे में प्राधिकारियों की संतुष्टि के लिये यह अनिवार्यतः सिद्ध कर दे कि यदि अपील की अवधि के दौरान आर्डर को स्थगित नहीं किया जाता है तो उसको हानि उठानी पड़ सकती है। अप्रत्यक्ष कर अधिनियमनों के अंतर्गत अपीलों से संबंधित कानून को संशोधित किया गया है ताकि अपील की तारीख से 6 महीनों के भीतर किसी अपील पर अंतिम आदेश देना आयुक्त (अपील) के लिये और इसी प्रकार जहां पर स्थगन दिया गया हो वहां सी गेट के लिये अपीलों पर 6 महीनों के अंदर अंतिम आदेश देना जरूरी बनाया जा सके।

(घ) अप्रैल, 2002 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय उत्पाद शुल्क के 27,100 मामले न्यायनिर्णयन के लिये लंबित पड़े हुए थे जिसमें 8514.52 करोड़ रु. की राशि अंतर्ग्रस्त थी और इसी प्रकार मई, 2002 की स्थिति के अनुसार 576 सीमा शुल्क के मामलों के लंबित होने की रिपोर्ट मिली थी। उक्त मामलों में अंतर्ग्रस्त राजस्व की राशि आसानी से उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

देश में उद्योग

819. श्री अब्दुल रशीद शाहीन ;
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में राज्य वार कितने लघु उद्योग और गैर–लघु उद्योग चल रहे हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य में निजी क्षेत्र के अंतर्गत कितने उद्योग चल रहे हैं;

(ग) क्या उन सरकारी या गैर–सरकारी संगठन को पुनः चालू करने हेतु कोई धनराशि प्रदान की गई है जो बंद पड़े हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह) : (क) देश में लघु उद्योग तथा गैर लघु उद्योगों के राज्य वार ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिये गये हैं।

(ख) उपर्युक्त में से गैर–लघु उद्योग क्षेत्र में निजी क्षेत्र के एककों का राज्य–वार वितरण विवरण–II में दिया गया है।

(ग) और (घ) रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरूज्जीवन के लिये सरकार ने अनेक उपाय किये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देश देना, रुग्ण एककों का स्वस्थ एककों के साथ समामेलन करना, रुग्ण एककों के मामले रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशिष्ट उपबंध) अधिनियम (एस आई सी ए) के अन्तर्गत औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) को भेजना सम्मिलित है।

विवरण-I

देश में लघु उद्योग तथा गैर लघु उद्योगों की संख्या

राज्य का नाम	गैर लघु उद्योग एककों की संख्या (अगस्त, 91 से जून, 02 तक)	लघु उद्योग एककों की संख्या (31.3.02 की स्थिति के अनुसार अनंतिम)
1	2	3
अंडमान तथा निकोबार	0	1284
आंध्र प्रदेश	475	131685
अरुणाचल प्रदेश	2	653
असम	40	26358
बिहार	17	92095
चंडीगढ़	4	3602
छत्तीसगढ़	44	72883
दादरा और नगर हवेली	66	1317
दमन और दीव	62	1874
दिल्ली	52	19804
गोवा	85	6389
गुजरात	1006	194435
हरियाणा	395	55409
हिमाचल प्रदेश	34	17740
जम्मू और कश्मीर	9	32245
झारखंड	36	41089
कर्नाटक	201	178330
केरल	93	238431
लक्षद्वीप	0	82
मध्य प्रदेश	295	220100
महाराष्ट्र	973	150996
मणिपुर	0	5975
मेघालय	10	3029
मिजोरम	0	4911
नागालैंड	0	1643
उड़ीसा	33	23264
पांडिचेरी	37	5152
पंजाब	309	155197

1	2	3
राजस्थान	324	90366
सिक्किम	0	342
त्रिपुरा	2	2127
तमिलनाडु	614	375262
उत्तर प्रदेश	510	389013
उत्तरांचल	27	34920
पश्चिम बंगाल	300	153670
एक से अधिक राज्य में स्थापना	18	0
कुल	6073	2731172

टिप्पण : गैर लघु उद्योग क्षेत्र के आंकड़े उन औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों के बारे में हैं जिनके क्रियान्वयन करने तथा औद्योगिक लाइसेंस जारी करने की सूचना दी गई है।

विवरण-II

निजी क्षेत्र में गैर लघु उद्योगों की संख्या

राज्य का नाम	निजी क्षेत्र में गैर–लघु उद्योगों की संख्या
1	2
अंडमान तथा निकोबार	0
आंध्र प्रदेश	304
अरुणाचल प्रदेश	2
असम	9
बिहार	15
चंडीगढ़	3
छत्तीसगढ़	36
दादरा और नगर हवेली	51
दमन और दीव	45
दिल्ली	49
गोवा	51
गुजरात	793
हरियाणा	307
हिमाचल प्रदेश	20
जम्मू और कश्मीर	9
झारखंड	25
कर्नाटक	150
केरल	55
लक्षद्वीप	0
मध्य प्रदेश	232
महाराष्ट्र	712
मणिपुर	0
मेघालय	1
मिजोरम	0
नागालैंड	0
उड़ीसा	18
पांडिचेरी	28
पंजाब	215
राजस्थान	233
सिक्किम	0
त्रिपुरा	0
तमिलनाडु	459
उत्तर प्रदेश	352

1	2
उत्तरांचल	12
पश्चिम बंगाल	179
एक से अधिक राज्य में स्थापना	7
कुल	4372

टिप्पण : गैर लघु उद्योग क्षेत्र के आंकड़े उन औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों के बारे में हैं जिनके क्रियान्वयन करने तथा औद्योगिक लाइसेंस जारी करने की सूचना दी गई है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया जाना

820. डा. जयंत रंगपी : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार असम के कोच राजवंशी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु विधेयक लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और कोच राजवंशी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किये जाने वाले अन्य समुदायों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में कब तक विधेयक लाये जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) महोदय, फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विदेशी सहायता

821. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनके लिये यूरोपीय संघ, अमरीकी और यूनाइटेड किंगडम द्वारा भारतीय राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या अमरीका और यूनाइटेड किंगडम राज्यों को अधिक सहायता प्रदान करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा प्राप्त की गई सहायता का राज्य वार ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य परियोजनाओं के लिये यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूनाइटेड किंगडम द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। संयुक्त राज्य अमरीका ने केंद्रीय परियोजनाओं को वित्तीय सहायता मुहैया कराई है।

(ख) जी, नहीं। विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, जापान और जर्मनी राज्यों को विदेशी सहायता देने वाले प्रमुख दाता हैं।

विवरण

(आंकड़े दाता करेंसी में)
31.5.02 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	ऋण/अनुदान का विवरण	भागीदार राज्य	क्षेत्र	ऋण/अनुदान की राशि	संवितरण की अंतिम तारीख	निम्न अवधि के दौरान उपयोग			31.5.02 की स्थिति के अनुसार संचयी आहरण
						1990–00	2000–01	2001–02	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	यूरोपीय आर्थिक समुदाय									
1.	बिहार में सहकारी ग्रामीण भंडार केंद्र दिनांक 24.2.1988	बिहार	कृषि तथा ग्रामीण विकास	ईयूआर	21.2	31.3.00	0.00	0.00	0.00	7.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	फसल के विकास के लिये जल नियंत्रण प्रणाली महाराष्ट्र दि. 25.10.89	महाराष्ट्र	जल संसाधन प्रबंध	ईयूआर	15.00	–	0.88	2.09	0.00	13.80
3.	टैंक सिंचाई प्रणाली (चरण II) तमिलनाडु दि. 27.4.1989	तमिलनाडु	जल संसाधन प्रबंध	ईयूआर	24.50	31.12.1999	1.95	0.00	0.00	21.96
4.	अरावली पहाड़ियों में जन भूमियों का पुनर्वास दि. 7.3.1990	हरियाणा	कृषि तथा ग्रामीण विकास	ईयूआर	23.20	31.10.99	0.00	0.00	0.00	19.82
5.	दूनघाटी एकीकृत जलसंभर प्रबंध दि. 3.12.91	उत्तराचंल	कृषि तथा ग्रामीण विकास	ईयूआर	22.50	31.12.01	0.00	5.29	4.567	19.97
6.	केरल बागवानी विकास दि. 17.1.1992	केरल	कृषि तथा ग्रामीण विकास	ईयूआर	28.70	31.12.00	0.00	0.00	2.28	14.57
7.	केरल लघु सिंचाई दि. 21.5.92	केरल	जल संसाधन प्रबंध	ईयूआर	11.80	31.12.00	0.00	0.62	–	3.39
8.	सिद्धमुख तथा नोहर सिंचाई, राजस्थान दि. 10.5.93	राजस्थान	जल संसाधन प्रबंध	ईयूआर	45.00	31.12.01	0.00	0.00	5.72	38.46
9.	उड़ीसा में लघु सिंचाई दि. 3.7.95	उड़ीसा	जल संसाधन प्रबंध	ईयूआर	10.70	31.12.04	0.00	0.64	0.00	1.11
10.	महाराष्ट्र में लवण भूमियों का सुधार दि. 3.7.1995	महाराष्ट्र	कृषि तथा ग्रामीण विकास	ईयूआर	15.50	31.12.01	0.00	0.00	1.23	1.23
11.	हरियाणा समुदाय वानिकी 19.2.97	हरियाणा	वानिकी	ईयूआर	23.30	31.12.04	0.00	0.00	2.13	3.81
12.	टैंक पुनर्वास–पांडिचेरी दि. 21.2.97	पांडिचेरी	जल संसाधन प्रबंध	ईयूआर	6.65	31.12.04	0.07	0.00	0.82	1.31
13.	उत्तर प्रदेश में तंगघाटी स्थिरीकरण दि. 17.4.1997	उत्तर प्रदेश	कृषि तथा ग्रामीण विकास	ईयूआर	7.90	16.4.02	0.00	0.00	0.00	0.06
यूनाईटेड किंगडम										
1.	आ.प्र. ऊर्जा दक्षता दि. 15.11.96	आंध्र प्रदेश	विद्युत	जीबीपी	42.70	31.12.02	2.88	6.53	0.77	18.95
2.	हिमाचल प्रदेश वानिकी दि. 8.91994	हिमाचल प्रदेश	वानिकी	जीबीपी	3.83	31.3.02	0.74	0.22	0.35	3.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	आं.प्र. जिला प्राथमिक शिक्षा (एलसीजी) दि. 29.8.96	आंध्र प्रदेश (गैर–सरकारी संगठनों को राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित)	शिक्षा	जीबीपी	42.50	31.3.03	4.23	4.71	3.12	18.94
4.	कोचीन शहरी गरीबी में कमी दि. 1.5.97	केरल	शहरी विकास	जीबीपी	11.47	31.3.03	1.38	1.77	2.90	6.65
5.	पश्चिम बंगाल जिला प्राथमिक शिक्षा दि. 16.5.97	पश्चिम बंगाल (गैर–सरकारी संगठनों को राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित)	शिक्षा	जीबीपी	37.71	31.3.04	3.26	4.74	3.65	13.27
6.	उड़ीसा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण चरण III दि. 21.8.97	उड़ीसा	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	जीबीपी	1.75	31.12.02	0.14	0.41	0.29	1.07
7.	कटक शहरी सेवाओं से सुधार दि. 20.10.97	उड़ीसा	शहरी विकास	जीबीपी	11.49	31.3.02	0.83	0.00	0.55	2.22
8.	आं. प्र. गरीबों के लिये शहरी सेवाओं में सुधार दि. 3.6.99	आंध्र प्रदेश	शहरी विकास	जीबीपी	94.41	31.5.02	0.00	0.00	2.90	2.90
9.	आं. प्र. ग्रामीण जीविका दि. 23.7.99	आंध्र प्रदेश	ग्रामीण विकास	जीबीपी	40.18	31.7.06	0.00	0.00	0.60	1.07
10.	आं. प्र. गरीबों के लिये शहरी सेवाएं दि. 3.5.99	आंध्र प्रदेश	शहरी विकास	जीबीपी	66.09	31.5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	पश्चिमी भारत वर्षापोषित खेती परि.–II दि. 21.4.99	गुज., म.प्र., राज.	कृषि तथा ग्रामीण विकास	जीबीपी	15.09	31.3.06	0.00	2.29	0.81	1.92
12.	कलकत्ता गंदी बस्ती सुधार परि. दि. 1.1.91	पश्चिमी बंगाल	शहरी विकास	जीबीपी	16.94	30.9.02	0.59	0.17	0.59	10.93
13.	पश्चिम बंगाल जिला प्राथमिक शिक्षा विस्तार दि. 16.5.2000	पश्चिम बंगाल	शिक्षा	जीबीपी	30.00	30.9.06	0.00	0.00	2.58	2.84
14.	वानिकी प्रशिक्षण परियोजना दि. 11.4.2000	उत्तरांचल	वानिकी	जीबीपी	0.94	31.3.03	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	आं.प्र. संशोधित टी.बी नियंत्रण दि. 21.7.2000	आं.प्र.	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	जीबीपी	8.12	30.10.05	0.00	0.00	0.13	0.13
16.	लोक जुम्बिश चरण–III एल.सी.जी. दि. 4.8.2000	राजस्थान (गैर–सरकारी संगठनों को राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित)	शिक्षा	जीबीपी	31.43	31.3.04	0.00	2.32	5.21	7.53
17.	पश्चिमी उड़ीसा ग्रामीण विकास दि. 23.7.1999	उड़ीसा	ग्रामीण विकास	जीबीपी	23.00	31.1.2010	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	आं.प्र., गुजरात, कर्नाटक तथा उड़ीसा में यौन स्वास्थ्य के लिये भागीदारिता दि. 5.10.1999	आं.प्र., गु., कर्ना. उ. (एनएसीओ के माध्यम से)	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	जीबीपी	28.10	31.12.04	0.00	0.00	2.38	2.38
19.	शिक्षाकर्मी परियोजना चरण–III दि. 16.3.2000	राजस्थान (गैर–सरकारी संगठनों को राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित)	शिक्षा	जीबीपी	17.14	8.3.03	0.00	0.00	2.81	5.34
20.	उड़ीसा में चक्रवात से क्षतिग्रस्त एलआईपी का पुनर्सुधार दि. 29.8.2001	उड़ीसा	कृषि तथा ग्रामीण विकास	जीबीपी	5.35	31.7.02	0.00	–	1.40	1.40
21.	आं.प्र. में सरकारी सुधार कार्यक्रम दि. 17.8.01	आं.प्र.	अन्य	जीबीपी	5.87	30.9.04	0.00	–	0.21	0.21
22.	उड़ीसा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दि. 18.9.2001	उड़ीसा (गैर–सरकारी संगठनों को राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित)	शिक्षा	जीबीपी	41.21	30.11.08	0.00	–	0.00	0.00
23.	कलकत्ता पर्यावरणात्मक सुधार दि. 8.11.01	पं. बंगाल	पर्यावरण	जीबीपी	28.30	31.3.09	–	–	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	उड़ीसा प्राथमिक स्कूल परियोजना का चक्रवात के बाद पुनर्निर्माण 1.1.02	उड़ीसा	कृषि तथा ग्रामीण विकास	जीबीपी	30.70	31.12.04	0.00	—	0.00	0.00
25.	हि.प्र. वन क्षेत्र सुधार परियोजना दि. 26.2.2002	हिमाचल प्रदेश	वानिकी	जीबीपी	5.25	30.9.06	0.00	—	—	0.00
26.	पश्चिम घाट वानिकी	कर्नाटक	वानिकी	जीबीपी	18.07	31.3.2002	1.66			18.61
27.	कर्नाटक जल संभर विकास	कर्नाटक	जल संसाधन प्रबंध	जीबीपी	4.49	31.3.2002	0.00			
28.	महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल तथा स्वच्छता	महाराष्ट्र	जल संसाधन प्रबंध	जीबीपी	16.46	31.12.2000	0.01			
29.	उड़ीसा चक्रवात क्षतिग्रस्त लिफ्ट सिंचाई स्थल	उड़ीसा	कृषि तथा ग्रामीण विकास	जीबीपी	4.00					11.55
30.	संरचनात्मक समायोजना कार्यक्रम हेतु आं.प्र. की सरकार को जीबीपी 65 एम की बजटीय सहायता	आं.प्र.	अन्य	जीबीपी	65.00					
31.	उड़ीसा विद्युत क्षेत्र सुधार	उड़ीसा	विद्युत	जीबीपी	42.00	31.3.2001	3.353			

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूचियां

822. श्री जे. एस. बराड़ : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किये गये समुदायों या समूहों के नाम क्या हैं;

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में लंबे अरसे के बाद इन्हें शामिल किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सभी समुदायों को समान स्तर पर लाने और औसत श्रेणी से नीचे होने का रियायत वाला पक्षपातपूर्ण लांछन समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) ऐसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों के ब्यौरे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–2, खंड–1 में दिनांक 27 मई, 2002 तथा जून, 2002 में प्रकाशित किये गये हैं।

(ख) सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन के लिये विस्तृत प्रक्रियाओं को जून, 1999 में अनुमोदित किया। तत्पश्चात, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन के लिये संबंधित राज्य सरकार, भारत के महारजिस्ट्रार तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के परामर्श से प्रस्तावों पर तदनुसार कार्रवाई की गई।

(ग) सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षिक विकास के लिये उनके एवं अन्य समुदायों के बीच की खाई को पाटने के लिये अनेक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती रही है।

अवसंरचना सूचकांक के लिये मानदंड

823. श्री एस. पी. लेचपा : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवसंरचना सूचकांक में भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र (सी.एम.आई.ई.) द्वारा संग्रहित किये गये मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र (सी.एम.आई.ई.) द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) भारतीय आर्थिक अनुवीक्षण केंद्र (सी एम आई ई) ने निम्नलिखित मारांशों के आधार पर वर्ष 1980–81 से 1996–97 के लिये आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के समग्र अवसंरचना सूचकांक का अनुमान लगाया गया है :

संकेतक	भारांश (प्रतिशत)
1	2
प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग	22
जिन गांवों में विद्युतीकरण किया गया	2
प्रति 1000 वर्ग किमी. रेलमार्ग	8
प्रति 1000 वर्ग किमी. पक्की सड़कें	10.5
प्रति 1000 वर्ग किमी. कच्ची सड़कें	5
पत्तन यातायात	2.5
संस्थागत क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सिंचित क्षेत्र	20
प्रति लाख व्यक्ति डाकघर	3
प्रति 100 व्यक्ति टेली घनत्व	3
प्रति लाख व्यक्ति प्राथमिक विद्यालय	6
प्रति लाख व्यक्ति बिस्तर	3
प्रति लाख व्यक्ति पी एच सी	3
प्रति लाख व्यक्ति बैंक शाखाएं	12
जोड़	100

(ख) इन राज्यों के लिये सूचकांक नीचे इंगित किये गये हैं :

बुनियादी ढांचे का सापेक्ष सूचकांक

	1980	1996–97
आंध्र प्रदेश	98.09	93.06
असम	77.71	75.57
बिहार	83.53	77.84
गुजरात	122.99	121.79
हरियाणा	145.52	137.24
हिमाचल प्रदेश	83.54	102.49
जम्मू और कश्मीर	88.66	81.27
कर्नाटक	94.81	94.32
केरल	158.05	155.38
मध्य प्रदेश	62.15	74.08
महाराष्ट्र	120.10	111.29
उड़ीसा	81.46	98.88
पंजाब	207.31	185.59
राजस्थान	74.45	83.92
तमिलनाडु	158.61	138.91
उत्तर प्रदेश	97.70	103.81
पश्चिम बंगाल	110.60	90.76
भारत	100	100

उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि पिछले वर्षों में ढांचागत सूचकांक ने हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिये बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति दर्शायी है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा जा सकता है कि 1996–97 में गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में ढांचागत विकास अखिल भारतीय औसत की अपेक्षा बेहतर था।

हवाला डीलरों पर छापे

824. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पूरे देश में हवाला डीलरों पर छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो हवाला लेन–देन में कुल कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त पाई गई है;

(ग) कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और डीलरों से कुल कितनी राशि जब्त की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा हवाला लेन–देन को रोकने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत, दिनांक 01.07.2002 की अवधि के दौरान हवाला डीलरों के विरुद्ध चवालीस तलाशियां ली गई हैं।

(ख) इन तलाशियों से हवाला मामलों में लगभग 8.25 करोड़ रु. की राशि संलिप्त पाई गई है।

(ग) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के निषेधात्मक प्रावधानों का उल्लंघन करने के मामलों में, गिरफ्तारी करने का प्रावधान नहीं है। तलाशियों के दौरान 61 लाख रु. (लगभग) की राशि जब्त की गई है।

(घ) फेमा के प्रावधानों के अनुसार हवाला मामलों पर कार्रवाई करने के लिये प्रवर्तन निदेशालय विभिन्न उपाय कर रहा है जिनमें संदिग्ध हवाला मामलों से संबंधित आसूचना एकत्र करना भी शामिल है।

चाय की नई किस्म

825. श्री ए. नरेन्द्र : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड ने वर्ष 2000 और 2001 के दौरान देश में चाय की नई किस्में शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चाय की इन नई किस्मों के बागान के लिये किन क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(घ) क्या सरकार ने चाय बोर्ड को गैर–परम्परागत उत्पादक क्षेत्रों में चाय की नई किस्में शुरू करने के लिये कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जनजातीय क्षेत्रों के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण

826. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने जनजातीय क्षेत्र व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत अनुदान सहायता हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार ने प्रस्ताव पर विचार कर इसे स्वीकृत कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिये जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) कर्नाटक सरकार से वर्ष 2002–03 के लिये जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत कोई भी प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व बैंक ऋण

827. श्री अनन्त नायक : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001–2002 और 2002–2003 के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा ऋण के रूप में विश्व बैंक से कुल कितनी राशि मांगी गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को विश्व बैंक से सहायता स्वरूप कितनी राशि प्राप्त हुई; और

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिये ऋण की मांग की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) वर्ष 2001–2002 और 2002–2003 में (दि. 30.6.2002 तक) विभिन्न राज्यों द्वारा मांगे गये विश्व बैंक के ऋणों की कुल राशि 2277.51 मिलियन अमरीकी डालर थी।

(ख) वर्ष 2001–02 और 2002–03 के दौरान (दि. 30.6.2002 तक) राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये प्राप्त सहायता राशि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2001–02 तथा 2002–03 में (दि. 30.6.2002 तक) प्रस्तुत की गई राज्य परियोजनाओं के ब्यौरा निम्नानुसार हैं :

क्र.सं.	परियोजना	राशि (मिलियन अमरीकी डालर)
1	2	3
1.	गुजरात भूकंप राहत परियोजना चरण–II	442.80
2.	आंध्र प्रदेश संरचनात्मक समायोजन ऋण	250.00
3.	हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना	183.30
4.	महाराष्ट्र जल सेवा सुधार परियोजना	425.31
5.	छत्तीसगढ़ निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम	132.00
6.	असम ग्रामीण आधारभूत ढांचा और कृषि सेवा परियोजना चरण–II	250.00
7.	चेतना–कर्नाटक	240.00
8.	मणिपुर वानिकी	219.5
9.	त्रिपुरा वानिकी	53.38
10.	झारखंड वानिकी	238.91
11.	महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजना	208.30
12.	तमिलनाडु जलापूर्ति	145.80

विवरण

विश्व बैंक की राज्य परियोजनाओं के तहत राज्यों को संवितरित धनराशि

क्र.सं.	राज्य	संवितरित राशि (करोड़ रु. में)	
		वित्तीय वर्ष 2001–02	वित्तीय वर्ष 2002–03 (30.6.2002 तक)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2378.23	440.84
2.	असम	123.86	10.34
3.	गुजरात	33.26	44.15
4.	हरियाणा	286.74	26.79
5.	कर्नाटक	1318.14	33.40
6.	केरल	19.83	42.26
7.	मध्य प्रदेश	4.15	0.00

1	2	3	4
8.	महाराष्ट्र	121.70	17.21
9.	मिजोरम	0.00	9.78
10.	उड़ीसा	240.38	65.57
11.	राजस्थान	62.32	23.44
12.	तमिलनाडु	202.50	49.97
13.	उत्तर प्रदेश	588.07	106.68
14.	पश्चिम बंगाल	1.21	0.36
	जोड़	5380.39	870.79

असम को धनराशि

828. श्री एम. के. सुब्बा : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम राज्य सरकार ने ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा घाटा संबंधी अनुदान की क्षतिपूर्ति किये जाने और करीब 500 करोड़ रुपये की बकाया बिक्री को शीघ्र जारी करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या असम राज्य सरकार ने इस बात को भी रेखांकित किया है कि ग्यारहवें वित्त आयोग ने राज्य के गैर योजना राजस्व घाटे अपने अनुमान में भूल की थी जिसके कारण करीब 1,000 करोड़ रुपये का अवमूल्यन हुआ;

(ग) यदि हां, असम राज्य सरकार द्वारा क्या विशेष अनुरोध किया गया और इसके आधार क्या हैं; और

(घ) इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) असम सरकार ने प्रतिवेदन किया है कि असम सरकार के बारे में 2000–2005 तक की अवधि के लिये ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा परियोजित "अन्य गैर योजना अनुदान" में 1000 करोड़ रुपये का अधिप्राक्कलन किया गया है। जिसके फलस्वरूप राज्य के गैर योजना राजस्व घाटे में तदनुरूपी इजाफा हुआ है। मामले की जांच कराने तथा उचित उपचारात्मक कार्रवाई किये जाने के लिये राज्य सरकार ने अनुरोध किया है। भारत सरकार ने मामले की जांच कराई है। परियोजित अवधि में असम के गैर योजना राजस्व तथा व्यय घाटे का प्राक्कलन करने में कोई त्रुटि हुई है यह मानना निराधार है। ई. एफ. सी. ने केंद्र तथा राज्य दोनों ही के राजस्व तथा व्यय का एक समग्र मूल्यांकन करने और क्षैतिज तथा उर्ध्वाधर साम्यता की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ही राज्यों को अंतरण संबंधी अपनी सिफारिशें की हैं। भारत सरकार ने राज्यों को सहायता अनुदान और केंद्रीय करों तथा प्रशुल्कों के अंतरण संबंधी ई. एफ. सी. की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

राज्य सरकार ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि बोंगई गांव रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लि. (बी.आर.पी.एल.) का विशिष्ट विपणक होने के नाते इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पर असम सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1993 के तहत राज्य सरकार की 500 करोड़ रुपये की देनदारी बनती है।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निदेशों के अनुसार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जुलाई, 1993 से सितम्बर, 1998 की अवधि के दौरान बिक्री कर के रूप में संग्रहित मूल राशि असम को जारी की जा चुकी है। इसके अलावा 31 मई, 2002 तक के ब्याज के तौर पर असम सरकार को 54.77 करोड़ रुपये की राशि भी "लेखागत आधार' पर अदा की जा चुकी है।

[हिन्दी]

राजस्थान में एन.टी.सी. मिलें

829. प्रो. रासासिंह रावत : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय चल रही एन.टी.सी. मिलों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मिल में श्रेणी वार कितने कामगार काम कर रहे हैं;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान आज तक इनमें से प्रत्येक मिल में कितने दिन काम हुआ और उनमें कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या अधिकारी जानबूझकर इन मिलों को कच्ची सामग्री उपलब्ध नहीं करा रहे हैं;

(घ) यदि नहीं, तो कामगारों में रोष के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इन मिलों के कामगारों की रुचि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लाभ लेने में भी है;

(च) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या नीति है;

(छ) इन मिलों के पुनर्गठन/पुनर्निर्माण के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ज) पुरानी मशीनरी को बदलने हेतु कौन से संसाधन जुटाये जा रहे हैं; और

(झ) कितने कामगारों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वी.आर.एस.) दी गई है और किन आधारों पर उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौड़ा रामनगौड पाटिल) : (क) और (ख) इस समय राजस्थान में चल रही तीन एनटीसी मिलों के ब्यौरे निम्न अनुसार हैं :

	कामगारों की श्रेणी	महालक्ष्मी मिल ब्यावर	श्री विजय कॉटन मिल्स, विजय नगर	उदयपुर कॉटन मिल्स, उदयपुर
कामगारों की संख्या	कुशल	360	416	268
	अकुशल	80	44	137
प्रचालित दिनों की संख्या	कुशल	304	304	303
	अप्रैल–जून, 2002	78	77	77
उत्पादन लाख किग्रा. में	2001–2002	8.41	5.44	8.28
	अप्रैल–जून, 2002	1.80	1.57	2.50

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) पुनरुद्धार के लिये प्रस्तावित महालक्ष्मी मिल्स में कामगारों के कुछ वर्गों की ऐसी मांग है कि उन्हें बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार बंद करने के लिये प्रस्तावित मिलों में बेशी कामगारों के बराबर ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लाभ दिये जायें। सरकार की यह नीति है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लाभ, केवल बंद करने के लिये पहचान की गई मिलों के कामगारों और पुनरुद्धार के लिये प्रस्तावित मिलों के बेशी कामगारों को ही दिये जायें। चूंकि ये कामगार, पुनरुद्धार के लिये प्रस्तावित मिलों में काम कर रहे हैं और उनकी उस मिल को लगातार चालू रखने के लिये आवश्यकता है, इसलिये इस स्थिति में उन्हें वी. आर.एस. नहीं दी जा सकती।

(छ) और (ज) बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार और संसाधनों की उपलब्धता होने पर इन मिलों के पुनरुद्धार की अनुमानित राशि 58.4 करोड़ रु. है जिसमें से 42.7 करोड़ रु. मशीनों के आधुनिकीकरण के लिये है।

(झ) इन मिलों में किसी भी कामगार को वी.आर.एस. नहीं दी गई है। तथापि, बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार बंद की गई एडवर्ड मिल्स, ब्यावर में 1.4.2001 से 30.6.2002 तक की अवधि के दौरान 175 कामगारों को वी.आर.एस. दी गई।

राजस्थान में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन

830. श्री कैलाश मेघवाल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने के लिए राजस्थान में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने भी प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए संरक्षण और सहायता लेने और औद्योगिक क्षेत्र के प्रोत्साहन हेतु सर्वेक्षण करने के लिए केन्द्र सरकार को कोई योजना प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) राजस्थान में इस समय कितने औद्योगिक विकास केन्द्र हैं और वे कहां स्थित हैं;

(च) राज्य के औद्योगिक विकास में इन विकास केन्द्रों का क्या योगदान है;

(छ) क्या सरकार का विचार राजस्थान में कुछ नए औद्योगिक विकास केन्द्र खोलने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) इन केन्द्रों के कब तक खोले जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह) : (क) से (घ) जी, नहीं।

(ङ) राजस्थान में निम्नलिखित औद्योगिक विकास केन्द्र मौजूद हैं :

विकास केंद्र योजना : आबू–रोड (जिला सिरोही), भीलवाड़ा (जिला भीलवाड़ा), खारा (जिला बीकानेर), धौलपुर (जिला धौलपुर) और झालवाड़ (जिला झालवाड़)।

एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास योजना : सांगरिया (जिला जोधपुर), गोगिलाओ (जिला नागौर), निवाल (जिला टोंक) और कलाद्वास (जिला उदयपुर)।

(च) इन योजनाओं के तहत, अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन करने के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं ताकि इन केन्द्रों में औद्योगिक एककों की वृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। इन सुविधाओं का सृजन करने के फलस्वरूप, इन केन्द्रों पर 300 से भी ज्यादा औद्योगिक एककों की स्थापना की गई है।

(छ) से (झ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

अपव्यय

831. श्री अमर राय प्रधान : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने सरकारी विभागों में अपव्यय को कम से कम करने हेतु कदम उठाए हैं और पहले ही इसका पता लगा लिया है कि ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिनमें विभिन्न सरकारी विभागों में अपव्यय सर्वाधिक है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और आज तक उनके मंत्रालय/विभागों के अंतर्गत इस प्रयोजनार्थ पता लगाए गए ऐसे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और उनमें कितने अपव्यय का पता लगाया गया; और

(ग) मंत्रालय द्वारा ऐसे अपव्यय को कम करने/रोकने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने अपने दिनांक 24 सितम्बर, 2000 के का.ज्ञा. संख्या 7(4)/ई–कोआर्ड/2000 द्वारा मंत्रालयों/विभागों को परामर्श दिया है कि वे गैर–वेतन, गैर–योजना खर्च के बजटीय आवंटन में 10 प्रतिशत की कटौती लागू करें, एक वर्ष से अधिक समय से खाली पड़े पदों को समाप्त करें, नए पदों के सृजन पर प्रतिबंध लागू करें, नई स्टाफ कारों की खरीद पर प्रतिबंध लागू करें, स्टाफ कार के लिए पी.ओ.एल. की खपत में कटौती करें, दैनिक भत्ते में कमी करें, विदेशी दौरों पर प्रतिबंध लागू करें, सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशाला आदि के आयोजन में मितव्ययिता बरतें। इन मदों पर खर्च को फिजूलखर्च नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि संसद द्वारा बजट प्रावधान अनुमोदित किए जाने के बाद ही इन पर खर्च किया जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों का उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय कड़ाई से अनुपालन कर रहा है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम

832. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय उत्तर प्रदेश सहित देश भर में सामाजिक जागरूकता का सृजन करने के लिए अपनी सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रचार मीडिया के विभिन्न स्वरूपों अर्थात् इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, आउटडोर मीडिया आदि के माध्यम से कर रहा है। इस संबंध में आंरभ किए गए कार्यकलापों का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(1) साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम **संवरती जाए जीवन की राहें** का प्रसारण आकाशवाणी के 30 वाणिज्यिक प्रसारण केन्द्रों (विविध भारती), 73 स्थानीय केन्द्रों तथा पूर्वोत्तर के 15 प्राइमरी चैनलों/केन्द्रों से हिन्दी में तथा 19 क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाता है। इनमें से तीन वाणिज्यिक प्रसारण केन्द्र तथा तीन स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र उत्तर प्रदेश में हैं।

(2) इस मंत्रालय की योजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित रेडियो स्पाटों/जिंगलों का प्रसारण आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनलों के माध्यम से देश भर में किया जा रहा है।

(3) मंत्रालय द्वारा अपनी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता सृजन के लिए बनाई गई वीडियों फिल्मों का प्रसारण दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर तथा इसके क्षेत्रीय केन्द्रों से भी किया जा रहा है।

(4) उपर्युक्त फिल्मों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक मीडिया यूनिट, क्षेत्रीय प्रसार निदेशालय की क्षेत्रीय प्रचार यूनिटों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाया जा रहा है।

(5) विशेष अवसरों से संबंधित विज्ञापनों को भी दृश्य और श्रव्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) के माध्यम से मंत्रालय की योजनाओं तथा कार्यक्रमों के बारे में सूचना देते हुए उत्तर प्रदेश सहित देश भर के समाचार–पत्रों को जारी किया जाता है।

इस मंत्रालय के लक्षित समूह देश भर में और सभी क्षेत्रों में फैले हैं। अतः योजनाओं के प्रचार कार्य को सामान्यतः अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है न कि जिलेवार।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चीनी मिलों का ऋण

833. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक विवरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने सहकारी बैंकों द्वारा चीनी मिलों को दिए जा रहे ऋण की राशि बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सहकारी बैंकों द्वारा महाराष्ट्र की चीनी मिलों को कुल कितना ऋण प्रदान किया गया?

उभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि इस संबंध में उन्होंने कोई औपचारिक अनुरोध नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) नाबार्ड के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार महाराष्ट्र की चीनी मिलों को महाराष्ट्र में सहकारी बैंकों द्वारा 2000–2001 के मौसम के लिए मंजूर किए गए कुल ऋण की राशि 8856.58 करोड़ रुपए है। वर्ष 1999–2000 और 2001–2002 के लिए वर्षवार ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं।

एसटीसी द्वारा रबड़ की खरीद

834. श्री जार्ज ईडन : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एसटीसी द्वारा उत्पादकों से कितनी रबड़ खरीदी गई;

(ख) उक्तावधि के दौरान एसटीसी द्वारा रबड़ की खरीद पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) उस अवधि के दौरान रबड़ की खरीद के लिए कुल कितनी राज सहायता दी गई; और

(घ) एसटीसी के पास इस समय रबड़ का कितना भंडार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) प्राकृतिक रबड़ की घटती हुई कीमतों को रोकने तथा इसके उत्पादकों को अपने उत्पादों की उचित कीमत सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने घरेलू बाजार से सरकारी खाते से प्राकृतिक रबड़ खरीदने तथा उसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर एडवांस लाइसेंस धारकों को आपूर्ति करने के लिए एसटीसी के माध्यम से अगस्त, 2001 तक बाजार में हस्तक्षेप की कार्यवाही की थी। इस अवधि के दौरान एसटीसी ने 54,687 मी. टन प्राकृतिक रबड़ खरीदा था।

खरीदारी के इस कार्य में भारत सरकार ने करीब 56 करोड़ रुपए का व्यय किया है।

न्यूनतम कीमत जो प्राकृतिक रबड़ के व्यापार के लिए आयात समता कीमत पर आधारित है, को निर्धारित और अधिसूचित करके खरीदारी कार्य बन्द कर दिए गए हैं और एसटीसी के पास इस समय रबड़ का कोई भण्डार नहीं है।

सतर्कता विभाग द्वारा सिविल सेवकों पर की गई कार्रवाई

835. श्री जी. जे. जावीया : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001–2002 के दौरान और आज तक उनके मंत्रालय के सतर्कता विभाग द्वारा सिविल सेवकों के भ्रष्ट कार्यों, अनैतिक सौदों और उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के लिए प्रत्येक श्रेणी के कितने सिविल सेवक गिरफ्तार किए गए;

(ख) क्या सतर्कता विभाग ने उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है एवं सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नई आयात नीति के विरुद्ध अभ्यावेदन

836. श्री अम्बरीश : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई आयात नीति के शुरू होने के बाद अधिकतर विनिर्माताओं ने सामान के विनिर्माण के स्थान पर आयातित सामान का व्यापार करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को नई आयात नीति के विरुद्ध विशेषकर दक्षिणी राज्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) सरकार के आर्थिक उदारीकरण संबंधी कार्यक्रम के एक भाग के रूप में तथा हमारे अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुसार वस्तुओं पर से आयात प्रतिबंध 1990 के दशक की शुरूआत से ही हटाए जा रहे हैं। भुगतान सन्तुलन के कारण जिन वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध लगाए

गए थे। इस समय उन सभी वस्तुओं का मुक्त रूप से आयात किया जा रहा है। प्रतिबंधों को हटाने से देश की समग्र आयात वृद्धि दर परिवर्तित नहीं हुई है। अप्रैल–मार्च, 2002 के दौरान आयातों की वृद्धि दर रुपए के रूप में केवल 6.7% और डालर के रूप में 1.08% की जा रही थी। 31.3.2001 को जिन 714 मदों पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए गए थे, वर्ष 2001–2002 के लिए मदों के आयात संबंधी आंकड़ों से इनके आयात में कोई असामान्य वृद्धि प्रदर्शित नहीं होती है। इसी प्रकार उन 300 संवेदनशील मदों के आयात, जिसकी निगरानी सचिवों के एक स्थाई दल द्वारा की जा रही है, से भी इस अवधि के दौरान इन मदों के आयात में किसी असामान्य वृद्धि का पता नहीं चलता है। इससे जो स्थिति बनती है वह यह है कि मांग और आपूर्ति के कारकों के प्रत्युत्तर में व्यापारिक कार्यकलाप सामान्य रहे हैं। दूसरी ओर, भारत के निर्यात 1990–91 में 17998.00 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2001–2002 में 43998.53 मिलियन अमरीकी डालर के हो गए हैं जिनमें 144% अर्थात लगभग 2.5 गुना वृद्धि हुई है। इसके अलावा, आयातों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है और सरकार टैरिफ और अन्य उपलब्ध तंत्र के समुचित उपयोग के जरिए यह सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्प है कि आयातों में अचानक होने वाली किसी संभावित वृद्धि से घरेलू उद्योग को कोई गंभीर क्षति न पहुंचे। सरकार को समय–समय पर कुछेक मदों के आयात के खिलाफ अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं जिनके संबंध में समुचित जांच पड़ताल के बाद टैरिफ एवं पाटनरोधी इत्यादि जैसे अन्य उपलब्ध तंत्र का समुचित उपयोग किया जाता है।

जवाहरात संवर्धन क्षेत्र (जोन)

837. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जवाहरात के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देश में जवाहरात संवर्धन क्षेत्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन राज्यों में ऐसे क्षेत्रों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या कर्नाटक और तमिलनाडु की ऐसे क्षेत्रों की स्थापना पर विचार कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पूंजी बाजार में जीपीएफ और पीएफ का निवेश

838. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बेहतर आय के लिए पूंजी बाजार में सामान्य भविष्य निधि अथवा पेंशन निधि का निवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ग) सामान्य भविष्य निधियों की शेष राशियों को पूंजी बाजार में निवेश करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक पेंशन निधियों के निवेश का संबंध है, आज तक केंद्र सरकार में कोई पेंशन निधि मौजूद नहीं है और उस खाते में पूंजी बाजार में निवेश करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। गैर–सरकारी भविष्य निधियों, अधिवर्षिता निधियों और उपदान निधियों के निवेश, समय–समय पर अधिसूचित "निवेश पैटर्न" के अनुसार किए जाते हैं। गैर–सरकारी भविष्य निधियों, अधिवर्षिता निधियों और उपदान निधियों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित "निवेश पैटर्न" की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33004/99

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग I—खण्ड 1

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 68 नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 1999/चैत्र 10,1921

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च 1999

विषय : गैर-सरकारी भविष्य निधियों, अधिवर्षिता निधियों और उपदान निधियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली निवेश की पद्धति।

सं. एफ. 11(3)–पी. डी./98–इस मंत्रालय की दिनांक 12 जून, 1998 के समसंख्यक अधिसूचना के आंशिक संशोधन में, गैर–सरकारी भविष्य निधियों, अधिवर्षिता निधियों और उपदान निधियों द्वारा वृद्धिकारी आय के लिए निवेश की पद्धति दिनांक 1 अप्रैल, 1999 से निम्नानुसार होगी :

निवेश पद्धति

	निवेश की जाने वाली प्रतिशत राशि
(i) लोक ऋण अधिनियम, 1994 (1994 का 18) की धारा 2 में यथा परिभाषित केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां; और/अथवा ऐसे म्युचुअल फण्डों; जिन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए समर्पित निधियों के रूप में स्थापित किया गया है और जिन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है, की यूनिटें;	पच्चीस प्रतिशत
(ii) (क) लोक ऋण अधिनियम, 1994 (1994 का 18) की धारा 2 में यथा परिभाषित किसी राज्य सरकार द्वारा सृजित और जारी सरकारी प्रतिभूतियों और/अथवा ऐसे म्युचुअल फण्डों, जिन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए समर्पित निधियों के रूप में स्थापित किया गया है और जिन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है, की यूनिटों और/अथवा	पन्द्रह प्रतिशत

(ख) अन्य कोई परक्राम्य प्रतिभूतियां; जिनकी मूल राशि और जिन पर ब्याज नीचे iii(क) के अधीन शामिल को छोड़कर केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा किसी शर्त के बिना और पूर्णतः गारंटीशुदा है।

(iii) (क) कंपनी अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन यथानिर्दिष्ट सरकारी वित्तीय संस्थाओं; सरकारी क्षेत्र के बैंकों और आधारभूत संरचना विकास वित्त कंपनी सहित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(36–क) में यथापरिभाषित "सरकारी क्षेत्र की कंपनियों" के बाण्ड/प्रतिभूतियां; और/अथवा — चालीस प्रतिशत

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी जमा राशियों के प्रमाण–पत्र।

(iv) न्यासियों द्वारा जैसा निर्णय किया जाए उपरोक्त तीन श्रेणियों में से किसी एक में निवेश्य। — बीस प्रतिशत

(v) न्यास, जोखिम–प्राप्ति संभावनाओं के उनके निर्धारण के अधीन उपर (iv) में से 10 प्रतिशत तक निजी क्षेत्र बाण्ड/प्रतिभूतियों, जिनको कम से कम दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से निवेश ग्रेड रेटिंग प्राप्त है, में निवेश कर सकते हैं।

2. अनिवार्य व्यय को घटाकर पूर्व निवेशों की परिपक्वता पर प्राप्त कोई भी राशि इस अधिसूचना में निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार निवेश की जाएगी।

3. विशेष जमाराशि स्कीम पर प्राप्त ब्याज। इसी प्रकार अन्य श्रेणियों के अधीन प्राप्त ब्याज को भी उसी श्रेणी में पुनः निवेश किया जा सकता है।

4. उपरोक्त पैराग्राफों में यथासंकल्पित निवेश पद्धति वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त की जा सकती है।

एस. सी. पांडे, निदेशक (बजट)

[अनुवाद]

कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना

839. श्री बी. के. पार्थसारथी :
श्री गंता श्रीनिवास राव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 2002 की स्थिति के अनुसार देश के विभिन्न भागों में स्थापित कृषि निर्यात क्षेत्रों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र द्वारा इन क्षेत्रों को क्षेत्रवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या और अधिक कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना करने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) 30 जून, 2002 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा 14 विभिन्न राज्यों में मंजूर 28 कृषि निर्यात क्षेत्र और इन क्षेत्रों के लिए अपनी एजेंसियों के जरिए केन्द्र सरकार द्वारा नियोजित वित्तीय सहायता निम्नानुसार है :

	केन्द्रीय एजेंसी द्वारा वित्तीय सहायता (लाख रुपए)
1. अन्नानास (पश्चिम बंगाल)	6.78
2. गेरकिन (कर्नाटक)	4.30

	केन्द्रीय एजेंसी द्वारा वित्तीय सहायता (लाख रुपए)
3. लीची (उत्तरांचल)	91.25
4. वनस्पति (पंजाब)	1.00
5. आलू (उत्तर प्रदेश)	6.00
6. आम, उत्तर प्रदेश (लखनऊ)	151.25
7. आलू (पंजाब)	2.00
8. आम, उत्तर प्रदेश (सहारनपुर)	151.25
9. अंगूर और अंगूर की शराब (महाराष्ट्र)	3.15
10. आम लुग्दी और ताजी सब्जियां (आंध्र प्रदेश)	28.27
11. अन्नानास (त्रिपुरा)	2.90
12. आलू, प्याज और लहसुन (मध्य प्रदेश)	4.70
13. आम (महाराष्ट्र)	2.10
14. सेब (जम्मू एवं कश्मीर)	0.00
15. फूल (तमिलनाडु)	348.00
16. केसर आम (महाराष्ट्र)	3.66
17. फूल (महाराष्ट्र)	500.00
18. अखरोट (जम्मू एवं कश्मीर)	0.00
19. लीची (पश्चिम बंगाल)	1.10
20. लीची (बिहार)	1.25
21. आम और अंगूर (आंध्र प्रदेश)	0.00
22. आम और सब्जियां (गुजरात)	0.75
23. आलू (पश्चिम बंगाल)	0.00
24. फूल (उत्तरांचल)	0.00
25. फूल (बागान) और चेरी पेपर (सिक्किम--पूर्व)	0.00
26. अदरक (सिक्किम)	0.00
27. रोज प्याज (कर्नाटक)	0.00
28. फूल (कर्नाटक)	347.90
कुल	1658.09

(ग) और (घ) राज्य सरकारों से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :

(i) मध्य प्रदेश से गेहूं

(ii) तमिलनाडु से आम

(iii) महाराष्ट्र से प्याज

(iv) सिक्किम से बड़ी इलायची

(v) महाराष्ट्र से संतरे

(vi) पश्चिम बंगाल से आम

(vii) गुजरात से निर्जल प्याज और लहसुन।

चारमीनार सहकारी बैंक

840. श्रीमती डी. एम. विजया कुमारी : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चारमीनार सहकारी बैंक के कार्यकरण की जांच से पता चलता है कि हैदराबाद में कुछ प्रभावशाली लोगों ने सरकारी पार्कों (भूमि) को गिरवी रख कर बैंक से ऋण प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो कितने लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है; और

(ग) इस घोटाले में कितने बैंक अधिकारी/व्यक्ति संलिप्त पाए गए और उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि चारमीनार को–आपरेटिव बैंक के कार्यकरण की जांच आंध्र प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग द्वारा की गई थी। जांच से पता चलता है कि एक व्यक्ति ने सरकारी भूमि को बंधक रख कर बैंक से ऋण प्राप्त किया था। पुलिस अधिकारियों ने तीन बैंक अधिकारियों सहित पांच व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा वित्तीय घोटाले संबंधी जांच

841. श्री रामदास आठवले : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो उन कंपनियों के वित्तीय घोटालों की पुनः जांच करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है जो या तो ठोस प्रमाण की कमी के कारण अथवा कुछ अन्य कारणों से बंद कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके अतिरिक्त बैंकों में सहकारी क्षेत्र के घोटालों से संबंधित अनियमितताओं और उनके खातों की जांच करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनकी जांच कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (घ) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अनुसार, इसके पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सहकारी बैंकों में प्रतिभूति घोटाले के विषय पर राज्य सभा में दिनांक 16 मई, 2002 को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के दौरान, कुछ सदस्यों ने संयुक्त संसदीय समिति के साथ–साथ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को जांच सौंपने का आग्रह किया। तत्कालीन वित्त मंत्री ने अपने उत्तर में कहा था कि सरकार इस विषय पर सांविधानिक स्थिति के संदर्भ में मामले की जांच करेगी क्योंकि इसमें राज्य सरकार भी अंतर्ग्रस्त है। तत्पश्चात महाराष्ट्र सरकार को तीनों मामले जांच हेतु केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

किशोर न्याय अधिनियम, 2000 में संशोधन

842. श्री नरेश पुगलिया : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किशोर न्याय (बच्चों की परिचर्या और सुरक्षा) अधिनियम, 2000, जिसमें कमी की बात कही गई है और जिसमें अनेक खामियां हैं, में संशोधन करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, किशोर कल्याण बोर्ड, दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया गया है जिसके अंतर्गत किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के कतिपय उपबंधों को चुनौती दी गई है। इस मामले का अभी तक निर्णय नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा धनराशि देना

843. श्री रामजीलाल सुमन :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा वर्ष 2002–2003 के दौरान परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पिछले वर्ष की तुलना में धनराशि के आवंटन में चालीस प्रतिशत तक की कटौती किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2002–2003 के दौरान परियोजनाओं की धनराशि कम करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं के लिए धनराशि के कम आवंटन के कारण कितना घाटा होने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मोबाइल फोनों को आवश्यक सामान का दर्जा

844. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान परिदृश्य में मोबाइल फोनों को आवश्यक सामान का दर्जा देने और आयकर विवरणी भरने जैसे प्रतिबंधों को हटाने पर विचार करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। वित्त अधिनियम, 2002 के द्वारा छः में से एक योजना के अंतर्गत टेलीफोन में अंशदान के आर्थिक मानदंड के स्थान पर लोकल लूप में वायरलैस न होते हुए सेलुलर टेलीफोन में अंशदान को प्रतिस्थापित किया गया है। अतः सेलुलर टेलीफोन के अंशदाता को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के प्रथम परन्तुक (छः में से एक योजना) अंतर्गत अनिवार्य रूप की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है।

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सेलुलर टेलीफोन में अंशदान को संभावित करदाताओं को पता लगाने के लिए एक आर्थिक सूचक समझा जाता है।

फेरा के तहत मामले

845. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) 1973 की 31 मई, 2002 को समाप्ति हो गई;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप फेरा के तहत अवलोकित किए जा रहे गंभीर प्रकृति के कई मामले भी बंद हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या ऐसे मामलों में संलिप्त व्यक्तियों/कंपनियों के विरुद्ध नए आरोप-पत्र दाखिल किए गए हैं और मुकदमे दायर किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या इन मामलों को अब विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) 2002 के तहत अवलोकित किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 49 की उपधारा (3) एवं (4) के प्रावधानों के सौजन्य से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा), 1973, 31 मई, 2002 को समाप्त हो गया।

(ख) और (ग) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के उपबन्धों के अनुसार जांच के अधीन चाहे गंभीर प्रकृति का अथवा अन्यथा कोई भी मामला दिनांक 31 मई, 2002 को अधिनियम की मात्र समाप्ति के कारण प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बंद नहीं किया गया है। फेरा के प्रावधानों के अनुरूप जांच के भली-भांति पूरा होने के बाद ही सभी मामले निपटाए गए थे।

(घ) फेरा के उपबन्धों के अंतर्गत, अधिनियम की धारा 56 अथवा 57 के अंतर्गत अभियोजन चलाया जा सकता है। सभी उपयुक्त मामलों में, फेरा के कथित उपबन्धों के अंतर्गत सन सेट अवधि के अंत तक अर्थात 31 मई, 2002 तक शिकायत दर्ज कर के अभियोजन चलाए गए थे। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 50 और 51 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।

(ङ) और (च) उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत

फेरा के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों को निपटाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।

[हिन्दी]

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

846. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय करेंसी नोट प्रेस और टकसाल, विशेषतः बैंक नोट प्रेस, देवास (मध्य प्रदेश) में 1990 के बाद से सेवाकाल के दौरान कितने कर्मचारियों की मौत हुई है;

(ख) प्रेस और टकसालों के प्रबंधकों/भारत सरकार को मृत कर्मचारियों के वैधानिक आश्रितों से अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) दिसम्बर, 2001 तक अनुकम्पा आधार पर प्रेस-वार और टकसाल-वार नियुक्त किए गए आवेदनकर्ताओं की संख्या और ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्राप्त ऐसे आवेदनों की प्रेस-वार और टकसाल-वार संख्या और ब्यौरा क्या है जिन्हें या तो अस्वीकृत कर दिया गया या जो अभी विचाराधीन हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) 1990 के बाद से टकसालों और मुद्रणालयों/प्रतिभूति कागज कारखाना (एसपीएम) में सेवाकाल के दौरान मरने वाले कर्मचारियों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :

(i) भारत सरकार टकसाल, नोएडा	9
(ii) भारत सरकार टकसाल, मुम्बई	201
(iii) भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद	101
(iv) भारत सरकार टकसाल, कोलकाता	185
(v) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक	511
(vi) करेंसी नोट प्रेस, नासिक	450
(vii) प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद	32
(viii) बैंक नोट प्रेस, देवास	118
(ix) प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद	108
जोड़	1715

(ख) ऊपर भाग (क) में उल्लिखित मृत कर्मचारियों के वैध आश्रितों से अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्राप्त आवदेनों की टकसाल-वार/मुद्रणालय-वार विवरण नीचे दिया दिया गया है :

(i) भारत सरकार टकसाल, नोएडा	9
(ii) भारत सरकार टकसाल, मुम्बई	133
(iii) भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद	89
(iv) भारत सरकार टकसाल, कोलकाता	175
(v) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक	511
(vi) करेंसी नोट प्रेस, नासिक	424
(vii) प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद	27
(viii) बैंक नोट प्रेस, देवास	87
(ix) प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद	98
जोड़	1553

(ग) दिसम्बर, 2001 तक अनुकम्पा आधार पर की गई नियुक्तियों का विवरण टकसाल-वार/मुद्रणालय-वार निम्नानुसार है :

(i) भारत सरकार टकसाल, नोएडा	1
(ii) भारत सरकार टकसाल, मुम्बई	40
(iii) भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद	27
(iv) भारत सरकार टकसाल, कोलकाता	25
(v) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक	361
(vi) करेंसी नोट प्रेस, नासिक	216
(vii) प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद	16

(viii) बैंक नोट प्रेस, देवास	16
(ix) प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद	25
जोड़	727

(घ) रद्द किए गए और विचाराधीन आवेदनों से संबंधित विवरण निम्नानुसार है :

	रद्द किए गए आवेदनों की संख्या	विचाराधीन आवेदनों की संख्या
(i) भारत सरकार टकसाल, नोएडा	—	8
(ii) भारत सरकार टकसाल, मुम्बई	58	35
(iii) भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद	26	36
(iv) भारत सरकार टकसाल, कोलकाता	20	130
(v) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक	—	150
(vi) करेंसी नोट प्रेस, नासिक	4	204
(vii) प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद	1	10
(viii) बैंक नोट प्रेस, देवास	16	55
(ix) प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद	1	72
जोड़	126	700

[अनुवाद]

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

847. श्री अरूण कुमार : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2002 की रिपोर्ट (सिविल) संख्या 4 में पृष्ठ 139 पर पैरा 9.2 में यह तथ्य प्रकाशित किया है कि बातचीत के बाद सबसे कम बोली देने वाले बोलीदाता से अधिक बोली देने वाले बोलीदाता के उच्च मूल्य के संशोधित प्रस्ताव को स्वीकार करने के कारण 2.32 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या मामले की जांच की गई है और सबसे कम बोली देने वाले बोलीदाता के अलावा दूसरे बोलीदाता से बातचीत करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

वितरण और खरीद पर निगरानी

848. डा. मदन प्रसाद जायसवाल :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों के वितरण और खरीद के मामले में लगातार निगरानी रखी जाती है;

(ख) गत वर्ष किए गए निगरानी कार्य के क्या परिणाम रहे और इसमें जिन अनियमितताओं का पता चला, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) निगरानी रखे जाने के क्या उद्देश्य हैं और निगरानी के दौरान पाई गई कमियों में सुधार करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्रीय और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। केन्द्रीय सरकार वसूली, भंडारण और सार्वजनिक वितरण केन्द्रों तक बल्क आवंटन के लिए उत्तरदायी है जबकि राज्यों में अपने यहां आगे आवंटन, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करना, राशन कार्ड जारी करना और खाद्यान्नों का उचित और जवाबदेह तरीके से वितरण करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण के दिशा–निर्देशों के अनुसार, राज्यों को सलाह दी गई थी कि वे उचित दर दुकानों की

मानीटरिंग की एक उपयुक्त प्रणाली सुनिश्चित करें, जिसके तहत जिला/तालुक स्तर के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से इनका निरीक्षण किया जाए। राज्यों से यह भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मानीटरिंग की मासिक रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाए। 31 अगस्त, 2001 को जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश में राज्य सरकारों द्वारा उचित दर दुकानों के कार्यकरण की मानीटरिंग हेतु विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है और उसमें अन्य बातों के साथ-साथ उचित दर दुकान, जिला तथा राज्य स्तरों पर रिपोर्टिंग करने की आवधिक प्रणाली, भविष्य में किए गए खाद्यान्नों के आवंटन को पहले किए गए आवंटनों के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र की प्राप्ति के साथ जोड़ने का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे समीक्षा/निरीक्षणों के समय पाए गए अंतरों/कमियों पर तत्काल उचित उपचारात्मक कार्रवाई करें।

[अनुवाद]

यूटीआई-64 योजना पर लाभांश

849. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :
श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2001-2002 में भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने यूनिट-64 पर कोई लाभांश नहीं देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या लाभांश नहीं देने, मासिक आय योजनाओं आदि पर ब्याज दर कम करने के कारण और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की तुलना में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की साख में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारतीय यूनिट ट्रस्ट को अपने नियंत्रण में लेने या इसका निजीकरण करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) यूटीआई के न्यासी बोर्ड ने दिनांक 21 जून, 2002 को हुई अपनी बैठक में यू.एस.-64 के लिए लाभांश नहीं घोषित करने का निर्णय लिया क्योंकि स्कीम की वित्तीय दशा 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए आय वितरण की अनुमति नहीं देती। इसके अतिरिक्त, स्कीम दिनांक 1.1.2002 से एन.ए.वी. आधारित है।

(ग) यूटीआई की समग्र साख प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुई है क्योंकि यूटीआई ने सूचित किया है कि उसकी एनएवी आधारित स्कीमों ने एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धा बाजार में अच्छा कार्य निष्पादन किया है और इन स्कीमों में अन्तर्प्रवाह निवेशकों का अनवरत समर्थन प्रदर्शित करते हैं।

(घ) और (ङ) सरकार ने दिनांक 28.12.2001 को यू. एस.-64 के लिए एक वित्तीय पैकेज घोषित किया। वित्तीय पैकेज के भाग के रूप में यूटीआई से तारापोर समिति सहित कई विशेष समितियों की सिफारिशों के आधार पर समयबद्ध सुधार कार्यान्वित करने के लिए कहा गया था। इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञ समितियों ने यूटीआई अधिनियम में संशोधनों की सिफारिश की है। इस संबंध में, यूटीआई और सरकार द्वारा उपयुक्त कार्यवाईयां प्रारम्भ की गई हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आगम

850. श्री सुरेश कुरुप :
श्री ब्रह्मानंद मंडल :
श्री वाई. वी. राव :
श्री पी. डी. एलानगोवन :
श्री मोहन रावले :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001-2002 के दौरान भारत में कुल कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ और यह निवेश कौन-कौन से सेक्टरों और राज्यों में हुआ है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान हुआ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लक्ष्य से बहुत कम रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को राज्य सरकारों की ओर से अपने–अपने राज्यों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए विदेश संबंधी मानदंडों में ढील देने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या सरकार ने इस वित्त वर्ष के प्रथम तीन महीनों के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी कुछ प्रस्तावों की मंजूरी दी है;

(छ) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की संख्या, इनमें अंतर्ग्रस्त राशि कितनी है और प्रस्ताव कौन–कौन से सेक्टरों और राज्यों के लिए मंजूर किए गए हैं; और

(ज) वर्ष 2002–2003 के लिए प्रत्यक्ष विदेशी आगम का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामण सिंह) : (क) वित्तीय वर्ष 2001–2002 की अवधि के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) के रूप में 18,654.11 करोड़ रुपये की धन राशि प्राप्त हुई है (इसमें ए डी आर/जी डी आर और शेयरों के अग्रिम लंबित पड़े मामले शामिल नहीं हैं)। अंतर्वाह संबंधी आंकड़े औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्रकाशित एस.आई.ए. के मासिक न्यूजलैटर में प्रकाशित किये जाते हैं, जिसे संसद–पुस्तकालय सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों को व्यापक रूप में परिचालित किया जाता है। यह सूचना एस.आई.ए. वेबसाइट (एचटीटीपी://डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. एनआईसी. आईएन/आईएनडीएमआईएन) पर भी उपलब्ध है।

(ख) और (ग) यद्यपि एफ.डी.आई. के लिए औपचारिक लक्ष्य नियत नहीं है, फिर भी 2001–2002 की अवधि के दौरान 18,654.11 करोड़ रुपए का एफ.डी.आई. अंतर्वाह प्राप्त किया गया है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह अंतर्वाह 10,732.61 करोड़ रुपए का था जो लगभग 74 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(च) और (छ) अप्रैल और मई, 2002 माह के एफ. डी.आई. अंतर्वाह के आंकड़ों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस अवधि के दौरान कुल 424 एफ.डी.आई. अनुमोदन (जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वतः अनुमोदन मार्ग के तहत मंजूर किये गये अनुमोदनों की संख्या भी शामिल है) स्वीकार किये गये थे जिनमें 2845.45 करोड़ रुपए की राशि अंतर्ग्रस्त थी। संबंधित आंकड़े औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्रकाशित एस.आई.ए. के मासिक न्यूजलैटर में प्रकाशित किये जाते हैं, जिसे संसद–पुस्तकालय सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों को परिचालित किया जाता है। यह सूचना एस.आई. ए. वेबसाइट (एचटीटीपी://डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एनआईसी.आईएन/आईएनडीएमआईएन) पर भी उपलब्ध है।

(ज) वर्ष 2002–2003 की अवधि के लिए एफ.डी.आई. अंतर्वाहों के लिए कोई औपचारिक लक्ष्य तय नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

नवसमूह औद्योगिक विकास योजना

851. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक नव समूह औद्योगिक विकास योजना कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह) : (क) से (घ) कतिपय मौजूदा औद्योगिक समूहों में अवसंरचना और अन्य सुविधाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए एक औद्योगिक समूह योजना आरंभ करने संबंधी प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है। प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही है और योजना के संचालन में कुछ समय लग सकता है।

फेरा/फेमा का उल्लंघन

852. श्री पी. आर. खूंटे :
री पुन्नू लाल मोहले :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्ष के दौरान आज की तारीख तक प्रत्येक वर्ष "फेरा", 1973 और "फेमा", 2002 का उल्लंघन करने पर प्रवर्तन निदेशालय, मुंबई ने जिन कंपनियों/अभिनेताओं को नोटिस जारी किये हैं उनका ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : वर्ष 2000 के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा), 1973 के उल्लंघन के लिए किसी भी कंपनी/अभिनेता को कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था।

वर्ष 2001 के दौरान फेरा के प्रावधानों के तहत दिनांक 20–11–2001 को श्री अमरीश पुरी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इस मामले में संलिप्त राशि 1967 अमरीकी डॉलर, 325 स्टर्लिंग तथा 93,305/– रुपए है।

वर्ष 2002 (अब तक) में फेरा के अंतर्गत निम्नलिखित 7 कंपनियों/अभिनेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं :

क्र.सं.	पार्टी का नाम	संलिप्त राशि
1.	मै. ए.बी.सी.एल./अमिताभ बच्चन	6,00,000 अमरीकी डालर
2.	श्री मेहबूब खान उर्फ बॉबी खान	22 लाख रु. (लगभग)
3.	श्री सलमान खान एवं अन्य	28 लाख रु. (लगभग)
4.	मैं. अनस फिल्म	10,000 अमरीकी डालर
5.	श्री शाहरूख खान	50 लाख रु. (लगभग)
6.	श्री गोविन्दा ए. आहूजा	41.5 लाख रु. (लगभग)
7.	सुश्री मनीषा कोइराला	22 लाख रु. (लगभग)

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 का उल्लंघन करने के लिए, प्रवर्तन निदेशालय, मुम्बई, द्वारा कंपनियों/अभिनेताओं को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है।

विश्व खाद्य शिखर वार्ता

853. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने रोम में विश्व खाद्य सम्मेलन आयोजित किया था;

(ख) इस सम्मेलन में खाद्य और कृषि संबंधी विषयों पर की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है और इसमें कौन–कौन से निर्णय लिए गए;

(ग) विकसित और विकासशील देशों के कृषि उत्पादों पर दी जाने वाली राजसहायता में कितना अंतर निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या मुक्त व्यापार और विश्व व्यापार संगठन की नीतियों के कारण विकासशील देशों को बाजार में कम हिस्सेदारी मिल रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) जी, हां। विश्व खाद्य सम्मेलन : रोम में 10 जून से 13 जून, 2002 तक पांच वर्ष बाद हुआ था।

(ख) विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन : 1996 में हुए विश्व खाद्य सम्मेलन में अपनाई गई विश्व खाद्य सुरक्षा संबंधी रोम घोषणा और विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन की कार्य योजना के उद्देश्यों को हासिल करने में हुई प्रगति की समीक्षा करने और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए राजनैतिक इच्छा शक्ति और वचनवद्धता की पुष्टि करने हेतु 5 वर्ष बाद हुआ था। सम्मेलन में खाद्यान्नों का राष्ट्रीय उत्पादन और वितरण, सतत कृषि और ग्रामीण विकास, न्यायोचित व्यापार व्यवस्था, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विकास सहायता आदि जैसी खाद्य सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।

शिखर सम्मेलन में 1996 के शिखर सम्मेलन के उद्देश्यों को पूरा करने और सुरक्षित तथा पोषक खाद्य पदार्थों तक प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच के अधिकार को ध्यान में रखते हुए भुखमरी के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में सभी संबंधित भागीदारों के प्रयासों को बल देने की तात्कालिक आवश्यकता की पुष्टि की गई थी। शिखर सम्मेलन में विकसित देशों से आग्रह किया गया था कि वे विकासशील देशों के लिए सरकारी विकास सहायता के रूप के सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 0.7 प्रतिशत अंशदान करें और विकासशील देशों के राष्ट्रीय बजटों में कृषिगत तथा ग्रामीण विकास के लिए आवंटनों में वृद्धि करने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण में वृद्धि करने की मांग की गई थी। सम्मेलन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के संबंध में पर्याप्त खाद्यान्न के अधिकार को हासिल करने के लिए सदस्य देशों के प्रयासों को समर्थन देने हेतु स्वैच्छिक दिशा-निर्देश विकसित करने के लिए एक अन्तर सरकारी कार्यदल स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया था।

(ग) कृषि संबंधी विश्व संगठन समझौते की शर्तों के अनुसार घरेलू समर्थन को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है : (1) व्यापार पर शून्य अथवा नाम मात्र का डिसटॉर्टिंग प्रभाव डाले बिना समर्थन और (2) व्यापार डिसटॉर्टिंग प्रभाव डालकर समर्थन। केवल व्यापार डिस्टॉर्टिंग प्रभाव डालकर दिए जाने वाले समर्थन में ही सीमा निश्चित की गई है। व्यापार पर डिस्टॉर्टिंग प्रभाव डालकर दिए गए समर्थन को सकल माप के रूप में मापा जाता है जिसकी अभिव्यक्ति कृषिगत उत्पादन की कुल कीमत की प्रतिशतता के रूप में की जाती है। विकसित देशों को उनके कृषि उत्पादन की कुल कीमत के 5 प्रतिशत तक समर्थन की कुल माप प्रदान करने की अनुमति है और विकासशील देशों को उनके कृषि उत्पादन की कुल कीमत के 10 प्रतिशत तक अनुमति दी गई है। इन सीमाओं से अधिक आधार अवधि (1986-88) में दिया गया घरेलू समर्थन, जिसे समर्थन के कुल माप के रूप में मापा गया है, क्रियान्वयन की अवधि के दौरान विकसित देशों में 20 प्रतिशत और विकासशील देशों में 13.3 प्रतिशत कम किया जाना अपेक्षित है। निर्यात सब्सिडी के क्षेत्र में विकसित देशों द्वारा राजसहायता प्राप्त निर्यात की मात्रा को 6 वर्ष की आधार अवधि (1986-90) में 21 प्रतिशत और तद्नुरूपी बजटीय परिव्यय को 36 प्रतिशत कम किया जाना अपेक्षित है। विकासशील देशों के लिए ये कटौतियां 10 वर्षों की अवधि में मात्रा के रूप में 14 प्रतिशत और बजटीय परिव्यय में 24 प्रतिशत हैं।

(घ) और (ङ) विश्व व्यापर संगठन अनुमानीय नियम आधारित बहुआयामी व्यापार प्रणाली की व्यवस्था करता है जो विकासशील देशों की विकसित कारोबारी भागीदारों के द्विपक्षीय दबाव से सुरक्षा करता है। तथापि, विकसित देशों में जारी घरेलू समर्थन का उच्च स्तर, निर्यात सब्सिडी, उच्च प्रशुल्क, प्रशुल्क की उच्चतम दर और वृद्धि, टैरिफ दर का कोटा कृषिगत जिंसों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट लाता है तथा विकासशील देशों को बाजार पहुंच के सार्थक अवसरों से वंचित करता है। इस संदर्भ में भारत ने विश्व व्यापार संगठन के पास दायर अपने बातचीत प्रस्ताव में विकसित देशों के घरेलू समर्थन में पर्याप्त कमी करने और निर्यात राजसहायता को समाप्त करने की मांग की है। दोहा घोषणा में भी मंत्रियों ने बाजार पहुंच में पर्याप्त सुधार करने; सभी रूपों में निर्यात सब्सिडी के चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने की दृष्टि से कमी करने; और व्यापार को प्रभावित करने वाले घरेलू समर्थन में पर्याप्त कमी करने के उद्देश्य से बातचीत करने का निर्णय लिया है।

अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में और जातियों को शामिल किया जाना

854. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्ष के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में कुछ और जातियों को शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये जातियां कौन-कौन सी हैं और ये किन-किन राज्यों से हैं;

(ग) उक्त कदम से कितने लोगों को लाभ मिलेगा;

(घ) क्या सरकार का विचार अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में कुछ और जातियों को शामिल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य को कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल/संशोधन भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या 241 दिनांक 27.10.1999, सं. 270 दिनांक 6.12.1999, सं. 71 दिनांक 4.4.2000, सं. 210 दिनांक 21.9.2000 तथा संख्या 246 दिनांक 6.9.2001 के अनुसार प्रकाशित किया गया है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पिछले वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल जातियों/ समुदायों के नाम इन राजपत्र अधिसूचनाओं में दिए गए हैं। इन जातियों/समुदायों वे सभी सदस्य जो सम्पन्न वर्ग (क्रिमी लेयर) के अंतर्गत शामिल नहीं हैं केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों तथा सेवाओं में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के पात्र होते हैं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार एन सी बी सी सूची में पिछड़े वर्ग के रूप में नागरिक के किसी वर्ग को शामिल करने के किए अनुरोधों की जांच करता है तथा ऐसे सूचियों में किसी पिछड़े वर्गों को अधिक शामिल करने या कम शामिल करने की शिकायतों को सुनता है और जैसा यह उचित समझता है, केन्द्र सरकार को ऐसी सलाह देता है।

आयोग की सलाह पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाती है। अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करनें/संशोधन करने के संबंध में सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद समय-समय पर उसके ब्यौरे भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाते हैं।

परिवहन के दौरान खाद्यान्नों का नुकसान

855. श्री महेश्वर सिंह :
श्री सुरेश चन्देल :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मालगाड़ियों द्वारा प्रति वर्ष खाद्यान्नों का कितनी मात्रा में परिवहन किया गया है;

(ख) उक्त अवधि में परिवहन के दौरान चोरी के कारण खाद्यान्नों का कितनी मात्रा में नुकसान हुआ;

(ग) परिवहन के दौरान खाद्यान्नों की चोरी रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या उपाय किए हैं; और

(घ) इस संकट पर नियंत्रण पाने और परिवहन के दौरान होने वाले नुकसान पर रोक लगाने के लिए रेल मंत्रालय के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा मालगाड़ियों से ढुलाई किए गए खाद्यान्नों की मात्रा निम्नानुसार है :

(लाख टन में)

वर्ष	मात्रा (अनंतिम)
1998–1999	178.97
1999–2000	212.32
2000–2001	158.10

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मार्ग में गुम हुए खाद्यान्नों की मात्रा और उनकी कीमत निम्नानुसार है :

वर्ष	मार्गस्थ कमियों की मात्रा (लाख टन में)	हानि की कीमत करोड़ रुपये में
1998–1999	2.91	218.35 (अनंतिम)
1999–2000	2.89	244.00 (अनंतिम)
2000–2001	1.84	172.00 (अनंतिम)

(ग) मार्गस्थ खाद्यान्नों की चोरी रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) संवेदनशील स्थानों की पहचान करना।

(ii) संवेदनशील खंडों में मालगाड़ियों की सुरक्षा रेलवे बल द्वारा किया जाना।

(iii) रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यार्डों और अन्य प्रभावित क्षेत्रों/खंडों में गहन बीट पैट्रोलिंग किया जाना।

(iv) चोरी और उठाईगिरी को रोकने के लिए

संवेदनशील डिपुओं में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को तैनात करना।

(v) चुनिंदा रेलशीर्ष ट्रांसशिपमेंट और गंतव्य/परेषण केन्द्रों पर विशेष दस्ते द्वारा जांच किया जाना।

(vi) इलैक्ट्रानिक लारी तोल सेतु स्थापित करना और उनका औचक निरीक्षण करना।

(vii) अपराधियों और चोरी की गई सम्पत्ति को लेने वालों को पकड़ने के लिए विभिन्न स्तरों पर रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस तथा स्थानीय पुलिस के बीच गहन समन्वय स्थापित करना।

(घ) इस मामले पर हाल में मंत्रालय स्तर पर चर्चा नहीं की गई है।

[अनुवाद]

अनाज बैंक योजना

856. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनाज बैंक योजना के आरंभ के बाद से देश में राज्य-वार कुल कितने अनाज बैंक खोले गए हैं;

(ख) इस प्रयोजन के लिए "ट्राइफेड" द्वारा जारी की गई निधियों सहित-वार और वर्ष-वार कुल कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) देश में ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों को सहायता प्रदान करने में अनाज बैंक की क्या भूमिका है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) अन्न बैंक योजना के आरंभ से लेकर देश में राज्यवार स्थापित किए गए कुल अन्न बैंकों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) इस योजना के अंतर्गत राज्यों को निधियां ट्राइफेड के माध्यम से निर्मुक्त की जाती हैं। वर्ष 1996-97 से अब तक विभिन्न राज्यों को ट्राइफेड द्वारा 10.24 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए हैं। निर्मुक्त की गई निधियों के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) यह योजना केन्द्रीय योजना समिति द्वारा पहचाने गए कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में, पोषणिक मानदंडों में गिरावट को रोककर जनजातीय लोगों की मृत्यु की रोकथाम के उपायों के रूप में वर्ष 1996-97 में शुरू की गई थी। इस योजना में चुनिंदा क्षेत्रों के ग्रामीणों द्वारा एक समिति बनाकर गांव में अन्न बैंक स्थापित करने का प्रावधान है। अतः यह योजना गरीब ग्रामीणों को भुखमरी की विरुद्ध लड़ने की सहभागिता में सहायता करती है।

विवरण-I

आरंभ से आज तक स्थापित अन्न बैंकों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्थापित अन्न बैंकों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	40
2.	पश्चिम बंगाल	14
3.	बिहार/झारखंड	25
4.	गुजरात	58
5.	मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	145
6.	उड़ीसा	313
7.	त्रिपुरा	34
8.	राजस्थान	25
9.	तमिलनाडु	2
10.	केरल	5
11.	महाराष्ट्र	30
	कुल	691

विवरण-II

ट्राइफेड द्वारा राज्य-वार और वर्ष-वार निर्मुक्त की गई निधियों की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	निर्मुक्त राशि (रुपए में)
1	2	3.	4
1.	आंध्र प्रदेश	1996-97	12.16
		1997-98	13.44
		2000-01	11.66
	उप-योग (क)		37.26
2.	पश्चिम बंगाल	1996-97	10.88
	उप-योग (ख)		10.88
3.	बिहार/झारखंड	1996-97	19.2
		1997-98	19.84
	उप-योग (ख)		39.04
4.	गुजरात	1996-97	17.92
		1997-98	19.20
		1998-99	14.72
		2000-01	100
	उप-योग (घ)		151.84
5.	म.प्र./छत्तीसगढ़	1996-97	44.8
		1997-98	56.96
		2000-01	80.78
	उप-योग (ड)		182.54
6.	उड़ीसा	1996-97	20.48
		1997-98	22.40
		1998-99	0
		1999-2000	100.00
		2000-01	184.96
		2001-02	100.00
	उप-योग (च)		427.84
7.	त्रिपुरा	1996-97	2.56
		1997-98	1.92
		2000-01	18.11
		2001-02	18.03
	उप-योग (छ)		40.62
8.	राजस्थान	1996-97	16.00
		1997-98	1.49
	उप-योग (ज)		17.49
9.	तमिलनाडु	1996-97	1.12
	उप-योग (झ)		1.12
10.	केरल	1996-97	1.28
		1997-98	1.92
		2000-01	10.16
	उप-योग (ञ)		13.36
11.	महाराष्ट्र	1997-98	19.20
		2001-02	83.18
	उप-योग (ट)		102.38
	सर्वयोग		1024.38

गुजरात को भूकम्प राहत

857. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात में भूकम्प राहत प्रदान करने और पुनर्निर्माण के लिए एशियाई विकास बैंक

से 500 मिलियन अमरीकी डालर और विश्व बैंक से 400 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण लिया है;

(ख) क्या इस राशि को 70 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में राज्य सरकार को दिया गया है, जिस पर राज्य सरकार को 12 प्रतिशत ब्याज उदा करना होगा;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 70 प्रतिशत अनुदान के रूप में और 30 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में देने का अनुरोध किया है क्योंकि यह राशि अत्यधिक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा के समय आपात सहायता के रूप में प्रदान की गई थी;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय ले लिया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इस पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) केन्द्रीय सरकार ने एशियाई विकास बैंक से 350 मिलियन अमरीकी डालर और विश्व बैंक से 704.33 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण लिया है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां। राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार किया गया था लेकिन अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) और विदेशी सहायता–प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के मौजूदा पैटर्न में कोई परिवर्तन करने का समर्थन नहीं किया गया।

(ङ) ऊपर भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

आईपीओ की शर्तें

858. श्री किरीट सोमैया : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने सरकार से आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) संबंधी शर्तें समाप्त करने के लिए संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ग) हाल ही में, विदेशी सहयोग अनुमोदन प्राप्त चार कंपनियों ने सरकार से निर्निहितीकरण की शर्त को हटाने का अनुरोध किया तथा सरकार ने सभी चार मामलों में अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया है।

[हिन्दी]

राजस्थान को विश्व बैंक सहायता

859. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान राजस्थान के किन–किन शहरों को विकास हेतु विश्व बैंक की सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) प्राप्त की गई राशि पर केन्द्र या राज्य सरकार को किस दर पर ब्याज का भुगतान करना होगा;

(ग) यह सहायता किन शर्तों पर प्राप्त हुई है;

(घ) प्राप्त की गई राशि से राजस्थान सरकार द्वारा अब तक शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शुरू किए गए कार्यों के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) राजस्थान के किसी भी शहर को विशेष रूप से लक्षित शहरी विकास निर्माण कार्य परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कताई मिलों को छूट

860. श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या **वस्त्र मंत्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कताई मिलों द्वारा अपने धागे के उत्पादन के 50 प्रतिशत की हथकरघा उद्योग को आपूर्ति करने पर छूट देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निर्णय को लिए जाने के क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, राष्ट्रीय वस्त्र नीति, 2000 में अन्य बातों के साथ-साथ हथकरघा बुनकरों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के बाद हैंक यार्न दायित्व आदेश, 2000 की पुनरीक्षा करने की व्यवस्था है।

गांवों से शहरों की ओर पलायन

861. श्री मोहन रावले : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उद्योगों के असमान विकास के परिणामस्वरूप गांवों से शहरों की ओर पलायन हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो संबंध में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह) : (क) और (ख) गांवों से शहरों की ओर पलायन अनेक आर्थिक और गैर-आर्थिक कारणों से होता है। औद्योगीकरण के कारण पैदा होने वाले रोजगार के अवसर, गांवों से शहरों की ओर पलायन का एक कारण हैं। जैसा कि नीचे दी गयी तालिका से स्पष्ट है, कुल कामगारों की संख्या में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा कम होता रहा है, जबकि सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़ रहा है। इसके अलावा, विनिर्माण क्षेत्र में लगे कामगारों का हिस्सा 24 प्रतिशत के आस-पास रहा है जबकि सेवा क्षेत्र का हिस्सा लगभग 60 प्रतिशत है। अतः इस बात का कोई संकेत नहीं है कि औद्योगीकरण के फलस्वरूप गांवों से शहरों की ओर बड़े पैमाने पर पयालन हुआ है।

कामगारों का उद्योग-वार विवरण (संगठित क्षेत्र)

कुल का %

	कृषि	विनिर्माण	सेवा*
1997	5.1	24.4	57.2
1998	5.1	24.3	57.5
1999	4.9	24.0	58.0
2000	5.1	23.7	58.3

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 2001-2002

*इसमें परिवहन, भंडारण व संचार, वित्त, बीमा तथा स्थावर संपदा आदि और सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं भी सामिल हैं।

[हिन्दी]

जनजातीय कल्याण हेतु धनराशि

862. श्री सुरेश चन्देल : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा देश में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु आवंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने इन जातियों के कल्याण हेतु आवंटित धनराशि का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया है और इस धनराशि का अन्यत्र प्रयोग किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (ग) मंत्रालय द्वारा देश में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता और भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत निर्मुक्त की गई धनराशि और पिछले

तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा उपयोग की गई धनराशि के ब्यौरे विवरण –I और II में संलग्न हैं। राज्यों द्वारा उक्त अवधि में धनराशि को किसी अन्य कार्य पर खर्च करने संबंधी किसी मामले की सूचना नहीं दी है।

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं

1. आगे और निधियां निर्मुक्त करने हेतु उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना एक पूर्वापेक्षा होगी।
2. स्कीमों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में आवधिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त कर उनकी समीक्षा की जाती है।
3. स्कीमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का पता लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार के अधिकारी, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का दौरा करते हैं।
4. राज्यों के सचिवों, जनजातीय कल्याण विभागों और अन्य अधिकारियों के साथ बैठकें/सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं ताकि निधियां निर्मुक्त करने के लिए यथासमय प्रस्ताव भेजना और स्कीमों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
5. राज्य स्तर पर जनजातीय सलाहकार परिषदें ब्लॉक स्तर पर आई टी डी पी की परियोजना कार्यान्वयन समितियां और पंचायत समितियों जैसी एजेंसियां धनराशि के सामयिक व्यय और स्कीमों के कारगर ढंग से कार्यान्वयन पर निगरानी रखती हैं।

विवरण-I

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1999–2000			2000–01			2001–02		
		निर्मुक्त धनराशि	सूचित व्यय	अव्ययित शेष	निर्मुक्त धनराशि	सूचित व्यय	अव्ययित शेष	निर्मुक्त धनराशि	सूचित व्यय	अव्ययित शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	2182.9	2182.9	0.0	2182.94	2182.94	0.00	2732.80	1455.37	1277.43
2.	असम	2443.5	1940.0	503.5	2443.50	2194.25	249.25	–3058.99	2499.99	559.00
3.	बिहार	4779.1	0.0	4779.1	1711.06	0.00	1711.06	556.56		556.56
4.	गुजरात	3140.0	3123.8	16.2	3139.98	3646.00	–506.02	3930.91	1383.18	2547.73
5.	हिमाचल प्रदेश	514.1	750.6	–236.6	514.05	531.61	–17.56	643.53		643.53
6.	जम्मू व कश्मीर	776.4	726.6	49.8	776.28	605.92	170.46	971.94		971.94
7.	कर्नाटक	616.1	1094.5	–478.3	616.13	615.88	0.25	771.33	514.22	257.11
8.	केरल	218.6	208.0	10.6	218.63	228.24	–9.61	273.70		273.70
9.	मध्य प्रदेश	9797.2	12026.5	–2229.3	6257.12	7024.52	–767.40	7833.22	4311.14	3522.08
10.	महाराष्ट्र	2974.6	3727.0	–752.4	2974.57	3200.00	–225.43	3723.83		3723.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	मणिपुर	608.7	651.5	−42.8	608.65	235.65	373.00	761.96		761.96
12.	उड़ीसा	5698.3	7660.1	−1961.9	5188.40	4931.72	256.68	6495.30	6881.82	−386.52
13.	राजस्थान	2915.2	3355.5	−440.2	2915.24	3260.55	−345.31	3649.56	1725.82	1923.74
14.	सिक्किम	86.3	86.4	−0.1	86.28	104.10	−17.82	108.02	108.02	0.00
15.	तमिलनाडु	258.3	258.3	0.0	258.27	0.00	258.27	323.32		323.32
16.	त्रिपुरा	831.6	1067.6	−236.0	831.57	831.57	0.00	1041.03	1033.13	7.90
17.	उत्तर प्रदेश	99.9	79.5	20.3	41.83	100.00	−58.17	32.10		32.10
18.	पश्चिम बंगाल	1759.4	1759.4	0.0	1759.40	1759.40	0.00	2202.57		2202.57
19.	झारखंड	0.0	0.0	0.0	3422.62	0.00	3422.62	5870.24		5870.24
20.	छत्तीसगढ़	0.0	0.0	0.0	3695.36	3620.73	74.63	4626.18	4501.51	124.67
21.	उत्तरांचल	0.0	0.0	0.0	58.02	0.00	58.02	92.91		92.91
22.	अंडमान व निकोबार	255.4	135.3	120.2	233.90	130.62	103.28	230.85	102.87	127.98
23.	दमन व दीव	44.6	20.6	24.0	66.10	0.00	66.10	99.15	61.42	37.73
	कुल	40000.0	40853.9	-853.9	40000.00	35203.70	4796.30	50030.00	24578.49	25451.51

विवरण-II

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1999–2000			2000–01					
		निर्मुक्त धनराशि	सूचित व्यय	अव्ययित शेष	निर्मुक्त धनराशि	सूचित व्यय	अव्ययित शेष	निर्मुक्त धनराशि	सूचित व्यय	अव्ययित शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	613.9	278.9	335.0	460.5	125.0	335.5	2715.3500	0.00	2715.35
2.	असम	420.2	420.2	0.0	443.4	347.0	96.4	845.5600	431.50	414.06
3.	बिहार	967.2	0.0	967.2	0.0	0.0	0.0	209.3500	0.00	209.35
4.	गुजरात	900.7	0.0	900.7	2250.0	600.0	1650.0	3050.0000	1450.00	1600.00
5.	हिमाचल प्रदेश	31.9	31.9	0.0	99.5	0.0	99.5	78.0000	0.00	78.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	जम्मू और कश्मीर	124.1	124.1	0.0	190.5	40.0	150.5	502.9350	0.00	502.94
7.	कर्नाटक	280.0	204.4	75.6	420.0	420.0	0.0	1314.3740	597.44	716.93
8.	केरल	46.9	72.4	−25.5	0.0	40.9	−40.9	117.5000	42.19	75.31
9.	मध्य प्रदेश	2251.0	0.0	2251.0	2057.8	1255.0	802.8	4346.0535	0.00	4346.05
10.	महाराष्ट्र	1069.8	1652.8	−583.1	1603.5	3983.0	−2379.5	2672.5000	0.00	2672.50
11.	मणिपुर	92.4	176.7	−84.3	650.0	0.0	650.0	230.0000	0.00	230.00
12.	उड़ीसा	1027.9	1027.9	0.0	2957.1	2875.5	81.6	4104.9100	1478.55	2626.36
13.	राजस्थान	800.3	300.0	500.3	1700.0	1200.0	500.0	2550.0000	1000.00	1550.00
14.	सिक्किम	13.3	113.4	−100.1	327.9	220.0	1079	239.3800	51.00	188.38
15.	तमिलनाडु	83.9	0.0	83.9	63.0	0.0	63.0	405.0000	0.00	405.00
16.	त्रिपुरा	124.7	124.7	0.0	287.5	219.0	68.5	462.5000	0.00	462.50
17.	उत्तर प्रदेश	42.1	28.1	14.0	9.6	128.1	−118.4	176.9525	0.00	176.95
18.	पश्चिम बंगाल	556.8	556.8	0.0	835.5	835.5	0.0	1406.6650	0.00	1406.67
19.	अरुणाचल प्रदेश	80.5	380.5	−300.0	376.6	247.4	129.2	200.0000	0.00	200.00
20.	मेघालय	221.9	42.0	179.8	477.0	0.0	477.0	0.0000	0.00	0.00
21.	मिजोरम	95.5	0.0	95.5	72.0	612.8	−540.8	0.0000	0.00	0.00
22.	नागालैंड	155.1	51.7	103.4	950.0	0.0	950.0	0.0000	0.00	0.00
23.	झारखंड	0.0	0.0	0.0	1320.0	0.0	1320.00	2208.1500	0.00	2208.15
24.	छत्तीसगढ़	0.0	0.0	0.0	1530.6	0.0	1530.6	2086.7700	611.89	1474.88
25.	उत्तरांचल	0.0	0.0	0.0	46.9	0.0	46.9	78.0500	0.00	78.05
	कुल	10000.0	5586.5	4413.5	19128.9	13149.2	5979.8	30000.0000	5662.57	24337.43

[अनुवाद]

भारतीय मानक ब्यूरो

863. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी राज्यों में भारतीय मानक ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कार्यालयों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ग) क्या सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को समान उत्पादों के लिए उसी स्तर के मानकों का पालन करना होता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) विभिन्न राज्यों में भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यालयों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां। सभी कार्यालय, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अपनी प्रमाणन चिह्नांकन स्कीम के तहत प्रमाणित उत्पादों के लिए समान मानक स्तर बनाए रखते हैं।

(घ) भारतीय मानक ब्यूरो, विभिन्न उत्पादों के लिए भारतीय मानकों का निर्माण करता है जिसमें संबंधित उत्पाद के लिए विनिर्दिष्टियां निर्धारित की जाती हैं। सभी विनिर्माताओं, जिन्हें भारतीय मानक ब्यूरो के मानक चिह्न के प्रयोग के लिए इसकी उत्पाद प्रमाणन स्कीम के तहत लाइसेंस दिया जाता है, से देश में उनकी अवस्थिति से असंबंधित रहते हुए, यह अपेक्षा की जाती है कि वे संगत मानक में निर्धारित की गई विनिर्दिष्टियों का अनुपालन करें।

विवरण

भारतीय मानक ब्यूरो के क्षेत्रीय और शाखा कार्यालय

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	शाखा कार्यालय	राज्य
1	2	3	4
1.	केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	(क) भोपाल	मध्य प्रदेश
		(ख) जयपुर	राजस्थान
		(ग) दिल्ली	दिल्ली
		(घ) गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश
2.	पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता	(क) भुवनेश्वर	उड़ीसा
		(ख) कोलकाता	पश्चिम बंगाल
		(ग) पटना	बिहार
		(घ) गुवाहाटी	असम
3.	उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़	(क) चंडीगढ़	पंजाब तथा हरियाणा
		(ख) कानपुर	उत्तर प्रदेश
		(ग) लखनऊ	उत्तर प्रदेश
		(घ) फरीदाबाद	हरियाणा
		(ङ) नालागढ़	हिमाचल प्रदेश
4.	दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	(क) चेन्नई	तमिलनाडु
		(ख) बंगलौर	कर्नाटक
		(ग) हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश
		(घ) थिरुवनन्थपुरम्	केरल
		(ङ) कोयम्बटूर	तमिलनाडु
		(च) विशाखापतनम्	आन्ध्र प्रदेश
5.	पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	(क) मुंबई	महाराष्ट्र
		(ख) अहमदाबाद	गुजरात
		(ग) नागपुर	महाराष्ट्र
		(घ) पुणे	महाराष्ट्र
		(ङ) राजकोट	गुजरात

ऋण वसूली

864. श्री वाई. वी. राव :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री प्रबोध पण्डा :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री सुनील खां :
श्री जयभान सिंह पवैया :
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :
श्री के. येरननायडू :
श्री सुरेश रामराव जाधव :
श्री अधीर चौधरी :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनप्रयोज्य आस्तियों की बड़ी संख्या के लिए बड़े औद्योगिक घराने उत्तरदायी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) उन औद्योगिक घरानों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने विभिन्न न्यायालयों में और ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में ऋणों की वसूली के लिए मामले दायर किए हुए हैं;

(घ) वर्तमान में इस प्रकार के कितने मामले न्यायालयों और ऋण वसूली प्राधिकरणों में लंबित हैं; और

(ङ) औद्योगिक घरानों से इस प्रकार की अनप्रयोज्य आस्तियों की वसूली के लिए क्या ठोस योजना बनाई गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार सकल अनुपयोज्य आस्तियों का ब्यौरा यह दर्शाता है कि 50 करोड़ रुपए और अधिक की अनुपयोज्य आस्तियों वाले 52 मामले हैं जिनमें कुल 54,773,16 करोड़ रुपए की अनुपयोज्य आस्तियों में से 3,699.03 करोड़ रुपए की राशि अन्तर्ग्रस्त है जो सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल सकल अनुपयोज्य आस्तियों का 6.75 प्रतिशत है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक वार्षिक आधार पर एक करोड़ रुपए और अधिक के कुल बकाया वाले मुकदमा दायर मामलों (डिक्री दिए गए मामलों सहित) की सूची प्रकाशित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक जानबूझकर चूक के उन मामलों की सूची भी प्रकाशित करता है जिनके विरुद्ध बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने तिमाही आधार पर निधियों (25 लाख रुपए और अधिक) की वसूली के लिए मुकदमा दायर कर रखा है। ये दोनों सूचियां भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यू डब्ल्यू.आरबीआई.ओआरजी.आईएन (प्रकाशन) पर उपलब्ध है।

(घ) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार 31,401 मामले ऋण वसूली अधिकरणों के पास लंबित हैं। ऋण वसूली अधिकरणों ने अभी तक 12,575 मामलों में निर्णय दिया है जिसमें 8559.93 करोड़ रुपए की राशि अन्तर्ग्रस्त है। इसमें से 2603.33 करोड़ रुपए की राशि वसूल की गई है।

(ङ) भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से अपनी देयराशियों की वसूली के लिए बैंकों द्वारा वसूली नीति की तैयारी एवं क्रियान्वयन, निपटान सलाहकार समितियों के माध्यम से समझौता निपटान, सिविल न्यायालयों, ऋण वसूली अधिकरणों में मुकदमे दायर करने और लोक अदालतों के माध्यम से समझौता निपटान जैसे कदम उठाने के लिए कहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 करोड़ रुपए की अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली के लिए विवेकाधिकार रहित तथा अभेद मूलक एकबारगी निपटान योजना भी लागू की थी। इसके अतिरिक्त, चूक के मामलों में प्रतिबंधों और प्रतिभूतियों को लागू किए जाने तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अपनी देयराशियों की वसूली को सुकर बनाने के लिए हाल ही में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण अैर पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अध्यादेश 2002 को प्रख्यापित किया गया है।

अशक्तों को सुविधाएं

865. श्री पवन कुमार बंसल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अशक्तों को दी जाने वाली सुविधाओं को उपयुक्तता या अन्य पहलुओं का पुनरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अशक्तों का भाग्य सुधारने और उन्हें स्वाभिमान के साथ जीने वाले आत्मनिर्भर नागरिक बनाने हेतु सहयोग देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय संस्थानों, संयुक्त पुनर्वास केन्द्रों, क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्रों तथा जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, उनके प्रशिक्षण तथा पुनर्वास के लिए अनेक योजनाएं तथा कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने की योजना (अम्ब्रेला योजना) तथा सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने/लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता देने की योजना के अंतर्गत भी गैर सरकारी संगठनों को सहायता दी जाती है। स्व–रोजगार उद्यमों के लिए राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा उदार शर्तों वाला ऋण भी प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारें पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, परिवहन, आर्थिक सहायता आदि जैसी सुविधाएं तथा रियायत भी प्रदान कर रही हैं। इन योजनाओं तथा कार्यक्रमों की प्रभावोत्पादकता की विभिन्न स्तरों पर समय–समय पर समीक्षा की जाती है।

मुद्रणालयों का आधुनिकीकरण

866. श्री प्रबोध पण्डा : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी मुद्रणालयों को अपने अधिकार में रखने संबंधी निर्णय की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रयुक्त कर उन्हें आधुनिक बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (घ) भारत सरकार के विभिन्न मुद्रणालयों के विलयन/उनको बन्द करने/हस्तान्तरण/पुनर्गठन/आधुनिकीकरण से संबंधित एक व्यापक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

विकसित देशों द्वारा दी गई कृषि संबंधी राजसहायता

867. रामशेठ ठाकुर : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकसित देशों में फार्म बिल और राज-सहायता में वृद्धि को अंगीकार किया हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या विकसित देशों द्वारा नान-टैरिफ बैरियर लगाने और कृषि उत्पादों पर राजसहायता बढ़ाने जैसे कदमों से विकासशील देशों का व्यापार संतुलन प्रभावित हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर देश के और अन्य विकासशील देशों के हितों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) अमरीकी सरकार ने फार्म सिक्योरिटी एण्ड रूरल इन्वेस्टमेंट एक्ट, 2002 पारित किया है जिसमें कृषि को अधिक घरेलू सहायता दिए जाने का प्रावधान है।

(ख) और (ग) ऐसी सूचना है कि विकसित देशों द्वारा घरेलू सहायता में वृद्धि का प्रावधान और नान टैरिफ बैरियरों को लागू करने जैसे उपायों से कृषिजन्य वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम हो सकती हैं और विकासशील देशों के लिए सार्थक बाजार मिलने के अवसर समाप्त हो सकते हैं। इस दृष्टि से भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में प्रस्तुत सौदेबाजी के प्रस्तावों में घरेलू सहायता में पर्याप्त कमी करने और विकसित देशों द्वारा निर्यात सब्सिडी समाप्त किए जाने की मांग की है। भारत ने अपने प्रस्तावों में यह मांग भी की है कि विकसित देशों को संरक्षणवादी प्रयोजनों के लिए सैनिटरी और फाइटो सैनिटी (एसपीएस) उपायों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दोहा घोषणा-पत्र में भी मंत्रियों ने ऐसी व्यापारिक वार्ताएं करने का निर्णय लिया है जिनका लक्ष्य बाजार पहुंच में पर्याप्त सुधार करना; सभी किस्म के निर्यात सब्सिडियों को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने के उद्देश्य से उनमें कमी करना और घरेलू सहायता का दुरुपयोग करने वाले व्यापार में पर्याप्त कमी करना हो।

भारतीय वस्त्रों पर मात्रात्मक प्रतिबंधो का प्रभाव

868. श्री ए. वैंकटेश नायक : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकसित देशों द्वारा भारतीय वस्त्रों पर लगाए गए मात्रात्मक प्रतिबंध के प्रभावों का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो इससे वस्त्र निर्यात किस सीमा तक प्रभावित हुआ है;

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा वस्त्र उत्पाद के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) अब तक किस सीमा तक लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) और (ख) 31 दिसम्बर, 1994 तक कुछ विकसित देशों (जैसे यू.एस., ई.यू. के सदस्य देश, कनाडा) को वस्त्रों के निर्यात, सामान्य प्रभार और व्यापार (गैट) के नियमों के बाहर, बहु-फाईबर व्यवस्था (एमएफए) के तत्वावधान में भारत और इन देशों के बीच हुए द्विपक्षीय वस्त्र करारों द्वारा संचालित होते थे। 1 जनवरी, 1995 से एमएफए के अंतर्गत द्विपक्षीय करारों में मात्रा संबंधी प्रतिबंध (आयत कोटे), गैट की उरूग्वे दौर की वार्ताओं के अंतिम अधिनियम में निहित वस्त्र और

क्लोदिंग संबंधी करार (एटीसी) द्वारा संचालित हो रहे हैं। इस समय हमारे वस्त्रों और क्लोदिंग की मदों को यू.एस. ए., यूरोपीय यूनियन और कनाडा में प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। कोटे स्वतः ही व्यापार प्रतिबंधी हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 2002–03 के लिए वस्त्र उत्पादों के लिए 15,005 मिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डीजीआईएण्डएस के उपलब्ध आंकड़े, मार्च, 2002 तक के ही हैं। तथापि, वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषदों द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल–जून, 2002 की अवधि के दौरान 1288.5 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के कोटा निर्यात हुए।

[हिन्दी]

बैंकों का लाभ

869. श्री तूफानी सरोज :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष के दौरान अधिकांश बैंकों ने रोजाना के लेन–देन में गिरावट के बावजूद राजस्व लेन–देन में भारी वृद्धि के फलस्वरूप अधिक लाभ कमाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों के लेन–देन एवं अन्य स्रोतों से हुई आय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बैंकों में जमा को बढ़ाने और ऋण वितरण के दायरे को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या सकारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अधिकांश बैंकों ने अपने ट्रेजरी परिचालन से पर्याप्त आय के कारण लाभ में वृद्धि दर्ज की है किन्तु उनकी निवल ब्याज आय एवं अन्य परिचालन आय ने भी वर्ष के दौरान वृद्धि दर्ज की है। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने ट्रेजरी आय में 121.88 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की तथा अपने परिचालन लाभ में 53.22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के दौरान उनके निवल आय में 8.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ग) तीन वर्षों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के भारतीय परिचालनों के संदर्भ में ट्रेजरी आय के अलावा निवल ब्याज आय, ट्रेजरी आय एवं अन्य परिचालन आय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) बैंकों में बढ़ती हुई जमाराशियों में बढ़ोतरी एवं ऋण संवितरण के दायरे को बढ़ाने के उपाय के रूप में ब्याज दर को प्रगामी तौर से अविनियमित कर दिया गया है तथा बैंकों को अधिक परिचालन लचीलापन प्रदान किया गया है तथा अनम्यताओं को समाप्त कर दिया गया है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की आय का ब्यौरा–1999–2000 से 2001–2002
निवल ब्याज आय, ट्रेजरी आय एवं अन्य आय

बैंक का नाम	निवल ब्याज आय			ट्रेजरी आय			ट्रेजरी आय के अतिरिक्त अन्य परिचालन आय		
	1999–2000	2000–2001	2001–2002	1999–2000	2000–2001	2001–2002	1999–2000	2000–2001	2001–2002
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
इलाहाबाद बैंक	553	681	730	104	81	222	154	162	163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्रा बैंक	404	500	575	100	[illegible]	152	132	127	152
बैंक आफ बड़ौदा	1490	1713	1712	197	226	516	347	363	389
बैंक आफ इंडिया	874	1203	1589	223	250	502	458	449	456
बैंक आफ महाराष्ट्र	455	539	574	77	104	179	120	138	129
केनरा बैंक	1424	1860	1804	229	325	792	600	586	629
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	1184	1449	1535	166	176	308	283	294	292
कार्पोरेशन बैंक	451	581	625	92	103	188	186	189	194
देना बैंक	418	449	443	94	53	218	118	146	135
इंडियन बैंक	341	443	503	92	91	265	166	197	212
इंडियन ओवरसीज बैंक	618	821	918	80	90	302	180	204	212
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	713	791	972	92	124	350	130	144	124
पंजाब एंड सिंध बैंक	279	336	317	76	93	151	79	73	77
पंजाब नैशनल बैंक	1573	2038	2295	291	310	472	436	468	505
सिंडिकेट बैंक	813	1083	1094	130	102	95	173	177	178
यूको बैंक	500	613	688	0	84	359	209	188	193
यूनियन बैंक आफ इंडिया	927	1216	1337	122	124	274	177	191	225
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	410	514	598	32	53	242	108	112	103
विजया बैंक	382	460	485	28	26	98	95	130	91
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	362	455	489	44	41	93	178	199	203
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	509	611	650	67	76	140	200	212	225
स्टेट बैंक आफ इंडिया	6456	7867	8540	585	762	910	2758	3061	3040
स्टेट बैंक आफ इन्दौर	183	234	292	43	70	183	91	92	92
स्टेट बैंक आफ मैसूर	281	314	315	43	41	97	116	130	137
स्टेट बैंक आफ पटियाला	464	605	657	45	43	115	119	127	150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	234	252	280	31	26	90	83	86	83
स्टेट बैंक आफ त्रावणकार	282	395	424	53	56	100	142	138	130
सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक	22580	28023	30442	3155	3607	7418	2566	8382	8520

स्रोत : डीएसबी विवरण (केवल भारतीय परिचालन)

[अनुवाद]

काम के बदले अनाज कार्यक्रम

870. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब परिवारों के लिए खाद्यान्नों का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने गरीब परिवारों के लिए कोटा बढ़ा दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन प्रति जन दिवस मजदूरी के भाग के रूप में खाद्यान्नों की सीमा 5 किलोग्राम से बढ़ाकर 10 किलोग्राम करने का अनुरोध किया है।

(ग) से (ङ) राज्य सरकारों के अनुरोध को सहमति प्रदान नहीं की गई थी ताकि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में इस कार्यक्रम से अधिकतम कामगार लाभ उठा सकें।

जीवन बीमा व्यवसाय में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

871. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में जीवन बीमा व्यवसाय में विदेशी वित्तीय कंपनियों को प्रवेश की अनुमति देने के अपने पूर्व के निर्णय पर पुनर्विचार करने का है;

(ख) यदि हां, तो कुछ विदेशी कंपनियों ने बीमा व्यवसाय करने वाले कुछ प्राइवेट बैंकों के अधिक शेयर खरीद कर अपने शेयर की प्रतिशतता 26 प्रतिशत से अधिक कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो इसको रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, नहीं। किसी भी भारतीय बीमा कंपनी में 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी की अनुमति देने से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) जी, नही

विकलांग बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

872. श्री रामसिंह राठवा :
श्री पी. एस. गढ़वी :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को विकलांग बच्चों एवं विधवाओं के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं के लिए कितनी निधियां आवंटित की गईं;

(ख) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत गुजरात को आवंटित निधियों का उपयोग कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विकलांगों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवंटित निधियों के अन्यत्र उपयोग को रोकने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (घ) विकलांग बच्चों और विकलांग विधवाओं की योजनाएं विकलांग व्यक्तियों से संबंधित योजना का भाग हैं तथा अलग से कोई आवंटन नहीं हैं। योजनाओं और कार्यक्रमों में सभी विकलांग व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। निधियां राज्यवार आवंटित नहीं की जाती हैं। मंत्रालय संस्थाओं के कार्यकरण को मानीटर करता है जिन्हें विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं तथा बाद के वर्षों में निधियां निर्मुक्त करने से पहले पूर्व के वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के लिए उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाते हैं।

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्मुक्त राशि निम्नलिखित हैं :

वर्ष	निर्मुक्त राशि
1999–2000	164.09 करोड़ रुपए
2000–2001	246.65 करोड़ रुपए
2001–2002	272.19 करोड़ रुपए

चारमीनार कोआपरेटिव बैंक

873. श्री के. येरननायडू : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से घोटालों से प्रभावित चारमीनार कोआपरेटिव बैंक को पुनः चालू करने एवं उसका किसी अन्य बैंक में विलय करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) चारमिनार को–आपरेटिव बैंक के अध्यक्ष द्वारा आत्महत्या करने के बाद आन्ध्र प्रदेश सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक में प्रशासक की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया था। निदेशक मण्डल को 2 मार्च, 2002 को हटा दिया गया था और एक प्रशासक की नियुक्ति की गई थी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलें

874. श्री नवल किशोर राय :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अंतर्गत आने वाली कई मिलें पिछले तीन वर्षों से भी अधिक समय से घाटा उठा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मिलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन मिलों का प्रबंधन निजी क्षेत्र को सौंपने हेतु कोई विनिवेश योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) विगत तीन वर्षों से एन.टी.सी. की सभी 119 मिलें घाटा उठा रही हैं। (विस्तृत ब्यौरा विवरण में दिया गया है)।

(ग) से (ङ) उनके पुनरुद्धार के लिए बी.आई.एफ.आर. के तत्वावधान में विगत में प्रयास हुए, जिससे निजी क्षेत्र में इस तरह की कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब आधुनिकीकरण के माध्यम से 53 अर्थक्षम एककों का पुनरुद्धार करने तथा कामगारों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्रदान करने के बाद शेष 66 गैर–अर्थक्षम मिलों को बंद करने का प्रस्ताव है।

विवरण

क्र.सं.	मिलों के नाम	घाटा करोड़ रु. में अनंतिम		
		1998–1999	1999–2000	2000–2001
1	2	3	4	5
	एन टी सी (डी पी आर) लि.			
	पंजाब			
1.	दयाल बाग स्पीनिंग व वीविंग मिल्स	–5.40	–6.48	–7.32
2.	खारर टेक्सटाइल मिल्स	–3.89	–5.15	–9.48
3.	पानीपत बूलेन मिल्स	–7.30	–8.67	–4.82
4..	सूरज टेक्सटाइल मिल्स	–4.66	–4.95	–4.82
	राजस्थान			
5.	एडवार्ड मिल्स	–4.99	–4.82	–5.40
6.	महालक्ष्मी मिल्स	–4.30	–4.88	–5.61
7.	श्री विजय कॉटन मिल्स	–3.74	–4.37	–4.67
8.	उदयपुर कॉटन मिल्स	–3.81	–4.71	–4.67
	एन टी सी (मध्य प्रदेश) लि.			
	छत्तीसगढ़			
9.	बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स	–16.34	–19.04	–18.85
	मध्य प्रदेश			
10.	बुरहानपुर ताप्ती मिल्स	–11.00	–12.70	–13.38
11.	हीरा मिल्स	–10.02	–10.70	–11.40
12.	इंदौर मालवा युनाइटेड मिल्स	–15.35	17.67	–18.86
13.	कल्याणमल मिल्स	–13.71	–14.70	–17.20
14.	न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स	–10.86	–12.07	–12.99
15.	स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स	–8.84	–10.10	–10.70
	एन टी सी (उ. प्र.) लि.			
16.	अथर्टन मिल्स	–10.40	–11.40	–11.38
17.	बिजली कॉटन मिल्स	–2.66	–4.17	–2.48
18.	लक्ष्मी रतन कॉटन मिल्स	–13.71	–15.43	–14.95
19.	लार्ड कृष्णा टेक्सटाइल मिल्स	–7.33	–7.43	–8.70
20.	म्यूर मिल्स	–16.30	–80.11	–19.33
21.	न्यू विक्टोरिया मिल्स	–17.54	–19.70	–20.59
22.	रायबरेली टेक्सटाइल मिल्स	–3.25	–5.36	–2.27
23.	श्री विक्रम कॉटन मिल्स	–4.15	–4.41	–3.91
24.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, मऊ	–4.27	–4.59	–5.25
25.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, कानपुर	–19.72	–21.27	–20.54
26.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, नैनी	–14.95	–18.84	–17.33
	एन टी सी (द. म.) लि.			
27.	अपोलो टेक्सटाइल मिल्स	–9.79	–14.96	–13.01
28.	औरंगाबाद टेक्सटाइल मिल्स	–2.82	–2.50	–2.46
29.	बरसी टेक्सटाइल मिल्स	–1.33	–1.51	–1.65
30.	भारत टेक्सटाइल मिल्स	–10.93	–12.40	–12.74
31.	चालीसगांव टेक्सटाइल मिल्स	–5.19	–5.37	–5.71
32.	धूले टेक्सटाइल मिल्स	–7.93	–6.78	–6.40
33.	दिग्विजय टेक्सटाइल मिल्स	–16.86	–19.54	–16.64
34.	एलिफिस्टन स्पीनिंग व वीविंग मिल्स	–10.08	–11.32	–12.41
35.	फिनले मिल्स	–13.73	–13.93	–15.67
36.	गोल्ड मोटर मिल्स	–9.76	–9.79	–11.54
37.	जुपिटर टेक्सटाइल मिल्स	–13.92	–18.02	–16.70

1	2	3	4	5
38.	मुम्बई टेक्सटाइल मिल्स	−13.07	−13.35	−15.87
39.	नांदेड़ टेक्सटाइल मिल्स	−7.28	−7.14	−7.00
40.	न्यू सिटी ऑफ बांबे मेन्यू. मिल्स	−11.55	−10.55	−11.64
41.	न्यू हिंद टेक्सटाइल मिल्स	−13.26	−18.38	−17.09
42.	पोद्दार प्रोसेसर्स	−6.71	−7.14	−7.65
43.	श्री मधुसूदन मिल्स	−−7.01	−7.96	−8.18
	एन टी सी (महाराष्ट्र उत्तर) लि.			
44.	इंडिया युनाइटेड मिल्स नं. 1	−19.48	−19.68	−22.53
45.	इंडिया युनाइटेड मिल्स नं. 2	−13.45	−12.80	−14.34
46. व 47.	इंडिया युनाइटेड मिल्स नं. 3	−21.07	−18.90	−22.38
48.	इंडिया युनाइटेड मिल्स नं. 5	−10.94	−10.85	−13.03
49.	इंडिया युनाइटेड मिल्स डाय वर्क्स	−8.66	−9.09	−50.60
50.	जाम मेन्यू. मिल्स	−9.16	−8.55	−10.48
51, 52, 53.	कोहिनूर मिल्स नं. 1, 2 और 3	−13.51	−14.98	−15.27
54.	पोद्दार मिल्स	−12.96	−11.16	−11.2
55.	मोडल मिल्स	−18.44	−18.97	−20.80
56.	आर.बी.बी.ए. मिल्स	−7.29	−8.61	−8.25
57.	आर.एस.आर.जी. मिल्स	−6.30	−5.83	−6.26
58.	सावनतराम रामप्रदसाद मिल्स	−4.57	−4.81	−5.21
59.	श्री सीताराम मिल्स	−9.53	−8.44	−6.30
60.	टाटा मिल्स	−18.15	−16.96	−20.45
61.	विदर्भ मिल्स	−6.37	−6.49	−6.78
	एन टी सी (गुजरात) लि.			
62.	अहमदाबाद जुपिटर् टेक्सटाइल मिल्स	−12.56	−13.66	−17.39
63.	अहमदाबाद न्यू टेक्सटाइल मिल्स	−12.49	−14.82	−16.37
64.	हिमाद्री टेक्सटाइल मिल्स	−8.33	−11.46	−11.47
65.	जहांगीर टेक्सटाइल मिल्स	−14.97	−18.59	−19.09
66.	महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स	−9.55	−11.28	−13.39
67.	न्यू मानकचौक टेक्स. मिल्स	−10.01	−5.12	−6.86
68.	पेटलाड टेक्सटाइल मिल्स	−5.10	−12.45	−12.43
69.	राजकोट टेक्सटाइल मिल्स	−3.49	−4.04	−4.75
70. व 71.	राजनगर टेक्सटाइल मिल्स 1 व 2	−15.22	−16.53	−18.77
72.	विरमगाम वस्त्र मिल्स	−7.96	−9.48	−10.40
	एन.टी.पी. (ए पी के के एम) लि.			
	आन्ध्र प्रदेश			
73.	अदोनी कॉटन मिल्स	−1.44	−1.60	−1.86
74.	अनथपुर कॉटन मिल्स	−3.77	−4.28	−4.67
75.	आजम जाही मिल्स	−7.32	−8.03	−8.60
76.	नटराज स्पिनिंग मिल्स	−3.58	−4.24	−4.88
77.	नेथा स्पि. व विविंग मिल्स	−1.77	−2.12	−2.31
78.	त्रिरुपति कॉटन मिल्स	−2.99	−3.59	−3.90
	कर्नाटक			
79.	एम.एस.के. मिल्स	−9.51	−10.46	−10.63
80.	मिनर्वा मिल्स	−11.61	−13.03	−14.28
81.	मैसूर स्पि. व मैन्यू. मिल्स	−7.33	−8.09	−8.53

1	2	3	4	5
82.	श्री येलम्मा कॉटन मिल्स	−4.24	−4.60	−5.78
	केरल			
83.	अलगप्पा टेक्सटाइल मिल्स	−4.43	−4.44	−5.06
84.	कन्नौर स्पि. व विविंग मि. क्रेन	−0.58	−0.04	−0.29
85.	केरल लक्ष्मी मिल्स	−3.09	−1.70	−1.24
86.	पार्वती मिल्स	−10.25	−9.49	−11.52
87.	विजयमोहिनी	−2.73	−2.71	−1.70
	पांडिचेरी			
88.	कन्नौर स्पि. व वि. मि. माहे	−1.82	−1.01	−0.48
	एन.टी.सी. (टी एन एड पी) लि.			
89.	बलराम वर्मा टेक्सटाइल मिल्स	−2.58	−1.65	−2.76
90.	कम्बोडिया मिल्स	−3.60	−3.94	−4.27
91.	कोयम्बटूर मरुगुन मिल्स	−3.49	−3.98	−2.71
92.	किश्नावेनी टेक्सटाइल मिल्स	−3.00	−3.40	−3.91
93.	ओम पारसक्थी मिल्स	−2.74	−2.36	−3.11
94.	पंकज मिल्स	−2.57	−2.68	−3.14
95.	पायनियर स्पिनर्स मिल्स	−1.37	−1.59	−1.29
96.	श्री रंगविलास स्पि. व वि. मिल्स	−2.60	−3.32	−3.28
97.	सोमसुंदरम मिल्स	−4.13	−4.39	−4.69
98.	कालीश्वर मिल्स 'ख' एकक	−1.89	−1.61	−2.65
	एन टी सी (धा. क.) एन टी सी (टी एन एंड पी) द्वारा प्रबंधित			
	तमिलनाडु			
99.	श्री शारदा मिल्स	−6.41	−4.86	−5.07
100.	कोयम्बटूर स्पि. व वि. मिल्स	−12.48	−11.47	−13.46
101.	कालीश्वर मिल्स 'क' एकक	−9.08	−11.01	−10.49
	पांडिचेरी			
102.	स्वदेशी कॉटन मिल्स	−6.98	−8.04	−7.73
103.	श्री भारती मिल्स	−6.95	−7.15	−6.61
	एन.टी.सी (डब्ल्यू बी ए बी ओ) लि.			
	असम			
104.	एसोसिएटेड इण्डस्ट्रीज	−4.26	−4.35	−5.06
	बिहार			
105.	बिहार को–ऑप. वि.स्पि.मि.	−3.39	−3.71	−3.53
106.	गया कॉटन एंड जूट मिल्स	−5.40	−6.45	−7.01
	उड़ीसा			
107.	उड़ीसा कॉटन मिल्स	−3.87	−4.73	−4.88
	पश्चिम बंगाल			
108.	भारती कॉटन मिल्स	−3.42	−4.45	−4.94
109.	बंगाश्री कॉटन मिल्स	−3.04	−3.40	−401
110.	बेंगाल फा.स्पि. एंड वि. मि. सं. 1	−6.60	−8.10	−8.88
111.	बेंगाल फा.स्पि. एंड वि. मि. सं. 2	−1.78	−2.31	−2.50
112.	बंगाल लक्ष्मी कॉटन मिल्स	−7.94	−10.01	−10.53
113.	महिन्द्रा बी.टी. मिल्स	−4.94	−6.03	−6.45
114.	ज्योति विविंग फैक्टी	−3.06	−3.73	−4.18
115.	लक्ष्मीनारायण कॉटन मिल्स	−4.82	−5.22	−6.38

1	2	3	4	5
116.	रामपुरिया कॉटन मिल्स	–8.12	–9.59	–10.09
117.	सेंट्रल कॉटन मिल्स	–10.55	–12.67	–14.41
118.	श्री महालक्ष्मी कॉटन मिल्स	–8.16	–10.06	–10.34
119.	सोदेपुर कॉटन मिल्स	–2.66	–2.94	–3.42

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में कर्मचारी

875. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्रालय और उसके सभी स्वायत्त निकायों एवं कार्यालयों में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, वर्ग–1 और प्रथम श्रेणी के कुल कितने राजपत्रित अधिकारी हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन अधिकारियों के वेतन, भत्तों, वाहन एवं अन्य लाभों पर कितना वार्षिक व्यय हुआ;

(ग) क्या वर्ग–1 के पदों में अनु.जा./अनु.जन.जा. और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा मंत्रालय एवं उसके सभी स्वायत्त निकायों में सभी प्रकार के वर्ग–1 राजपत्रित पदों पर अनु.जा./अनु.ज.जा. और अ.पि.व. के व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) वर्तमान में वर्ग–1 में कुल कितनी रिक्तियां हैं एवं इन सभी पदों के भरे जाने के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ग) से (घ) वित्त और कार्य मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों एवं संगठनों, जो समस्त भारत में फैले हुए हैं, में वर्ग 'क' के पदों की संख्या एवं रिक्तियों के ब्यौरे के साथ–साथ इन पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों का कितना प्रतिनिधित्व है, से संबंधित विवरण केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं। फिर भी इन श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए पदों के आरक्षण से संबंधित दिशा–निर्देश जहां भी ये लागू होते हैं, का पालन किया जाता है।

(ख) वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर वार्षिक व्यय के ब्यौरे वार्षिक सामान्य बजट प्रस्तुत करते समय व्यय बजट भाग–I के साथ प्रतिवर्ष सदन के पटल पर रखे जाते हैं।

वस्त्र क्षेत्र में विदेशी कंपनियां

876. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की एफ.डी.आई. नीति के उदारीकरण के पश्चात वस्त्र क्षेत्र में आटोमेटिक रूट के द्वारा शत–प्रतिशत इक्विटी भागीदारी दिए जाने के बाद कितनी विदेशी कंपनियों ने अपनी इकाइयों की स्थापना की है; और

(ख) इन कंपनियों द्वारा वस्त्र क्षेत्र में कपंनी–वार कुल कितनी राशि का निवेश किया गया?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिनांक 1.8.1991 से 31.5.2002 की अवधि के दौरान वस्त्र क्षेत्र में 732 कंपनियों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा तकनीकी सहयोग लाने के लिए मंजूरी दी गई है जो निम्न प्रकार से है :

वर्ष	वित्तीय	तकनीकी	कुल	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (रुपए करोड़ में)
1	2	3	4	5
1991 (अगस्त–दिसंबर)	4	7	11	14.13
1992	29	13	42	96.26

1	2	3	4	5
1993	41	21	62	78.76
1994	66	18	84	974.21
1995	78	16	94	400.24
1996	66	9	75	415.43
1997	96	15	111	595.32
1998	54	15	69	247.35
1999	68	10	78	322.76
2000	47	11	58	232.12
2001	22	14	36	29.15
2002 (जनवरी–मई)	8	4	12	2.23
	579	153	732	3407.96

स्रोत : औद्योगिक सहायता सचिवालय (एसआईए)

एसआईए के अनुसार उक्त अवधि के लिए 879.20 करोड़ रुपये के आदेश का वास्तविक अंतःप्रवाह हुआ।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति से संबंधित इकाई/स्थान–वार सूचना का केन्द्रीय रूप से रख–रखाव नहीं किया जाता।

राजस्थान के जनजातीय उपयोजना में और तहसीलों को शामिल किया जाना

877. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान राज्य सरकार से जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में 10 और तहसीलों को शामिल करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और इसको कब तक मंजूरी दे दिए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जी, हां।

(ख) राजस्थान सरकार ने पांच जिलों यथा उदयपुर, राजसमन्द, चितौड़गढ़, सिरोही और पाली में दस और तहसीलों को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है।

(ग) राज्य सरकार से जिस पूरी सूचना को भेजने के लिए कहा गया था वह अभी आनी बाकी है।

भारतीय खाद्य निगम जिला प्रबंधक के कार्यालय का उन्नयन

878. श्री के. ए. सांगतम : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, दिमापुर के कार्यालय का उन्नयन करने का है, दिमापुर से नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश राज्यों का रेल संपर्क है और महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों से संपर्क है, चूंकि वर्तमान में मेघालय राज्य में शिलांग से जो कि इन राज्यों से 500 कि.मी. की दूरी पर है और इसका कोई रेल हेड भी नहीं है से सभी लेन–देन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो कब तक इसका उन्नयन किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) इस संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है, जिसके बाद इस मामले में उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

कर की वसूली पर व्यय संबंधी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

879. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वर्ष 2002 की रिपोर्ट के पैरा 12 के अनुसार 1991–92 से 2000–20001 के दौरान निगमित कर और आयकर की वसूली पर आया वार्षिक कुल खर्च 92 से 2000–2001 औसतन प्रति रुपया 3.94 पैसा था;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन वसूलियों पर कुल कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार के अपव्यय को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2002 की रिपोर्ट सं. 12 (प्रत्यक्ष कर) के अनुसार, वित्त वर्ष 1991–92 से वित्त वर्ष 2000–01 के दौरान निगम कर और आयकर की वसूली पर आया वार्षिक कुल व्यय वसूल किये गये निगम कर का औसतन 0.36 पैसे प्रति रुपया और वसूल किये गये आयकर का 3.14 पैसे प्रति रुपया था। वसूल किये गये निगम कर के प्रत्येक एक रुपये और आयकर के प्रत्येक एक रुपये (कुल दो रुपये) के लिए वसूली की लागत 3.50 पैसे होगी। इस लिए वसूली लागत 3.50 पैसे (अनुमानतः) प्रति रुपये नहीं अपितु यह प्रति दो रुपये है।

(ख) सरकार ने वित्त वर्ष 2000–01 के दौरान 35,696 करोड़ रुपये के निगम कर और 31,764 करोड़ रुपए के आयकर की वसूली पर 929 करोड़ रुपये खर्च किये।

(ग) वसूली की लागत पर किया गया व्यय व्यर्थ नहीं है परन्तु यह समुचित कर प्रशासन के लिए एक अनिवार्य व्यय के रूप में है। वसूली लागत उचित होने के बावजूद, आयकर विभाग के पुनगर्ठन के माध्यम से लागत में और कमी की गई है।

[अनुवाद]

तम्बाकू का उत्पादन

880. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष विभिन्न किस्मों के तम्बाकू का राज्यवार और किस्मवार उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन और उसकी उत्पादकता क्या है और उन क्षेत्रों में कितनी बार तम्बाकू नहीं उगाया जाता है;

(ख) क्या तम्बाकू उत्पादकों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तम्बाकू उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने की योजना तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या विभिन्न किस्मों के तम्बाकू के सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य तम्बाकू की उत्पादन लागत से काफी कम है जिसके लिए तम्बाकू बोर्ड न्यूनतम गारंटी मूल्य का सहारा ले रहा है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तम्बाकू उत्पादकों के लिए उपलब्ध न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम गारंटी मूल्य और वास्तविक मूल्य क्या थे;

(च) क्या तम्बाकू बोर्ड हर स्तर पर तम्बाकू की सभी किस्मों के उत्पादन से लेकर उनकी नीलामी तक की देखभाल कर रहा है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या तम्बाकू बोर्ड का उड़ीसा में कोई क्षेत्रीय कार्यालय है;

(झ) यदि नहीं, तो क्या बोर्ड उड़ीसा में अपना कोई क्षेत्रीय कार्यालय खोलने पर विचार कर रहा है; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) तम्बाकू की विभिन्न किस्मों से संबंधित क्षेत्र, उत्पादन तथा उत्पादकता के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। फ्लू क्यूर्ड वर्जीनिया (एफसीवी) तम्बाकू के आंकड़े वर्ष 1999–2000, 2000–2001 तथा 2001–2002 के लिए हैं जबकि गैर–एफसीवी तम्बाकू के आकड़े वर्ष 1997–98, 1998–99 तथा 1999–2002 के लिए हैं।

(ख) और (ग) फ्लू क्यूर्ड वर्जीनिया (एफसीवी) तम्बाकू के उत्पादक सामान्यतया अपने उत्पाद के लिए लाभकारी कीमतें प्राप्त कर रहे हैं और उनकी औसत कीमत प्राप्तियां सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक हैं। सरकारी

तम्बाकू बोर्ड के जरिए, उत्पादन विनियमन, नीलामी का आयोजन, घरेलू विनिर्माताओं तथा निर्यातकों के द्वारा खरीद पर निगरानी आदि जैसे उपायों के द्वारा उत्पादकों को लाभकारी कीमतें दिलवाने में सहायता करने का प्रयास करती है।

(घ) केवल एफसीवी तम्बाकू के लिए प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत तथा कीमत आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले सभी संबंधित कारकों पर विचार करता है। इसके अलावा, न्यूनतम गारंटी शुदा कीमत (एमजीपी) जो व्यापारियों तथा उत्पादों के साथ परामर्श के पश्चात तम्बाकू बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्राम्य कीमत है, की व्यवस्था के जरिए भी उत्पादकों के हितों की रक्षा की जाती है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम गारंटी शुदा एवं प्राप्त की गई औसत कीमत से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार हैं।

(रुपए प्रति किग्रा.)

वर्ष	न्यूनतम समर्थन मूल्य	न्यूनतम गारंटी शुदा मूल्य		औसत कीमत	
		आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटक	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटक
1999–2000	एफ 2–25	29.50	39.50	32.13	42.07
	एल 2–27	36			
2000–2001	एफ 2–26	–#	–	–	55.04
	एल 2–28				
2001–2002	एफ 2–27	29.50	40.50	34.17*	38.31
	एल 2–29	36			

#फसल अवकाश *आंध्र प्रदेश में नीलामी जारी है

स्रोत : तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर

(च) और (छ) एफसीवी तम्बाकू का उत्पादन, संसाधन और नीलामी तम्बाकू बोर्ड के नियंत्रणाधीन हैं। बोर्ड प्रत्येक राज्य के लिए फसल आकार निर्धारित करता है, उत्पादकों तथा उपचारकों को पंजीकृत करता है तथा नीलामियों का आयोजन करता है जिनमें पंजीकृत विनिर्माता, डीलर एवं निर्यातक भागीदारी करते हैं।

(ज) से (ञ) जी, नहीं। उड़ीसा में तम्बाकू बोर्ड का कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। इस राज्य में कार्यालय खोलने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

फ्ल्यू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू

(क्षेत्रफल 000 हेक्टेयर में, उत्पादन मी. किग्रा. में, उत्पादकता प्रति हेक्टेयर किग्रा. में)

राज्य	1999–2000			2000–2001			2001–2002		
	क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादकता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	128.2	134.24	1046	–	–	–	87.34	114.73	1313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कर्नाटक	51.9	45.21	869	40.0	41.98	1049	41.6	57.68	1384
महाराष्ट्र	0.1	0.12	1008	–	–	–	0.1	0.11	982
उड़ीसा	0.3	0.50	1449	0.4	0.72	1545	0.4	0.76	1577

स्रोत : तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर

गैर–फ्ल्यू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू

(क्षेत्रफल 000 हेक्टेयर में, उत्पादन मी. किग्रा. में, उत्पादकता प्रति हेक्टेयर किग्रा. में)

राज्य	1999–2000			2000–2001		
	क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादकता
आन्ध्र प्रदेश	42.6	59.8	1404	13.0	29.9	2300
असम	1.0	1.0	1000	1.3	0.6	462
बिहार	17.4	17.6	1011	17.4	17.6	1011
गुजरात	110.6	103.7		87.8	148.6	
महाराष्ट्र	9.2	11.0	1196	8.1	8.1	1000
उड़ीसा	7.4	4.6	622	4.0	2.0	500
तमिलनाडु	7.7	11.9	1545	5.9	9.2	1559
उत्तर प्रदेश	18.1	126.5	6989	21.7	148.9	6862
पश्चिम बंगाल	11.0	6.2	566	10.4	5.5	529

स्रोत : कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय

गैर–फ्ल्यू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू

(क्षेत्रफल 000 हेक्टेयर में, उत्पादन मी. किग्रा. में, उत्पादकता प्रति हेक्टेयर किग्रा. में)

किस्म	1997–98			1998–99			1999–2000		
	क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादकता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
नातु	45	50	1111	42.80	61	1425	29.80	37.70	1265
बीड़ी	135.10	204.10	1512	140.20	127.90	912	126.70	135.90	921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हुक्का	35.20	64.40	1830	69.50	165.60	2383	66.60	158.40	2378
सिगार एवं चेरूट	8.50	11.30	1329	10.60	23.90	2255	8.80	20.30	2307
चबाना	51	139.20	2729	52.40	150.40	2870	47.30	128.40	2715
सूंघना	8.20	9.30	1134	9.60	20.20	2104	7.80	16.90	2167

स्रोत : तम्बाकू विकास निदेशालय, चेन्नई

[हिन्दी]

चीनी मिलों का बंद हो जाना

881. योगी आदित्यनाथ : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत चालू या बंद पड़ी चीनी मिलों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) स्वदेशी माइनिंग एंड मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी की एक यूनिट गणेश शुगर मिल एन.टी.सी. (यू.पी.) लि. की सहायक निगम है जो इस मंत्रालय के अधीन इकलौती चीनी मिल है तथा वर्तमान में परिसमापन के आदेशों के अध्यधीन है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सिंचाई के लिये विश्व बैंक से ऋण

882. श्री रामचन्द्र पासवान : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सिंचाई परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक से कितना ऋण लिया गया; और

(ख) विश्व बैंक से प्राप्त ऋण से प्रत्येक राज्य को दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा वचनबद्ध की गई कुल सहायता 289.20 मिलियन अमरीकी डालर है (उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना–149.20 मिलियन अमरीकी डालर और राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना–140.00 मिलियन अमरीकी डालर)।

इन परियोजनाओं के लिए करारों पर हस्ताक्षर मार्च, 2002 में किए गए हैं। चूकि ये परियोजनाएं मार्च, 2002 में प्रभावी हुई हैं, इसलिए दिनांक 30.4.02 तक राज्यों को कोई राशि जारी नहीं की गई है।

गुजरात पुनर्निर्माण बांड

883. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात पुनर्निर्माण बांड जारी करने की समय सीमा को बढ़ाने के लिए हाल ही में केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार समय सीमा बढ़ाने के लिए राजी हो गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बैंक डकैती

884. श्री राधा मोहन सिंह : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक दिल्ली में हुई बैंक डकैती की घटनाओं का शाखावार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें कितने लोग गिरफ्तार हुए और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) बैंक डकैती की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि गत तीन महीने से आज तक के दौरान दिल्ली में स्थिति बैंकों द्वारा डकैती की किसी घटना की सूचना नहीं दी गई है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कार्यान्वित किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बुलाई गई राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठकों में की जाती है। इन बैठकों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित बैंकरों और राज्य सरकार के अधिकारियों को भाग लेना होता है। समिति राज्य में सुरक्षा के वातावरण, बैंक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक उपायों का जायजा लेती है और जब कभी और सुधार की आवश्यकता होती है तब बैंकों को अपेक्षित मार्गनिर्देश/अनुदेश दिए जाते हैं। बैंकों ने अंतर्ग्रस्त जोखिम के पहलू के आधार पर अपनी शाखाओं का वर्गीकरण किया है और सशस्त्र गार्ड तैनात किए हैं, आवश्यकतानुसार सेंधमारी–विरोधी उपाय आदि किए हैं। राज्य पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए सशस्त्र गार्डों द्वारा बैंक शाखाओं की सुरक्षा के संबंध में जहां कहीं भी कमियों की सूचना दी जाती है, वहां समिति पुलिस अधिकारियों पर पर्याप्त सशस्त्र गार्ड उपलब्ध कराने के लिए बल देती है।

[अनुवाद]

भारत में उत्पादित रेशम के गिरते मूल्य

885. श्री के. एच. मुनियप्पा :
श्री अम्बरीश :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में उत्पादित कच्चे रेशम के मूल्य गिरने से कोया के मूल्य गिरने लगे हैं जिसने रेशम उत्पादन के क्षेत्रों में किसानों को बुरी तरह प्रभावित किया है और इससे किसानों को रेशम उत्पादन के प्रति निराशा हाथ लगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सहित रेशम का उत्पादन करने वाले राज्यों ने रेशम का उत्पादन करने वाले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) दिलाने हेतु वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो चीन में उत्पादित रेशम के देश में भारी आयात पर रोक लगाने तथा भारत में उत्पादित रेशम को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। बेंगलूर रेशम एक्सचेंज में पिछले दो वर्षों से प्रचलित घरेलू अपरिष्कृत रेशम की कीमतों का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है और रामानगरम कोसा बाजार (कर्नाटक) में प्रचलित कोसों की कीमतें संलग्न विवरण–II में दी गयी हैं।

(ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड को रेशम उत्पादन करने वाले कृषकों के सामने पेश आ रही कठिनाई को दूर करने के लिए उचित कीमतों पर शहतूती कोसों की खरीद के लिए कर्नाटक रेशम उद्योग निगम (के.एस.आई.सी.) से वित्तीय सहायता के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(घ) सरकार अपरिष्कृत रेशम और रेशम फैब्रिक्स के आयात तथा मुख्य घरेलू बाजारों में कोसों और अपरिष्कृत रेशम की कीमतों की सूक्ष्मता से मॉनीटरिंग कर रही है। हालांकि आयातित अपरिष्कृत रेशम की कीमतें, पिछले वर्ष अधिक वृद्धि होने, इसमें लगातार गिरावट आने और घरेलू बाजार में इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अनुमानित मांग–पूर्ति के अंतर से अधिक नहीं हुई है, फिर भी सरकार ने यह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है कि क्या शुल्क प्रतिबंधों को बढ़ाने के लिए सांविधिक उपबंधों को लागू करने की आवश्यकता है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने राज्य सरकार की गारंटी पर के.एस.आई.सी. को 1.5 करोड़ रुपए प्रदान करने के प्रति सहमति प्रकट की है।

विवरण-I

बैंगलोर रेशम एक्सचेंज में फिलेचर/सीबी कच्चे रेशम की कीमतें

(रुपए प्रति कि.ग्रा.)

महीने	2000–2001			2001–2002			2002–2003		
	न्यूनतम	अधिकतम	औसत	न्यूनतम	अधिकतम	औसत	न्यूनतम	अधिकतम	औसत
अप्रैल	1000	1325	1147	1000	1500	1253	715	1325	1084
मई	1000	1400	1195	700	1540	1274	750	1325	1000
जून	640	1360	1223	800	1525	1333	750	1325	1043
जुलाई	725	1450	1271	700	1540	1297	940+	1200+	1039+
अगस्त	450	1690	1410	1200	1550	1392			
सितम्बर	800	1650	1425	700	1500	1324			
अक्तूबर	1000	1650	1468	1000	1375	1243			
नवम्बर	1200	1850	1493	1100	1450	1288			
दिसम्बर	875	1750	1494	1110	1460	1304			
जनवरी	1050	1650	1421	1000	1460	1233			
फरवरी	1050	1600	4337	1000	1450	1163			
मार्च	1000	1550	1182	900	1325	1101			

+8 जुलाई, 2002 तक का संदर्भ

स्रोत : केन्द्रीय रेशम बोर्ड

विवरण-II

रामनगरम कोशे बाजार (कर्नाटक) में उन्नत संकर प्रजाति रीलिंग कोशे की कीमतें

(रु. प्रति कि.ग्रा.)

महीने	2000–2001			2001–2002			2002–2003		
	न्यूनतम	अधिकतम	औसत	न्यूनतम	अधिकतम	औसत	न्यूनतम	अधिकतम	औसत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अप्रैल	50.00	144.00	118.00	70.00	169.00	126.00	60.00	146.00	108.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मई	50.00	179.00	127.00	60.00	177.00	132.00	60.00	136.00	95.00
जून	55.00	150.00	125.00	72.00	175.00	136.00	60.00	121.00	94.00
जुलाई	50.00	165.00	126.00	80.00	180.00	140.00	60.00+	116.00+	98.00+
अगस्त	50.00	190.00	140.00	71.00	181.00	140.00			
सितम्बर	70.00	185.00	139.00	60.00	206.00	123.00			
अक्तूबर	53.00	186.00	127.00	40.00	150.00	108.00			
नवम्बर	71.00	220.00	160.00	48.00	162.00	122.00			
दिसम्बर	71.00	198.00	152.00	50.00	173.00	139.00			
जनवरी	75.00	174.00	140.00	80.00	163.00	127.00			
फरवरी	68.00	187.00	141.00	60.00	143.00	116.00			
मार्च	65.00	160.00	113.00	60.00	130.00	108.00			

+9 जुलाई, 2002 तक का संदर्भ

स्रोत : केन्द्रीय रेशम बोर्ड

[हिन्दी]

बिहार में स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन

886. श्री राजो सिंह : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इस समय कितने स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक संगठन को वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को धन आवंटित करने के क्या मापदण्ड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान इन संगठनों द्वारा धन के दुरुपयोग के मामले में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) जैसा कि बिहार सरकार द्वारा सूचित किया गया है। वर्तमान में बिहार में 75 स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन कार्य कर रहे हैं। केवल वे स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान उपभोक्ता संरक्षण/कल्याण क्रियाकलाप शुरू किए हैं, उपभोक्ता कल्याण कोष से सहायता के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। गत तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य में नौ स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को उपभोक्ता कल्याण कोष से सहायता मुहैया कराई गई है। इन संगठनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बिहार के उन स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की सूची जिनको उपभोक्ता कल्याण कोष से पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	संगठन का नाम	वर्ष	मंजूर की गई राशि
1.	रूरल लेडी वेलफेयर सोसायटी, विलेज धरेमपुर, पोस्ट–निकासी, वाया–पिंडारुच, जिला–दरभंगा	1998–99	27,000/–
2.	जन जागरण समिति, यारपुर, एन सी घोष लेन, कैलाश भवन के पास, एम ओ यारपुर, पोस्ट जीपीओ, पटना–800001	1998–99	8,100/–
3.	लोक मंगलम, मोहल्ला–गुद्री, पी ओ लहरियासराय, जिला दरभंगा	1998–99	22,500/–
4.	सेवा संस्थान, मार्फत रामबिलास रोय, (चांदवाड़ा) कन्हौली मठ रोड, पोस्ट रामना, जिला मुजफ्फरपुर	1998–99	18,000/–
5.	विकासायन, ग्राम एवं पोस्ट–शेखपुर, अखाड़ाघाट, मुजफ्फरपुर	1998–99	22,500/–
6.	दरोगा प्रसाद राय महिला प्रशिक्षण एवम् औद्योगिक केन्द्र, सुतिहार नवादा (सारण)	1999–2000	27,000/–
7.	महिला एवम् बाल विकास केन्द्र, जयप्रकाश नगर पटना–800001	1999–2000	13,500/–
8.	नोर्थ बिहार समाज कल्याण संगठन, पैगाम्बरपुर वाया–सिलौट, जिला मुजफ्फरपुर	1999–2000	22,500/–
9.	राधिका सेवा संस्थान ग्राम परतापुर, पी ओ मेहसी (थाना), जिला पूर्वी चम्पारन	1999–2000	22,500/–

पोषण संबंधी कार्यक्रम

887. श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जाने वाले पोषण संबंधी कार्यक्रमों की राज्यवार सूची क्या है;

(ख) क्या सरकार की योजना इनकी लम्बी सूची को देखते हुए इन योजनाओं को समेकित करने की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उड़ीसा का चयन नमूना के तौर पर किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) फिलहाल निम्नलिखित पोषाहार कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं, जिनके लिए राजसहायता प्राप्त गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति की जा रही है :

(i) गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम

(ii) राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषाहार समर्थन कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना)

उपर्युक्त स्कीमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचालन में हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

बुनकरों के लिए बीमा

888. श्री सुबोध राय : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुनकरों के फायदे के लिए साधारण बीमा कंपनी के माध्यम से कोई सामूहिक/व्यक्तिगत बीमा योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कितने बुनकरों को शामिल किया गया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) और (ख) भारत सरकार वर्ष 1992–93 से नौवीं योजना अवधि के अंत तक भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से हथकरघा बुनकरों के लाभार्थ एक समूह बीमा योजना कार्यान्वित करती रही है। योजना में बुनकर की स्वाभाविक मृत्यु और 10,000/रुपए की धनराशि को बीमाकृत करना शामिल है। इसकी वार्षिक बीमा किस्त 120/रुपए प्रति व्यक्ति है जिसे केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बराबर–बराबर वहन किया जाता है।

भारत सरकार वर्ष 1997–98 से नौवीं योजना अवधि के अंत तक यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से हथकरघा बुनकरों के लिए नई बीमा योजना नामक एक अन्य योजना भी कार्यान्वित करती रही है। इस योजना के अंतर्गत देय 120/रुपए प्रति व्यक्ति की वार्षिक बीमा किस्त को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और बुनकर द्वारा क्रमशः 60/रुपए, 40/रुपए तथा 20/रुपए की दर से वहन किया जाना है। इस योजना का उद्देश्य दुर्घटना की वजह से जीवन, अंगों, आंखों आदि की हानि, आग लगने, बिजली गिरने, बाढ़, चक्रवात आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से रिहायशी मकान और कच्चे समान का नुकसान आदि को कवर करना है। इस योजना में चोट, बीमारी एवं अस्वस्थता, दृष्टि परिक्षण के उपचार में किया जाने वाला खर्च तथा मातृत्व लाभ को भी शामिल किया जाता है।

(ग) नौवीं योजना के दौरान पूर्वोक्त योजनाओं के अंतर्गत कवर किए गए बुनकरों की राज्यवार संख्या विवरण में दी गई है।

विवरण

IXवीं योजना के दौरान समूह बीमा योजना तथा नई बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए बुनकरों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	लाभार्थियों की संख्या	
		समूह बीमा योजना	नई बीमा योजना
1.	आंध्र प्रदेश	2,04,500	1,00,756
2.	असम	7,500	409
3.	बिहार	शून्य	10,496
4.	छत्तीसगढ़	1,245	शून्य
5.	दिल्ली	शून्य	351
6.	गुजरात	13,270	18564
7.	कर्नाटक	88,318	शून्य
8.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	551
9.	केरल	शून्य	5,000
10.	मध्य प्रदेश	11,489	10,410
11.	उड़ीसा	शून्य	60,000
12.	पांडिचेरी	शून्य	2,049
13.	राजस्थान	शून्य	15,329
14.	तमिलनाडु	3,68,799	शून्य
15.	त्रिपुरा	शून्य	2,712
16.	उत्तर प्रदेश	शून्य	490
17.	पश्चिम बंगाल	36,852	शून्य
	कुल	7,31,973	2,27,117

अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ऋण

889. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन–कौन से संस्थान हैं जो अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अल्पावधि और ब्याज मुक्त ऋण मुहैया करते रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराये गए ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस ऋण की वसूली में पूरी तरह सफल रही है;

(घ) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को हुए नुकसान का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम अल्पसंख्यकों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता रहा है।

(ख) एन एम डी एफ सी ने 1999–2000,2000–2001 2000–2002 के दौरान ब्याज मुक्त ऋण के रूप में क्रमशः 13.18 लाख रु., 19.32 लाख तथा 21.72 लाख रुपए उपलब्ध कराए हैं।

(ग) से (ङ) एन एम डी एफ सी राज्य अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगमों को ऋण स्वीकृत करता है और उनसे वसूली की दर संतोषजनक है तथा अभी तक कोई हानि दर्ज नहीं की गई है।

[अनुवाद]

कर्नाटक की मलिन बस्तियों के लिए जापान से सहायता

890. श्री आर. एल. जालप्पा : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करीब 200 मलिन बस्तियों के लिए कर्नाटक सरकार का वह प्रस्ताव सरकार के पास लंबित पड़ा हुआ है जिसमें 753 करोड़ रुपए की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार उक्त प्रस्ताव के लिए जापान से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु उस लंबित प्रस्ताव के निपटान के लिए कोई कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ग) कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया गया था किन्तु निधियों की सीमित संभावित उपलब्धता तथा अन्य उम्मीदवार परियोजनाओं के मद्देनजर इसे वर्ष 2002–2003 पैकेज के लिए जापान सरकार को प्रस्तुत परियोजनाओं की सूची में शामिल नहीं किया जा सका।

कुष्ठ रोगियों के लिए पुनर्वास योजना

891. श्री राजैया मल्याला : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "कुष्ठ" रोगियों के पुनर्वास के लिए कोई अनुदान सहायता योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) कुष्ठ रोग के मरीजों के भौतिक पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रमुख रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की लागत संबंधी व्ययों का वित्त पोषण, मेडीकल कालेजों तथा जिला अस्पतालों के लिए बड़े तथा छोटे रिक्न्सट्रक्टिव सर्जरी उपकरणों का प्रावधान; जरूरतमन्द कुष्ठ रोगियों को माइक्रो सेलुलर फूटवीयर तथा विकृति की रोकथाम संबंधी स्वास्थ्य देखभाल कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए प्रावधान आदि को शामिल किया जाता है। स्वैच्छिक संगठन निःशक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने संबंधी योजना के अंतर्गत कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए गृहों और परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

शुल्क पात्रता पासबुक योजना (ड्यूटी एनटाइटलमैन्ट पासबुक स्कीम)

892. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र मंत्रालय ने शुल्क पात्रता पासबुक योजना (ड्यूटी एनटाइटलमैन्ट पासबुक स्कीम) के अन्तर्गत जूट उत्पाद से संबंधित दरों का पनुरीक्षण करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके मंत्रालय की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार जूट निर्यात के प्रोत्साहनों को बढ़ाने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या; और

(ङ) इसकी कब तक घोषणा किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ङ) जी, हां। वस्त्र मंत्रालय के अनुरोध पर विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) में इस विषय से संबंधित अन्तर मंत्रालयी समिति में विचार किया है। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर डीजीएफटी ने छह जूट उत्पादों के संबंध में पहली बार शुल्क पात्रता पासबुक योजना दरों को अधिसूचित (दिनांक 9.7.2002 की सार्वजनिक सूचना सं. 23/2002–2007 द्वारा) किया है, जिनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

उत्पाद समूह : विविध — उत्पाद कोड : 90

क्र.सं.	निर्यात उत्पाद	डीईपीबी दर*	डीईपीबी पात्रता हेतु मूल्य सीमा
1	2	3	4
1.	जूट सॉयल सेवर	2.00	
2.	जूट यार्न/जूट ट्विन	2.00	
3.	हैसियन क्लाथ	6.00	40 रु./किग्रा.
4.	हैसियन मेड–अप	6.00	55 रु./किग्रा.
5.	सैकिंग क्लाथ	6.00	30 रु./किग्रा.
6.	सैकिंग मेड–अप	6.00	40 रु./किग्रा.

*डीईपीबी दर निर्यातों के एफओबी मूल्य के संबंध में प्रतिशतता है, जो यथा अधिसूचित मूल्य सीमा के अध्यधीन है।

एन एस सी एफ डी निगम के पास लंबित आवेदन

893. श्री टी. गोविन्दन : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता के लिए केरल से बड़ी संख्या में आवेदन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम के पास लंबित पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी आवेदनों को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) दिनांक 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास (एन एस एफ डी सी) के पास केरल से प्राप्त केवल चार प्रस्ताव लम्बित थे। इन प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई है और ऋण मंजूर किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

गुजरात के निराश्रित बच्चों के लिए कल्याणकारी योजना

894. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात के निराश्रित बच्चों के लिए कल्याणकारी योजना शुरू की है या शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को कोई सहायता दी जा रही है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) यह मंत्रालय गुजरात सहित सभी राज्यों में निराश्रित बच्चों के लिए "बेसहारा बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम" चला रहा है। वित्तीय वर्ष 2001–2002 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत राज्य के 14 गैर–सरकारी संगठनों को 58.66 लाख रुपए का सहायता–अनुदान निर्मुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के "समाज रक्षा के क्षेत्र में सहायता के लिए सामान्य सहायता–अनुदान कार्यक्रम" के अंतर्गत गुजरात के दंगे से प्रभावित लोगों (225 दंगा प्रभावित अनाथों और एकल माता–पिता वाले बच्चों) के लिए पुनर्वास पैकेज परियोजना के लिए स्व–नियोजित महिला एसोसिएशन (एस इ डब्ल्यू ए) अहमदाबाद, गुजरात को 2.02 करोड़ रुपए का सहायता–अनुदान स्वीकृत किया गया है। तब से 30 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है।

विकास सुधार सुविधा निधि
(डेवलपमेंट रिफार्म फैसिलिटी-फण्ड)

895. श्री जय प्रकाश : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 'विकास सुधार सुविधा निधि' (डेवलपमेंट रिफार्म फैसिलिटी फण्ड) बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना से लाभन्वित होने वाले राज्यों को आवंटित की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ग) संघ सरकार वर्ष 2002–03 के बजट आकलन में विकास सुधार नीति के अंतर्गत उन क्षेत्रों में नीति सुधार के लिए जो कि राज्यों के विकास एवं उन्नति में बाधक है, 2500 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। योजना आयोग द्वारा इस सुविधा के संबंध में दिशा–निर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रतिभूति घोटाला, 1992

896. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1992 के प्रतिभूति घोटाले के तदुपरान्त व्यक्ति/कम्पनियों के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो इन मामलों का ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी बी आई) ने सूचित किया है कि 1992 के प्रतिभूति घोटाले के परिणामस्वरूप सी बी आई द्वारा व्यक्तियों/कंपनियों के विरुद्ध कुल 72 मामले दर्ज किए गए हैं। सभी मामलों में जांच पूरी कर ली गई हैं। सी बी आई ने 47 मामलों में न्यायालय में आरोप पत्र दायर किए हैं, जिनमें से अब तक 6 मामलों में निर्णय दिया जा चुका है बाकि बचे मामलों में सी बी आई ने समापन/विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है।

मसाला बोर्ड द्वारा बाजार
का अध्ययन

897. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मामला बोर्ड का विचार भारतीय ब्रांडों को बढ़ावा देने हेतु अमरीका और जापान के बाजार का अध्ययन कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जैविक मसाला निर्यातकों का एक नया समूह उभर कर सामने आया है और निर्यात भी हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) जी, हां। बाजार अध्ययन का मुख्य लक्ष्य अमरीका और जापान के उपभोक्ता बाजारों में चुनिंदा भारतीय मसाला ब्रांडों की शुरूआत करना एवं उनका संवर्धन करने हेतु एक समुचित विपणन नीति बनाना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, अध्ययन में अन्य बातों के साथ–साथ भौगोलिक अवस्थितियों और भारतीय ब्रांडों के शुरू करने हेतु संभाव्य विपणन माध्यमों, अनुकूल आकार के पैकों, ब्रांडों का स्थिति निर्धारण, उचित पैकेजिंग, अपेक्षित गुणवत्ता

मानक, व्यापार की मात्रा, निर्यात आय इत्यादि के बारे में सूचना एकत्र किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) भारत से निर्यातित प्रमुख कार्बनिक मसाला और मसाला उत्पाद काली मिर्च, सफेद मिर्च, मिर्च का पाउडर, अदरक, हल्दी, सरसों के बीज, इमली, लौंग, जायफल एवं जावित्री हैं। पाकीज जड़ी–बुटियां जैसे रोजमेरी, अजवाइन, मरूवक और अजमोद के निर्यातों की संभाव्यता हैं। पिछले कुछेक वर्षों के कार्बनिक मसालों के निर्यातों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख रुपए में)
1999–2000	63.43	195.51
2000–2001	37.60	125.93
2001–2002	98.65	267.30

स्रोत : मसाला बोर्ड

विश्व बैंक ऋण

898. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने विश्व बैंक द्वारा सड़कों के सुधार और अन्य परियोजनाओं के लिए दिये गये ऋण संबंधी ब्याज में अधोगामी संशोधन करने का मामला तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल की प्रवृत्ति के संदर्भ में विश्व बैंक द्वारा ऋणों पर लिया जा रहा आठ प्रतिशत का ब्याज अधिक है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने राज्य सरकार के ब्याज दरों को कम करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी नहीं। कर्नाटक सरकार ने विश्व बैंक द्वारा सड़कों के सुधार और अन्य परियोजनाओं पर विश्व बैंक द्वारा चार्ज की जा रही ऋण दरों में अधोगामी संशोधन करने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

(ख) से (घ) सवाल पैदा नहीं होता।

कर्नाटक को वित्तीय सहायता

899. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक राज्य से राज्य की ट्रेजरियों के कम्प्यूटरीकरण के लिए 47.4 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मांग वाला प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) कर्नाटक राज्य में ट्रेजरियों के कम्प्यूटरीकरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कब तक सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जी, नहीं। तथापि राजकोषीय प्रशासन में संलग्न विभिन्न विभागों के आधारभूत ढांचे के स्तरोन्नयन और विशेष तौर पर राज्य खजानों के कम्प्यूटरीकरण के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग स्कीम के तहत राज्य सरकार को 16 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कराई गई है।

बेसहारा बच्चों का पुनर्वास

900. श्री अनन्त नायक : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेसहारा बच्चों के पनुर्वास के लिए दिल्ली और अन्य महानगरों में कितने पुनर्वास केन्द्र स्थापित किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन पुनर्वास केन्द्रों के कार्यकरण की स्थिति को सुधारने का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) यह मंत्रालय बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम की योजना के अंतर्गत बेसहारा बच्चों के पुनर्वास के लिए परियोजनाएं चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों को अनुदान दे रहा है। दिल्ली तथा अन्य महानगरों में इस मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित की जा रही ऐसी परियोजनाओं की संख्या नीचे दी गई है :

क्र.सं.	महानगरों का नाम	बेसहारा बच्चों की परियोजनाओं की संख्या
1.	बंगलौर	01
2.	चेन्नई	05
3.	दिल्ली	09
4.	कोलकाता	19
5.	मुम्बई	05

यह मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों तथा/या चाइल्ड लाइन इंडिया फाउन्डेशन के माध्यम से इन परियोजनाओं को मानिटर करता है। अनुकूल रिपोर्टें प्राप्त होने के आधार पर ही निधि सहायता जारी रहती है।

असम में जूट प्रसंस्करण उद्यान

901. श्री एम. के. सुब्बा : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जूट उत्पादन और जूट उत्पादों के निर्यात की व्यापक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए असम में एक जूट प्रसंस्करण उद्यान स्थापित करने की संभावना का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन का क्या परिणाम निकला; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की स्थिति तक असम में जूट का कितना उत्पादन किया गया और इसका कितना निर्यात किया गया?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान असम में उत्पादित पटसन की मात्रा निम्नानुसार है :

वर्ष	मात्रा मी. टन में
1999–2000	6447
2000–2001	9450
2001–2002	11122

असम में पटसन और पटसन उत्पादों का कोई पंजीकृत निर्यातक नहीं है। इसलिए, सरकार के पास पिछले तीन वर्षों के दौरान असम से पटसन के निर्यात के संबंध में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के गोदाम

902. प्रो. रासासिंह रावत : क्या **क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सरकार ने कितना बाजरा खरीदा और किस दर पर खरीदा;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अंत्योदय, अन्नपूर्णा और कार्य के बदले अनाज जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत योजनावार और राज्यवार कितना खाद्यान्न आवंटित किया गया और बी.पी.एल. योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को इसका कितना वितरण किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों से कितने खाद्यान्न की मांग की है और उक्त अवधि के दौरान उसको कितना खाद्यान्न आवंटित किया गया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) राजस्थान सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान बाजरे की कोई मात्रा वसूल नहीं की गई। वर्तमान खरीफ विपणन वर्ष 2001–2002 के दौरान राजस्थान में 15.7.2002 तक 33,982 टन

बाजरे की वसूली की गई है जिसमें भारतीय खाद्य निगम द्वारा 16,712 टन, राजफेड द्वारा 15,207 टन और राजस्थान भाण्डागार निगम द्वारा 2063 टन मात्रा की वसूली की गई है।

खरीफ विपणन मौसम 1998–99 से बाजरे के निर्धारित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नानुसार है :

(रुपए प्रति क्विंटल)

1998–1999	390.00
1999–2000	415.00
2000–2001	445.00
2001–2003	485.00

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अंत्योदय और गरीबी रेखा से नीचे), अन्नपूर्णा और काम के बदले अनाज योजनाओं के अधीन आवंटित खाद्यान्नों की मात्रा बताने वाला विवरण I, II, III और IV संलग्न है।

(ग) जून, 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के शुरू किए जाने के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आवंटन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किए जाते हैं और ये मांग पर आधारित नहीं होते हैं। अंत्योदय परिवारों के लिए आवंटन भी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किए जाते हैं।

राज्य सरकार द्वारा मांग की गई खाद्यान्नों की अतिरिक्त मात्रा और अन्नपूर्णा योजना के अधीन आवंटित अतिरिक्त मात्रा तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन मांग की गई और आवंटित खाद्यान्नों की मात्रा के ब्यौरे संलग्न विवरण V और VI में दिए गए हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान अंत्योदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए चावल का राज्यवार आवंटन

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999–2000		2000–2001		2001–2002	
		गरीबी रेखा से नीचे	अंत्योदय अन्न योजना	गरीबी रेखा से नीचे	अंत्योदय अन्न योजना	गरीबी रेखा से नीचे	अंत्योदय अन्न योजना
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	453.360	–	1316.648	15.570	1470.960	186.840
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.400	–	18.384	0.000	24.459	1.134
3.	असम	228.720	–	457.428	0.000	515.058	28.152
4.	बिहार	412.320	–	750.840	0.000	658.370	60.000
5.	छत्तीसगढ़	–	–	99.228	7.185	305.748	86.220
6.	गोवा	0.000	–	0.000	0.000	11.790	0.480
7.	गुजरात	3.120	–	6.230	0.000	6.431	0.979
8.	हरियाणा	94.500	–	343.526	0.000	234.604	12.350

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	हिमाचल प्रदेश	0.000	–	0.000	0.000	0.000	0.000
10.	जम्मू और कश्मीर	0.000	–	34.947	0.984	173.955	14.172
11.	झारखण्ड	56.412	–	112.800	0.000	115.247	19.323
12.	कर्नाटक	–	–	73.800	0.00	227.000	36.650
13.	केरल	276.00	–	568.272	0.000	646.182	67.287
14.	मध्य प्रदेश	184.200	–	365.144	5.955	374.958	71.460
15.	महाराष्ट्र	288.000	–	468.496	4.760	289.756	57.120
16.	मणिपुर	253.920	–	521.504	0.000	725.426	93.749
17.	मेघालय	20.600	–	31.214	0.000	35.136	1.914
18.	मिजोरम	17.160	–	34.354	0.000	44.240	3.515
19.	नागालैंड	6.360	–	13.940	0.000	16.461	3.156
20.	उड़ीसा	9.240	–	18.480	0.000	24.185	2.280
21.	पंजाब	824.715	–	949.922	0.000	907.045	88.466
22.	राजस्थान	8.160	–	16.800	0.000	18.080	0.000
23.	सिक्किम	3.000	–	23.595	0.107	6.282	1.284
24.	तमिलनाडु	4.080	–	8.916	0.000	11.205	1.176
25.	त्रिपुरा	549.480	–	1121.664	0.000	1350.423	35.475
26.	उत्तर प्रदेश	27.720	–	55.450	0.000	62.718	7.917
27.	उत्तरांचल	416.700	–	741.628	0.000	736.649	82.111
28.	पश्चिम बंगाल	–	–	22.172	0.000	70.962	8.028
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	264.840	–	676.064	0.000	831.438	54.960
30.	चंडीगढ़	1.800	–	3.604	0.000	3.686	0.591
31.	दादरा व नगर हवेली	0.240	–	0.480	0.000	0.350	0.318
32.	दमन व दीव	1.440	–	2.899	0.050	3.009	0.600

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	दिल्ली	0.240	–	0.532	0.000	0.639	0.120
34.	लक्षद्वीप	0.240	–	0.000	0.000	0.044	0.040
35.	पांडिचेरी	7.800	–	17.088	0.000	22.701	1.125
	जोड़	4422.767	–	8876.049	34.611	9923.197	1028.992

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान अंत्योदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए गेहूं का राज्यवार आवंटन

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999–2000		2000–2001		2001–2002	
		गरीबी रेखा से नीचे	अंत्योदय अन्न योजना	गरीबी रेखा से नीचे	अंत्योदय अन्न योजना	गरीबी रेखा से नीचे	अंत्योदय अन्न योजना
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0.000	–	0.000	0.000	0.000	0.000
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.840	–	1.840	0.000	2.565	0.000
3.	असम	0.000	–	0.000	0.000	0.000	0.000
4.	बिहार	618.480	–	1126.260	0.000	1164.501	90.000
5.	छत्तीसगढ़	–	–	28.428	0.000	87.597	0.000
6.	गोवा	0.000	–	24.540	0.000	102.375	1.920
7.	गुजरात	1.440	–	2.874	0.000	3.420	0.000
8.	हरियाणा	145.500	–	565.287	0.000	634.936	49.400
9.	हिमाचल प्रदेश	87.960	–	175.918	0.00	182.541	27.346
10.	जम्मू और कश्मीर	51.120	–	67.369	0.984	74.280	9.444
11.	झारखण्ड	17.748	–	35.520	0.000	36.516	6.084
12.	कर्नाटक	–	–	110.700	0.000	340.491	54.980
13.	केरल	69.000	–	142.068	0.000	161.542	16.823

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मध्य प्रदेश	0.000	–	0.000	0.000	0.000	0.000
15.	महाराष्ट्र	352.080	–	665.612	11.050	696.227	132.600
16.	मणिपुर	471.600	–	968.580	0.000	1370.786	174.112
17.	मेघालय	0.000	–	0.000	0.000	0.000	0.000
18.	मिजोरम	0.000	–	0.000	0.000	0.000	0.000
19.	नागालैंड	0.000	–	0.000	0.000	0.000	0.000
20.	उड़ीसा	2.280	–	4.560	0.000	5.937	0.558
21.	पंजाब	50.000	–	102.300	0.000	0.000	0.000
22.	राजस्थान	43.440	–	89.436	0.000	96.283	19.723
23.	सिक्किम	257.400	–	850.575	9.208	909.987	110.496
24.	तमिलनाडु	0.000	–	0.000	0.000	0.000	0.000
25.	त्रिपुरा	0.000	–	0.000	0.000	0.000	0.000
26.	उत्तर प्रदेश	0.000	–	0.000	0.000	0.000	0.000
27.	उत्तरांचल	780.600	–	1537.660	0.000	1603.140	178.680
28.	पश्चिम बंगाल	–	–	11.840	0.000	38.760	3.420
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	283.800	–	577.596	0.000	422.931	54.966
30.	चंडीगढ़	0.840	–	1.680	0.000	1.764	0.231
31.	दादरा व नगर हवेली	1.920	–	3.838	0.000	5.330	0.000
32.	दमन व दीव	0.360	–	0.725	0.020	0.753	0.240
33.	दिल्ली	0.120	–	0.268	0.000	0.330	0.060
35.	लक्षद्वीप	0.000	–	0.000	0.000	0.000	0.000
35.	पांडिचेरी	0.000	–	0.000	0.000	0.000	0.000
	जोड़	3236.528	–	7095.374	21.262	7942.992	931.083

विवरण-III

वर्ष 2000–01 और 2001–02 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों की राज्यवार आवंटित की गई मात्रा

(हजार–टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटित खाद्यान्न**	
		2000–01	2001–02
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	11185	14027
2.	अरुणाचल प्रदेश	221	571
3.	असम	3197	8271
4.	बिहार	26595	19062
5.	छत्तीसगढ़	–	3201
6.	गोवा	108	90
7.	गुजरात	5316	
8.	हरियाणा	2071	
9.	हिमाचल प्रदेश	914	765
10	जम्मू और कश्मीर	1226	1026
11.	झारखण्ड	–	5514
12.	कर्नाटक	8165	
13.	केरल	5298	4514
14.	मध्य प्रदेश	14376	
15.	महाराष्ट्र	16075	17824
16.	मणिपुर	398	1031
17.	मेघालय	430	1112
18.	मिजोरम	120	310
19.	नागालैंड	312	807
20.	उड़ीसा	7776	6503
21.	पंजाब	1495	
22.	राजस्थान	5700	12635
23.	सिक्किम	115	298
24.	तमिलनाडु	10327	8637
25.	त्रिपुरा	688	1782
26.	उत्तर प्रदेश	30125	42000
27.	उत्तरांचल		1275
28.	पश्चिम बंगाल	11482	9602
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	67	56
30.	चंडीगढ़	53	59
31.	दादरा व नगर हवेली	45	38
32.	दमन व दीव	10	8
33.	दिल्ली	965	1070
34.	लक्षद्वीप	7	6
35.	पांडिचेरी	190	159
	जोड़	165144	162253

*कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं।

**अतिरिक्त खाद्यान्नों का आवंटन शामिल नहीं है।

2000–2001 में अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई थी। 1999–2000 में यह प्रचालन में नहीं थी।

विवरण-IV

पिछले तीन वर्षों के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन खाद्यान्नों का मुफ्त आवंटन

क्र.सं.	राज्य	1999–2000		2000–2001		2001–02	
		गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
1.	छत्तीसगढ़	0	0	0	207000	0	320550
2.	गुजरात	0	0	70000	20000	46515	11590
3.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	11549	0	0
4.	महाराष्ट्र	0	0	8000	2000	112000	28000
5.	मध्य प्रदेश	0	0	43000	20079	145235	43430
6.	उड़ीसा	0	0	0	100000	0	150000
7.	राजस्थान	0	0	118145	0	621360	0
8.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	1650000
9.	कर्नाटक	0	0	0	0	42540	57460
10.	केरल	0	0	0	0	0	5000
11.	बिहार	0	0	0	0	0	100000
	जोड़	0	0	239145	360628	967650	2366030

विवरण-V

अन्नपूर्णा योजना के अधीन खाद्यान्नों की मांग और आवंटन की अतिरिक्त मात्रा बताने वाला विवरण

(आंकड़े टन में)

राज्य	2000–01		2001–02	
	मांगे गए अतिरिक्त खाद्यान्न	आवंटित अतिरिक्त खाद्यान्न	मांगे गए अतिरिक्त खाद्यान्न	आवंटित अतिरिक्त खाद्यान्न
आंध्र प्रदेश	4468	4468	–	–
बिहार	–	–	894	–
उड़ीसा	–	–	1223	1223
राजस्थान	6037	6037	–	–
उत्तर प्रदेश	30678	9834	–	–

विवरण-VI

वर्ष 2000–01 और 2001–02 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन राज्यवार मांगे गए और आवंटित खाद्यान्न

क्र.सं.	राज्य	2001–01		2001–02	
		मांगे गए खाद्यान्न (टन में)	आवंटित/रिलीज खाद्यान्न (टन में)	मांगे गए खाद्यान्न (टन में)	आवंटित/रिलीज खाद्यान्न* (टन में)
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	1850000	1650000
2.	बिहार	0	0	100000	100000
3.	छत्तीसगढ़	207000	207000	679007	320550
4.	गुजरात	90000	90000	58105	58105
5.	हिमाचल प्रदेश	11549	11549	0	0
6.	कर्नाटक	0	0	100000	100000
7.	केरल	0	0	5000	5000
8.	मध्य प्रदेश	63079	63079	205490	188665
9.	महाराष्ट्र	10000	10000	168000	140000
10.	उड़ीसा	100000	100000	150000	150000
11.	राजस्थान	118145	1118145	720000	621360
	जोड़	599773	599773	4035602	3333680

*काम के बदल अनाज कार्यक्रम 2000-01 में शुरू किया गया।

राजस्थान द्वारा खाद्यान्नों की कम खरीद

903. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अंत्योदय योजना, काल राहत और अन्य कल्याणकारी योजनाओं जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत सरकार को आवंटित किए गए खाद्यान्न की मात्रा का वर्षवार योजनावार आदि खाद्यान्न–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार खाद्यान्नों की आवंटित मात्रा को खरीदने में विफल रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने उक्त आवंटित खाद्यान्न की खरीद करने खाद्यान्नों के बेहतर उपयोग के लिए कोई पारस्परिक समन्वय योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (ग) अंत्योदय अन्न योजना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम और कल्याण योजनाओं के अधीन पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सरकार को आवंटित खाद्यान्नों की मात्रा और राज्य सरकार द्वारा उठाई गई मात्रा को बताने वाला विवरण संलग्न है।

लक्षित सावजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का उठान अनेक बातों पर निर्भर करता है इनमें से अत्यधिक महत्वपूर्ण बात केन्द्रीय निर्गम मूल्यों और खुले बाजार मूल्यों के बीच समानता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ता विशेषतया जो गरीबी रेखा से नीचे के श्रेणी से संबंधित हैं, की क्रय शक्ति, गुणवत्ता महत्व और देश के विभिन्न क्षेत्रों में जनता की आहार आदतें हैं।

उपर्युक्त बातों का भी कल्याण योजनाओं के अधीन उठान पर प्रभाव पड़ता है।

(घ) और (ङ) संघ सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवंटित खाद्यान्नों का पूर्ण उठान सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को पहले ही निदेश जारी किए हुए हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियाकलाप को सुप्रवाही बनाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 31.8.2001 भी अधिसूचित किया गया है। पदनामित क्षेत्रीय अधिकारी नियमित रूप से राजस्थान का दौरा करते हैं और राज्य सरकार के साथ खाद्यान्नों के उठान सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकलापों की समीक्षा करते हैं।

विवरण

1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान राजस्थान में अंत्योदय और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन गेहूं और चावल के आवंटन और उठान के ब्यौरे

(अनंतिम) (आंकड़े हजार टनों में)

स्कीम	1999–2000				2000–2001				2001–2002			
	गेहूं		चावल		गेहूं		चावल		गेहूं		चावल	
	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
अंत्योदय					9.21	8.06	0.11	0.06	110.50	102.30	1.29	0.48
गरीबी रेखा से नीचे	257.40	191.76	3.00	1.30	850.58	321.59	23.59	1.14	909.98	559.03	6.28	0.34
सूखा राहत	–	–	–	–	333.89	*	17.57	*	370.67	*	–	*
काम के बदले अनाज	–	–	–	–	118.15	79.77	0.00	0.00	621.36	502.23	0.00	0.00
सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.59	9.52	0.00	0.00
मध्याह्न भोजन	166.05	89.82	0.00	0.00	130.31	100.55	0.00	0.00	186.65	147.31	0.00	0.00
अन्नपूर्णा	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70#	2.88	0.00	0.07	12.64#	10.93	0.00	0.00
पोषाहार कार्यक्रम	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
अ.जा./अ.ज.जा./पि.व. छात्रावास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00

*गरीबी रेखा से नीचे के प्रति उठान को इस उठान में शामिल किया गया है।

#आवंटन कुल खाद्यान्नों के रूप में किया जाता है।

[अनुवाद]

गुजरात में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त योजनाएं

904. श्री जी. जे. जावीया : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से गुजरात में कुछ योजनाएं आरंभ की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1999 से आज की तिथि तक इनमें से प्रत्येक योजना के लिए विश्व बैंक द्वारा वर्षवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(घ) उक्त योजनाओं के दौरान क्या लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (घ) गुजरात में विश्व बैंक की सहायता से दो परियोजनाएं (i) गुजरात राज्य राजमार्ग और (ii) गुजरात आपात भूकम्प पुनर्निर्माण परियोजना शुरू की गई है। गुजरात राजमार्ग परियोजना 381.00 मिलियन अमरीकी डालर और दो चरणों वाली भूकंप पुनर्निर्माण परियोजना कुल 704.33 मिलियन अमरीकी डालर की राशि की है। 30 अप्रैल, 2002 की स्थिति के अनुसार भूकम्प और राजमार्ग परियोजनाओं के लिए क्रमशः 254.80 मिलियन अमरीकी डालर और 40.419 मिलियन अमरीकी डालर की राशि संवितरित की जा चुकी है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ सूचीबद्ध बैंक

905. श्री अम्बरीश : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 30 जून, 2002 की स्थिति के अनुसार 'सेबी' के साथ सूचीबद्ध बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि ये सूचीबद्ध बैंक 'सेबी' मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं और भारतीय रिजर्व बैंक ने इन बैंकों को 'सेबी' के मानदंडों का पालन करने के निर्देश दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में अन्य क्या उपाय किए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि कम्पनियों/बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे स्टॉक एक्सचेंजों के पास सूचीबद्ध हों, न कि सेबी के पास। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के पास 29 बैंक और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के पास 37 बैंक सूचीबद्ध हैं जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) सेबी के अनुसार सभी सूचीबद्ध कम्पनियों की तरह सूचीबद्ध बैंकों से भी अपेक्षित है कि सूचीकरण करार के अन्तर्गत यथानिर्धारित सेबी के मानदंडों का अनुपालन करें। उनसे यह भी अपेक्षित है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों और मार्गनिर्देशों का अनुपालन करें।

स्टॉक एक्सचेंजों के पास संशोधित सूचीकरण करार के संशोधित/नए खंडों के अनुसार सूचीबद्ध बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा समय-समय पर जारी सभी लेखाकरण मानकों (एएस) का अनिवार्य रूप से पालन करें। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए लेखाकरण मानकों (एएस) अर्थात् घटक रिपोर्टिंग के संबंध में एएस-17, संबंधित पार्टी प्रकटन के संबंध में एएस-18, समेकित वित्तीय विवरणियों के संबंध में एएस-21 और आय पर करों के संबंध में एएस-22 का अनुपालन वैकल्पिक बना दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के उपर्युक्त निर्णय के अनुरूप सेबी ने भी सिर्फ 31 मार्च, 2002 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंकों द्वारा उपर्युक्त लेखाकरण मानकों के अनुपालन को वैकल्पिक बना दिया है। बैंकों से अपेक्षा की जाएगी कि 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले वर्षों में वे उपर्युक्त लेखाकरण मानदंडों के समनुरूप हों।

रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 16.2.2002 के परिपत्र द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है कि शेयरधारिता और शेयरों के अंतरण आदि के बारे में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मामले में वे सेबी के मार्गनिर्देशों का अनुपालन करें। रिजर्व बैंक ने दिनांक 4 जून, 2002 के परिपत्र द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को मार्गनिर्देशों के संबंध में कम्पनी अभिशासन संबंधी सेबी समिति की सूचना सभी भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को भी दी है।

विवरण

सूची–क एनएसई के साथ सूचीबद्ध बैंक		सूची–ख बीएसई के साथ सूचीबद्ध बैंक	
क्र.सं.	बैंक का नाम	क्र.सं.	बैंक का नाम
1	2	3	4
1.	आंध्रा बैंक	1.	एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया
2.	बैंक ऑफ बड़ौदा	2.	इंडिस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लि.
3.	बैंक ऑफ इंडिया	3.	नेदुंगदी बैंक लि.
4.	सेंचुरियन बैंक लि.	4.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
5.	कारपोरेशन बैंक	5.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेरे एंड जयपुर
6.	सिटी यूनियन बैंक लि.	6.	स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक
7.	देना बैंक	7.	यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.
8.	द फेडरल बैंक लि.	8.	फेडरल बैंक लि.
9.	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.	9.	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.
10.	एचडीएफसी बैंक लि.	10.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स
11.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	11.	बैंक ऑफ पंजाब लि.
12.	आईडीबीआई बैंक लि.	12.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.
13.	इंड्सइंड बैंक लि.	13.	एचडीएफसी बैंक लि.
14.	इंडियन ओवरसीज बैंक	14.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
15.	द जम्मू एवं कश्मीर बैंक लि.	15.	धनलक्ष्मी बैंक लि.
16.	करूर वैश्य बैंक लि.	16.	वैश्य बैंक लि.
17.	द कर्नाटका बैंक लि.	17.	बैंक ऑफ मदुरा लि.
18.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	18.	इंडस्ट्रियल इवेस्टमेंट ऑफ इंडिया
19.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स	19.	देना बैंक
20.	पंजाब नेशनल बैंक	20.	बैंक ऑफ बड़ौदा
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	21.	बैंक ऑफ इंडिया
22.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	22.	आईसीआईसीआई बैंक लि.

1	2	3	4
23.	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर	23.	इंड्सइंट बैंक लि.
24.	द साउथ इंडियन बैंक लि.	24.	कारपोरेशन बैंक
25.	सिंडिकेट बैंक	25.	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर
26.	यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	26.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.
27.	यूटीआई बैंक लि.	27.	साउथ इंडियन बैंक लि.
28.	विजया बैंक	28.	सिटी यूनियन बैंक लि.
29.	वैश्य बैंक लि.	29.	सेंचुरियन बैंक लि.
		30.	यूटीआई बैंक लि.
		31.	आईडीबीआई बैंक लि.
		32.	टाइम्स बैंक लि.
		33.	सिंडिकेट बैंक
		34.	इंडियन ओवरसीज बैंक
		35.	आंध्रा बैंक
		36.	विजया बैंक
		37.	पंजाब नेशनल बैंक

[हिन्दी]

औद्योगिकीकरण के लिए राज्यों की सुविधाएं

906. श्री राम टहल चौधरी :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से औद्योगिकीकरण करने और उद्योगों की स्थापना करने के राज्य सरकारों के प्रयासों को अनुपूरित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं योजना और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को योजनावार और वर्षवार कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(घ) इस सहायता से प्रत्येक राज्य में औद्योगिकीकरण के लक्ष्य को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है; और

(ङ) राज्य सरकारों के प्रयासों को अनुपूरित करने के लिए सरकार ने अन्य कौन-कौन सी योजनाओं का प्रस्ताव किया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) राज्यों में औद्योगिकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है–

परिवहन राजसहायता योजना, 1971

इस योजना का उद्देश्य देश के पहाड़ी दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए निर्दिष्ट रेल शीर्षों/पत्तनों से औद्योगिक एककों के स्थापना स्थल तक और इसके विपरीत दिशा तक कच्चे माल व तैयार वस्तुओं की ढुलाई पर उद्यमी द्वारा खर्च की गई परिवहन लागत पर राजसहायता 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के बीच स्वीकार्य है।

विकास केन्द्र योजना, 1971

इस योजना का उद्देश्य देश में अभिज्ञात पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत, इन केन्द्रों में और इनके आस–पास उद्योगों का विकास करने के लिए विद्युत, जल, दूरसंचार, बैंकिंग इत्यादि जैसी मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए राजसहायता प्रदान की जाती है।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना, 1997

यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए आरम्भ किए गए उपायों के पैकेज का एक भाग है। इस योजना के अन्तर्गत अभिज्ञात स्थलों पर स्थापित किए जाने वाले एककों के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश के 15 प्रतिशत की दर से 30 लाख रुपये की अधिकतम सीमा की शर्त पर राजसहायता स्वीकार्य है।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केन्द्रीय ब्याज राजसहायता योजना, 1997

यह योजना भी पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए शुरू की गई पहलों का एक भाग है और औद्योगिक एककों को राजसहायता उनके द्वारा लिए गए कार्यशील पूंजीगत ऋणों पर 3 प्रतिशत की दर से देय है।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केन्द्रीय व्यापक बीमा योजना, 1997

यह योजना भी पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए शुरू की गई पहलों का भाग है और इस योजना के अन्तर्गत पात्र एककों द्वारा भुगतान किए गए बीमे की उन्हें प्रतिपूर्ति की जाती है।

(ग) सूचना विवरण–I, II और III में संलग्न है।

(घ) प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन योजनाओं के संचालन से औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में निम्न प्रकार से सहायता मिली है–

(i) अब तक दोहन न किए गए क्षेत्रों में नये औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना में सहायता मिली है।

(ii) अभिज्ञात क्षेत्रों में नये औद्योगिक एककों की स्थापना करने संबंधी प्रक्रिया में तेजी आई है।

(iii) इन योजनाओं के अन्तर्गत राजसहायता उपलब्ध होने के कारण कई मौजूदा एककों का अभिज्ञात स्थापना स्थलों मे कार्य जारी है।

(iv) परिवहन राजसहायता के कारण हिमाचल प्रदेश में कारखानों की वार्षिक विकास दर 10.5 प्रतिशत हो गई है। इससे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। इससे राज्यों को औद्योगिक एककों से लेवी के रूप में आय हुई है।

(ङ) औद्योगिकीकरण के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने के लिए निम्नलिखित नई योजनाएं आरम्भ करने का प्रस्ताव है–

(i) विशेष श्रेणी के राज्यों अर्थात् जम्मू और कश्मीर (अधिसूचित) और हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम (प्रक्रियाधीन) के औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहनों का पैकेज; और

(ii) औद्योगिक समूह विकास योजना।

विवरण-I

परिवहन राजसहायता के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को जारी की गई राशियों को दिखाता विवरण

(पूर्ण बनाए गए लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01	2001–02
1.	असम	2548.61	1250.53	1195.24	4252.04*	6583.19*
2.	मणिपुर	18.96	24.41	4.01		
3.	त्रिपुरा	78.19	51.40	26.19		
4.	अरुणाचल प्रदेश	1243.55	277.21	606.46		
5.	मेघालय	506.55	127.45	703.96		
6.	नागालैंड	970.01	1169.19	649.02		
7.	मिजोरम	–	103.29	347.22		
8.	सिक्किम	129.82	–	–	–	69.59
9.	हिमाचल प्रदेश	824.77	4814.06	4650.79	4037.88	2238.23
10.	जम्मू और कश्मीर	138.62	594.51	280.23	275.86	69.54
11.	उत्तर प्रदेश	0.92	45.13	–	0.76	–
12.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	33.46	3.19
13.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–
14.	पश्चिम बंगाल (दार्जिलिंग)	–	42.82	36.88	–	36.26
	योग	6460.00	8500.00	8500.00	8600.00	9000.00

*मई, 2000 से एन ई डी एफ आई को पूर्वोत्तर क्षेत्र में पात्र एककों को राजसहायता संवितरित करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामोदिष्ट किया गया है (क्रम सं. 1–7) और तदनुसार निधियां एन ई डी एफ आई के पक्ष में जारी की जाती हैं।

विवरण-II

एन ई डी एफ आई/एन आई सी द्वारा किए गए राज्य–वार/स्कीम–वार/वर्ष–वार संवितरणों को दिखाता विवरण

केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना, 1997 (पूर्ण बनाए गए लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01	2001–02	2002–03	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	असम	–	–	–	0	389	150	539
3.	मणिपुर	–	–	–	0	0	0	0
4.	मेघालय	–	–	–	0	0	87	87
5.	मिजोरम	–	–	–	0	0	0	0
6.	नागालैंड	–	–	–	0	0	0	0
7.	त्रिपुरा	–	–	–	26	02	47	75
	योग				26	391	284	701

केन्द्रीय ब्याज राजसहायता योजना, 1997

क्र.सं.	राज्य का नाम	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01	2001–02	2002–03	योग
1.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	0	0	0	0
2.	असम	–	–	–	0	5	12	17
3.	मणिपुर	–	–	–	0	0	0	0
4.	मेघालय	–	–	–	0	20	0	2
5.	मिजोरम	–	–	–	0	0	0	0
6.	नागालैंड	–	–	–	0	0	0	0
7.	त्रिपुरा	–	–	–	0	0	0.1	00.1
	योग				0	25	12.1	37.11

केन्द्रीय व्यापक बीमा योजना, 1997

क्र.सं.	राज्य का नाम	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01	2001–02	2002–03	योग

इस योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में स्थित पात्र एककों के लिए राजसहायता संवितरित करने हेतु 2000–01 के दौरान राष्ट्रीय बीमा कम्पनी लि. (एन आई सी) को 10.00 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

एन आई सी द्वारा अभी इस योजना की रीतियां तय की जानी बाकी हैं।

विवरण-III

नौवीं योजना में अनुमोदित विकास केन्द्रों को जारी की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा

(31.3.2001 की स्थिति अनुसार)

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विकास केन्द्रों का नाम	नौवीं योजना				
		1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01	2001–02
1	2	3	4	5	6	7
I.	**आंध्र प्रदेश**					
1.	हिन्दुपुर					
2.	खम्माम					
3.	विजयनगरम्–बोबिली		100	11		
4.	अंगोले	150	200			
II.	**अरुणाचल प्रदेश**					
5.	निकलॉग गोरलंग		48	50		
III.	**असम**					
6.	चारिद्वार			150	100	
7.	मटिया	50		100	100	
IV.	**बिहार**					
8.	बेगुसराय					
9.	भागलपुर					
10.	छपरा					
11.	दरभंगा	50				
12.	मुजफ्फरपुर					
V.	**छत्तीसगढ़**					
13.	बोराई			125		
14.	सिलतारा					

1	2	3	4	5	6	7
	VI. गोवा					
15.	इलेक्ट्रॉनिक सिटी	150			150	
	VII. गुजरात					
16.	गांधीधाम				250	235
17.	पालनपुर				150	
18.	वागरा					
	VIII. हरियाणा					
19.	बावल					
20.	साहा	50			150	200
	IX. हिमाचल प्रदेश					
21.	कांगड़ा					
	X. जम्मू और कश्मीर					
22.	लस्सीपोरा	50			200	
23.	साम्बा		50	200		50
	XI. झारखंड					
24.	हजारीबाग					
	XII. कर्नाटक					
25.	धारवाड़					
26.	रायचूर		120		200	
27.	हसन	60				
	XIII. केरल					
28.	अलपुज्झा–मालापुरम	200	532			
29.	कन्नूर–कोजिकोड़					
	XIV. मध्य प्रदेश					
30.	चैनपुर					

1	2	3	4	5	6	7
31.	घिरोंगी					
32.	खेड़ा					
33.	सतलापुर				100	
XV.	**महाराष्ट्र**					
34.	अकोला	450		200	50	
35.	चन्द्रपुर	100	200	60	55	100
36.	धूले		50	200	50	80
37.	नांदेड़	550		200	100	60
38.	रत्नागिरि	200				
XVI.	**मणिपुर**					
39.	लामलेई–नापेट	50			100	
XVII.	**मेघालय**					
40.	मेंदीपथर					
XXIII.	**मिजोरम**					
41.	लोंगमाल				250	
XIX.	**नागागलैंड**					
42.	गणेशनगर		500	500	195	255
XX.	**उड़ीसा**					
43.	छतरपुर					
44.	कलिंगनगर–डुबुरी		50	50		450
45.	झारसुगुड़ा					150
46.	केरिंगा		50			75
XXI.	**पांडिचेरी**					
47.	पोलागाम	50		250		100
XXII.	**पंजाब**					
48.	भटिण्डा					

1	2	3	4	5	6	7
49.	पठानकोट					
XXIII.	**राजस्थान**					
50.	आबू रोड					
51.	खारा	50		100		
52.	भीलवाड़ा		100	150		
53.	धौलपुर	70				
54.	झालवाड़					
XXIV.	**तमिलनाडु**					
55.	इरोड़					
56.	तिरुनेलवेली					
57.	ओरागादम			50	150	600
XXV.	**त्रिपुरा**					
58.	बोधजंग नगर				250	270
XXVI.	**उत्तर प्रदेश**					
59.	बिजौली			100	200	243
60.	जमौर				200	65
61.	पाकवाड़ा				200	550
62.	डिबियापुर	50			50	50
63.	खुर्जा	170				
64.	सथारिया					117
65.	सहजनवा					
XXVII.	**पश्चिम बंगाल**					
66.	बोलपुर					50
67.	जलपाईगुड़ी					50
68.	मालदा					250
	योग	2500	2000	2496	3250	4000

[अनुवाद]

एन.सी.सी.एफ.

907. श्री रघुनाथ झा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को यह जानकारी है कि एन. सी.सी.एफ. ने दिल्ली में नौ फ्रैंचाइज कम्पनियों को लेखन–सामग्री भंडारों में एन.सी.सी.एफ. की ओर से व्यापार करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन फ्रैंचाइज कम्पनियों को अलग हटाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ एक बहु–राज्यीय सहकारी समिति है तथा इसके कारोबार तथा प्रशासनिक मामलों में निर्णय लेने के लिए इसका अपना निदेशक मंडल है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि उनके प्रबंधन द्वारा दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में लेखन सामग्री तथा कार्यालय उपयोग की अन्य वस्तुओं की बिक्री के लिए फ्रैंचाइज शोरूम खोलने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को शोरूम की देख–रेख तथा निगरानी वहां तैनात अपने कर्मचारियों द्वारा करानी होगी।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा स्थापित आठ फ्रैंचाइजी के परिणामों से उत्साहित होकर तथा सरकारी विभागों को तत्काल उपलब्धता तथा बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ का देश के सभी प्रमुख शहरों में, जहां उनकी शाखाएं स्थित हैं, ऐसे शोरूम खोलने का प्रस्ताव है।

विदेशी व्यापार में भारतीय मिशनों की भूमिका

908. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विदेशी व्यापार विकास में विदेशों में भारतीय मिशनों की क्या भूमिका है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में उनके कार्यकरण का मूल्यांकन करने हेतु कोई समीक्षा कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत दो वर्षों की तुलना में वर्ष 2001–2002 के दौरान भारतीय मिशनों को शामिल करके देश के विदेशी व्यापार में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई;

(ङ) देश के व्यापार को बढ़ावा प्रदान करने में विफल पाए गए भारतीय मिशनों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार द्वारा भारतीय मिशनों की अधिक भागीदारी के लिए कोई नीति परिवर्तन तैयार किया गया है/करने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) विदेश स्थित भारतीय मिशन विभिन्न निर्यात संवर्धन कार्यकलापों जैसे वाणिज्यिक शिष्टमंडल के दौरे, क्रेता–विक्रता बैठकें, संवर्धनात्मक, प्रदर्शनियों आदि को सहयोग देने के अलावा नीति निर्धारण के लिए बाजार आसूचना तथा अन्य निविष्टियां उपलब्ध कराते हैं।

(ख) और (ग) निर्यात संवर्धन सहित देश के आर्थिक हित के संवर्धन से संबंधित विदेश स्थित भारतीय मिशनों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन एवं समीक्षा एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

(घ) और (ङ) देश के विदेशी व्यापार में होने वाली वृद्धि अनेक कारकों पर निर्भर करती है जिनमें विदेश स्थित मिशन सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। विदेश व्यापार में किसी कमी या वृद्धि के लिए किसी एक कारक को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है।

(च) और (छ) सरकार ने एक व्यापार सुविधा चार्टर तैयार किया है, जिसमें भारत के लिए पर्याप्त वाणिज्यिक हित वाले देशों में स्थित भारतीय मिशनों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।

काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट्स में नामितियों की नियुक्ति

909. श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में छः व्यक्तियों को नामित करती है; और

(ख) यदि हां, तो इन नामितियों की इस नियुक्ति के मानदंड और प्रक्रिया क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तीन सरकारी अधिकारी हैं, तथा तीन को योगदान के लिए आवश्यक अनुभव, अर्हताओं और योग्यता के आधार पर व्यवसायिकों में से चुना जाता है। सरकारी नामित की अवधि उतनी है, जितनी सरकार द्वारा निर्धारित की जाए।

टाटा टेलीसर्विसेज

910. श्री सुबोध मोहिते : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी कार्य विभाग ने वी.एस.एन.एल. के सुरक्षित भण्डार में से टाटा टेलीसर्विसेज में निवेश करने से संबंधित टाटा के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी जांचों का क्या परिणाम निकला; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (घ) जी, हां। विभाग में मामले की अभी जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

राजस्थान में जनजातीय कल्याणकारी योजनाएं

911. डा. जसवंतसिंह यादव :
प्रो. रासासिंह रावत :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है और उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए योजना–वार कितनी धनराधि आवंटित की गई;

(ग) क्या धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) जनजातियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ी हुई हैं; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (घ) 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या 54,74,881 है। राजस्थान की जनजातियों के लाभ के लिए पिछले तीन सालों के दौरान चलाई जा रही कल्याण योजनाओं के ब्यौरे तथा स्कीमों के लिए निर्मुक्त की गई धनराशि, खर्च न की गई शेष बची राशि संलग्न विवरण में दी गई हैं। धनराशि का उपयोग करने में देरी के तथ्यात्मक कारण नीचे दिए गए हैं–

(i) राज्य सरकारों द्वारा जिलों की कार्यान्वयन एजेंसियों को समय पर धनराशि निर्मुक्त करना, और

(ii) उपयोग की गई राशि के ब्यौरे शीघ्रता से मंत्रालय को रिपोर्ट न किया जाना।

(ङ) और (च) राजस्थान सरकार ने तीन प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, यथा–

पहला प्रस्ताव है लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास योजना के अन्तर्गत सहायता अनुदान। प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई राजस्थान सरकार से मांगे गए स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर की जाएगी।

दूसरा प्रस्ताव विख्यात संस्थानों के माध्यम से शिक्षा, उदयपुर के आसपास वनरोपण, जल एकत्रीकरण ढांचा और कम्यूनिटी लिफ्ट इरीगेशन जैसी बद्धतापूर्ण स्कीमों के अन्तर्गत 406.65 लाख रुपये का है। प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

तीसरा प्रस्ताव अतिरिक्त कक्षाओं, छात्रावास, जल आपूर्ति, लघु–सिंचाई आदि जैसी गैरबद्धतापूर्ण स्कीमों के अन्तर्गत 1593.55 लाख रुपये का है। इस प्रस्ताव की भी जांच की जा रही है।

विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	योजना	1999–2000		2000–2001		2001–2002	
		निर्मुक्त धन राशि	खर्च न की गई बकाया राशि	निर्मुक्त धन राशि	खर्च न की गई बकाया राशि	निर्मुक्त राशि	खर्च न की गई बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जनजाति उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	2915.24	–440.22	2915.24	–345.31	3649.56	1923.74
2.	संविधान 275(1) के अनुदान के अन्तर्गत अनुदान	800.29	500.29	1700	500	2550	1550
3.	लड़कियों के छात्रावास	–	–	–	–	–	–
4.	लड़कों के छात्रावास	319.2	319.2	–	–	–	–
5.	शैक्षिक परिषद्	17.51	–	19.8	–	30.58	–
6.	व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (सरकारी)	–	–	–	–	–	–
7.	आश्रम विद्यालय	–	–	–	–	–	–
8.	रिसर्च और ट्रेनिंग संस्थान	1.7	–	11.03		4.53	4.53
9.	राज्य टी.डी.सी.एस. को सहायता अनुदान	25	–	–	–	251.61	251.61
10.	अन्न बैंक	–	–	–	–	–	–
11.	आदिम जन–जाति समूहों का विकास	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	राज्य जन–जाति वित्त विकास निगम	25	–		–	257.61	251.61
13.	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	218.31	–	529.76	–	580.29	580.29
14.	गैर–सरकारी संगठनों को अनुदान	24.49	–	30.21	–	28.23	–
15.	कोचिंग तथा सम्बद्ध	–	–	–	–	–	–
16.	बुक बैंक	–	–	–	–	6.00	6.00
17.	प्रतिभा उन्नयन	–	–	–	–	7.05	7.05
	कुल	4346.74	379.27	5206.04	154.69	7365.46	4574.83

[अनुवाद]

नशीली दवाओं और अफीम की तस्करी

912. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान स्वापक पदार्थों, नशीली दवाओं एवं अफीम की तस्करी के आन लाइन अवैध व्यापार की मिल रही लगातार रिपोर्टों की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो स्वापक पदार्थों के ऐसे अवैध व्यापार में क्या तौर–तरीके अपनाए गए हैं और ऐसी रिपोर्टों की जांच के आधार पर कितनी जब्ती की गई; और

(ग) ऐसे अवैध व्यापार को रोकने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) जांच–पड़ताल से पता चला कि कार्य–प्रणाली यह थी कि इंटरनेट पर वेबसाइट के जरिए स्वापक औषधियों, मुख्यतः मनःप्रभावी पदार्थों के लिए आर्डर प्राप्त किए जाते थे और ऐसे माल पर गलत लेबल लगाकर विदेशों में ग्राहकों को ई.एम.एस. स्पीड–पोस्ट द्वारा इस प्रकार के आर्डरों के प्रति प्रेषण किए जाते थे ताकि सीमा शुल्क से बचा जा सके। इन स्वापक औषधियों के लिए भुगतान क्रेडिट कार्ड के जरिए प्राप्त किए गए थे। मनःप्रभावी पदार्थों के ऑन–लाइन अवैध व्यापार के केवल एक मामले का अभी तक पता चला है जिसमें चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और विभिन्न नियंत्रित मनःप्रभावी पदार्थों की 2654 टिकिया जब्त की गई थीं।

(ग) स्वापक औषधियों को मुहैया करने की व्यवस्था और उन्हें बेचने के लिए इंटरनेट का दुरुपयोग विश्वभर में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के बीसवें सत्र ने इस खतरे से निपटने के लिए राज्य, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई करने की सिफारिश की थी। इस मामले पर, मार्च, 2002 में विएना में हुई स्वापक औषधि–आयोग के 45वें सत्र में भी विचार–विमर्श किया गया था। भारत सरकार भी इस समस्या पर विचार कर रही है और सरकार ने प्रवर्तन एजेंसियों को इस समस्या से सही ढंग से निपटने के लिए ऐसी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा है।

चर्म विकास परिषद द्वारा 'फोकस-जापान' कार्यक्रम

913. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चर्म विकास परिषद ने चमड़ा निर्यात के लिए जापान के साथ बेहतर संबंध विकसित करने के लिए एक फोकस–जापान कार्यक्रम आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) चर्म विकास परिषद किस सीमा तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रही है;

(घ) क्या सरकार ने चर्म विकास परिषद को जापान में प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए इसे वित्तीय सहायता भी प्रदान की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस धनराशि को खर्च करने के लिए जारी किए गए दिशा–निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) जी, हां। चमड़ा निर्यात परिषद ने जापान को चमड़ा उत्पादों के निर्यात में हमारे हिस्से को समेकित करने तथा बढ़ाने के लिए 'फोकस–जापान' नामक एक व्यापक बाजार विकास तथा निर्यात संवर्धन कार्यक्रम की योजना बनाई है। इस कार्यक्रम में जापानी चमड़ा क्षेत्र से संबंधित बाजार अध्ययन, भारतीय जापानी क्रेता–विक्रेता बैठकों पर एक संगोष्ठी का आयोजन तथा जापानी क्रेताओं के बीच भारतीय विनिर्माताओं की योग्यताओं के बारे में चेतना उत्पन्न करने हेतु चेतना प्रचार कार्यक्रमों का आयोजन शामिल हैं।

(ग) जापान को चमड़े तथा चमड़ा उत्पादों का निर्यात वर्ष 1998–99 में 7.30 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2001–02 में 15.32 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है।

(घ) से (च) सरकार ने बाजार अभिगम पहल (एम ए आई) योजना के तहत विभिन्न कार्यकलापों जिनमें बाजार अध्ययन, प्रचार तथा क्रेता–विक्रता बैठकों का आयोजन शामिल है, को चलाने के लिए 76.66 लाख रुपए की मंजूरी दी है। निधियों को एम ए आई योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना आवश्यक है।

निजी पेंशन निधिप्रदाता

914. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी पेंशन निधिप्रदाताओं को इस क्षेत्र में प्रवेश देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निजी सेवा प्रदाताओं को किस सीमा तक प्रवेश की अनुमति दी जाएगी?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ग) वर्ष 2001–2002 के बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार, 1 अक्टूबर, 2001 के बाद सरकारी सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पर आधारित एक नई पेंशन स्कीम का विचार करते हुए, पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ दल का गठन किया गया। विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट फरवरी, 2002 में प्रस्तुत कर दी। रिपोर्ट अन्य बातों के साथ–साथ, सिविल कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक मिश्रित परिभाषित लाभ/परिभाषित अंशदान का ध्यान रखती है। उक्त रिपोर्ट बड़े जोखिम धारकों तथा व्यावसायिक विशेषज्ञों से प्रतिनिधियों वाले एक न्यासी बोर्ड के गठन पर विचार करती है। न्यासी बोर्ड के सम्पूर्ण नियंत्रण के अधीन, निवेश समिति जो न्यासी बोर्ड का एक उप–भाग होगी, निवेश के लिए दिशानिर्देश निर्धारित, निवेश अनुवीक्षण के लिए दिशानिर्देश तय तथा ठोस लेखाकरण प्रणालियां निर्धारित करेगी।

अमरीका और यूरोप को आमों का निर्यात

915. डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आम अमरीका और यूरोप के बाजारों में पैठ नहीं बना पाए हैं जैसा कि 14 जून, 2002 के हिन्दुस्तान टाइम्स का समाचार है;

(ख) यदि हां, तो भारत विश्व में आमों के उत्पादन का 46% उत्पादित करता है, तथापि क्या इनके वैश्विक व्यापार में उसका हिस्सा मात्र 16% ही है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अमरीकी बाजारों में आमों का स्थायी रूप से प्रवेश रोक दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(च) क्या गुणवत्ता संबंधी न्यूनताओं के कारण यूरोप में भी भारतीय आमों का प्रवेश नहीं हो सका है; और

(छ) यदि हां, तो आमों के निर्यात को बढ़ावा देने के और आम–उत्पादकों को नवीनतम सुविधाएं/उपस्कर मुहैया कराने के लिए सरकार ने क्या निवारक कदम उठाए हैं ताकि वे विदेशी व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ रह सकें?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (च) संयुक्त राज्य अमरीका को ताजे आमों का निर्यात संगरोध विनियमों द्वारा सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। तथापि, आमों/आम उत्पादों का निर्यात यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमरीका को भी किया जा रहा है। खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ ए ओ) द्वारा रखे गए 2000 के व्यापार आंकड़ों के अनुसार भारत का विश्व व्यापार में मात्रा की दृष्टि से 6% हिस्सा है।

(छ) सरकार ने अन्य बातों के साथ–साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में कृषि–निर्यात जोनों की स्थापना करके व्यक्तिगत निर्यातकों को बुनियादी सुविधाओं, इत्यादि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके आमों के निर्यात को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं।

आयकर विभाग का 'शेयर ब्रोकर्स सर्किल'

916. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के आयकर विभाग के 'शेयर ब्रोकर्स सर्किल' के बन्द होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिवक्ताओं, अभियंताओं और चिकित्सा पेशे से जुड़े अन्य पेशेवरों के आयकर निर्धारण–सर्किल अभी भी कार्यरत हैं;

(ग) यदि हां, तो फिर 'शेयर ब्रोकर्स सर्किल' के बन्द हो जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। आयकर विभाग की पुनर्संरचना के पश्चात् कम्पनियों के अलावा, शेयर दलालों का कर–निर्धारण उनके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वाले कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जबकि शेयर दलाल कम्पनियों का कर–निर्धारण कम्पनी प्रभारों, जहां क्षेत्राधिकार वर्णानुक्रम रूप से हैं, में किया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) चूंकि दिल्ली में कर निर्धारित शेयर दलालों की संख्या बहुत कम है, अतः उनके केन्द्रीयकरण पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया था।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्राक्कलन संबंधी समिति

917. श्री सुरेश कुरुप : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राक्कलन–प्रक्रिया को विश्वस्तरीय मानकों के सम्मत बनाने के उद्देश्य से किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति के कार्य में प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह) : (क) से (ग) इस कार्य के लिए अनौपचारिक समिति का गठन किया गया जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक तथा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। समिति द्वारा इस कार्य को शीघ्र ही पूरा करने की आशा है।

लघु उद्योग क्षेत्र

918. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथ की बुनाई से तैयार वस्त्रों और सिलाई मशीन की बुनाई से तैयार वस्त्रों को लघु उद्योग क्षेत्र से निकाल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस निर्णय की वजह से लघु उद्योगों को होने वाली परेशानियों के निवारण के उद्देश्य से उन्हें प्रतिपूर्ति करने हेतु सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) सरकार द्वारा सिले–सिलाये बने परिधान तथा सिंथेटिक निटिड गैस–मैंटल परिधान को लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण हेतु अनारक्षित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, लघु उद्योग क्षेत्र के तहत निटिड परिधानों तथा निटवियरों में निवेश सीमा को 1.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

(ख) इसका कारण प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु अवसरों का सृजन, उत्पादकता में बढ़ोत्तरी, गुणवत्ता जागरूकता, उत्पाद विविधिकरण, निर्यात में बढ़ोतरी तथा नई विपणन नीतियां, रोजगार अवसरों में बढ़ोतरी आदि है।

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए 30 अगस्त, 2000 को सरकार द्वारा एक व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की गई है। इस पैकेज के अन्तर्गत राजकोषीय एवं ऋण सहायता को बढ़ाना, बेहतर अध्यसंरचनात्मक एवं विपणन सुविधाएं तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं। इस नीति पैकेज का मुख्य उद्देश्य लघु उद्योग क्षेत्र को सुदृढ़ बनाना तथा घरेलू तथा वैश्विक दोनों रूप से इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है।

[हिन्दी]

जर्मनी से सहायता

919. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी, भारत–जर्मनी द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत की विभिन्न परियोजनाओं हेतु 360 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह धनराशि किन–किन परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 2000 और 2001 के लिए भारत–जर्मनी द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत में निम्नलिखित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जर्मनी सरकार ने 179 मिलियन ड्यूश मार्क (लगभग 360 करोड़ रुपये) की वित्तीय सहायता दी है–

क्र.सं.	परियोजना	मिलियन ड्यूश मार्क में राशि	अनुदान/ ऋण
1.	जलसंभर विकास कार्यक्रम, चरण–III (महाराष्ट्र)	39	अनुदान
2.	गंदीबस्ती सुधार परियोजना, नागपुर	11	अनुदान
3.	ग्रामीण जलापूर्ति, राजस्थान (विस्तार)	10	अनुदान
4.	पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम–III	20	अनुदान
5.	ग्रामीण वित्तीय मध्यवर्तियों का पूंजीकरण	8	अनुदान
6.	भारतीय लघु उद्योग	29.8	ऋण
	विकास बैंक–III	1.2	अनुदान
		31.0	
7.	उर्वरक क्षेत्र कार्यक्रम–VII	40	ऋण
8.	एचडीएफसी–IV (गुजरात भूकम्प पुनर्निमाण कार्यक्रम	20	अनुदान
	जोड़	179	

हीरों का निर्यात

920. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व हीरा–व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितनी है;

(ख) हीरों के निर्यात से प्रतिवर्ष भारत को अनुमानित रूप से कितनी विदेशी मुद्रा की आय होती है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के प्रथम तीन महीनों के दौरान कितनी मात्रा और मूल्य के तराशे हुए व पालिश किए गए हीरों का निर्यात किया गया तथा इनका किन–किन देशों को निर्यात किया गया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) तराशे तथा पालिश किए गए हीरे के विश्व के निवल निर्यातों में भारत का वर्तमान हिस्सा 55% है।

(ख) पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान तराशे तथा पालिश किए गए हीरे के निर्यातों का बोर्ड पर्यन्त निशुल्क मूल्य निम्नानुसार है–

(मिलियन अमरीकी डालर)

वर्ष	तराशे तथा पालिश किए गए हीरे के निर्यात
1999–2000	6647.82
2000–2001	6186.70
2001–2002 (अनंतिम)	5971.91

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल से जून, 2002 तक के महीनों के दौरान, तराशे तथा पालिश किए गए हीरे का मात्रा के अनुसार 90.44 लाख कैरेट का निर्यात किया गया है जिसका मूल्य 1516.18 मिलियन अमरीकी डालर (7,383.62 करोड़ रुपये) इन हीरों का निर्यात अमरीका, हांगकांग, बेल्जियम, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, थाइलैंड, यू.के. आदि को किया गया था।

किसान क्रेडिट कार्ड

921. **श्री अजय सिंह चौटाला :**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने क्या मानदंड बनाए हैं और इस प्रयोजनार्थ किन–किन बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को नामोदिष्ट किया गया है;

(ख) विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा किसानों को आज तक राज्य–वार कितने क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं;

(ग) क्या किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने के संबंध में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनियमितताएं बरते जाने की कोई शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार को प्राप्त शिकायतों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है और इन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) भविष्य में इस बारे में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) योजना के कार्यान्वयन के लिए परिचालन अनुदेशों के अनुसरण में बैंक उन किसानों को के.सी.सी उपलब्ध करा सकते हैं जो खेती के प्रयोजनों के लिए उत्पादन ऋण की मंजूरी के पात्र हैं। योजना मुख्यतया किसानों की अल्पावधि ऋण आवश्यकता को पूरा करती है और इसका कार्यान्वयन वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा किया जाता है।

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार योजना के आरम्भ से 31 मार्च, 2002 तक सभी बैंकों द्वारा एक साथ मिलकर सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में किसानों को 2.37 करोड़ के.सी.सी जारी किए जा चुके हैं। राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए हैं।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड ने सूचित किया है कि किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी करने से हुई अनियमितताओं के संबंध में किसी बैंक को कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, के.सी.सी. योजना के कार्यान्वयन एवं परिचालन समस्याओं पर किए गए अध्ययन के दौरान नाबार्ड के ध्यान में कुछ शिकायतें आई थीं। ये शिकायतें 5000/– रुपए से कम की ऋण सीमा की आवश्यकता वाले किसानों को शामिल न करने, के.सी.सी. योजना की जानकारी की कमी, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ न पाने वाले किसान, किसानों को बारम्बार आहरण/चुकौतियों की अनुमति देने में बैंकों की तरफ से अनिच्छा जाहिर करना, बोझिल प्रलेखीकरण आदि से संबंधित थी। नाबार्ड ने इन शिकायतों की जांच की है और के.सी.सी जारी करने की प्रक्रिया को भी सरलीकृत किया है। 5,000/– रुपए से कम की ऋण सीमा की आवश्यकता वाले किसानों को शामिल न करने की शर्त को वापिस लिया जा चुका है। बैंकों को उनके सामने आई अन्य प्रकार की शिकायतों के संबंध में भी सलाह दी गई है और इन्हें ठीक करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

विवरण

प्रारम्भ से 31 मार्च, 2002 तक सभी बैंकों द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्डों का राज्य–वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	वाणिज्यिक बैंक	सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	554	597	0	1151
2.	आंध्र प्रदेश	1356592	3168667	309040	4834299
3.	अरुणाचल प्रदेश	151	74	246	471
4.	असम	14001	144	3211	17356
5.	बिहार	270333	263081	23324	556738
6.	छत्तीसगढ़	16139	132947	14601	163687
7.	गोवा	1672	651	0	2323
8.	गुजरात	381490	516928	61042	959672
9.	हरियाणा	177981	648651	33040	859672
10.	हिमाचल प्रदेश	42923	22272	2419	67614
11.	जम्मू और कश्मीर	2481	22278	1760	26519
12.	झारखंड	44787	77279	15268	137334
13.	कर्नाटक	653555	646461	250227	1550243
14.	केरल	426499	204470	153488	784457
15.	लक्षद्वीप	98	0	0	98

1	2	3	4	5	6
16.	मध्य प्रदेश	293124	460821	39915	793860
17.	महाराष्ट्र	484291	2170923	48765	2703979
18.	मणिपुर	621	0	177	798
19.	मेघालय	1434	670	1255	3359
20.	मिजोरम	8	1094	0	1102
21.	नागालैंड	10	10	6	26
22.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	721	1228	0	1949
23.	उड़ीसा	171206	1030089	67717	1269012
24.	पांडिचेरी	10421	1765	0	12186
25.	पंजाब	414533	665453	19660	1099646
26.	राजस्थान	244255	1550473	47345	1842073
27.	सिक्किम	439	347	0	786
28.	तमिलनाडु	789468	933565	54326	1777269
29.	त्रिपुरा	1780	1096	1047	3923
30.	उत्तर प्रदेश	1258625	1926633	478180	3663438
31.	उत्तरांचल	14713	117371	5286	137350
32.	पश्चिम बंगाल	197085	234488	30440	462013
	कुल	7271990	14800526	1661675	23734191

[अनुवाद]

एशियाई विकास बैंक से
प्राप्त ऋण

922. श्री बसुदेव आचार्य : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा एशियाई विकास बैंक द्वारा कार्य आरम्भ करने से लेकर आज तक इससे प्राप्त राशि के उपयोग के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस धनराशि को राज्य सरकारों को आवंटित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस राशि से शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इससे किन-किन परियोजनाओं को पूरा किया गया है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को एशियाई विकास बैंक से और धनराशि प्राप्त होगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च) एशियाई विकास बैंक भारत सरकार को प्रत्येक वर्ष परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता मुहैया करता रहा है। तथापि, ऐसी सहायता के ब्यौरों की जानकारी परियोजनाओं के मूल्यांकन, की गई वार्ताओं और ऋण की मंजूरी के बाद ही मिलती है।

विवरण

दिनांक 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार भारत को उनके सरकारी क्षेत्र के प्रचालनों के तहत एडीबी द्वारा अनुमोदित कुल ऋण

क्र.सं.	ऋण सं.		परियोजना का नाम		राशि मिलियन अमरीकी डालर	उपयोग 31.3.2002	अनुमोदन की तिथि	ऋण की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	0778	इण्ड	भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि.	समाप्त	100.000	98.788	3.4.1986	7.11.1991
2.	0842	इण्ड	पत्तन विकास	समाप्त	87.600	52.667	24.9.1987	20.8.1993
3.	0855	इण्ड	लघु और मध्यम स्तर के उद्योग	समाप्त	100.000	88.209	3.11.1987	24.2.1993
4.	0857	इण्ड	रेलवे	समाप्त	190.000	177.837	10.11.1987	31.3.2004
5.	0886	इण्ड	दूरसंचार		135.000	88.214	4.4.1988	31.3.1997
6.	0907	इण्ड	ऊंचाहार तापीय विद्युत विस्तार	समाप्त	160.000	126.676	29.9.1988	4.4.2001
7.	0954	इण्ड	द्वितीय दूरसंचार	समाप्त	118.000	67.962	9.2.1989	6.10.1995
8.	0975	इण्ड	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	समाप्त	150.000	104.501	24.10.1989	21.5.1994
9.	1072	इण्ड	दूसरा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि.	समाप्त	120.000	60.533	18.12.1990	5.1.1995
10.	1081	इण्ड	दूसरी सहायता	समाप्त	150.000	150.000	4.4.1991	23.4.1991
11.	1117	इण्ड	गंधार क्षेत्र विकास	समाप्त	267.000	198.563	14.11.1991	1.8.1997
12.	1140	इण्ड	द्वितीय रेलवे	समाप्त	225.000	104.834	5.12.1991	8.12.1999
13.	1148	इण्ड	हाइड्रोकार्बन क्षेत्र कार्यक्रम	समाप्त	250.000	125.000	17.12.1991	18.9.1997

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	1161	इण्ड	विद्युत कार्यदक्षता क्षेत्र	समाप्त	250.000	189.422	26.3.1992	18.12.1998
15.	1181	इण्ड	कोयला पत्तन	समाप्त	285.000	233.594	27.10.1992	31.12.2001
16.	1208	इण्ड	वित्तीय क्षेत्र कार्यक्रम	समाप्त	300.000	300.000	15.12.1992	4.11.1996
17.	1212	इण्ड	ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुधार	*	39.300	0.000	17.12.1992	27.12.1995
18.	1222	इण्ड	गैस फ्लेयरिंग रीडक्शन	समाप्त	300.000	241.033	30.3.1993	13.11.1997
19.	1274	इण्ड	राष्ट्रीय राजमार्ग		245.000	224.559	29.11.1993	31.12.2002
20.	1279	इण्ड	बम्बई–वड़ोदरा एक्सप्रेसवे तकनीकी सहायता	*	12.700	0.000	2.12.1993	25.10.1996
21.	1285	इण्ड	गैस पुनःसुधार तथा विस्तार	समाप्त	260.000	157.475	7.12.1993	22.6.1998
22.	1343	इण्ड	औद्योगिक ऊर्जा कार्यदक्षता	समाप्त	150.000	150.000	13.12.1994	27.9.2000
23.	1405	इण्ड	विद्युत पारेषण (क्षेत्र)	समाप्त	275.000	226.860	16.11.1995	31.3.2003
24.	1408	इण्ड	पूंजी बाजार विकास कार्यक्रम	समाप्त	250.000	250.000	28.11.1995	31.3.1999
25.	1416	इण्ड	कर्नाटक शहरी आधारभूत ढांचा विकास	समाप्त	20.000	20.000	14.12.1995	26.1.2001
26.	1465	इण्ड	नवीकरणीय ऊर्जा विकास		100.000	56.912	26.9.1996	16.7.2002
27.	1480	इण्ड	औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि.		150.000	150.000	7.11.1996	26.9.2002
28.	1481	इण्ड	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि.		100.000	62.498	7.11.1996	27.9.2002
29.	1482	इण्ड	एसीआईसीआई लि.	*	50.000	0.000	7.11.1996	9.11.2000
30.	1495	इण्ड	ग्रामीण दूरसंचार	*	113.000	0.000	28.11.1996	6.11.1998
31.	1549	इण्ड	आवास वित्त (राष्ट्रीय आवास बैंक)		100.000	100.000	25.9.1997	30.6.2003
32.	1550	इण्ड	आवास वित्त (आवास और शहरी विकास निगम)		100.000	100.000	25.9.1997	30.6.2003
33.	1551	इण्ड	आवास वित्त (आवास विकास वित्त निगम)		100.000	100.000	25.9.1997	30.6.2003

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.	1556	इण्ड	मुम्बई और चेन्नई पत्तन–एमबीपीटी	समाप्त	97.800	43.417	29.9.1997	1.6.2001
35.	1557	इण्ड	मुम्बई और चेन्नई पत्तन–सीएचपीटी		15.200	4.351	29.9.1997	30.3.2003
36.	1591	इण्ड	एलपीजी पाइपलाइन	समाप्त	150.000	98.190	16.12.1997	1.3.2002
37.	1719	इण्ड	शहरी और पर्यावरणीय आधारभूत ढांचा संबंधी सुविधा (हुडको)	***	90.000	0.000	17.12.1999	2.7.2001
38.	1720	इण्ड	शहरी और पर्यावरणीय आधारभूत ढांचा संबंधी सुविधा (आईसीआईसीआई)		80.000	0.727	17.12.1999	22.9.2006
39.	1721	इण्ड	शहरी और पर्यावरणीय आधारभूत ढांचा संबंधी सुविधा (आईडीएफसी)		30.000	0.000	17.12.1999	22.9.2006
40.	1747	इण्ड	सूरत–मनौर टोलवे		180.000	20.360	27.7.2000	30.9.2004
41.	1758	इण्ड	आवास वित्त II–आवास तथा शहरी विकास निगम	**	100.000	0.000	21.9.2000	7.9.2001
42.	1759	इण्ड	आवास वित्त II–राष्ट्रीय आवास बैंक		40.000	10.400	21.9.2000	30.6.2007
43.	1760	इण्ड	आवास वित्त II–आवास विकास वित्त निगम	**	80.000	0.000	21.9.2000	8.10.2001
44.	1761	इण्ड	आवास वित्त II–आईसीआईसीआई		80.000	0.000	21.9.2000	30.6.2007
45.	1764	इण्ड	विद्युत संप्रेषण सुधार (क्षेत्र)		250.000	23.257	6.10.2000	31.3.2006
46.	1839	इण्ड	पश्चिमी परिवहन गलियारा		240.000	2.400	20.9.2001	31.12.2005
47.	1871	इण्ड	राज्य स्तर पर निजी क्षेत्र आधारभूत सुविधा–आईएल एण्ड एफ एस		100.000	0.000	11.12.2001	31.12.2006
48.	1872	इण्ड	राज्य स्तर पर निजी क्षेत्र आधारभूत सुविधा–ओ ीबीआई		100.000	0.000	11.12.2001	31.12.2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9
तमिलनाडु								
49.	0798	इण्ड	उत्तरी मद्रास तापीय विद्युत	समाप्त	150.000	110.391	18.11.1986	7.1.1999
50.	1029	इण्ड	द्वितीय उत्तरी मद्रास तापीय विद्युत	समाप्त	200.000	150.309	30.8.1990	19.10.2000
आंध्र प्रदेश								
51.	0988	इण्ड	रायलसीमा तापीय विद्युत	समाप्त	230.000	178.198	21.11.1989	7.4.1997
गुजरात								
52.	1803	इण्ड	गुजरात विद्युत क्षेत्र विकास–कार्यक्रम उधार		150.000	51.500	13.12.2000	31.12.2002
53.	1804	इण्ड	गुजरात विद्युत क्षेत्र विकास–परियोजना उधार		200.000	2.313	13.12.2000	30.6.2005
54.	1506	इण्ड	गुजरात विद्युत क्षेत्र संसाधन प्रबंध कार्यक्रम	समाप्त	250.000	250.000	18.12.1996	31.12.2000
55.	1826	इण्ड	गुजरात भूकम्प पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण		500.000	80.000	26.3.2001	30.6.2004
मध्य प्रदेश								
56.	1868	इण्ड	मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास–कार्यक्रम उधार		150.000	66.500	6.12.2001	31.12.2003
57.	1869	इण्ड	मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास–परियोजना उधार		200.000	2.000	6.12.2001	30.6.2006
58.	1717	इण्ड	मध्य प्रदेश विद्युत जन संसाधन प्रबंध कार्यक्रम		250.000	175.000	14.12.1999	30.9.2002
कर्नाटक								
59.	1415	इण्ड	कर्नाटक शहरी आधारभूत विकास		85.000	52.909	14.12.1995	30.6.2004
60.	1704	इण्ड	कर्नाटक शहरी विकास तथा तटीय पर्यावरण प्रबंध		175.000	1.477	26.10.1999	30.6.2005
राजस्थान								
61.	1647	इण्ड	राजस्थान शहरी आधारभूत विकास		250.000	1.280	3.12.1998	30.6.2005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
पश्चिम बंगाल									
62.	1813	इण्ड	कलकत्ता पर्यावरणात्मक सुधार		250.000	0.000	18.12.2001	31.12.2007	
63.	1870	इण्ड	पश्चिम बंगाल गलियारा विकास परियोजना		210.000	0.000	11.12.2001	30.6.2007	
द्विपक्षीय/बहुराज्यीय									**लाभानुभोगी राज्य**
64.	1016	इण्ड	द्वितीय पत्तन	समाप्त	129.000	109.262	29.3.1990	6.10.1997	**काकीनाडा (आं. प्र.)**
65.	1041	इण्ड	द्वितीय सड़क	समाप्त	250.000	250.000	30.10.1990	10.5.2000	आं. प्र., उड़ीसा, उ. प्र., प. बं.
66.	0918	इण्ड	सड़क सुधार	समाप्त	198.000	172.862	10.11.1988	16.2.1999	आं.प्र., हरियाणा, उ.प्र., कर्नाटक, तमिलनाडु
			जोड़		10,712.600				

*उधार प्रभावी होने से पहले समाप्त किया गया।
**उधार पर हस्ताक्षर नहीं हुए परन्तु समाप्त किया गया।
***उधार प्रभावी होने के बाद समाप्त किया गया।

[हिन्दी]

हवाला लेन-देन

923. श्री मानसिंह पटेल :
श्री लक्ष्मण गिलुवा :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में सक्रिय आतंकवादी संगठनों का वित्त पोषण हवाला लेन–देन और जम्मू और कश्मीर के कुछ मुस्लिम संगठनों को विदेश स्थित नेताओं के माध्यम से प्राप्त भारी धनराशि से हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया; और

(ग) इस प्रकार भारी मात्रा में धन की आवक को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने हवाला लेन–देन के ऐसे सात मामलों का पता लगाया है।

(ग) सभी मामलों में संबंधित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम/विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के अंतर्गत लागू होने वाले अधिनियम के अनुसार अभियोजन चलाकर और/अथवा कारण बताओ नोटिस जारी करके कार्रवाई की गई है। इस प्रकार के हवाला प्रचालकों के बारे में और अधिक सतर्क रहने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को चौकस कर दिया गया है।

[अनुवाद]

यूरोपीय संघ द्वारा भारतीय बासमती चावल पर प्रतिबंध

924. श्री जे. एस. बराड़ : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में यूरोपीय संघ को बासमती चावल का कितना निर्यात हो रहा है;

(ख) क्या यूरोपीय संघ ने बासमती की वर्तमान आयात प्रक्रिया में बदलाव लाकर, भारत द्वारा यूरोपीय संघ के देशों के बाजारों में निर्यात की जा सकने वाली मात्रा निर्धारित कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यूरोपीय संघ के इस फैसले से भारत से बासमती निर्यात पर कितना असर होगा; और

(ङ) भारतीय बासमती–निर्यातकों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) वर्ष 2000–02 के दौरान यूरोपीय संघ को 293.97 करोड़ रुपए मूल्य के कुल 100794 मी.टन का निर्यात किया गया था। (स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कलकत्ता)

(ख) बासमती चावल की यूरोपीय संघ की वर्तमान आयात प्रणाली में अब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

आयकर विभाग के अधिकारियों के घरों पर छापे

925. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयकर विभाग के कुछ अधिकारियों के घरों पर छापे मारने की कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन छापों में कितनी धनराशि जब्त की गई; और

(घ) आयकर विभाग में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या निवारक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिकारियों के आवासों पर कोई छापे नहीं मारे गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आयकर निदेशक (सतर्कता) के पद को आयकर महानिदेशक (सतर्कता) के रूप में अपग्रेड करके आयकर विभाग के सतर्कता ढांचे को पुनर्गठित किया गया है, जो अब विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। इसके अलावा, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में चार आयकर निदेशालय (सतर्कता) सृजित किए गए हैं। इन निदेशालयों की अध्यक्षता आयकर आयुक्त के रैंक के अधिकारियों द्वारा की जाती है। कर–निर्धारण से संबंधित मामलों पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मुख्य आयकर आयुक्तों तथा आयकर आयुक्तों की संख्या में भी वृद्धि की गई है।

सुपर बाजार

926. श्री रामदास आठवले : क्या उपभोक्ता मामले **खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक सुपर बाजार की वर्ष–वार वार्षिक बिक्री कितनी रही है;

(ख) सुपर बाजार के खातों की किस वर्ष तक की लेखापरीक्षा की गई है;

(ग) सुपर बाजार के खातों में लेखापरीक्षकों द्वारा पाई गई अनियमितताओं/कदाचारों का वर्ष–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों के दौरान सुपर बाजार की वार्षिक बिक्री इस प्रकार रही–

वित्तीय वर्ष	करोड़ रुपए में
1999–2000 (लेखा परीक्षित)	81.67
2000–2001 (गैर–लेखा परीक्षित)	36.63
2001–2002 (गैर–लेखा परीक्षित)	21.10
2002–2003 (जून, 2002 तक) (अनन्तिम)	3.48

(ख) सुपर बाजार के वित्तीय वर्ष 1999–2000 तक के वार्षिक लेखे लेखा परीक्षित कर लिए गए हैं।

(ग) और (घ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में सुपर बाजार के ध्यान में किसी प्रकार की अनियमितताएं/कदाचार नहीं लाए गए हैं।

विशेष आर्थिक जोन

927. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :
डा. वी. सरोजा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में अब तक संस्वीकृत और स्थापित किए गए विशेष आर्थिक जोनों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से उन विशेष आर्थिक जोनों के संदर्भ में ब्यौरा क्या है जहां कामकाज शुरू हो गया है अथवा शीघ्र शुरू होने जा रहा है;

(ग) इन विशेष आर्थिक जोनों के लिए राजकोषगत और अन्य कौन से प्रोत्साहनकारी उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) इन विशेष आर्थिक जोनों में अपना कार्यकरण शुरू करने के प्रति विदेशी कंपनियों का रुख क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने देश के समस्त संस्वीकृत विशेष आर्थिक जोनों में प्रचालन शुरू करने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) इस मामले में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ज) शेष विशेष आर्थिक जोनों के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार द्वारा सांताक्रुज (महाराष्ट्र), कोचीन (केरल) और कांडला (गुजरात) में स्थापित तीन निर्यात संसाधन जोनों और सूरत (गुजरात) स्थित एक निजी क्षेत्र के एक ई पी जैड को 1.11.2000 को एस ई जैड में परिवर्तित कर दिया गया है जो कार्य कर रहे हैं। नीति के अनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा किसी नए एस ई जैड की स्थापना नहीं की जानी है। इसके अलावा, संयुक्त क्षेत्र में मै. गुजरात पोजिट्रा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा पोजिट्रा (गुजरात) में और महाराष्ट्र सरकार द्वारा नवी मुंबई (महाराष्ट्र) में, नांगुनेरी (तमिलनाडु), कुल्पी और साल्ट लेक (पश्चिम बंगाल), पारादीप और गोपालपुर (उड़ीसा), भदोही, कानपुर और ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.), काकीनाडा (आंध्र प्रदेश), इन्दौर (मध्य प्रदेश) और हसन (कर्नाटक) में उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 13 विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(ग) एस ई जैड योजना के अंतर्गत प्रस्तावित प्रोत्साहनों में शामिल है–एस ई जैड के विकास और एकक की स्थापना हेतु वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात/घरेलू खरीद स्वतः प्रणाली के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पहले पांच वर्षों के लिए आयकर में 100% छूट और इसके बाद दो वर्ष के लिए 50% कर, विदेशों में उत्पादन के एक भाग के संबंध में उप संविदा करना, एस ई जैड एककों द्वारा घरेलू खरीदों पर केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति/छूट, एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट में 100% विदेशी मुद्रा रखना और रिकार्ड कीपिंग जैसे कार्य का क्रियाविधिक सरलीकरण इत्यादि।

(घ) एस ई जैड में एककों की स्थापना में विदेशी कंपनियों सहित उद्यमियों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही है।

(ङ) से (ज) चूंकि उपर्युक्त एस ई जैस संयुक्त क्षेत्र

में राज्य सरकार द्वारा स्थापित करने के लिए हाल ही में अनुमोदित किए गए हैं इसलिए इन एस ई जैड द्वारा कार्य प्रारंभ करने की समय सीमा बताना संभव नहीं होगा।

असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना

928. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या आई.आर.डी.ए. ने देश के 28 करोड़ श्रमिकों को एक नयी पेंशन योजना के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की रूपरेखा बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह योजना आर्थर एंडरसन द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित है;

(ङ) यदि हां, तो यह योजना कब तक शुरू किए जाने का अनुमान है;

(च) इस योजना के कार्यान्वयन में संभावित रूप से किन-किन वित्तीय संस्थाओं द्वारा भागीदारी करने का अनुमान है;

(छ) क्या इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुछ राष्ट्रों से उनकी पेंशन निधि के विषय में कोई चर्चा की गई थी; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ग) सरकार ने आईआरडीए से असंगठित क्षेत्र में पेंशन सुधारों संबंधी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है, आईआरडीए की रिपोर्ट में सिफारिश की गई इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) जी, नहीं। आईआरडीए ने सूचित किया है कि यह रिपोर्ट व्यक्तियों के एक समूह के सदस्यों जिसमें मैसर्स आर्थर एंडरसन का प्रबंध पार्टनर एक सदस्य था, के बीच हुए विचार-विमर्श पर आधारित है।

(ङ) वर्तमान में कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

(च) आईआरडीए ने सूचित किया है कि संभावित रूप से भागीदार वित्तीय संस्थाओं के नाम केवल इस योजना को तैयार करने तथा घोषित करने के बाद ही ज्ञात हो सकेंगे।

(छ) और (ज) आईआरडीए ने सूचित किया है कि उनके द्वारा इस संबंध में विदेशों के साथ कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया था, परन्तु दूसरे देशों में पेंशन निधि के कुछ दाताओं को प्राप्त हुए अनुभव प्राधिकरण के पास उपलब्ध हैं।

विवरण

आईआरडीए द्वारा सिफारिश की गई पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं

1. यह व्यवस्था स्वैच्छिक होने के कारण भागीदार तथा अंशदाताओं दोनों के साथ पूर्णतः स्वैच्छिक रूप से तैयार की गई है।

2. इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य उस असंगठित क्षेत्र के संबंध में है जिसे वर्तमान में उपलब्ध किसी पेंशन योजना में कवर नहीं किया गया है।

3. यह व्यवस्था ऐसा संगठन सुनिश्चित करती है जो अंशदाताओं तथा विनियामक के बीच कड़ी का काम करेगी।

4. यह व्यवस्था उपभोक्ताओं को विभिन्न योजनाओं की सरलता से तुलना करने के लिए निम्न तथा स्पष्ट प्रभारों पर जोर देगी।

5. बहु-प्रदाताओं की व्यवस्था के माध्यम से प्रतिस्पर्धा पर जोर देने से यह सुनिश्चित होगा कि ये प्रयास निरन्तर लागत, निधि प्रबंधन तथा उपभोक्ता सेवा के संबंध में एक-दूसरे को सहयोग दें।

6. यह व्यवस्था प्रदाताओं तथा उत्पादों के साथ-साथ उनकी बिक्री प्रक्रिया को नियमित करेगी, इस प्रकार यह लोगों की निधियों की सुरक्षा का अनुरक्षण करते समय लागत तथा जटिलता को कम करेगी।

7. यह व्यवस्था कतिपय सीमा स्तर की अनिवार्य वार्षिकी

के लिए भी योजना बनाएगी; कतिपय विनिर्दिष्ट कारणों के लिए इस राशि से आगे संचित राशि के आहरणों अथवा उसके न्यूनीकरण की अनुमति दी जाएगी।

स्थायी खाता संख्या के उल्लेख की अनिवार्यता

929. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विशिष्ट प्रकार के लेन–देन के लिए स्थायी खाता–संख्या (पैन) का उल्लेख करने की अनिवार्यता संबंधी अधिसूचना जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विशिष्ट प्रकार के लेन–देन के लिए स्थायी खाता संख्या का उल्लेख किए जाने से क्या प्रयोजन है;

(घ) क्या इस संबंध में आयकर–नियमों में संशोधन किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 114ख में स्थायी खाता संख्या का अनिवार्य रूप से उल्लेख करने के लिए मौजूदा आठ लेन देनों में तीन और विनिर्दिष्ट लेन देनों को जोड़ने और उपर्युक्त नियम में वर्तमान विनिर्दिष्ट एक लेन देन को संशोधित करते हुए दिनांक 19 जून, 2002 को एक अधिसूचना सं. का.आ.सं. 642(अ) जारी की है जिसके फलस्वरूप अब दस लाख रुपए की बजाए एक लाख रुपए मूल्य की प्रतिभूतियों की खरीद अथवा बिक्री के करार के लिए स्थाई खाता संख्या का अनिवार्य रूप से उल्लेख करना आवश्यक होगा।

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139क के मौजूदा उपबंधों में उच्च मूल्य के लेन देनों से संबंधित सभी दस्तावेजों में स्थाई खाता संख्या (पैन) का अनिवार्य रूप से उल्लेख करने की व्यवस्था की गई है। उच्च मूल्य के लेन देन आयकर नियमावली, 1962 के नियम 114ख में विनिर्दिष्ट किए गए हैं। विनिर्दिष्ट लेन देनों के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करने का उद्देश्य कर अपवंचन को रोकने से सीधा संबंध है।

(घ) और (ङ) जी, हां। दिनांक 19 जून, 2002 की अधिसूचना का.आ.सं. 642(अ) ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 114ख को संशोधित किया है। संशोधित नियम निम्न प्रकार है–

(क) 5 लाख रुपए अथवा इससे अधिक मूल्य की किसी भी अचल संपत्ति की बिक्री अथवा खरीद;

(ख) मोटर वाहन की बिक्री अथवा खरीद;

(ग) किसी बैंक में पचास हाजर रुपए से अधिक राशि की सावधि जमा;

(घ) डाक घर बचत बैंक में किसी भी खाते में पचास हजार रुपए से अधिक की जमा राशि;

(ङ) एक लाख रुपए मूल्य की प्रतिभूतियों की खरीद अथवा बिक्री की संविदा;

(च) किसी बैंक में खाता खोलना (जो सावधि जमा न हो);

(छ) टेलीफोन कनेक्शन लगाने के लिए आवेदन करना (सेलुलर टेलीफोन कनेक्शन सहित);

(ज) किसी एक समय पर पच्चीस हजार रुपए से अधिक राशि के उनके बिलों के लिए होटल और रेस्तरां को भुगतान करना;

(झ) किसी एक दिवस के दौरान कुल पचास हजार रुपए अथवा इससे अधिक राशि के लिए बैंक से बैंक ड्राफ्ट अथवा भुगतान आदेश अथवा बैंकर्स चैकों की खरीद के लिए नकद भुगतान;

(ञ) किसी एक दिवस के दौरान बैंक में कुल पचास हजार रुपए अथवा इससे अधिक राशि को नकद रूप में जमा करना;

(ट) किसी एक समय पर पच्चीस हजार रुपए से अधिक राशि का किसी विदेश यात्रा के संबंध में नकद भुगतान।

पादरियों, ग्रंथियों और इमामों का जीवन-स्तर

930. श्री पवन कुमार बंसल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार न्यासों, सोसाइटियों और समितियों आदि द्वारा संचालित विभिन्न धार्मिक स्थलों के पादरियों, ग्रंथियों, इमामों आदि के शोचनीय जीवन-स्तर के बारे में अवगत है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके जीवन-स्तर में सुधार के लिए कोई प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार को जानकारी है कि कुछ पादरी, ग्रंथी तथा इमाम दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार "इमामों और मुआज्जिनों को पारिश्रमिक की योजना" नामक योजना केन्द्रीय वक्फ परिषद द्वारा दिनांक 22.12.1995 को अनुमोदित की गई। इस योजना के कार्यान्वयन का दायित्व संबंधित राज्यों के वक्फ बोर्डों पर है। इमाम की योग्यता, मस्जिदों से आय, इमाम के पूर्णकालिक अथवा अंश-कालिक अथवा मानद होने, आदि को ध्यान में रखते हुए उचित बोर्ड या वक्फ इमामों की विभिन्न श्रेणियों के पारिश्रमिक की मात्रा को निर्धारित कर सकते हैं।

केन्द्रीय भंडारण निगम की परियोजनाएं

931. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा राज्यवार कितनी परियोजनाएं शुरू की गई हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा वर्ष 2002-03 के दौरान देश में गोदामों के निर्माण के लिए चौवन (54) परियोजनाएं शुरू की गई हैं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) इन गोदामों के वर्ष 2002-03 के दौरान पूरे किए जाने का लक्ष्य है।

विवरण

वर्ष 2002-2003 के दौरान देश में गोदामों का राज्य-वार निर्माण

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता (टन में)
1.	कर्नाटक	6	51,400
2.	मध्य प्रदेश	2	16,000
3.	उड़ीसा	3	44,300
4.	पंजाब	2	17,250
5.	तमिलनाडु	3	13,900
6.	दिल्ली	1	6,600
7.	असम	1	20,000
8.	आंध्र प्रदेश	13	1,45,370
9.	राजस्थान	5	61,000
10.	केरल	4	35,000
11.	पश्चिम बंगाल	1	20,000
12.	उत्तर प्रदेश	6	67,080
13.	महाराष्ट्र	1	29,700
14.	हरियाणा	3	37,000
15.	हिमाचल प्रदेश	1	5,000
16.	गुजरात	2	73,800
	जोड़	54	6,43,400

[हिन्दी]

बैंकों के माध्यम से ऋण

932. श्री नवल किशोर राय :

श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों अर्थात् जो अधिक जोखिम भरे क्षेत्र हैं, के लिए प्रदान की जा रही ऋण की धनराशि को बढ़ा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इन बैंकों द्वारा उपरोक्त दर्शाए गए क्षेत्रों को दिए गए ऋण की धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इनके द्वारा संवितरित किए गए कुल ऋण की तुलना में इन क्षेत्रों में इन बैंकों द्वारा दिए गए ऋण की प्रतिशतता कितनी है; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए ऐसे ऋणों की वसूली की प्रतिशतता कितनी है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार संवेदनशील क्षेत्रों के लिए सरकारी क्षेत्र के एक्सपोजरों में पूंजी बाजार तथा स्थावर सम्पदा क्षेत्र के लिए एक्सपोजर शामिल हैं। पूंजी बाजार के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों का एक्सपोजर में वर्ष 2000–2001 तथा 2001–2002 के दौरान गिरावट आई जबकि इस अवधि के दौरान स्थावर सम्पदा के क्षेत्र में एक्सपोजरों में वृद्धि हुई। मार्च 2001 तथा मार्च 2002 के अंत की स्थिति के अनुसार संवेदनशील क्षेत्रों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों का एक्सपोजर, सकल अग्रिमों की तुलना में पूंजी बाजार तथा स्थावर सम्पदा क्षेत्रों के लिए ऋणों का प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने मार्च 2000 को समाप्त वर्ष में 10,369 करोड़ रुपए तथा मार्च 2001 को समाप्त वर्ष में 13,629 करोड़ 3पए वसूल किए जिसमें संवेदनशील क्षेत्रों को दिए गए ऋणों में से वसूली शामिल है।

विवरण

संवेदनशील क्षेत्र के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों का एक्सपोजर

(राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	31 मार्च की स्थिति के अनुसार एक्सपोजर		2001–2002 के दौरान अंतर
	2001	2002	
1. पूंजी बाजार			
ऋण एवं अग्रिम	416	443	27
निवेश	6917	6314	–603
गैर–निधिबद्ध एक्सपोजर	696	581	–115
कुल पूंजी बाजार@	8029	7338	–691
2. स्थावर सम्पदा क्षेत्र	5216	7093	1877
सकल अग्रिमों (वाणिज्यिक पत्रों सहित) के प्रतिशत के रूप में पूंजी बाजार का कुल एक्सपोजर@	2.28	1.79	
सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में स्थावर सम्पदा का कुल एक्सपोजर	1.27	1.49	

*पिछले मार्च के अंत की स्थिति के अनुसार वाणिज्यिक पत्र।

@भारतीय रिजर्व बैंक मार्गनिर्देश (11 मई, 2001 के डीबीओडी परिपत्र) के अनुसार एक्सपोजर मानदंड।

टिप्पणी : आंकड़े अनन्तिम हैं और केवल भारतीय परिचालनों से ही संबंधित हैं।

स्रोत : बैंक द्वारा प्रस्तुत डीएसबी विवरणियां।

[अनुवाद]

मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व

933. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय और इनके स्वायत्तशासी निकायों/कार्यालयों में कार्यरत प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन अधिकारियों को वेतन और भत्ते के भुगतान, परिलब्धियों, वाहन और अन्य सुविधाओं के प्रदान किए जाने के फलस्वरूप कुल कितना वार्षिक व्यय किया गया;

(ग) क्या उनके मंत्रालय में कार्यरत प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के पद पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा मंत्रालय और इनके सभी स्वायत्तशासी निकायों/कार्यालयों में प्रथम-श्रेणी राजपत्रित अधिकारी संवर्ग में अ.जा./अ.ज.जा. और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या कितनी है और सरकार द्वारा इन्हें भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं तथा इन पदों को अनुमानतः कितनी समय-सीमा के भीतर भरे जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बैंकों का आई.पी.ओ.

934. श्री राम मोहन गाड्ड : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के ऐसे कौन-कौन से बैंक हैं जो अगले बारह महीनों के दौरान अपने शेयरों के आई.पी.ओ. के साथ आ रहे हैं;

(ख) निर्गम मूल्य के साथ प्रत्येक बैंक द्वारा कितने शेयरों को जारी किया जाएगा; और

(ग) ऐसे निर्गम मूल्य के जरिए बैंकों द्वारा कितनी धनराशि एकत्र की जाएगी?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ग) सरकार ने अब तक निम्नलिखित तीन राष्ट्रीयकृत बैंकों को प्रारम्भिक सार्वजनिक ऑफर (आई.पी.ओ.) के जरिए इक्विटी की उगाही के लिए अनुमति प्रदान की है, जिनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं-

बैंक का नाम	जारी किए जाने वाले शेयरों की संख्या	निर्गम मूल्य	आई.पी.ओ. के जरिए जमा की जाने वाली कुल राशि
1. इलाहाबाद बैंक	10 करोड़	रु. 10/-	रु. 100 करोड़
2. बैंक ऑफ महाराष्ट्र	16.948 करोड़	रु. 10/-	रु. 169.48 करोड़
3. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	20 करोड़	रु. 15 से 20/-	रु. 300 से 400 करोड़

बुनियादी ढांचे संबंधी परियोजना के व्यवसायीकरण हेतु विशेषज्ञ दल

935. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालयों द्वारा, बुनियादी ढांचे संबंधी परियोजनाओं के व्यावसायीकरण के संबंध में विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो बुनियादी ढांचे के लिए अपेक्षित कुल निवेश के संबंध में विशेषज्ञ दल द्वारा किए गए अनुमानों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे संबंधी क्षेत्र हेतु संसाधनों को जुटाने के लिए तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (घ) वित्त मंत्रालय द्वारा ढांचागत परियोजनाओं के व्यावसायीकरण के संबंध में अक्टूबर, 1994 में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था। विशेषज्ञ समिति ने सरकार को 22 जून, 1996 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। विशेषज्ञ दल द्वारा दिए गए अनुमानों के अनुसार ढांचागत क्षेत्र के लिए वर्ष 1996–97 से 2000–2001 के दौरान 4,31,869 करोड़ रुपए और वर्ष 2001–02 से 2005–06 के दौरान लगभग 7,45,460 करोड़ रु. के कुल निवेश की आवश्यकता होगी।

(ङ) विशेषज्ञ दल की अधिकांश प्रमुख सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है और समुचित नीतिगत उपायों की घोषणा की गई है।

यू.टी.आई. की मासिक आय योजना

936. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने अपने अधिकांश मासिक आय योजना (एम.आई.पी.) विभाग को बाजार में कुछ बड़े वित्तीय संस्थानों को जारी कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यू.टी.आई. ने सरकार से अपने वर्तमान तरलता बाध्यताओं के मद्देनजर आई.टी.सी. लिमिटेड में अपने होल्डिंग की बिक्री विदेशी साझेदार बीएटी को करने के लिए अनुमति मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो आई.टी.सी. लिमिटेड में यू.टी.आई. की मौजूदा हिस्सेदारी कितनी है और यूटीआई के अपने होल्डिंग की बिक्री संबंधी अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) स्कीम में निवेशकों को भुगतान किए जाने के लिए, अपेक्षित राशियां उत्पन्न करने के लिए, प्रत्येक परिपक्वता स्कीम से इसके अपने पोर्टफोलियो में धारिताओं को समाप्त करेन की आशा की जाती है। तदनुसार, मासिक आय योजनाओं (एम.आई.पी.) ने बाजार में अपने पोर्टफोलियो में प्रतिभूतियों को समाप्त किया। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अनुसार, मासिक आय योजनाओं ने अपनी किसी भी प्रतिभूति को सीधे किसी विदेशी संस्थागत निवेशक को नहीं बेचा है।

(ग) और (घ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने सूचित किया है कि इसके द्वारा अपनी धारिताओं को किसी विनिर्दिष्ट कम्पनी अथवा क्रेता को बेचने के लिए सरकार से कोई अनुमति नहीं मांगी गई है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के पास 12 जुलाई, 2002 की स्थिति के अनुसार आई.टी.सी. लि. के 2,94,95,935 इक्विटी शेयर हैं।

अतिरिक्त सतही जल का उपयोग

937. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मई, 2001 के दौरान 41300 करोड़ रुपए के लागत वाली जनजातीय उप–योजना क्षेत्र में अतिरिक्त सतही जल के उपयोग हेतु राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार राजस्थान हेतु जनजातीय उप–योजना क्षेत्र में अतिरिक्त सतही जल के उपयोग हेतु स्वीकृति प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (ङ) राज्य सरकारों की पात्रता के अनुसार विनिर्दिष्ट योजनाओं के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान निर्मुक्त किया जाता है। वर्ष 2001–02 के लिए राजस्थान की पात्रता 20.00 करोड़ रुपए थी। राज्य की अन्य परियोजनाओं के साथ राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों में लघु उद्योग सतही

जल संसाधनों के विकास संबंधी योजना प्रस्ताव पर जो 413.45 करोड़ रुपए का है, एक बैठक में विचार–विमर्श किया गया था। जिसमें संबंधित जनजातीय विकास के प्रभारी मंत्री के संबंधित सचित सहित भाग लिया था। चूंकि योजना लागत राज्य की पात्रता से कहीं अधिक थी, राजस्थान की जनजातीय विकास की अन्य संगत परियोजनाओं को जो राज्य की पात्रता के भीतर आती थीं, स्वीकृति प्रदान की गई।

सहकारी क्षेत्र को ऋण

938. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाबार्ड सहित संबंधित राज्यों और अन्य सरकारी तथा बैंकिंग संस्थानों द्वारा आकलन के अनुसार कृषि क्षेत्र की राज्यवार ऋण आवश्यकता कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष 31 मार्च, 2002 के अंत तक सहकारी क्षेत्र द्वारा राज्यवार कितने प्रतिशत कृषि आवश्यकताओं को पूरा किया गया है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान 'नाबार्ड' द्वारा प्रत्येक राज्य को वर्ष–वार कितनी धनराशि का पुनः ऋण उपलब्ध कराया गया है और 'नाबार्ड' को पुनः ऋण उपलब्ध कराए जाने के क्या मानदंड हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान सेवा क्षेत्र योजनाओं के अंतर्गत अंतिम रूप प्रदान किए गए कृषि एवं संबंधित क्रियाकलापों के लिए ऋणों के राज्य–वार लक्ष्य संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ख) नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि के लिए कुल ऋणों की तुलना में सहकारी संस्थाओं द्वारा संवितरित कृषि ऋणों की राज्य–वार प्रतिशतता संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादन और निवेश ऋण के लिए नाबार्ड द्वारा संवितरित राज्य–वार पुनर्वित्त संलग्न विवरण–III में दिया गया है। नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त का निर्णय ऋण विनियोजन की क्षेत्र–वार संभावना, ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं की ऋण खपाने की क्षमता और क्षेत्रीय असंतुलनों के मामले को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

विवरण-I

वर्ष 1999–2000, 2000–2001 एवं 2001–2002 के दौरान सेवा क्षेत्र योजना के अंतर्गत कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलापों के लिए ऋण का राज्य–वार लक्ष्य

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1999–2000	2000–2001	2001–2002
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	569151	645223	866231
2.	अरुणाचल प्रदेश	245	500	909
3.	असम	7584	6927	10679
4.	बिहार	41990	74860	132740
5.	गोवा	2738	3637	4434
6.	गुजरात	277189	339292	361252
7.	हरियाणा	311286	364636	443051
8.	हिमाचल प्रदेश	15343	19284	23110
9.	जम्मू और कश्मीर	3207	4280	6257
10.	कर्नाटक	345169	432189	517479
11.	केरल	225714	265769	331913
12.	मध्य प्रदेश	218544	226347	268488
13.	महाराष्ट्र	422463	536424	637720
14.	मणिपुर	161	391	635
15.	मेघालय	709	787	1656
16.	मिजोरम	368	362	442

1	2	3	4	5
17.	नागालैंड	712	1106	1385
18.	उड़ीसा	75702	90235	106542
19.	पंजाब	446436	563883	674103
20.	राजस्थान	196004	233884	278328
21.	सिक्किम	240	503	662
22.	तमिलनाडु	419105	490180	596550
23.	त्रिपुरा	1332	2359	2996
24.	उत्तर प्रदेश	379593	453466	608246
25.	पश्चिम बंगाल	94721	122667	158648
26.	अन्य	123019	118724	202063
	कुल	4179225	4997915	6236519

विवरण-II

वर्ष 1999–2000, 2000–2001 एवं 2001–2002 के दौरान कृषि के लिए कुल ऋण की तुलना में सहकारी बैंकों द्वारा संवितरित कृषि ऋण की राज्य–वार प्रतिशतता

क्र.सं.	राज्य का नाम	1999–2000	2000–2001	2001–2002
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	37	36	43
2.	अरुणाचल प्रदेश	30	10	41
3.	असम	16	0	17
4.	बिहार	12	28	51
5.	गोवा	26	21	20
6.	गुजरात	51	50	38
7.	हरियाणा	74	72	73
8.	हिमाचल प्रदेश	19	37	35
9.	जम्मू और कश्मीर	58	54	69
10.	कर्नाटक	32	33	33
11.	केरल	36	34	38
12.	मध्य प्रदेश	57	49	58
13.	महाराष्ट्र	56	57	55
14.	मणिपुर	33	8	39
15.	मेघालय	6	13	76
16.	मिजोरम	49	31	32
17.	नागालैंड	23	31	32
18.	उड़ीसा	54	53	55
19.	पंजाब	50	51	49
20.	राजस्थान	56	57	55
21.	सिक्किम	1	1	6
22.	तमिलनाडु	32	30	29
23.	त्रिपुरा	64	62	67
24.	उत्तर प्रदेश	41	40	48
25.	पश्चिम बंगाल	33	36	41

विवरण-III

वर्ष 1999–2000 से 2001–2002 तक के दौरान राज्यवार नाबार्ड का पुनर्वित्त/वित्तीय सहायता

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1999–2000			2000–2001			2001–2002		
		उत्पादन ऋण एसटी (एसएओ), एसटी (ओएसओ)	निवेश ऋण	कुल	उत्पादन ऋण एसटी (एसएओ), एसटी (ओएसओ)	निवेश ऋण	कुल	उत्पादन ऋण एसटी (एसएओ), एसटी (ओएसओ)	निवेश ऋण	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	हरियाणा	84317	29668	113985	91460	37490	12895	95779	40336	136145
2.	हिमाचल प्रदेश	350	7620	7970	345	8826	9171	346	12672	13018
3.	जम्मू और कश्मीर	298	2932	3230	358	3301	3659	275	3917	4192
4.	पंजाब	46532	44145	90677	54725	45135	99860	56212	43742	99954
5.	राजस्थान	40430	38610	79040	38628	42311	80939	44691	40537	85228
6.	अरुणाचल प्रदेश	53	462	515		750	750		265	265
7.	असम	22	6624	6646	73	7614	7687		4857	4857
8.	मणिपुर	614	203	817		187	187		55	55
9.	मेघालय	49	944	993	149	1160	1309	236	761	997
10.	मिजोरम		478	478		666	666		948	948
11.	नागालैंड	212	315	527	132	181	313	132	162	294
12.	त्रिपुरा	511	2004	2515	200	2525	2725	244	920	1164
13.	सिक्किम		210	210		285	285		335	335
14.	बिहार	7435	17589	25024	7822	19107	26929	7761	9731	17492
15.	उड़ीसा	41015	20053	61068	40870	26587	67457	41208	32016	73224
16.	पश्चिम बंगाल	14752	19378	34130	13425	25114	38539	10557	32459	43016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	मध्य प्रदेश	59234	24203	83437	54143	35059	89202	49485	34391	83876
18.	उत्तर प्रदेश	54338	77332	131670	56411	92598	149009	61798	102744	164542
19.	गुजरात	16329	31998	48327	24349	31080	55429	29967	31444	164542
20.	गोवा		1502	15502		1722	1722		1910	1910
21.	महाराष्ट्र	6296	49858	56154	22168	61599	83767	22068	74135	96203
22.	आंध्र प्रदेश	139752	49771	189523	136724	61699	198423	131895	60213	192108
23.	कर्नाटक	74688	34115	108803	75312	39235	114547	78788	34325	113113
24.	केरल	24252	21284	45536	20344	23665	44009	24277	37329	61606
25.	तमिलनाडु	62757	39419	102176	63058	46413	109471	63661	53899	117560
26.	अन्य राज्य	400	811	1211	450	1501	118006	8516	14156	22672
	कुल	674636	521528	1196164	701146	615810	1316956	727894	668289	1396183

नमक उत्पादन में संलग्न कामगारों का कल्याण

939. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में, विशेषकर गुजरात में नमक उत्पादन में संलग्न कामगारों के कल्याण हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य हेतु प्रत्येक राज्य को वर्ष–वार कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह) : (क) और (ख) नमक उद्योग में नियोजित श्रमिकों सहित श्रमिकों के कल्याण के विभिन्न श्रम कानूनों का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों के श्रम विभागों की जिम्मेदारी है। नमक आयुक्त का कार्यालय, जो इस विभाग का एक संबद्ध कार्यालय है, श्रमिक कल्याण संबंधी विभिन्न स्कीमों को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद कर रहा है। ये स्कीमें हैं–श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाएं, स्वास्थ्य की जांच, श्रमिकों के विश्राम हेतु शेडों का निर्माण, जल आपूर्ति की स्कीमें, श्रमिक आवास, सामुदायिक केंद्रों/मनोरंजन सुविधाओं का प्रावधान तथा नमक उत्पादन/गुणवत्ता नियंत्रण में कौशल में सुधार हेतु दृश्य–श्रव्य सहायक सामग्री आदि। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित नमक के कारखानों के लिए, अनुग्रह अनुदान तथा पुनर्वास हेतु ऋण प्रदान करने के माध्यम से भी नमक आयुक्त का कार्यालय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, नमक आयुक्त के कार्यालय ने श्रमिक कल्याण स्कीमों के लिए 42.79 लाख रुपये के बराबर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। आवंटित की गई निधियों का राज्य–वार और वर्ष–वार ब्यौरा निम्न प्रकार है–

(आंकड़े रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	1998–1999	1999–2000	2000–2001
1	2	3	4	5
1.	गुजरात	303261	1182102	1669066

1 2	3	4	5
2. आंध्र प्रदेश	62644	11046	–
3. तमिलनाडु	–	109615	97886
4. पश्चिम बंगाल	–	103131	–
5. उड़ीसा	–	105514	10377
6. महाराष्ट्र	–	–	–
7. कर्नाटक	–	–	–
8. राजस्थान	–	2605	621830
योग	365905	1514013	2399159

(ग) नमक के कारखानों में विकासात्मक तथा श्रमिक कल्याण कार्यों को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा तैयार की गई सिद्धांत संहिता में श्रमिक कल्याण स्कीमों को लागू करने के कार्य को प्राथमिकता दी जाती है। राज्य सरकारों और नमक के उत्पादनकर्ताओं को भी सलाह दी गई है कि वे श्रमिकों के कल्याण के लिए और अधिक स्कीमें प्रायोजित करें।

भारतीय सामान पर मात्रात्मक प्रतिबंध

940. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकसित देशों ने भारतीय सामान पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी बाजार में भारतीय उद्योगों के समक्ष नई शुल्क संबंधी बाधाओं से देश का निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस विवाद को सुलझाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) विकसित देशों ने कुछ कपड़ा आयातों पर कोटे निर्धारित कर रखे हैं। इसी प्रकार, कुछ कृषि उत्पादों के आयातों पर टैरिफ दर कोटे (टी आर क्यू) निर्धारित हैं। अभी हाल में, कुछ विकसित देशों ने भारत से कुछ इस्पात मदों के निर्यातों पर अनंतिम या अन्य रक्षोपायों के रूप में मात्रात्मक तथा अन्य प्रतिबंध भी लगा दिए हैं।

(ग) भारतीय निर्यातों में बाधा पहुंचाने वाले इन उपायों का शीघ्र तथा परस्पर संतोषजनक समाधान करने के लिए संबंधित देशों के संबद्ध प्राधिकरणों के साथ द्विपक्षीय रूप से विधिवत कार्यवाही की जाती है। जिन मुद्दों का समाधान इस प्रकार से नहीं हो पाया है तथा जिन्हें डब्ल्यू टी ओ नियमों के अनुरूप नहीं समझा गया है उन्हें समाधान के लिए डब्ल्यू टी ओ के जरिए उठाया गया है।

[हिन्दी]

बिहार को विश्व बैंक की सहायता

941. श्री राजो सिंह : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में विश्व बैंक और अन्य विदेशी वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से कितनी परियोजनाएं शुरू की गईं;

(ख) उन परियोजनाओं के संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) राज्य में आज तक कितनी परियोजनाएं लंबित हैं और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं पर कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों में बिहार को राज्य और बहु–राज्यीय परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक और अन्य विदेशी वित्तीय संस्थाओं (एफएफआई) द्वारा दी गई वित्तीय सहायता और इन परियोजनाओं के तहत की गई प्रगति का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(ग) विदेशी वित्तीय संस्थाओं से सहायता हेतु बिहार सरकार का कोई प्रस्ताव आर्थिक कार्य विभाग के पास लंबित नहीं पड़ा है। न ही राज्य सरकार से किसी सूचना के अभाव में कोई प्रस्ताव लंबित पड़ा है।

(घ) ऊपर भाग (ग) को दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(आंकड़े मिलियन दाता मुद्रा में)

राज्य परियोजनाएं

क्र.सं.	ऋण/अनुदान विवरण	करार की तिथि	स्रोत	ऋण/अनुदान की राशि		संवितरण की अंतिम तिथि	निम्न अवधि के दौरान उपयोग			31.5.02 को संचयी संवितरण
				मुद्रा	राशि		1999–00	2000–01	2001–02	
1.	ग्रामीण उद्योगों के लिए ऊर्जा सेवाएं, अंगारा	13.10.99	यचूएनडीपी	अम. डालर	0.60	30.902	0.00	0.02	0.12	0.15

बहुराज्यीय परियोजनाएं*

1.	ग्रामीण महिला विकास एवं अधिकारिता	14.5.99	आईएफएडी	अम. डालर	19.20	30.602		0.00	2.10	2.10
2.	ग्रामीण महिला विकास एवं अधिकारिता	26.499	आईडीए	अम. डालर	19.50	30.6.04		0.45	0.92	3.01

*बहुराज्यीय परियोजनाओं के लिए राशियां सभी सहभागी राज्यों से संबंधित हैं।

[अनुवाद]

बैंक संबंधी धोखाधड़ी

942. श्री नरेश पुगलिया : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक संबंधी धोखाधड़ी के विधिक पहलुओं संबंधी विशेषज्ञ समिति ने वित्तीय धोखाधड़ी के सभी मामलों की जांच हेतु एक पृथक जांच ब्यूरो को स्थापित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, हां। समिति ने गम्भीर वित्तीय धोखाधड़ियों की जांच करने के लिए निदेशक का कार्यालय स्थापित करने की सिफारिश की है।

(ख) और (ग) विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें दो भागों में हैं भाग–I : घरेलू उपचारात्मक उपायों से जुड़ा है जिसे बिना किसी विधायी परिवर्तनों के कार्यान्वित किया जा सके और भाग–II : कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित विधायी परिवर्तनों के निषेधी पहलुओं से जुड़ा हुआ है। मित्रा समिति की मुख्य सिफारिशों में उत्कृष्ट आचार संहिता का विकास, आंतरिक जांच एवं नियंत्रण, वित्तीय धोखाधड़ी का आपराधीकरण, गम्भीर वित्तीय धोखाधड़ी की जांच के लिए अलग से जांच प्राधिकारी, ऐसे अपराधों के लिए विशेष न्यायालय और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए अलग से अधिनियम शामिल हैं। रिपोर्ट की सर्वप्रथम जांच भारतीय रिजर्व बैंक के घरेलू दल ने की थी। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के निदेशों के अनुसार बैंक धोखाधड़ियों की जांच के लिए इसके द्वारा गठित उच्च स्तरीय दल द्वारा रिपोर्ट केन्द्रीय सतर्कता आयोग को जांच के लिए अग्रेषित की गई थी। उच्च स्तरीय दल ने विशेषज्ञ समिति के भाग–I में उल्लिखित सिफारिशों पर सामान्यतः सहमति व्यक्त करते हुए उल्लेख किया था कि भाग–II के अधीन की गई सिफारिशों की और जांच की जानी अपेक्षित है। विशेषज्ञ समिति के भाग–I के अधीन की गई सिफारिशों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को कार्यान्वयन हेतु भेजा गया था।

पेयजल योजनाओं हेतु धनराशि

943. श्री आर. एल. जालप्पा : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001–02 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कर्नाटक सरकार को पेयजल योजनाओं हेतु कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) वर्ष 2001–02 के दौरान कर्नाटक सरकार द्वारा पेयजल योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने उनके द्वारा किए गए अतिरिक्त खर्च को जारी करने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो कर्नाटक सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी धनराशि की मांग की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) 2001–02 के दौरान कर्नाटक सरकार को त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के अंतर्गत 127.14 करोड़ रुपए, ए.आर.डब्ल्यू.एच.पी.–डी.डी.पी. (रेगिस्तान विकास कार्यक्रम) क्षेत्रों के अंतर्गत 11.48 करोड़ रुपए तथा त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.) के अंतर्गत 7.08 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

(ख) 10.7.02 को यथाविद्यमान स्थिति के अनुसार राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर 2001–02 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत जारी की गई धनराशि में से कर्नाटक सरकार द्वारा 69.14 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

(ग) से (ङ) कर्नाटक सरकार से ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. अथवा ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.–डी.डी.पी. (रेगिस्तान विकास कार्यक्रम) क्षेत्रों के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि जारी किए जाने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने जुलाई, 2001 में भारत सरकार को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें राज्य में सूखे के परिणामस्वरूप शहरी जल आपूर्ति एवं सफाई स्कीमों के लिए 25 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मांगी थी। केन्द्रीय दल ने राज्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए शहरी जल आपूर्ति के अंतर्गत 12.25 करोड़ रुपए की सिफारिश की है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और सफाई कर्मचारियों हेतु कल्याण योजना

944. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सफाई कर्मचारियों हेतु कल्याण योजनाओं के लिए प्रदान की गई सहायता का राज्य–वार और योजना–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने उक्त धनराशि का दुरुपयोग किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को गत तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त वित्तीय सहायता के ब्यौरे इन मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों में दिए गए हैं। निधियों के उपयोग सहित इन योजनाओं के कार्यान्वयन के ब्यौरों का रखरखाव राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। लक्षित समूहों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए प्रदान की गई राशि का उपयोग करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय निम्नलिखित कदम उठा रहे हैं--

(1) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों की निर्मुक्ति प्राप्त प्रस्तावों की विस्तृत जांच के आधार पर की जाती है।

(2) नई निर्मुक्तियां किए जाने से पूर्व पिछली निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्रों पर बल दिया जाता है।

(3) योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति, शामिल किए गए लाभार्थियों तथा अन्य संगत सूचना/आंकड़ों

को दर्शाने वाली आवधिक प्रगति रिपोर्ट राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त की जाती है।

(4) योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का जायजा लेने के लिए इन मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करते हैं।

(5) योजनाओं की प्रगति का पता लगाने के लिए विषय के प्रभारी राज्य सचिवों के साथ बैठकें की जाती हैं।

(6) गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं के मामले में, गैर सरकारी संगठन की स्थिति, पिछला कार्य निष्पादन आदि के मूल्यांकन के पश्चात् निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। आवधिक रिपोर्टों के अलावा गैर सरकारी संगठनों से वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षित रिपोर्टों तथा उपयोग प्रमाणपत्रों को भेजने की अपेक्षा की जाती है, जिनके आधार पर धनराशि की आगे निर्मुक्ति की जाती है। गैर सरकारी संगठनों का निरीक्षण राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों तथा अन्य प्राधिकारियों तथा साथ ही केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा भी किया जाता है।

[अनुवाद]

पटसन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन

945. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री जय प्रकाश :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पटसन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत पटसन उद्योग हेतु एक व्यापक पैकेज पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे पैकेज को कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस वित्तीय वर्ष के दौरान पटसन उद्योग के लिए 'पटसन प्रौद्योगिकी मिशन' नामक एक व्यापक पैकेज आरंभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस पटसन प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत कवर किए जाने के लिए जो क्षेत्र प्रस्तावित हैं उनमें कृषि अनुसंधान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ग्रामीण बाजार अध्यसंरचना तथा विनिर्माण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन शामिल है।

ईंधन का शुल्क मुक्त आयात

946. श्री वाई. वी. राव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी जी एफ टी ने ईंधन के शुल्क मुक्त आयात हेतु एडवांस लाइसेंसिंग को संशोधित किया है;

(ख) यदि हां, तो संशोधित किए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संशोधन से निर्यातकों को कितना लाभ मिलने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ग) जी, हां। पहली अप्रैल, 2002 से लागू नई निर्यात आयात (एग्जिम) नीति में निर्यात उत्पादन हेतु शुल्क रहित ईंधन के आयात की अनुमति के लिए प्रावधान किया गया है। यह सुविधा वास्तविक प्रयोक्ता अग्रिम लाइसेंसों के हिस्से के रूप में उन निर्यातकों को उपलब्ध है जिन्होंने आबद्ध विद्युत संयंत्र स्थापित किए हैं। ईंधन के लिए उपरोक्त सामान्य नोट के तहत ईंधन का अनुमत मूल्य विभिनन उत्पादों के निर्यातों के बोर्ड पर्यन्त निशुल्क (एफ ओ बी) का 3% से 7% के बीच है।

इस सुविधा से कुछ राज्यों में अनियमित विद्युत आपूर्ति की स्थिति के संदर्भ में निर्यातकों को अपनी डिलिवरी अनुसूचियों को बनाए रखने में सहायता प्राप्त होने की उम्मीद है।

बीमा प्रीमियम दर

947. श्री टी. गोविन्दन : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा क्षेत्र की कम्पनियों ने ऐसे ग्राहकों के लिए 50% तक प्रीमियम दर बढ़ा दी है जिन्होंने हाल ही में अपनी संपत्तियों/वस्तुओं का बीमा कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

किसानों को बैंक ऋण

948. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और वर्तमान वित्तीय वर्ष में आज की तिथि तक छोटे और सीमांत किसानों को सहकारी/वाणिज्यिक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण के रूप में कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ख) क्या ऋणों को संस्वीकृत करने के समय किन्हीं वित्तीय अनियमितताओं का पता लगा था;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए;

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऋण राशि की तुलना में कितनी धनराशि की वसूली की गई है; और

(ङ) उक्त राज्यों के किसानों के लिए ऋण प्रक्रिया को सुचारु बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निर्यातकों को खाद्यान्नों की बिक्री

949. श्री जय प्रकाश : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने निर्यातकों को बाजार मूल्य पर खाद्यान्नों को बिक्री करने और बाद में उनके निर्यात मूल्य और बाजार मूल्य के अंतर को वापस करने की योजना को वापस ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) निर्यातकों द्वारा बताई गई कुछ समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कुछ समय पहले भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों के निर्यात के लिए सुपुर्दगी उपरांत खर्चों और अन्य संगत खर्चों की प्रतिपूर्ति करने के बारे में जारी किए गए अनुदेश कुछ समय के लिए आस्थगित रखे गए हैं।

[अनुवाद]

जैविक जड़ी-बूटियों की खेती

950. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसाला बोर्ड ने तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में जैविका जड़ी–बूटियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य के अन्य हिस्सों का ब्यौरा क्या है जिनको इस तरह की खेती में शामिल किया गया है;

(घ) क्या बोर्ड ने मसाला उत्पादों के नैदानिक परीक्षण का समर्थन करने हेतु एक नवीन योजना आरंभ की थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) जी, हां। मसाला बोर्ड ने तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में हर्बल मसालों जैसे रोजमेरी, बन जवायन, ओरगेनो तथा अजमोद की खेती के अंतर्गत क्षेत्र को लाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया था। जैविक जड़ी–बूटियों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं–

- जैविक खाद के उत्पादन हेतु वर्मिकाडरोस्ट गड्ढे तैयार करना।

- एक निर्जलीकरण एकक तथा एक तेल निष्कर्षण एकक की स्थापना करना।
- जैविक जड़ी–बूटियों की पैकेजिंग के लिए परिस्थितिन्की अनुकूल रिसाइकल्ड कागज के उपभोक्ता पैकों का विकास करना।
- जैविक उत्पादों के विशिष्टीकृत मेलों में भाग लेने के लिए गैर सरकारी संगठनों की सहायता करना।
- जड़ी–बूटियों की जैविक खेती में किसानों तथा श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।

(ग) इरोड जिले के तलवाडी के किसानों ने भी रोजमेरी तथा बनजवायन जैसे हर्बल मसालों की खेती शुरू कर दी है। इस क्षेत्र में हर्बल मसालों का विपणन तेल रूप में किया जाता है।

(घ) और (ङ) जी, हां। इस संबंध में निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जाते हैं–

(i) अदरक, मिर्च तथा जीरे के प्रयोग से कफ कैंडी तथा पीडियेट्रिक कॉमिनेटिव।

(ii) मधुमेह के उपचार हेतु मेथी के प्रयोग से हर्बल टेबलेट तथा लहसुन आधारित एंटी फंगल क्रीम।

(iii) एंटी जेनोटाक्सिक गुणधर्मों के अनुसंधान द्वारा अदरक से एक नया उत्पाद तैयार किया गया है।

ऋण योजना के अंतर्गत मसाला बोर्ड मसालों के पौषणिक पोषाहार तथा औषधीय महत्व पर आधारित उत्पादों के विकास हेतु अनुसंधान तथा विकास संगठन की सहायता करता है। योजना के अनुसार परियोजना प्रस्ताव के मूल्यांकन के आधार पर परियोजना लागत का 50% ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है जो अधिकतम 20 लाख रु. तक होता है। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में दो योजनाएं चल रही हैं–

- वसा विकार एवं मोटापा नियंत्रण हेतु हल्दी के निस्सारण के प्रयोग से नुस्खे तैयार करना। ट्यूमेटाइड आर्थराइटिस, आस्टियो आर्थराइटिस तथा पीठ दर्द के नियंत्रण एवं उनसे राहत और दमा से राहत पाने के लिए मसाला आधारित उत्पाद।
- हल्दी, काली मिर्च, मेथी तथा लहसुन से मूल्यवर्धन द्वारा मसालों की अपारम्परिक व्युत्पत्तियों का विकास।

संयुक्त राज्य अमेरिका को किए जाने वाले इंजीनियरी सामानों के निर्यात में कमी

951. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 सितम्बर, 2001 के हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को किया जाने वाला इंजीनियरी वस्तुओं का निर्यात प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान उक्त देश को किए जाने वाले भारत के निर्यात को कितनी अनुमानित क्षति हुई है; और

(ग) भारत द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) वर्ष 2001–02 (अप्रैल से फरवरी तक) के दौरान संयुकत राज्य अमरीका को किए गए इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यातों का मूल्य 3776.07 करोड़ रु. था जबकि वर्ष 2000–01 की इसी अवधि के दौरान 4267.70 करोड़ रु. का निर्यात हुआ था जिसमें 11.52% की गिरावट आई है। इस गिरावट के विभिन्न कारण हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ वर्ष 2001–02 के दौरान विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, जो 11 सितम्बर, 2001 के हमलों के पश्चात् और बढ़ गई तथा अमरीकी प्राधिकारियों द्वारा आरंभ/निर्धारित की गई अनेक पाटनरोधी और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच शामिल है।

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका को की जाने वाली इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक संवर्धनात्मक क्रियाकलापों की योजना बनाई गई है जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ नेशनल हार्डवेयर शो, शिकागो में भाग लेना, अमरीका और कनाडा में एक बहु–उत्पाद प्रतिनिधिमंडल भेजना; अमरीका और कनाडा में एक बहु–उत्पाद

क्रेता–विक्रेता बैठक आयोजित करने के साथ–साथ नाफ्टा देशों के कंपनी प्रतिनिधियों के साथ नई दिल्ली और मुम्बई में क्रेता–विक्रेता बैठकें आयोजित करना शामिल हैं।

असम के लिए पुनरुद्धार पैकेज

952. श्री एम. के. सुब्बा : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम की सरकार ने राज्य को इसकी भुगतान बाध्यताओं को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज को संस्वीकृति करने की अपील की है;

(ख) यदि हां, तो क्या पैकेज के अंश के रूप में अन्य कदमों के अलावा केन्द्रीय ऋण पुनर्भुगतान देयता को पुनर्निर्धारित करने और पेट्रोलियम उत्पादों पर बिक्री कर के भुगतान की मंजूरी देने का अनुरोध किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) ऋण राहत के मामले में भारत सरकार ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों द्वारा निर्देशित होती है। ग्यारहवें वित्त आयोग के चुनिंदा अधिनिर्णय को पुनः शुरू करना न तो संभव है और न ही उचित है। पेट्रोलियम पदार्थों पर बकाया राशि और बिक्री कर के मुद्दे पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया है कि उनके निर्देशों के अनुसार भारतीय तेल निगम ने असम सरकार को 'लेखागत' आधार पर निम्नलिखित राशि जारी की है–

(i) जुलाई, 1993 से सितम्बर, 1998 तक की अवधि में भारतीय तेल निगम द्वारा बिक्री कर के रूप में एकत्रित 86.41 करोड़ रुपए की राशि मूलधन है, जो तेल पूल खाते में जमा है।

(ii) 31 मई, 2002 तक उक्त मूलधन पर 10.5 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से परिकलित 54.77 करोड़ रुपए की ब्याज राशि है।

सभी राज्यों के मामलों की तरह असम को सलाह दी गई है कि दीर्घकालिक आधार पर राजकोषीय असंतुलन की समस्या को दूर करने के लिए मध्य आवधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम तैयार करे।

चीन से वस्तुओं का आयात करने संबंधी नियम

953. श्री सुबोध मोहिते : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीन में बनी वस्तुओं के आयात के संबंध में विशिष्ट सुरक्षा उपाय करने हेतु नियमों को अधिसूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये उपाय पाटनरोधी कार्रवाई के समान ही हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो दोनों में क्या अंतर है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) चीन द्वारा डब्ल्यू टी ओ में शामिल होने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में चीन ने सदस्य देशों द्वारा चीन से होने वाले आयातों के विरुद्ध उत्पाद विशिष्ट संक्रमणकालीन रक्षोपाय और वस्त्र संबंधी रक्षोपाय लागू करने के लिए कुछ लोचशीलताएं रखने के बारे में सहमति व्यक्त की है। तथापि, इन उपायों का सहारा लिए जाने से पूर्व, संबंधित डब्ल्यू टी ओ सदस्यों को बाजारगत विघटन की मौजूदगी का आकलन करने में उचित प्रक्रिया और तथ्यात्मक मापदंडों की व्यवस्था करनी होगी तथा हितबद्ध पार्टियों को सार्वजनिक सुनवाई का अवसर प्रदान करना होगा।

तदनुसार, वित्त विधेयक 2002–2003 द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम में धारा 8 सी पुरःस्थापित की गई है जिसके तहत केन्द्र सरकार ऐसी जांच–पड़ताल, जिसे वह उचित समझे करने के बाद चीन से आयातित ऐसी वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क लगा सकती है जिससे घरेलू उद्योग के लिए बाजारगत विघटन उत्पन्न हो रहा हो अथवा उत्पन्न होने का खतरा बना हुआ हो। प्रस्तावित संशोधन के अनुसरण में विस्तृत नियम बनाए जाने की जरूरत होगी।

ये उपाय पाटनरोधी कार्रवाई से भिन्न हैं क्योंकि ऐसे उपाय केवल गैट 1994 के अनुच्छेद VI और डब्ल्यू टी ओ

के पाटनरोधी करार के अनुसार ही किए जा सकते हैं। दूसरी ओर, चीन से होने वाले आयातों के खिलाफ उत्पाद विशिष्ट संक्रमणकालीन रक्षोपाय और वस्त्र संबंधी रक्षोपाय चीन के शामिल होने संबंधी प्रोटोकोल और कार्यदल की रिपोर्ट में निहित संगत प्रावधानों के अनुसार हैं।

निर्यात संबंधी भुगतानों की उगाही

954. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात प्रोत्साहनों की प्रभावोत्पादकता के एकमात्र पैमाने के रूप में विदेशी मुद्रा की उगाही को प्रमुखता देने के बावजूद, सरकार चूक वाले मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई को सुनिश्चित करने और निर्यात संबंधी भुगतानों की शीघ्र उगाही करने में सक्षम नहीं हो पाई है;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल और जुलाई 2002 की स्थिति के अनुसार अब तक निर्यात प्राप्तियां किस सीमा तक लंबित पड़ी हैं और वर्ष 2000 एवं 2001 के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) एक प्रभावी निर्यात प्राप्तियों की उगाही और निगरानी प्रणाली विकसित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ग) निर्यात से प्राप्त होने वाली धन राशि को निर्यात की तारीख से छह महीने के भीतर वसूल करने की अनुमति दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) नियमित रूप से उन बकाया निर्यात प्राप्तियों पर निगरानी रखता है जिन्हें अभी प्रत्यावर्तित किया जाना है। आरबीआई निर्यात प्राप्तियों के प्रत्यावर्तन के लिए गुण-दोषों के आधार पर समय बढ़ाने की भी अनुमति देता है। ऐसी बकाया निर्यात प्राप्तियों की वसूली के लिए किए गए उपयों में अन्य बातों के साथ-साथ एक्स ओ एस विवरण-पत्रों के जरिए आरबीआई को नियमित रूप से सूचना देना और निर्यातकों को सेवाएं प्रदान करने वाले वाणिज्यिक बैंकों और आरबीआई के बीच नियमित बैठकें आयोजित करना शामिल है। आरबीआई द्वारा अत्यधिक बकाया बिलों पर संबंधित वाणिज्यिक बैंकों को प्रमुख कार्यपालकों के साथ कार्यवाही भी की जाती है। 31 दिसम्बर, 2000 और 30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार आर बी आई के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बकाया निर्यात प्राप्तियां नीचे दी गई हैं--

(करोड़ रु. में)

निम्नलिखित के अंत में बकाया	कुल निर्यात	बकाया निर्यात बिलों की राशि	(2) से (3) का %
दिसम्बर 2000	190221	14158.97	7.44
जून 2001	205141	15264.90	7.44

इन आंकड़ों से यह मालूम होगा कि बकाया राशियों का प्रतिशत वही रहा है।

निजी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक

955. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी बैंकों के बोर्डों के निदेशकों के संबंध में कड़े अर्हता मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका कार्यान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 जून, 2002 के अपने परिपत्र के माध्यम से बैंकों को गैर-सरकारी बैंकों के निदेशक मंडल में निदेशकों के नामांकन संबंधी पात्रता मानदंडों के बारे में सलाह दी थी। अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी सलाह दी गई है कि निदेशकों को नामांकित/सहयोजित करते समय बैंकों के निदेश मंडल को निदेशकों के लिए कतिपय व्यापक उपयुक्त एवं उचित मानदंडों अर्थात् आयु, औपचारिक योग्यता, अनुभव, पिछला कार्य निष्पादन रिकार्ड, सत्यनिष्ठा आदि से नियंत्रित होना चाहिए। सत्यनिष्ठा एवं उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए आपराधिक रिकार्डों, वित्तीय स्थिति, व्यक्तिगत ऋणों की वसूली के लिए शुरू की गई सिविल कार्रवाई, व्यावसायिक निकायों में प्रवेश से इंकार या निष्कासन विनियामकों या समान निकायों द्वारा लगाए गए

प्रतिबंधों, पिछली संदिग्ध कारोबार प्रथाएं जैसी विशेषताओं का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

निजी गैर-जीवन बीमा कंपनियां

956. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कार्य कर रही सभी निजी गैर–जीवन बीमा कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छह निजी कंपनियों ने पूरे एक वर्ष तक की अवधि तक कारोबार किया है;

(घ) यदि हां, तो आज की तिथि तक उन्होंने ग्रामीण उपभोक्ताओं से प्रीमियम के रूप में कुल कितनी धनराशि एकत्रित की है; और

(ङ) उनकी उपस्थिति से ग्रामीण जनता को किस सीमा तक सहायता मिली है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (घ) इस समय भारत में छह गैर–जीवन प्राइवेट बीमा कंपनियां कार्य कर रही हैं। इनमें से, केवल चार कंपनियों ने अपना पूर्ण वर्ष का कारोबार किया है। अन्य दो कंपनियों ने अपना कारोबार गत वित्तीय वर्ष के दौरान प्रारम्भ किया था। ये सभी प्राइवेट बीमा कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इन कंपनियों ने कुल 31,140 पालिसियां जारी की हैं तथा वर्ष 2001–2002 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से 1423.09 लाख रुपए का प्रीमियम संग्रहित किया है।

(ङ) प्राइवेट बीमा कंपनियों की उपस्थिति से ग्रामीण जनसंख्या को बीमा पालिसियों के चयन में अपेक्षाकृत अधिक विकल्प मिले हैं तथा उन्हें बेहतर सेवाओं की उपलब्धि भी हुई है।

अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए धन

957. डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़ी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का वित्त पोषण करने हेतु 50,000 करोड़ रुपए की निधि स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका वित्त पोषण और उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन द्वारा परिकल्पित लक्ष्य

958. श्री सुरेश कुरुप : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सस्कार को प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक डा. एम. एस. स्वामीनाथन द्वारा दिए गए इस कथित वक्तव्य की जानकारी है कि भारत ने भूखे और कुपोषित लोगों की संख्या में कमी लाने के विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन के लक्ष्यों को साकार करने में कोई योगदान नहीं किया; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) डा. एम. एस. स्वामीनाथन का ऐसा कोई वक्तव्य सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

उत्पादों का पारिस्थितिकीय पुष्टिकरण

959. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या वस्त्रों का आयात करने वाले कुछ देश उनके देशों में निर्यात होने वाले वस्त्र उत्पादों का पारिस्थितिकीय पुष्टिकरण करने के लिए कहते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी अपेक्षाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग में लगे लोगों को शिक्षित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या देश में पारिस्थितिकी–परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो पारिस्थितिकी–परीक्षण प्रयोगशालाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। जर्मनी और नीदरलैंड ने वर्ष 1996 में वस्त्रों के निर्माण में 20 हानिकारक रसायनों (अमीन्स) में से किसी भी अमीन निकालने वाले विशिष्ट एजो–रंजकों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था। इन 20 रसायनों की सूची संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ग) वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित वस्त्र समिति, वस्त्र अनुसंधान संघ, निर्यात संवर्धन परिषदों और अन्य संगठनों ने ऐसे प्रतिबंध के बारे में जागरूकता पैदा करने और पारि–अनुकूल वस्त्रों का विनिर्माण करने के लिए मार्गनिर्देशन प्रदान करने के लिए विभिन्न वस्त्र केन्द्रों में 45 संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया था। वस्त्र समिति ने वर्ष 1995 में पारि–अनुकूल वस्त्रों का निर्माण करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए दो प्रकाशन और एक वीडियो फिल्म भी जारी की है।

(घ) और (ङ) जी, हां। प्रतिबंधित रसायनों (अमीन्स) और अन्य पारि–प्राचलों का परीक्षण करने के लिए पारि–परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए 28.68 करोड़ रुपये की कुल लागत से 23 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं ताकि वस्त्र व्यापार, उद्योग और निर्यातक पारि संबंधी विनियमनों का अनुपालन करने में सक्षम हो सकें। स्थापित की गई पारि–प्रयोगशालाओं की सूची संलग्न विवरण–II में दी गई है।

विवरण-I

जर्मन के निमयों के अंतर्गत शामिल 20 हानिकारक रसायनों (अमीन्स) की सूची :

1. 4–अमीनो बाईफिनाइल (सीएएस–सं. 92–67–1)
2. बेंजीडाइन (सीएएस–सं. 92–87–5)
3. 4–क्लोरो–ओ–टोल्यूडाइन (सीएएस–सं. 95–69–2)
4. 2'–नेपथाइलएमीन (सीएएस–सं. 91–59–8)
5. पी–क्लोरेनीलाइन (सीएएस–सं. 106–47–8)
6. 2'4–डाईएमीनोनीसोल (सीएएस–सं. 615–05–4)
7. 4'4–डाईएमीनो डाईफिनाइल मिथेन (सीएएस–सं. 101–77–9)
8. 3'3–डाईक्लोरो–बेंजीडाइन (सीएएस–सं. 91–94–1)
9. 3'3–डाईमिथोक्सी बेंजीडाइन (सीएएस–सं. 119–93–7)
10. 3'3–डाईमिथाइल बेंजीडाइन (सीएएस–सं. 119–93–7)
11. 3'3–डाईमिथाइन–4'4–डाईएमीनो डाईफिनाइल मिथेन (सीएएस–सं. 838–88–0)
12. पी–क्रेसीडाइन (सीएएस–सं. 120–71–8)
13. 4,4'–मिथाईलिन–वाइस–(2–क्लोर्सनीलाईन) (सीएएस–सं. 101–14–4)
14. 4,4'–आक्सीडाइनीलाइन (सीएएस–सं. 101–50–4)
15. 4,4'–थियोडाइनीलाइन (सीएएस–सं. 139–05–1)
16. ओ–टोल्यूडाइन (सीएएस–सं. 95–53–4)
17. 2,4–डाईएमो टोल्यून (सीएएस–सं. 96–80–7)
18. 2'4,5–ट्राईमिथाइलएनीलाइन (सीएएस–सं. 137–17–7)
19. ओ–एमीनोएजोटोल्यून (सीएएस–सं. 97–56–3)
20. 2–एमीनो–4–नाईट्रोटोल्यून (सीएएस–सं. 99–55–8)

विवरण-II

विभिन्न केन्द्रों में स्थापित पारि–प्रयोगशालाओं के ब्यौरे

क्र.सं.	एजेंसी	स्थान	राज्य
1	2	3	4
1.	वस्त्र समिति (टीसी)	बंगलौर	कर्नाटक
2.	वस्त्र समिति (टीसी)	कन्नूर	केरल

1	2	3	4
3.	वस्त्र समिति (टीसी)	चेन्नई	तमिलनाडु
4.	वस्त्र समिति (टीसी)	जयपुर	राजस्थान
5.	वस्त्र समिति (टीसी)	लुधियाना	पंजाब
6.	वस्त्र समिति (टीसी)	मुंबई	महाराष्ट्र
7.	वस्त्र समिति (टीसी)	नई दिल्ली	दिल्ली
8.	वस्त्र समिति (टीसी)	तिरुपुर	तमिलनाडु
9.	अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएसन (अटीरा)	अहमदाबाद	गुजरात
10.	बोम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएसन (बिटरा)	मुंबई	महाराष्ट्र
11.	सैन्ट्रल सिल्क टेक्नोलोजीकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएसटीआरए)	बंगलौर	कर्नाटक
12.	इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएसन (इजीरा)	कोलकाता	प. बंगाल
13.	मेन–मेड फाइबर टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएसन (मंतरा)	सूरत	गुजरात
14.	नादर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएसन (निटरा)	गाजियाबाद	उ.प्र.
15.	साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएसन (सितरा)	गाजियाबाद	तमिलनाडु
16.	वूल रिसर्च एसोसिएसन (वूरा)	थाने	महाराष्ट्र
17.	सैन्ट्रल सिल्क टेक्नोलोजीकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएसटीआरए)	भागलपुर	बिहार
18.	सैन्ट्रल सिल्क टेक्नोलोजीकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएसटीआरए)	वाराणसी	उ.प्र.
19.	बोम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएसन (बिटरा)	इचलकरंजी	महाराष्ट्र
20.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलोजी (आईआईटी)	कानपुर	उ.प्र.
21.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलोजी (आईआईटी)	नई दिल्ली	दिल्ली
22.	सैन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नॉलोजी (सीआईआरसीओटी)	मुंबई	महाराष्ट्र
23.	इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएसन (इजीरा)	गुवाहाटी	असम

[हिन्दी]

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की मासिक आय योजना, 1997

960. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट की मासिक आय योजना, 1997 को भुनाने हेतु संसाधन की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारतीय यूनिट ट्रस्ट को इस वित्तीय संकट से उबारने के लिए कोई पैकेज उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने सूचित किया है कि वह आश्वासित आय स्कीमों जिसमें मासिक आय योजना 97 शामिल है, में कमी का सामना कर रहा है।

(ख) और (ग) सरकार ने जून, 2002 में परिपक्व हुई एम.आई.पी. स्कीमों तथा अगस्त, 2002 में परिपक्व हो रही एक एम.आई.पी. स्कीम में निवेशकों को की गई प्रतिबद्धता का मान रखने के लिए परिसंपत्तियों के प्रति 1000 करोड़ रुपए के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट के लिए तथा विकास प्रारक्षित निधि को नकद प्रवाहों को गारंटी प्रदान की है।

[अनुवाद]

विद्यालयों को खाद्यान्नों की आपूर्ति

961. श्री जी. जे. जावीया : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान प्राथमिक विद्यालयों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने संबंधी केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत आपूर्ति किए गए खाद्यान्नों की राज्यवार कुल मात्रा कितनी है;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने हाल में इस कोटे को 3 किलोग्राम से बढ़ाकर 5 किलोग्राम प्रति विद्यार्थी करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्याह्न भोजन के रूप में जानी जाने वाली प्राथमिक शिक्षा को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम के अधीन खाद्यान्नों के राज्यवार आवंटन और उठान के ब्यौरे संलग्न विवरण–I, II और III में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) केवल कर्नाटक सरकार ने प्रति मास प्रति विद्यार्थी खाद्यान्नों का कोटा 3 किलोग्राम से बढ़ाकर 5 किलोग्राम करने का अनुरोध किया है।

(घ) सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है।

विवरण-I

राष्ट्रीय पोषाहार–राष्ट्र प्राथमिक शिक्षा पोषाहार कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना) के अधीन 1999–2000 की अवधि के दौरान खाद्यान्नों के आवंटन और उठान को बताने वाला विरण

(टन में कीमत)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खाद्यान्नों का आवंटन			खाद्यान्नों के उठान		
	गेहूं	चावल	जोड़	गेहूं	चावल	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश		228544	228544		148021	148021
अरुणाचल प्रदेश		4531	4531		152	152
असम		70042	70042		6823	6823
बिहार	179408	101189	280597	7073	5508	12581
गोवा		2343	2343		1838	1838
गुजरात	44059	44059	88118	16066	14352	30418
हरियाणा	26653	26653	53306	13495	13734	27229
हिमाचल प्रदेश		20826	20826		14017	14017
जम्मू और कश्मीर		18611	18611		0	0

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक	47812	121947	169759	34441	86148	120589
केरल		49853	49853		52741	52741
मध्य प्रदेश	155707	119887	275594	105629	78330	183959
महाराष्ट्र		288718	288718		214307	214307
मणिपुर		7637	7637		6202	6202
मेघालय		9615	9615		150	150
मिजोरम		2918	2918		2044	2044
नागालैंड		2920	2920		3640	3640
उड़ीसा		108151	108151		59279	59279
पंजाब	52992	0	52992	1938	0	1938
राजस्थान	166046	0	166046	87147	0	87147
सिक्किम		2550	2550		547	547
तमिलनाडु		118735	118735		60184	60184
त्रिपुरा		1427	1427		1427	1427
उत्तर प्रदेश	291379	166478	457857	141590	69443	211033
पश्चिम बंगाल	3061	260535	263596	3294	150291	153585
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		1106	1106		221	221
चंडीगढ़	394	0	394		0	0
दादरा और नगर हवेली		700	700		223	223
दमन और दीव		446	446		93	93
दिल्ली	18101	0	18101	200	0	200
लक्षद्वीप@		0	0		0	0
पांडिचेरी		1218	1218		1177	1177
भारत	985612	1781639	2767251	4108730	9908920	14017650

टिप्पणी : भारतीय खाद्य निगम द्वारा सूचित किए उठान के आंकड़े

@छूट प्राप्त

विवरण-II

राष्ट्रीय पोषाहार–राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषाहार कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना) के अधीन 2000–2001 (31.3.2001 की स्थिति के अनुसार) की अवधि के दौरान खाद्यान्नों के आवंटन और उठान को बताने वाला विवरण

(टन में कीमत)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खाद्यान्नों का आवंटन			खाद्यान्नों के उठान		
		गेहूं	चावल	जोड़	गेहूं	चावल	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश		234614	234614		131794	131794
2.	अरुणाचल प्रदेश		3434	3434		402	402
3.	असम		70149	70149		8685	8685
4.	बिहार	132519	54466	186985	36322	34917	71239
5.	गोवा		2616	2616		1908	1908
6.	गुजरात	60177	59401	119578	18236	17321	35557
7.	हरियाणा	20555	20079	40634	13615	11574	25189
8.	हिमाचल प्रदेश		16609	16609	0	15890	15890
9.	जम्मू और कश्मीर		22632	22632	0	0	0
10.	कर्नाटक	46927	114572	161499	40286	93645	133931
11.	केरल		46557	46557		46184	46184
12.	मध्य प्रदेश	138089	80531	218620	125855	77527	203382
13.	महाराष्ट्र		280692	280692	0	251999	251999
14.	मणिपुर		6751	6751		6379	6379
15.	मेघालय		8911	8911		2010	2010
16.	मिजोरम		2918	2918		2628	2628
17.	नागालैंड		3038	3038		2980	2980
18.	उड़ीसा		101193	101193	0	56933	56933
19.	पंजाब	39827		39827	5582	0	5582
20.	राजस्थान	130306		130306	100455	0	100455

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	सिक्किम		2264	2264		1447	1447
22.	तमिलनाडु		107475	107475		69922	69922
23.	त्रिपुरा		1533	1533		5094	5094
24.	उत्तर प्रदेश	232418	132696	365114	55232	38087	93319
25.	पश्चिम बंगाल		218859	218859	929	214091	215020
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		1128	1128		555	555
27.	चंडीगढ़	394		394	195		195
28.	दादरा और नगर हवेली		719	719		647	647
29.	दमन और दीव		443	443		343	343
30.	दिल्ली	17982		17982	3290		3290
31.	लक्षद्वीप@			0	0	0	0
32.	पांडिचेरी		1233	1233		794	794
	नव सृजित राज्य						
33.	झारखंड	2037	21426	23463	127	3404	3531
34.	उत्तरांचल	2236	9387	11623	667	3391	4058
35.	छत्तीसगढ़		30899	30899		16474	16474
	भारत	823467	1657225	2480692	400791	1117025	1517816

@छूट प्राप्त

टिप्पणी : भारतीय खाद्य निगम द्वारा सूचित किए उठान के आंकड़े

विवरण-III

राष्ट्रीय पोषाहार–राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषाहार कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना) के अधीन 2001–2002 (अप्रैल, 2001 से मार्च 2002 तक) की अवधि के दौरान खाद्यान्नों के आवंटन और उठान को बताने वाला विवरण

(टन में कीमत)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001–02 के दौरान खाद्यान्नों का आवंटन			2001–02 के दौरान खाद्यान्नों के उठान		
		गेहूं	चावल	जोड़	गेहूं	चावल	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	232753.62	232753.62	0.00	167867.00	167867.00

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	4305.00	4305.00	0.00	550.00	550.00
3.	असम	0.00	91716.63	91716.63	0.00	32033.00	32033.00
4.	बिहार	170653.32	46923.09	217576.41	107869.00	35869.00	143739.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	81532.74	81532.74	0.00	59927.00	59927.00
6.	गोवा	0.00	2408.52	2408.52	0.00	1010.00	1010.00
7.	गुजरात	43709.54	43709.53	87419.07	11356.00	10649.00	22005.00
8.	हरियाणा	24248.20	24248.19	48496.39	18335.00	18432.00	36767.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	20058.12	20058.12	0.00	19189.00	19189.00
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	21497.76	21497.76	0.00	0.00	0.00
11.	झारखंड	5431.47	57135.66	62567.13	813.00	18165.00	18978.00
12.	कर्नाटक	35699.85	120447.52	156147.37	29158.00	106107.00	135265.00
13.	केरल	0.00	46693.60	46693.60	0.00	43376.00	43376.00
14.	मध्य प्रदेश	146257.12	44354.45	190611.57	131505.00	35908.00	167413.00
15.	महाराष्ट्र	0.00	293757.03	293757.03	0.00	249862.00	249862.00
16.	मणिपुर	0.00	8389.44	8389.44	0.00	6485.00	6485.00
17.	मेघालय	0.00	12573.36	12573.36	0.00	8416.00	8416.00
18.	मिजोरम	0.00	2947.17	2947.17	0.00	2358.00	2358.00
19.	नागालैंड	0.00	4789.92	4789.92	0.00	4615.00	4615.00
20.	उड़ीसा	0.00	99221.92	99221.92	0.00	79853.00	79853.00
21.	पंजाब	49792.50	0.00	49792.50	28831.00	420.00	29251.00
22.	राजस्थान	186649.89	0.00	186649.89	147314.00	0.00	147314.00
23.	सिक्किम	0.00	2420.10	2420.10	0.00	2366.00	2366.00
24.	तमिलनाडु	0.00	116010.86	116010.86	0.00	81043.00	81043.00
25.	त्रिपुरा	0.00	14239.65	14239.65	0.00	9256.00	9256.00
26.	उत्तर प्रदेश	313870.44	161261.97	475132.41	245251.00	128610.00	373861.00

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	उत्तरांचल	1724.10	19212.80	20936.90	507.00	15874.00	16381.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	287442.57	287442.57	0.00	207911.00	207911.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	1153.83	1153.83	0.00	575.00	575.00
30.	चंडीगढ़	559.86	0.00	559.86	150.00	43.00	193.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	763.91	763.91	0.00	610.00	610.00
32.	दमन और दीव	0.00	452.46	452.46	0.00	333.00	333.00
33.	दिल्ली	20210.66	0.00	20210.66	6868.00	0.00	6868.00
34.	लक्षद्वीप@			0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.00	1246.98	1246.98	0.00	1095.00	1095.00
	भारत	998806.95	1863668.40	2862475.35	727957.00	1348807.00	2076764.00

एफ.जी. का आवंटन और उठान

टिप्पणी : अप्रैल, 2001 से मार्च, 2002 तक खाद्यान्नों के उठान के आंकड़े भारतीय खाद्य निगम द्वारा यथासूचित खाद्यान्नों का आवंटन 10 माह के लिए है।

[हिन्दी]

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कम्पनियां

962. श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर–निष्पादनकारी परिसंपत्तियों की समस्या से निपटने हेतु परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि के अनुसार ऐसी कितनी कम्पनियां गठित की गई हैं;

(ग) 30 जून, 2002 की स्थिति के अनुसार बैंकों की कुल गैर–निष्पादनकारी परिसंपत्तियां कितनी हैं;

(घ) क्या बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को चूककर्ता कम्पनियों की संपत्तियों को जब्त करने की शक्ति प्राप्त होगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) आई सी आई सी आई ने 11 फरवरी, 2002 को कम्पनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र, मुम्बई के पास कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन एक लिमिटेड कम्पनी अर्थात् "एसेट रिकान्सट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड" के रूप में एक प्रायोगिक पुनर्निर्माण कम्पनी (ए आर सी) निगमित कराई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि आई एफ सी आई ने "एसेट केयर इंटरप्राइज लिमिटेड" (ए सी ई) के नाम से एक आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनी निगमित कराई है। यह कम्पनी 11 जून, 2002 को निगमित की गई थी।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मार्च 2002 के अंत की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल बकाया अनुपयोज्य आस्तियां 68,074 करोड़

रुपए (अनन्तिम) थीं। 30 जून, 2002 तक के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) और (ङ) हाल में प्रख्यापित "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अध्यादेश, 2002" की धारा 13 प्रतिभूत लेनदारों को, प्रतिभूत ऋण या उसकी किसी किस्म की वापसी अदायगी में उधारकर्ता द्वारा कोई चूक किए जाने पर और ऐसे ऋण के संबंध में उसके खाते को प्रतिभूत लेनदार द्वारा अनुपयोज्य आस्ति के रूप में वर्गीकृत किए जाने पर लेनदार के पक्ष में सृजित किसी भी प्रतिभूति हित को प्रवर्तित करने का अधिकार प्रदान करती है। प्रतिभूत लेनदार, उधारकर्ता को लिखित सूचना देकर, सूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर प्रतिभूत लेनदार के प्रति उनके दायित्वों का पूर्णतया निर्वहन की अपेक्षा करने और निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रतिभूत लेनदार के प्रति ऐसे दायित्वों का निर्वहन करने में उधारकर्ता के असफल रहने के बाद ही सभी या किन्हीं अधिकारों का प्रयोग करने के लिए पात्र होगा।

[अनुवाद]

उपभोक्ता वस्तुओं पर राजसहायता देना

963. श्री जे. एस. बराड़ : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार विभिन्न उपभोक्ता उत्पादों पर मिलने वाली राजसहायता को क्रमिक रूप से वापस लेने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने तैयार उत्पादों के निर्माण में शामिल अक्षमता स्तर के बारे में आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाली उन इकाइयों में इष्टतम स्तर की कुशलता बनाई रखी जाए जहां सरकार राजसहायता दे रही है, क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (घ) सरकार वर्तमान में घरेलू उपभोग हेतु उपभोक्ता उत्पादों पर किसी प्रकार की सब्सिडी उपलब्ध नहीं करा रही है। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से बाजार में उत्पादन में दक्षता के साथ-साथ मुक्त आयातों से प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होने की आशा है।

कुक्कुट पालन में लगे कृषकों को गेहूं की आपूर्ति

964. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार कुक्कुट पालन में लगे कृषकों को निर्यात मूल्य पर गेहूं की आपूर्ति करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हथकरघा सहकारी समितियां

965. श्री रामदास आठवले : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक सरकार को और अधिक रियायतों के संबंध में हथकरघा बुनकरों की सहकारी समितियों और अन्य संगठनों से कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) हथकरघा बुनकरों को वर्तमान में दी जा रही रियायतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन रियायतों से पिछड़े क्षेत्रों के कितने हथकरघा बुनकर लाभान्वित हुए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) और (ख) हथकरघा संगठनों/बुनकरों से उनकी समस्याओं के प्रति ध्यान आकृष्ट करने के संबंध में समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। विगत हाल में ही ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें 1 मार्च, 2002 से कपास और प्लेन रील हैंक वाले सेलूलोसिक स्पन यार्न पर लगाए गए उत्पाद शुल्क को वापस करने का अनुरोध किया गया था। प्राप्त अभ्यावेदन की वर्षवार संख्या संबंधी जानकारी नहीं रखी गई है। जहां तक हैंक यार्न पर लगाए गए उत्पाद शुल्क के वापस किए जाने का संबंध है, सेनवाट के हथकरघा बुनकर नेट को हैंक यार्न की आपूर्ति करने वाले संगठनों को उत्पाद शुल्क की घटनाओं पर क्षतिपूर्ति करने संबंधी सरकार के निर्णय को मद्देनजर रखते हुए, उत्पाद शुल्क को वापस लेना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ग) और (घ) नौवीं योजना अवधि के दौरान पिछड़े क्षेत्रों सहित सारे देश में हथकरघा बुनकरों के लाभार्थ वित्तीय सहायता वाली निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की गईं-

1. कार्यशाला सह आवास योजना
2. थ्रिफ्ट फंड योजना
3. स्वास्थ्य पैकेज योजना
4. समूह बीमा योजना
5. नई बीमा योजना
6. दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना
7. प्रोजेक्ट पैकेज योजना
8. हथकरघा विकास केन्द्र/गुणवता रंगाई इकाइयों की स्थापना हेतु योजना
9. विपणन विकास सहायता योजना
10. मिल गेट कीमत योजना
11. प्रचार एवं प्रदर्शिनी कार्यक्रम
12. निर्यात योग्य उत्पादों के विकास एवं उनके विपणन से संबंधित योजना।

[अनुवाद]

चीन, बांग्लादेश और मलेशिया को निर्यात

966. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2001-02 के दौरान भारत अपने निर्यात को चीन, बांग्लादेश और मलेशिया के नए बाजारों में बढ़ाने में सफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले वित्तीय वर्ष में उक्त देशों को किए गए निर्यात में हुई इस वृद्धि के संबंध में उत्पादवार कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष में गैर-परम्परागत बाजारों को गैर-परम्परागत वस्तुओं का निर्यात करने की कोई संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नीति तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां। वर्ष 2001-02 के दौरान भारत अपने निर्यात को चीन, बांग्लादेश और मलेशिया को बढ़ाने में सफल रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) वर्ष 2002-07 तक की अवधि के लिए हाल ही में एक मध्यावधि निर्यात कार्यनीति घोषित की गई है जिसका उद्देश्य वर्ष 2006-07 तक विश्व निर्यातों का एक प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करना है। मध्यावधि निर्यात कार्यनीति 2002-07 में भारत के निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के आयात क्षेत्र तथा भारत के निर्यात क्षेत्र की जांच करके निर्यात संभावना वाले 220 फोकस उत्पादों को अभिज्ञात किया गया है। इन फोकस उत्पादों सहित वस्तु क्षेत्र हैं-इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रॉनिक/इलैक्ट्रिकल, वस्त्र, रत्न एवं

आभूषण, रसायन एवं संबद्ध उत्पाद, कृषि एवं संबद्ध उत्पाद, चर्म तथा फुटवियर इत्यादि। वर्ष 2002–07 के लिए आयात–निर्यात नीति घोषित की गई है जिसमें अपारम्परिक मदों के निर्यात को बढ़ाने पर लक्षित नीतियां भी शामिल हैं।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

967. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :**
श्री पी. आर. किन्डिया :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विचार अपने प्रशासनिक व्यय को कम करने के लिए आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के व्यय में कटौती करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अनुसार, इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने सूचित किया है कि इसका सतत यह प्रयास रहता है कि यह केवल आवश्यक और उत्पादक व्यय करे।

उत्प्रवास अधिनियम में संशोधन

968. **श्री रामशेठ ठाकुर** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जनशक्ति निर्यात संवर्द्धन परिषद की स्थापना के लिए उत्प्रवास अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

गरीबों और दलितों को ऋण

969. **श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश में विशेषकर खीरी लखीमपुर में कुल कितने गरीबों और दलितों को ऋण प्रदान किया गया है और कितनी धनराशि का ऋण प्रदान किया गया है; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान अन्य राज्यों के इस श्रेणी के कितने क्षेत्रों को राष्ट्रीय बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान किया गया है और राज्य–वार ऋण की कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जिला के अग्रणी बैंक इलाहाबाद बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार खीरी लखीमपुर जिला के गरीब एवं दलित व्यक्तियों, जिन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान ऋण दिया गया है, की कुल संख्या नीचे दी गई है–

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	गरीबों को ऋण		दलितों को ऋण	
	खातों की सं.	राशि	खातों की सं.	राशि
1999–2002	3398	9.85	2042	3.22
2000–2001	4149	13.24	2731	3.97
2001–2002	9082	19.59	5767	5.16

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

छोटे मूल्य वर्ग के नोट

970. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च उत्पादन लागत और कम आयु होने के कारण सरकार ने कुछ समय पूर्व छोटे मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई बंद कर दी थी;

(ख) क्या सरकार ने हाल में पांच रुपये के नोटों की छपाई पुनः आरम्भ कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और प्रत्येक नोट के मूल्य वर्ग की तुलना में उसकी उत्पादन लागत कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार कुछ पड़ोसी देशों की तरह ही प्लास्टिक करेंसी आरम्भ करने का है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। 5 रुपए के सिक्कों की कमी को पूरा करने के लिए 5 रुपए मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की छपाई वर्ष 2001–02 के दौरान पुनः शुरू कर दी गई है। भिन्न–भिन्न बैंक नोट मुद्रणालयों में 5 रुपए के बैंक नोटों की उत्पादन लागत 34.5 पैसे से लेकर 78 पैसे के बीच है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) छपाई परीक्षण और प्रयोगशाला परीक्षणों से यह निर्धारित किया गया है कि पालीमर तत्व (सबस्ट्रेट) में कई कमियां हैं और यह भारतीय बैंक नोटों की छपाई के लिए उपयुक्त नहीं है।

औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि लाने के उपाय

971. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि लाने के लिए नए नीतिगत उपाय आरम्भ किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह द्वारा भी देश में औद्योगिक क्षेत्र के सामने आ रही समस्याओं की समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त विशेषज्ञ समूह ने कतिपय नीतिगत उपायों का सुझाव भी दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इन सुझावों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह) : (क) से (च) भारतीय उद्योग अप्रैल–मई 2001–02 की अवधि में हुई 2.1 प्रतिशत विकास दर की तुलना में अप्रैल–मई, 2002–03 की अवधि में 3.8 प्रतिशत की विकास दर दर्ज करके सुधार की ओर अग्रसर हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र के सामने आ रही समस्याओं की समीक्षा करने के लिए कोई विशेषज्ञ–समूह का गठन नहीं किया गया है। तथापि, सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के कार्यानिष्पादन में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं–

- भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2002–03 के लिए अपनी ऋण नीति में कृषि, गृह निर्माण, लघु क्षेत्र तथा निर्यातों को प्रोत्साहन देकर विकास की गति में तेजी लाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इसका लक्ष्य बेहतर रूप से ऋण प्रदान करने में सहायता देना और अवसंरचनात्मक सुधारों को आगे लाना है।

- भारतीय रिजर्व बैंक ने नकदी जमा अनुपात (सी. आर.आर.) में 5.5 प्रतिशत से कमी करके 5 प्रतिशत कर दिया है जिसके फलस्वरूप बैंकों को कर्ज देने के लिए 5000 करोड़ रुपये की राशि निर्गम किए जाने की आशा है। इस कदम से तरलता स्थिति और आसान हो जाएगी।

- केन्द्र सरकार ने इस फैसले से, कि राज्य सरकारों को उतनी अनुदान राशि मुहैया की जाएगी जिससे कि वे अपने बिजली क्षेत्र के घाटे को कम कर सकने में समर्थ हो पाएंगे, के फलस्वरूप विद्युत क्षेत्र में सुधारों को बल मिला है। हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश विगत वर्षों में अपनी हानियों को कम करने में सक्षम हो पाए हैं। यद्यपि हरियाणा 2001–02 में नकद लाभ प्राप्त करने की आशा लगाए हुए हैं, किंतु राजस्थान और आंध्र प्रदेश विद्युत क्षेत्र में अपने घाटों में कमी लाए हैं। अब ये तीनों राज्य त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) के अधीन कम से कम 2.0 बिलियन रुपये के बराबर अनुदान पाने के पात्र हो जाएंगे।

- विद्युत क्षेत्र में व्यापक सुधारों में सहायता देने की दृष्टि से संसद में विद्युत विधेयक का मसौदा प्रस्तुत कर दिया गया है।

- केन्द्रीय बजट 2002–03 में कुछ प्रमुख योजनाओं के लिए धन राशि आवंटित की गई है जिससे मांग में तेजी आएगी जो विशेष करके निर्माण क्षेत्र, गृह निर्माण, इस्पात और सीमेंट क्षेत्रों में होगी। इन योजनाओं में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, अवसंरचना इक्विटी निधि, शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि, शहरी समस्या निधि और त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम शामिल हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्थान पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

972. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1997 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्थान पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आरंभ होने के पश्चात् पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गरीबी की रेखा के ऊपर रहने वाले लोगों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राज्यवार कितना चावल और गेहूं खरीदा; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान गरीबी रेखा के नीचे और गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले लोगों ने चावल और गेहूं की कितनी खरीद की है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) 1999–2000 से 2001–2002 तक की अवधि के दौरान चावल और गेहूं के आवंटन और उठान को बताने वाला ब्यौरा विवरण में दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि गरीबी रेखा से ऊपर श्रेणी के अधीन चावल के उठान की प्रतिशतता में 2000–2001 से और गेहूं के उठान की प्रतिशतता में 2000–2001 से गिरावट आई है। इसमें 2001–2002 के दौरान मामूली वृद्धि हुई है। गरीबी रेखा से ऊपर के उन व्यक्तियों की संख्या से संबंधित आंकड़े केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं जो जून, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरूआत से चावल और गेहूं की खरीदारी कर रहे हैं।

विवरण

वर्ष 1999–2000 से 2001–2002 के पिछले तीन वर्षों के दौरान गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के समूहों का चावल और गेहूं का आवंटन, उठान और उठान प्रतिशत बताने वाला विवरण

	चावल					
	गरीबी रेखा से नीचे			गरीब रेखा से ऊपर		
	आवंटन	उठान	प्रतिशत	आवंटन	उठान	प्रतिशत
1999–2000	44.227	39.763	89.90	93.018	72.128	77.54
2000–2001	88.760	58.747	66.19	71.805	18.448	24.26
2001–2002	99.230	57.286	57.73	61.241	13.025	21.269

	गेहूं					
	गरीबी रेखा से नीचे			गरीब रेखा से ऊपर		
	आवंटन	उठान	प्रतिशत	आवंटन	उठान	प्रतिशत
1999–2000	32.365	30.183	93.25	69.388	25.994	37.462
2000–2001	70.953	36.458	51.38	42.513	1.18	4.26
2001–2002	79.428	38.247	48.15	40.577	5.295	13.05

संयुक्त राज्य अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात की जांच-पड़ताल

973. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को किए जाने वाले भारत के निर्यात की गहन जांच–पड़ताल की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात विशेषकर सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यातकों के निर्यात की प्रमाणिकता का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर जांच–पड़ताल आरम्भ की है;

(ग) क्या इस कार्यवाही के दौरान, राजस्व विभाग द्वारा प्रमुख निर्यातकों के लगभग 300 ड्रा बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उत्तरदायी ठहराए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपरोक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बौद्धिक संपदा संबंधी अपीलीय बोर्ड

974. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1999 में बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण संबंधी दो महत्वपूर्ण कानूनों को अधिसूचित किया गया था और इनके कार्यान्वयन के लिए बौद्धिक संपदा संबंधी अपीलीय बोर्ड का गठन किए जाने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बोर्ड का गठन कर लिया गया है और इसने कानून बनाना आरम्भ कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इस बोर्ड के गठन में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न उत्पादों का भारतीय ब्रांड नामों से विपणन करके विदेशी पार्टियां उक्त कानूनों को अधिनियमित न किए जाने का अनुचित लाभ उठा रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस बोर्ड के कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह) : (क) व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 और वस्तुओं का भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 को दिनांक 30.12.1999 को अधिसूचित किया गया था। व्यापार चिह्न पंजीयक के आदेशों के विरुद्ध अपीलों के लिए बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आई.पी.ए.बी.) की एक अपीलीय मंच के रूप में स्थापना करने का उपबंध है। भौगोलिक संकेत के रजिस्ट्रार के आदेशों के विरुद्ध भी आई.पी.ए.बी. एक अपीलीय मंच के रूप में कार्य करता है। आई.पी.ए.बी. इन अधिनियमों को क्रियान्वित नहीं करेगा जिनका क्रियान्वयन मौजूदा व्यापार चिह्न रजिस्ट्री और नव गठित भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा किया जाएगा।

(ख) आई.पी.ए.बी. का गठन अभी तक नहीं किया गया है।

(ग) आई.पी.ए.बी. के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं की पहले ही व्यवस्था कर ली गई है। व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 85 में निर्धारित योग्यताओं के अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तकनीकी सदस्यों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति की प्रक्रिया अग्रिम चरण में है।

(घ) व्यापार और पण्य–वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 के मुकाबले, जिसे रद्द और प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 तथा इसके तहत दंडात्मक उपबंधों का दायरा बढ़ा दिया गया है तथा इन्हें मजबूत बनाया गया है। वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 में भारतीय भौगोलिक संकेत धारण करने वाली वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करने की अपेक्षा की गई है। इस अधिनियम को लागू करने से उन उत्पादों का दुरुपयोग रुक जाने की आशा है जिन पर संबंधित बाजारों में धोखा देने अथवा भ्रम पैदा करने की दृष्टि से भारतीय उद्गम वाली वस्तुओं के भौगोलिक संकेत अंकित हों। विद्यमान व्यापार और पण्य वस्तु अधिनियम, 1958 के अधीन नकली व्यापार चिह्नों के तहत भारतीय अथवा विदेशी उत्पादों के विपणन के लिए सिविल तथा आपराधिक उपाय भी उपलब्ध हैं।

(ङ) सरकार शीघ्र ही एक बोर्ड का गठन करने का प्रयास कर रही है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा दायर अदालती मामले

975. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 19ख के अंतर्गत दायर किए गए अदालती मामलों की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) किन–किन पार्टियों के विरुद्ध मामले लम्बित हैं और तत्संबंधी मूल्य कितना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने सूचित किया है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम की धारा 19ख का अधिकांश मामलों में आश्रय नहीं लिया गया है क्योंकि इसने मामलों को ऋण वसूली अधिकरणों में दर्ज करने को तरजीह दी। केवल एक मामले अर्थात् केमिंग टूल्स कम्पनी लि. के मामले में भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा धारा 19ख के प्रावधान का 45 लाख रुपए की अग्रिम जमा राशि की वसूली के लिए आश्रय लिया गया है।

[हिन्दी]

विशेष संघटक योजना

976. श्री राजो सिंह : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विशेष संघटक योजना के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) राज्य सरकार को बढ़ी हुई सहायता राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

व्यय सुधार आयोग

977. श्री नरेश पुगलिया :
श्री अमर राय प्रधान :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने व्यय सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों की संख्या कम

करने के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को सूचना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को अपने किसी मंत्रालय या विभाग से कोई पत्युत्तर या अनुपालन संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (घ) व्यय सुधार आयोग ने 36 मंत्रालयों/विभागों को शामिल करते हुए 10 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। इन रिपोर्टों में निहित सिफारिशें संबंधित मंत्रालयों/विभागों को कार्यान्वयन के लिए भेज दी गई थीं। आयोग ने केन्द्रीय सरकार एवं स्वायत्त निकायों में करीब 42,000 पदों को समाप्त करने के लिए निर्धारित किया है। लगभग 17,200 पदों को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में समाप्त करने के लिए निर्धारित किया गया है इनमें से लगभग 7,800 पद पहले से ही समाप्त किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल

978. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक आयोग, केन्द्रीय वक्फ बोर्ड, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी राष्ट्रीय आयोग, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम और अन्य ऐसे आयोगों, निगमों और बोर्डों में नियुक्त अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों का ब्यौरा क्या है और उनका कार्यकाल कितना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, केन्द्रीय वक्फ परिषद, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम और ऐसे अन्य आयोगों, निगमों और बोर्डों में नियुक्त अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों का ब्यौरा और कार्यकाल संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (पद का निर्धारित कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष का है)

क्र.सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	न्यायमूर्ति मोहम्मद शमीम, अध्यक्ष	24.1.2000
2.	श्री तरलोचन सिंह, उपाध्यक्ष	24.1.2000
3.	ले. जन. (सेवानिवृत्त) ए एम सेठना, सदस्य	24.1.2000
4.	श्री टी. के. लोचेन तुल्कु, सदस्य	24.12000
5.	श्री जोहन जोसेफ, सदस्य	24.1.2000
6.	श्री विजय कुमार डार, सदस्य	24.1.2000
7.	श्री शमीम काजिम, सदस्य	31.1.2000

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (पद का निर्धारित कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष का है)

क्र.सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्रीमती वीना नैय्यर, सदस्य	30.6.1999 (29.5.2002 को पद छोड़ा)
2.	श्री चेल्लाप्पन शास्त्री, सदस्य	3.7.2000
3.	डा. बिजय सोनकर शास्त्री, अध्यक्ष	21.3.2001
4.	श्री वेन. लामा चोसपेल जोटपा, उपाध्यक्ष	26.3.2002
5.	श्री विजय कुमार चौधरी, सदस्य	21.3.2002
6.	श्री नारायण सिंह केसरी, सदस्य	22.3.2002
7.	श्री तपिर गाओ, सदस्य	26.3.2002

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (पद का निर्धारित कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष का है)

क्र.सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	न्यायमूर्ति बनवारी लाल यादव, अध्यक्ष	21.8.2000 (24.3.2002 को निधन)
2.	श्रीमती नीरा शास्त्री, सदस्य	3.8.2000
3.	डा. भुबन मोहन दास, सदस्य	28.8.2000
4.	श्री मोहिन्दर सिंह मथारू, सदस्य	14.7.1999

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (पद का निर्धारित कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष का है)

क्र.सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्रीमती अनिता आर्य, अध्यक्ष	22.2.2001 (29.5.2002 को पद छोड़ा)
2.	श्री पन्ना लाल तम्बे, अध्यक्ष	4.7.2002
3.	श्रीमती मंजू चन्द्रा, उपाध्यक्ष	16.2.2001
4.	श्री गिरिजा शंकर प्रसाद, सदस्य	19.2.2001
5.	श्री सुभाष दावरे, सदस्य	19.2.2001
6.	श्री गंगा राम तेजा, सदस्य	16.2.2001
7.	श्री चिन्ता सम्भा मूर्ति, सदस्य	26.2.2001
8.	श्री राम प्रसाद बाल्मिकी, सदस्य	16.2.2001

राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम

क्र.सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख और निर्धारित कार्यकाल
1.	श्री एच. सी. महाजन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	4.6.1999 (कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो)

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (पद में कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष का है)

क्र.सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	कारी मोहम्मद मियां मजहरी, अध्यक्ष	20.7.2000

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (पद का निर्धारित कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष का है)

क्र.सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री ए. लुईखाम, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	7.11.2001

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (पद का निर्धारित कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष का है)

क्र.सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	डा. अमिताभ राजन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	11.9.2001

राष्ट्रीय पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (पद का निर्धारित कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष का है)

इस अवधि के दौरान कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया गया है।

केन्द्रीय वक्फ परिषद (पद में सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का है)

क्र.सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री अली मोहम्मद नायक, सदस्य	31.7.2001
2.	श्री अमीर आलम, सदस्य	31.7.2001
3.	श्री सैय्यद शाह मोहम्मद हुस्सैनी, सदस्य	18.4.2000

अवकाश यात्रा रियायत की बहाली

979. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार घरेलू पर्यटन को बढ़ाने और विभिन्न विमान कम्पनियों द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किरायों में हाल में की गई कमी के मद्देनजर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाली अवकाश यात्रा रियायत की बहाली पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

फिल्म उद्योग में काला धन

980. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिल्म निर्माण इकाइयों द्वारा फिल्म निर्माण और परियोजनाओं विशेषकर हिन्दी–तमिल और तेलगू फिल्मों में भारी निवेश पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फिल्म निर्माताओं/इकाइयों ने बड़े बजट की फिल्मों पर लगी निर्माण लागत और फिल्म के प्रचार और विज्ञापन पर किए गए व्यय के लेखों को दर्शाया है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार बड़े बजट की फिल्मों के निर्माण में काला धन लगाने वालों के प्रभाव को नियंत्रित करने और रोकने के लिए कदम उठा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (घ) जी, हां। फिल्में बनाने के लिए फिल्म निर्माण इकाइयों द्वारा बड़े निवेश के कुछ मामले आयकर विभाग के ध्यान में आए हैं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285ख के उपबंधों के अनुसार, फिल्म निर्माताओं को विनिर्धारित फार्म में फिल्मों में 50,000/– रु. से अधिक व्यय के विवरण प्रस्तुत करने अपेक्षित होते हैं। इसके अलावा, फिल्मों की निर्माण लागत और फिल्मों के प्रचार और विज्ञापन के लिए किए गए व्यय के पूरे विवरण निर्माताओं द्वारा दाखिल की गई आय विवरणी में दर्शाए जाने अपेक्षित होते हैं। तथापि, विशिष्ट मामलों के संबंध में ब्यौरे मंत्रालय में उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) और (च) फिल्म निर्माण में काले धन के प्रभाव को रोकने के लिए आयकर कानूनों के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। जब कभी कर अपवंचन के संबंध में विश्वसनीय सूचना प्राप्त होती है, फिल्म निर्माताओं, कलाकारों, काले धन के उधारदाताओं आदि के परिसरों में तलाशी एवं अभिग्रहण कार्रवाई और सर्वेक्षण किए जाते हैं। फिल्मी हस्तियों द्वारा दाखिल की गई आयकर विवरणियों की संवीक्षा भी नियमित रूप से की जाती है। इन मामलों की संवीक्षा के दौरान करदाताओं की आय का निर्धारण करने के लिए लेखा बहियों और अन्य संबंधित सूचना की जांच की जाती है।

[हिन्दी]

नैनीताल बैंक

981. श्री जय प्रकाश : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैनीताल बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह प्रक्रिया कब तक पूरी किए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

एशियाई विकास बैंक
दल का दौरा

982. श्री एम. के. सुब्बा : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने के लिए मई, 2002 में असम का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो दल द्वारा असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में किन क्षेत्रों की पहचान की गई; और

(ग) सरकार द्वारा असम और पूर्वोत्तर राज्यों में आर्थिक विकास में तेजी लाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, हां।

(ख) मई, 2002 में असम का दौरा करने वाले एशियाई विकास बैंक के एक मिशन ने असम और उत्तर पूर्वी राज्यों की सरकारों के साथ परामर्श करके राजकोषीय और विद्युत क्षेत्र संबंधी सुधारों, सड़क क्षेत्रों, शहरी विकास की ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में पहचान की है जिनमें आर्थिक सहयोग संभव है।

(ग) जहां तक एशियाई विकास बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता का संबंध है, भारत सरकार ने एडीबी सहित विदेशी वित्तपोषक अभिकरणों से अनुरोध किया है कि वे अपनी गतिविधियों को ऐसी परियोजनाओं पर विचार करने के लिए व्यापक बनाएं ताकि उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में आर्थिक विकास में तेजी लाई जा सके।

होमट्रेड नामक वित्तीय वेबसाइट
द्वारा धोखाधड़ी

983. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री जयोतिरादित्य मा. सिंधिया :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक की होम ट्रेड नामक वित्तीय वेबसाइट और कुछ दलालों द्वारा करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने की शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या होमट्रेड तथा इसके सहयोगियों द्वारा सहकारी बैंकों की निधियों की धोखाधड़ी की जांच में तेजी लाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय, मुम्बई अपराध शाखा, राज्य सी.आई. डी., सहकारी विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक संयुक्त जांच दल गठित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या जांच पूरी कर ली गई है;

(ङ) यदि हां, तो जांच दल के क्या निष्कर्ष हैं;

(च) होम ट्रेड तथा सहकारी बैंक प्रबंधन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि नागपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) के राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा नियमित सांविधिक निरीक्षण कार्य के दौरान बैंक के निवेश लेन–देन में कतिपय अनियमितताएं पाई गई थीं जिसमें मैसर्स होम ट्रेड लि. और कुछ अन्य बिचौलिया प्रतिष्ठान शामिल थे। यह पाया गया था कि अन्यों के साथ–साथ, आंतरिक निवेश नीति और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार करने, बिचौलियों के माध्यम से कारोबार करने, बिचौलियों का पैनल तैयार करने, गैर–एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश हेतु भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने, कंपनियों को उधार देने संबंधी सहकारी नियमों के उल्लंघन, कुछ बिचौलिया प्रतिष्ठानों के माध्यम से वास्तविक रूप में सरकारी प्रतिभूतियों में कारोबार, इन बिचौलियों से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने, जिन्होंने प्रतिपक्ष आदि के रूप. में भी कार्य किया था, के बारे में निवेश संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों का अनुपालन करने में बैंक असफल रहा था। मानदंडों का इसी प्रकार का उल्लंघन वर्धा डीसीसीबी तथा उस्मानाबाद डीसीसीबी में भी पाया गया था।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वह किसी भी संयुक्त जांच दल का सदस्य नहीं है। प्रभावी जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों एवं राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के अधिकारियों को शामिल करते हुए एवं विशेष आईजी, सीआईडी के नेतृत्व में एक विशेष कार्यबल की स्थापना की है। जांच अभी भी चल रही है।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि नागपुर, वर्धा एवं उस्मानाबाद डीसीसीबी के निदेशक मंडल को अधिक्रमित कर दिया गया है तथा प्रशासकों की नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर डीसीसीबी के अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक के साथ ही अंतर्ग्रस्त पांच निवेश कंपनियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है।

(छ) इन तीनों बैंकों के संबंध में निक्षेप बीमा प्रीमियम का अद्यतन भुगतान किया गया है और इस प्रकार इन बैंकों में जमाकर्ताओं के हित प्रति जमाकर्ता एक लाख रु. तक सुरक्षित हैं। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने भी महाराष्ट्र और गुजरात में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों से उनके राज्यों में सभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के निवेश लेन-देनों की विशेष लेखापरीक्षा करने का अनुरोध करने, निवेश पोर्टफोलियो से संबंधित मार्गनिर्देशों को दोहराते हुए सभी राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को परिपत्र जारी करने, सहकारी बैंकों में संगामी लेखा परीक्षक द्वारा तिमाही लेखा परीक्षा किए जाने की प्रणाली शुरू करने आदि जैसे अन्य उपाय शुरू किए हैं।

सिंगापुर के साथ आर्थिक संबंध

984. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सिंगापुर के बीच आर्थिक संबंध विकसित करने हेतु एक संयुक्त अध्ययन दल गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अध्ययन दल द्वारा कौन से महत्वपूर्ण मुद्दों की जांच की जाएगी;

(ग) क्या इस संबंध में कोई समझौता किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध सुधारने हेतु अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) के लाभों के अध्ययन के लिए भारत-सिंगापुर संयुक्त अध्ययन दल (जेएसजी) की संस्थापना की गई है। इस अध्ययन दल द्वारा जांच किए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों में निम्नलिखित शामिल हैं-

- सीईसीई की संरचना तथा कार्य क्षेत्र और माल, सेवाओं के व्यापार को उदारीकरण तथा निवेश एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अन्य शाखाओं का अध्ययन करना।
- आपसी हितों जैसे जैव-विज्ञान, सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, पर्यटन, आर एंड डी तथा अन्य क्षेत्रों में सहकारिता घटकों का पता लगाना।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) दोनों देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक संबंध सुधारने की दृष्टि से सिंगापुर में, व्यापार में संभावित क्षेत्रों को अभिज्ञात करने के लिए तथा संबंधित वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों, निर्यात संवर्धन परिषदों तथा सांविधिक व्यापार संवर्धन एजेंसियों एवं बोर्डों के बीच पारस्परिक कार्यों को बढ़ाने तथा सुविधाजनक बनाने के लिए नियमित रूप से परामर्श किए जाते हैं।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत आने वाले राज्यों द्वारा निधियों का अन्यत्र उपयोग

985. डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ राज्य सरकारों ने राज्य सरकार के व्यय की पूर्ति करने हेतु विशिष्ट योजनाओं के प्रयोजनार्थ केन्द्र के धन का अन्यत्र उपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की निधियों का अन्यत्र उपयोग करने के क्या कारण हैं;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के लिए कोई योजना तैयार की है ताकि राज्य सरकार विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नियत निधियों का अन्यत्र उपयोग न करें; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (च) जी, हां। चूंकि अधिकांश राज्य अपने बजट में भारी राजस्व घाटा उठा रहे हैं, इसलिए कई मामलों में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए निर्धारित निधियों के साथ-साथ योजना निधियों को आकस्मिक गैर-योजना जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्यत्र लगाया गया है। राज्य सरकारों द्वारा सूचित योजना व्यय में आई कमी के लिए राज्य सरकार को आवंटित केन्द्रीय सहायता में से आनुपातिक कटौती की जाती है। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों से निर्मुक्तियां राज्य सरकारों से उपयोग संबंधी प्रमाण-पत्र मिलने पर निर्भर करती हैं। इन स्कीमों के लिए निर्धारित धनराशि को कहीं अन्यत्र लगाने से संबंधित राज्यों को अनुवर्ती निर्मुक्तियां कम कर दी जाती हैं। राज्यों के पास ऐसे विचलन को रोकने का एकमात्र प्रभावी उपाय यह सुनिश्चित करना है कि राजस्व घाटा समाप्त हो गया है। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद वित्त मंत्रालय ने "राज्य राजकोषीय सुधार सुविधा" नामक एक स्कीम तैयार की है। इस स्कीम के अंतर्गत, राज्यों को 2004-05 तक अपने राजस्व घाटे कम करने के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

कताई मिलों का बी.आईएफ.आर. के पास पंजीकरण

986. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कुल कितनी कताई मिलें हैं;

(ख) क्या तमिलनाडु में लगभग 77 कताई मिलें बी. आई.एफ.आर. के पास पंजीकृत हैं;

(ग) यदि हां, तो इन मिलों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) उन पर अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) से (घ) 30.6.2002 तक की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में 829 गैर-लघु उद्योग क्षेत्र की कताई मिलें और 863 लघु उद्योग क्षेत्र की कताई मिलें थीं जिनमें से 30.4.2002 तक की स्थिति के अनुसार, 89 कताई मिलें (गैर-लघु उद्योग क्षेत्र) औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण के पास पंजीकृत थीं। बी.आई.एफ.आर. के पास पंजीकृत मिलों की स्थिति निम्नानुसार है-

राज्य	मामलों की संख्या
अब रुग्ण नहीं घोषित मिलों की संख्या	4
मसौदा योजना	4
असफल तथा पुनः खोले गए मामले	4
अनुरक्षण न किए जाने योग्य	7
अन्य	8
धारा 18(4) के अंतर्गत स्वीकृत योजना	8
जिनकी जांच की जा रही है	41
जिन्हें बंद करने का नोटिस जारी किया गया है	4
धारा 20(1) के अंतर्गत जिन्हें बंद करने की सिफारिश की गई है	16
कुल	89

रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.

आई.एफ.आर.), कुछ मामलों में दावों का निपटारा करते समय आचार संहिता प्रक्रिया, 1908 के अंतर्गत सिविल न्यायालय को सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करता है और बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के परामर्श से पुनर्स्थापना योजनाओं का अनुमोदन करता है जिनमें ऋणों की पुनःसंरचना, प्रवर्त्तकों द्वारा नई निधियां जुटाना, अन्य कम्पनियों में समामेलन करना और प्रबंधन में परिवर्तन करना आदि शामिल हैं। इसलिए इन मिलों के बारे में कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा, उसकी समय अवधि अलग–अलग मिल के लिए भिन्न होगी।

अधिग्रहण संबंधी संहिता के उल्लंघन के लिए दंड

987. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अधिग्रहण संबंधी संहिता का उल्लंघन करने के कारण सेबी को जुर्माने का भुगतान करना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिग्रहण संहिता का उल्लंघन करने वाली कम्पनियों के नाम तथा उनके द्वारा सेबी को अदा की गई शास्ति निर्दिष्ट करते हुए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया गया एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अधिग्रहण संहिता के उल्लंघन के लिए सेबी का अदा किया गया जुर्माना

01.04.1999 से 31.03.2000

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	राशि (रुपए)
1	2	3
1.	बंडी इंडिया लिमिटेड	500000
2.	ब्रुक इनवेस्टमेंट प्रा. लि.	500000
3.	एटको इंडस्ट्रीज लि.	500000
4.	ओ./ई./एन. कनेक्टर्स लि.	500000
5.	सुरिन्दर पी. कंवर	500000
6.	वी. पी. नंदकुमार एंड एसोशिएट्स	25000

01.04.2000 से 31.03.2001

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	राशि (रुपए)
1	2	3
1.	हिन्दुस्तान इंक्स एंड रेजिन्स लि.	500000
2.	एच.बी.एल.	500000
3.	निरायु प्रा. लि.	50000
4.	निरायु प्रा. लि.	20000
5.	विन्ध्य टेलीलिंक्स लि.	34000
6.	विद्याशंकर कृष्णन	20862
7.	विद्याशंकर कृष्णन	6173
8.	विद्याशंकर कृष्णन	7327
9.	हरवॉन इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.	20000
10.	विद्याशंकर कृष्णन	3138
11.	हरवॉन इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.	20000
12.	भारती ओवरसीज ट्रेडिंग कम्पनी	20000
13.	अलोम्बिक केमिकल्स वर्क्स कम्पनी लि.	20000
14.	एसआरजी इन्फोटेक लि.	20000
15.	एसआरजी इन्फोटेक लि.	37000
16.	सिएरा इन्वेस्टमेंट्स लि.	50000
17.	शैलेन्द्र पी. सिन्हा बिहार होटल्स लि. के प्रवर्तक	20000
18.	ए. एल संहवी, एम. के. खेरिछा	21000

1	2	3
19.	गुडलक मार्केटिंग प्रा. लि.	500000
20	मैथर + प्लैट्ट	30000
21.	भारतीय प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	24000
22.	इंग्लिश इंडियन क्लेज लि.	500000
23.	एबीटी इन्वेस्टमेंट्स लि.	500000
24.	ऊषा कृष्णन	60000
25.	राना गुरजीत सिंह एंड अदर्स	50000
26.	हरवॉन इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.	20000
27.	विराम इन्वेस्टमेंट्स (प्रा.) लि.	500000
28.	योगी संग–वॉन (इंडिया) लि.	10000
29.	ग्रेट एचीवर्स ट्रेडिंग कम्पनी	105500
30.	योगी संग–वॉन (इंडिया) लि.	50000
31.	तुषार जी. शाह	500000
32.	अक्षय पी. संघवी	500000
33.	आईएफबी एग्रो इंड. लिमिटेड	150000
34.	श्री कुमार बांगुर	31000
35.	एच रमेश की ओर से नागार्जुन फाइनेंशियल	50000
36.	आर. के. सोमानी	25000
37.	ए. ई. स्टेली इन्वेस्टमेंट्स इंक	50000
38.	एच रमेश की ओर से नागार्जुन फाइनेंशियल	250000
39	एच रमेश की ओर से नागार्जुन फाइनेंशियल	200000
40.	दोआब फूड्स एंड जेनरल इंडस्ट्रीज लि.	50000
41.	पैरेनियल इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.	50000
42.	एमएसआर इंटरप्राइजेज लि.	50000
43.	होंडा मोटर कम्पनी, जापान	70000
44.	जे. टी. पूंजा एंड अदर्स	52000
45.	ए.एम.आई. कम्प्यूटर (आई) लि.	75500

01.04.2001 से 31.03.2002

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	राशि (रुपए)
1	2	3
1.	जे. एम. फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज	100000
2.	रंजन अदलखा	33500
3.	बर्लिंगटन फाइनेंस लि.	30000
4.	माध कोनेरू	29000
5.	हिन हो पेट्रो केमिकल्स–कोरिया	450000
6.	हिन हो पेट्रो केमिकल्स–कोरिया	50000
7.	फाउल्डर, इंक	25000
8.	पारिख इंडस्ट्रीज लि.	500000
9.	डी.आर.जी. रमैया	500000
10.	के. रामचन्द्र रेड्डी	500000
11.	श्री विथेषा होल्डिंग प्रा. लि.	25000
12.	भोरूका इंटरनेशनल प्रा. लि.	20000
13.	आर्य होल्डिंग्स	25000
14.	आईसीडीएस लि.	25000
15.	सीकेजी पीइावाला (पी) लि.	21500
16.	जयहिन्द इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.	500000

1	2	3
17.	टयूकाना ट्रेडर्स (पी) लि.	100000
18.	टयूकाना ट्रेडर्स (पी) लि.	400000
19.	पार कम्प्यूटर सर्विसेज (इंट) लि.	25000
20.	टाईम कैप फार्मा लैब्स प्रा. लि.	500000
21.	श्रीमती पी समथा रेड्डी बी2बी साफ्टवेयर टैक के प्रवर्तक	300000
22.	बैलारी स्टील्स एंड एलायज लि.	100000
23.	मल्का रविन्दर	100000
24.	आई पावर साल्यूशन्स इंडिया लि.	25000
25.	वीएलएस फायनेंस लि.	25000
26.	के. एस. मेहता	500000
27.	प्रवीण कुमार तायल	100000
28.	आफ्टेक इन्फोसिजज लि.	88000
29.	आफ्टेक इन्फोसिजज लि.	88000
30.	आफ्टेक इन्फोसिजज लि.	27500
31.	आफ्टेक इन्फोसिजज लि.	27500
32.	आफ्टेक इन्फोसिजज लि.	88000
33.	आफ्टेक इन्फोसि्जज लि.	27500
34.	आफ्टेक इन्फोसिजज लि.	88000
35.	आफ्टेक इन्फोसिजज लि.	115500
36.	विजन साफ्ट लि.	50000
37.	साल्विया इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडर्स प्रा. लि. एंड पैक्स की ओर से फार्चून फायनेंशल सर्विसेज (इंडिया) प्रा. लि.	500000
38.	आगैनल पार्टिसिपेशन्स बीवीडी की ओर से एचएसबीसी सिक्यूरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स (इंडिया) प्रा. लि.	500000
39.	असाही ग्लास कम्पनी लि.	1000000
40.	एमबीए स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्रा. लि.	100000 अदा नहीं की गई। अभियोजन कार्यवाही आरम्भ की गई।
41.	ज्यूस मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स (पी) लि.	25000 अदा नहीं की गई। अभियोजन कार्यवाही आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

मॉरीशस संधि के मद्देनजर कर अपवंचन

988. श्री चन्द्रनाथ सिंह :

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जून, 2002 के 'राष्ट्रीय सहारा' में 'मॉरीशस संधि की आड़ में हजारों करोड़ आयकर डकारा विदेशी निवेशकों ने' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। भारत और मारीशस के बीच दोहरे कराधान से बचने के लिए दिसम्बर, 1983 में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस करार में निवेशक के निवास देश में लाभांशों और पूंजीगत अभिलाभों के कराधान के लिए प्रावधान किया गया है। मार्च, 2000 में मुम्बई में कर–निर्धारण अधिकारियों ने मॉरीशस में पंजीकृत कुछ विदेशी संस्थागत निवेशकों को कर लाभों को देने से

मना कर दिया था। दोनों देशों के बीच कर संधि के उपबंधों को लागू करने में किसी प्रकार की गलतफहमी को दूर करने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा दिनांक 13.4.2000 को एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि मॉरीशस के निवासी को संधि के लाभ दिए जाने चाहिए, जहां मॉरीशस सरकार ने निवास प्रमाणपत्र जारी किया है। इस परिपत्र जिसकी वैधता को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष तीन लोकहित याचिकाओं में चुनौती दी गई थी, को 31 मई, 2002 को दिए गए निर्णय में पहले ही समाप्त कर दिया गया है।

(ग) इस मामले में आगे कार्रवाई, इस मामले में कानूनी राय प्राप्त करने के बाद ही की जाएगी।

[अनुवाद]

राज्यों की वित्तीय समस्याएं

989. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति :
श्री अधीर चौधरी :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री मोइनुल हसन :
श्री हन्नान मोल्लाह :
श्री समीक लाहिड़ी :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राज्यों की बढ़ती हुई वित्तीय समस्याओं का समाधान करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और समिति द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या वित्तीय समस्या के कारण अनेक राज्य अपनी चल रही परियोजनाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) बढ़ते हुए खर्च को पूरा करने के लिए प्राप्तियों की अपर्याप्तता के फलस्वरूप कई राज्य पूंजीगत व्यय को पूरी तरह वित्तपोषित करने में असमर्थ हैं।

(ङ) राजकोषीय समेकन की जरूरत को मानते हुए और राजकोषीय सुधार कार्यक्रम शुरू करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भारत सरकार ने राज्यों के लिए प्रबोधन योग्य राजकोषीय सुधारों की एक स्कीम तैयार की है। इस सुविधा के अंतर्गत राज्यों से यह अपेक्षित है कि वह अपने मध्यम आवधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम बनाने के साथ-साथ राजकोषीय समेकन, बिजली क्षेत्र में सुधारों, राजकोषीय पारदर्शिता के मामलों आदि पर भी ध्यान दें। अनुपालनकर्ता राज्य इस सुविधा के अंतर्गत निर्मित निधि में से अनुदान पाने के हकदार हैं।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बालकों तथा बालिकाओं की साक्षरता दर

990. श्री रामदास आठवले : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बालकों/बालिकाओं की साक्षरता दर दो प्रतिशत से कम है;

(ख) यदि हां, तो देश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बालकों तथा बालिकाओं की साक्षरता दर में वृद्धि करने हेतु कोई कदम उठाए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) उन जिलों के नाम, जहां 1991 की जनगणना के डेटा के अनुसार अनुसूचित

जनजाति महिला साक्षरता दो प्रतिशत से कम है, संलग्न विवरण में दिए गए हैं। तथापि, 1991 की जनगणना के अनुसार ऐसे कोई जिले नहीं हैं जहां कि अनुसूचित जाति के पुरुष या महिला या अनुसूचित जनजाति पुरुष साक्षरता दो प्रतिशत से कम है।

(ग) और (घ) जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास हेतु कम साक्षरता वाले पॉकेट्स में शैक्षिक परिसर की योजना का कार्यान्वयन उन क्षेत्रों में किया जा रहा है जहां कि 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता 10% से कम है अथवा जहां अभिज्ञात आदिम जनजातीय समूह (पी टी जी) मौजूद हैं। इस योजना में, ऐसे क्षेत्रों में कक्षा 1 से 5 तक अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए आवासीय स्कूलों की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

विवरण

उन जिलों की सूची, जहां 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता 2% से कम है।

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम
1	2	3
1.	मध्य प्रदेश	मोनेरा
2.	मध्य प्रदेश	शिवपुरी
3.	मध्य प्रदेश	गुना
4.	मध्य प्रदेश	सेहोरे
5.	उड़ीसा	कोरापात
6.	राजस्थान	जैसलमेर
7.	राजस्थान	पाली
8.	राजस्थान	बाडमेर
9.	राजस्थान	जालौर
10.	राजस्थान	सिरोही
11.	राजस्थान	भिलवाड़ा
12.	राजस्थान	चित्तुरगढ़
13.	उत्तर प्रदेश	ललितपुर
14.	उत्तर प्रदेश	बहराइच
15.	उत्तर प्रदेश	देवरिया

[अनुवाद]

जापान को निर्यात

991. प्रो. उम्मारेड्डी वैंकटेस्वरलु : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान को भारतीय निर्यात में गत वित्त वर्ष में मूल्य के संबंध में लगभग 14% की गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इस गिरावट के क्या कारण हैं;

(ग) क्या जापानी अर्थव्यवस्था में मंदी ने भारतीय निर्यात में इस गिरावट की प्राथमिक जिम्मेदारी ली है;

(घ) यदि हां, तो सरकार जापान को निर्यात में इस गिरावट का कहां तक अनुमान लगा पाई है;

(ङ) क्या हमारे निर्यात के लिए किसी वैकल्पिक बाजार का पता लगाया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) डीजीसीआईएंडएस के अनंतिम आंकड़ो के अनुसार, भारत से जापान को हुए निर्यातों में वर्ष 2000–01 की तुलना में वर्ष 2001–02 के दौरान डालर के रूप में 15.96% और रुपये के रूप में 12.27% की कमी आई है।

(ख) और (ग) निर्यातों में कमी मुख्यतः जापान की अर्थव्यवस्था में चल रही मंदी के कारण हुई है।

(घ) से (च) सरकार का यह ठोस प्रयास है कि मौजूदा बाजारों को हो रहे निर्यातों में वृद्धि करके तथा अन्य बातों के साथ–साथ सूचना के आदान–प्रदान शिष्टमंडलों के आवागमन, व्यापार मेलों/क्रेता–विक्रेता बैठकों/प्रदर्शनियों आदि

में भागीदारी के जरिए नए बाजारों का पता लगाकर निर्यातों को बढ़ाया जाए।

अप्रत्यक्ष करों के लम्बित मामले

992. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रत्यक्ष करों से संबंधित लगभग 67,400 विवाद विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं जिनमें 11,932 करोड़ रुपए अंतर्ग्रस्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिवक्ताओं की नियुक्तियों पर कुछ विवादों के कारण सीमा और उत्पाद शुल्क संबंधी विवादों का ढेर लग गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा लोगों के हित में मतभेदों को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों और न्यायालयों के समक्ष सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्वों से संबंधित विवादग्रस्त मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। विभिन्न न्यायालयों और सीनेट के समक्ष मुकदमेबाजी को प्रभावपूर्ण ढंग से चलाने के लिए, यह प्रस्ताव किया गया था कि विधि मंत्रालय के परामर्श से सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मामलों के लिए विशेष रूप से वकीलों का एक पैनल बनाए रखा जाए। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामलों के संचालन के लिए इस मंत्रालय द्वारा सिफारिश किए गए वकीलों के एक पैनल का अनुमोदन कर दिया गया था और विधि मंत्रालय द्वारा उसे अधिसूचित कर दिया गया था। उच्च न्यायालयों के समक्ष मामलों के संचालन के लिए पैनलबद्ध किए जाने के लिए वकीलों के नामों का अंतिम रूप से अनुमोदन अभी भी विधि मंत्रालय के पास लंबित है। उच्च न्यायालय पैनल के लिए पैनलबद्ध किए जाने वाले वकीलों की संख्या के मामलों का तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा तत्कालीन विधि मंत्री के साथ समाधान कर दिया गया था। विधि मंत्रालय के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

विवरण

(राशि करोड़ रु. में)

	उच्चतम न्यायालय मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार		उच्च न्यायालय मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार		सीनेट* (2001–2002)		आयुक्त (अपील)* अप्रैल, 2002 की स्थिति के अनुसार	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
सीमा शुल्क	441	84.94	5621	709.79				
केन्द्रीय उत्पादक शुल्क	1752	1495.98	4636	1523.73				
कुल योग	2193	1580.92	10257	2233.52	29,575	4804	41,893	लागू नहीं

*सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अलग से ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

सिक्यूरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स संबंधी विधेयक

993. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्यूरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स और प्रतिभूति ब्याज को लागू करने संबंधी फार्वर्ड विधेयक लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त विधेयक संसद में कब तक लाए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ग) राष्ट्रपति ने प्रश्न में उल्लिखित विषय पर 21 जून, 2002 को एक अध्यादेश जारी किया है। अध्यादेश की प्रति सभा पटल पर रख दी गई है। सरकार चालू सत्र के दौरान एक प्रतिस्थापना विधेयक लाने का विचार कर रही है।

चीन से रेशम आयात का प्रभाव

994. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन से रेशम के आयात से घरेलू उत्पादों का मूल्य गिरने के कारण स्थानीय किसानों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारतीय किसानों को चीन से आयात की तुलना में समान अवसर प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हें अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार अपरिष्कृत रेशम और रेशम फैब्रिक्स के आयात तथा मुख्य घरेलू बाजारों में कोसों और अपरिष्कृत रेशम की कीमतों की सूक्ष्मता से मॉनिटरिंग कर रही है। हालांकि आयातित अपरिष्कृत रेशम की कीमतें, पिछले वर्ष की अधिक वृद्धि होने, इसमें लगातार गिरावट आने और घरेलू बाजार में इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अनुमानित मांग–पूर्ति के अंतर से अधिक नहीं हुई है, फिर भी सरकार ने यह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है कि क्या शुल्क प्रतिबंधों को बढ़ाने के लिए सांविधिक उपबंधों को लागू करने की आवश्यकता है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने भी कर्नाटक रेशम उद्योग निगम (केएसआईसी) से इस आशय का अनुरोध करने की सहमति प्रकट की है कि रेशम कृषकों और रेशम रीलरों के सामने पेश आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार की गारंटी के तहत उचित कीमतों पर द्विफसलीय शहतूती कोसों की खरीद के लिए उन्हें उदार शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाए।

वस्त्र नीति

995. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय वस्त्र नीति–2002 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस उद्देश्य के लिए धनराशि जुटा ली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) से (ग) राष्ट्रीय वस्त्र नीति 2000 के क्रियान्वयन में उठाए जा रहे प्रमुख कदम नीचे दिए गए हैं–

- प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना जो उद्योग के सभी विनिर्मात्री खंडों को शामिल करते हुए आयात प्रवेश के दबाव को रोकने तथा निर्यात बाजार की बढ़ती हुई हिस्सेदारी को बनाए रखने के उद्देश्य से इसे विश्वस्तरीय विनिर्मात्री क्षमताओं से सुसज्जित कर सके;
- उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने तथा इस फाइबर के प्रयोग को विविधिकृत करने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन;
- हथकरघा क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने तथा प्रोत्साहित करने के लिए दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना;

- परिधान क्षेत्र को एसएसआई से अनारक्षण ताकि इसे व्यापक स्तर पर निवेश को आकर्षित करने के लिए सक्षम बनाया जा सके;

- निटवियर क्षेत्र में बेहतर निवेश की अनुमति देते हुए निवेश सीमा में 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करना;

- विश्वस्तरीय समन्वित वस्त्र परिसरों की स्थापना को प्रोत्साहित करने तथा अपैरल निर्यात की हमारी हिस्सेदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से (i) परिधान के निर्यात हेतु अपैरल पार्क और (ii) वस्त्र केन्द्र अध्यसंरचना विकास योजनाओं को लागू करना;

- बजट 2001–02 के वस्त्र पैकेज में 50,000 नये शटल रहित करघों और 2.5 लाख अर्द्धस्वचालित/स्वचालित करघों को शामिल करने के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा द्वारा बुनाई क्षमताओं का आधुनिकीकरण;

- अधिक उद्योग अनुकूल पर्यावरण प्रदान करने तथा विनियामक मशीनरी की भूमिका को कम बाधक बनाने के लिए वस्त्र (विकास व विनियमन) आदेश में संशोधन;

- अन्य बातों के साथ–साथ राजस्व मार्गचित्र सहित उद्योग की वृद्धि और निवेश हेतु कदमों की सिफारिश करने के लिए सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में संचालन समूह का गठन;

- क्रमिक संघीय बजटों के माध्यम से घोषित शुल्क और टैरिफ ढांचा में आवश्यक परिवर्तन;

- इसके अतिरिक्त, प्रत्यक्ष विदेश निवेश को वस्त्र क्षेत्र में स्वमार्गों द्वारा 100% की विदेशी इक्विटी की भागीदारी हेतु प्रावधान करते हुए उदारीकृत किया गया है जिसका नीटिंग/निटवियर क्षेत्र एक मात्र अपवाद है;

प्लान योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निधि का आवंटन वस्त्र मंत्रालय के 10वीं योजना बजट में किया गया है।

ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के पास लंबित मामले

996. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार 8014.63 करोड़ रुपए के 5,780 मामले ऋण वसूली न्यायाधिकरण के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों के लम्बित होने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा लम्बित मामलों का यथाशीघ्र निपटारा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) ने सूचित किया है कि दिनांक 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार डीआरटी के पास 33,595 मामले लम्बित हैं, जिनमें 90,110 करोड़ रु. की राशि अंतर्ग्रस्त है।

(ख) और (ग) प्रारम्भ में कुछ मामलों में बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (डीआरटी अधिनियम) की वैधता को चुनौती देते हुए कुछ उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर की गई थीं। वस्तुतः दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिट याचिका की अनुमति दी थी, जिससे मामलों का निपटान धीमा हो गया। बाद में भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील की और लम्बित रिट याचिकाओं को उच्च न्यायालयों से उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करवाया, जिन्होंने अपने 14 मार्च, 2002 के आदेश के अनुसार यह घोषणा की है कि बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (डीआरअी अधिनि्यम) विधान का एक वैध अंश है। अधिनियम की वैधता का समर्थन करने के साथ ही निर्णय में यह भी निर्धारित किया गया है कि पार्टियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय में जाने से पहले अधिनियम के तहत प्राधिकरण के पास जाना चाहिए। इससे ऋणकर्ताओं की डीआरटी द्वारा जारी अन्तरिम आदेश के विरुद्ध डीआरएटी को नजरअंदाज करते हुए सीधे उच्च न्यायालय में जाने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। यह बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की तेजी से वसूली की दिशा में एक प्रमुख घटनाक्रम है।

प्रारम्भ में 10 डीआरटी और एक डीआरएटी स्थापित किए गए थे। प्रत्येक डीआरटी पर बढ़ते हुए कार्यभार को देखते हुए सरकार ने और डीआरटी स्थापित करने का निर्णय लिया और इस प्रकार, इस समय देश में 29 डीआरटी और 5 डीआरएटी हैं। डीआरटी को और प्रभावी बनाने के लिए

डीआरटी अधिनियम, 2000 में संशोधन किया गया था, ताकि डीआरटी को मामलों को तेजी से निपटाने और देय राशि की तेजी से वसूली के लिए समर्थ बनाया जा सके। डीआरटी के कार्य संचालन में सुधार के लिए प्रत्येक डीआरटी में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और पीठासीन अधिकारियों का प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों को प्रत्यायोजित करने जैसे उपाय किए गए थे। सरकार डीआरटी के कार्य–निष्पादन की सतत आधार पर निगरानी कर रही है और डीआरटी के कार्यसंचालन को सुचारु रूप से चलाने के मार्ग में आने वाली कानूनी, आधारिक सुविधा संबंधी एवं अन्य बाधाओं को दूर करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

गोदामों के निर्माण के लिए धनराशि

997. श्री ए. नरेन्द्र :
श्री राजो सिंह :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने नाबार्ड के पास आरआईडीएफ स्कीम के अंतर्गत राज्यों में गोदामों के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन स्थानों का नाम क्या है जहां नाबार्ड ने गोदामों के निर्माण हेतु स्वीकृति दे दी है;

(घ) वर्ष 2002–2003 के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी राशि स्वीकृत हुई; और

(ङ) आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार और अन्य राज्यों में शेष बचे स्थानों पर गोदामों के निर्माण हेतु धनराशि जारी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उन्होंने कर्नाटक एवं बिहार में गोदामों के निर्माण के लिए अनुमोदन दे दिया है। ये गोदाम कर्नाटक में बेल्लारी, काम्पी, धारवार, गुलबर्गा, गंगावती, चित्तापुर एवं हसन तथा बिहार में अररिया, बांका, बेगुसराय, दरभंगा, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, वैशाली, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा एवं नवादा में निर्माण किए जाने हैं।

(घ) नाबार्ड ने सूचित किया है कि अब तक वर्ष 2002–03 के दौरान इस उद्देश्य के लिए कोई राशि मंजूर नहीं की गई है।

(ङ) नाबार्ड ने सूचित किया है कि (बिहार एवं कर्नाटक में पहले ही स्वीकृत गोदामों के निर्माण को छोड़कर) आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार एवं अन्य राज्यों में गोदामों के निर्माण के लिए आरआईडीएफ ऋण का लाभ उठाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

चीनी उद्योग द्वारा उत्पाद शुल्क की चोरी

998. श्री नरेश पुगलिया : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में कई सहकारी चीनी मिलों द्वारा कथित रूप से निर्यात के लिए नियत चीनी को घरेलू बाजार में बेचकर बड़े पैमाने पर उत्पाद शुल्क की चोरी की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे की जांच राजस्व आसूचना विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा करवाने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अब तक चूककर्त्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) (क) और (ख) जी, हा। ब्यौरे निम्नानुसार हैं—

चीनी मिलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त शुल्क राशि (लाख रुपयों में)	वसूल की गई शुल्क राशि (लाख रुपयों मे)
21	861.43	331.83

(ग) से (ङ) इन सभी मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। शुल्क को वसूलने तथा सभी संबंधितों को दंडित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

जेराक्स कार्पोरेशन

999. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री पी. डी. एलानगोवन :
श्री अम्बरीश :
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या जेराक्स कार्पोरेशन ने अपनी भारतीय सहायक कम्पनी में एक घोटाले को उजागर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पूरे प्रकरण को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को निष्पक्ष जांच हेतु सौंपने और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और भ्रष्ट अधिकारियों की पहचान नहीं हो जाती तब तक जेराक्स कार्पोरेशन की सहायक कंपनी जेराक्स मोदीकार्प लि. के संचालन को स्थगित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई या किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) इसकी वर्ष 2001 की वार्षिक रिपोर्ट में यूएसए की मै. जेराक्स कार्पोरेशन ने उल्लेख किया है कि भारत में उनकी सहायक कंपनियों द्वारा सरकार के उपभोक्ताओं को किए गए विक्रय के संबंध में कतिपय अनुपयुक्त भुगतान किए गए थे।

(ग) से (ङ) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अंतर्गत एक निरीक्षण का आदेश कर दिया गया है।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम

1000. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री जयोतिरादित्य मा. सिंधिया :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 2002 में विदेशी मुद्रा संबंधी भ्रष्टाचार, हवाला व्यापार, मादक पदार्थों की तस्करी और इससे संबद्ध अन्य अपराधों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि ईमानदार करदाताओं के हितों के विरुद्ध देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए इस प्रकार के अपराधों में लिप्त कुख्यात अपराधी दंड से न बच सकें?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999, जो कि 1.6.2000 से प्रभावी हुआ है, एक सिविल कानून है तथा इसमें गिरफ्तारी और अभियोजन का प्रावधान नहीं है। तथापि, भ्रष्टाचार, स्वापक औषधियों की तस्करी तथा ऐसे ही अन्य दोषों जैसे गंभीर अपराधों से प्राप्त आय से संबंधित सीमा-पार के वित्तीय लेन-देन संबंधी कार्य के लिए सरकार धन शोधन रोकथाम अधिनियम लागू करने की प्रक्रिया में है।

इसके अतिरिक्त, फेमा के प्रावधानों के उल्लंघन में सीमा-पार के वित्तीय लेन-देन के मामलों की जांच की जा सकती है तथा उक्त अधिनियम के तहत न्यायनिर्णय दिया जा सकता है और उसमें शामिल धनराशि के तीन गुने के बराबर शास्तियां लगाई तथा वसूली जा सकती हैं।

(ग) इस संबंध में और अधिक सतर्क रहने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को चौकस कर दिया गया है।

चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949

1001. डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की समीक्षा कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अधिनियम की समीक्षा में विदेशी व्यावसायिक फर्मों के भारत में काम करने की अनुमति संबंधी सिफारिश भी शामिल हागी;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण तथा ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस अधिनियम में अन्य संभावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ङ) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) ने मार्च, 2002 में चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों में संशोधन करने का सुझाव देने हेतु एक कार्य दल का गठन किया था। दल ने 29 जून, 2002 को आईसीएआई को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

हैंकयार्न की बुनाई

1002. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल बुनाई की क्षमता और उसमें हैंकयार्न का प्रतिशत कितना है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां हैंक–यार्न की बुनाई अधिक होती है; और

(ग) सरकार द्वारा हैंकयार्न क्षेत्र के बुनकरों और श्रमिकों को उत्पाद शुल्क के बोझ से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) और (ख) 30 जून, 2002 तक की स्थिति के अनुसार, देश में मिश्रित मिलों सहित सूती/मानव निर्मित फाईबर वस्त्र मिलों (एसएसआई और गैर–एसएसआई) में कुल कताई क्षमता निम्न अनुसार है–

मद	सूती मानव निर्मित फाईबर वस्त्र मिलें (गैर–एसएसआई)	एसएसआई कताई मिलें	कुल
तकुए	35.81 मिलियन	2.74 मिलियन	38.55 मिलियन
रोटर्स	409000	84000	493000

हैंक यार्न की पैकिंग का एक रूप है और कताई के चरण में हैंक यार्न और कोन यार्न के बीच किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए हैंक के रूप में यार्न का उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त क्षमता के प्रतिशत के पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, वर्ष 2001–02 के लिए हैंक यार्न की घरेलू सुपुर्दगी के राज्य–वार संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सरकार ने हैंक के रूप में सूती और सेल्यूलासिक स्पन यार्न पर उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिया है। इस प्रकार हैंक यार्न क्षेत्र में बुनकरों और श्रमिकों को उत्पाद शुल्क के भार का वहन नहीं करना होगा।

विवरण

हैंक के रूप में स्पन यार्न की घरेलू सुपुर्दगी के राज्य–वार आंकड़े
(वर्ष 2001–2002 के लिए)

मिलियन कि.ग्रा.

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सूती यार्न	ब्लॅंडिड यार्न	100% गैर–सूती यार्न	कुल स्पन यार्न	कुल योग का %
1	2	3	4	5	6	7
1.	तमिलनाडु	290.07	0.49	4.29	294.85	49.73

1	2	3	4	5	6	7
2.	हरियाणा	118.21	0.00	1.56	119.77	20.20
3.	पंजाब	30.60	3.60	27.95	62.15	10.48
4.	उत्तर प्रदेश	15.94	0.24	5.47	21.65	3.65
5.	आंध्र प्रदेश	19.81	0.00	0.35	20.16	3.40
6.	कर्नाटक	16.09	0.00	0.09	16.18	2.73
7.	राजस्थान	9.37	0.00	0.01	9.38	1.58
8.	महाराष्ट्र	8.39	0.12	0.45	8.96	1.51
9.	पश्चिम बंगाल	7.21	0.03	0.47	7.70	1.30
10.	केरल	6.01	0.00	0.10	6.11	1.03
11.	हिमाचल प्रदेश	0.93	2.30	2.18	5.41	0.91
12.	गुजरात	4.53	0.62	0.06	5.21	0.88
13.	उड़ीसा	4.38	0.00	0.00	4.38	0.74
14.	पांडिचेरी	2.17	0.00	0.00	2.17	0.37
15.	जम्मू और कश्मीर	0.89	0.00	1.03	1.92	0.32
16.	मध्य प्रदेश	1.36	0.00	0.54	1.90	0.32
17.	झारखंड	1.43	0.00	0.08	1.51	0.25
18.	असम	0.80	0.00	0.45	1.25	0.21
19.	उत्तरांचल	0.63	0.00	0.32	0.95	0.16
20.	बिहार	0.74	0.00	0.03	0.77	0.13
21.	दमन और दीव	0.29	0.00	0.00	0.29	0.05
22.	मणिपुर	0.24	0.00	0.00	0.24	0.04
23.	दादरा और नगर हवेली	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00
	कुल	540.11	7.40	45.43	592.94	100.00

इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड

1003. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या वाणिज्य **और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन ब्रांडों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सरकार द्वारा इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड के अंतर्गत इस फंड के शुरू होने से आज तक प्रचारित किया जा रहा है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न ब्रांडों को प्रोत्साहन देने के लिए दिए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख)

क्र.सं.	कम्पनी	प्रोत्साहन के लिए स्वीकृत ब्रांडों/ क्रियाकलापों के ब्यौरे	सुलभ ऋण की स्वीकृत की राशि	अभी तक वितरित ऋण की राशि
1.	मै. एचएमटी (इंटरनेशनल) लि. बंगलौर	एचएमटी घड़ियों इत्यादि के प्रोत्साहन के लिए दुबई और क्आलालम्पुर में दो शोरूम खोलना।	1.00 करोड़ रु.	1.00 करोड़ रु.
2.	मै. के. जी. डेनिम कोयम्बतूर	अमरीका, यूरोप और मध्य पूर्व देशों में ट्रिगर ब्रांड केजुअल वियर को प्रोत्साहन देना।	5.00 करोड़ रु.	1,48,47,500 रु.
3.	मै. इंटरनेशनल क्रिएटिव फूड्स लि. कोच्ची	विदेशों में झींगे के विपणन हेतु प्रसिद्ध अमरीकी समुद्री खाद्य ब्रांडों 'ओसियन डायमंड" और "ब्रिलियंट" को प्राप्त करना।	6.00 करोड़ रु.	6.00 करोड़ रु.
4.	मै. क्लच आटो लि. नई दिल्ली	अमरीका में हैवी ड्यूटी क्लचों के लिए 'सी ए भारत में विनिर्मित" ब्रांड को प्रोत्साहन देना।	3.5 करोड़ रु.	3.5 करोड़ रु.
5.	मै. विशुद्ध रासायनी प्रा.लि. ठाणे	फ्रांस में उर्वशी ब्रांड इत्र को प्रोत्साहन देना।	5.5 करोड़ रु.	4.25 करोड़ रु.
6.	मै. गोयल एयरस्प्रिंक (इंडिया) लि. मुम्बई	मध्य पूर्व अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमरीकी देशों में "सौरभ" ब्रांड पोलिप्रोपीलिन मैट्स को प्रोत्साहन देना।	5.00 करोड़ रु.	–
7.	मै. सतनाम ओवरसीज लि. नई दिल्ली	अमरीक और कनाडा के बाजारों, यूरोप तथा मध्य पूर्व देशों में "कोहिनूर" ब्रांड बासमती चावल को प्रोत्साहन देना।	5.00 करोड़ रु.	–
8.	मै. एल.टी. ओवरसीज लि. नई दिल्ली	सऊदी अरब, खाड़ी, यूरोप, अमरीका और अफ्रीका में "दावत गोल्ड" और "दावत प्रीमियम" ब्रांडों का संवर्धन करना।	5.00 करोड़ रु.	–

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक आयोग

1004. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा :

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जनजाति के लिए बनी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी हेतु एक पृथक् राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को राज्यों के विरुद्ध राज्यवार शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन्होंने जनजातीय कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में ढीलापन दिखाया है; और

(घ) इन राज्यों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, विद्यमान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग को द्विभाजित करके अनुच्छेद 338 के अधीन अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्लोबल ट्रस्ट बैंक

1005. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्लोबल ट्रस्ट बैंक आर्थिक संकट झेल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बैंक की वित्तीय स्थिति के संबंध में रिजर्व बैंक ने कोई आश्वासन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि. को इस समय किसी वित्तीय संकट का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तथापि, स्थानीय मीडिया में कतिपय प्रतिकूल रिपोर्टों की वजह से जून, 2002 के पहले हफ्ते के दौरान बैंक को हैदराबाद और सिकन्दराबाद में कुछ शाखाओं में बहुत अधिक आहरणों का सामना करना पड़ा था। बैंक ने नकद आहरणों को पूरा करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की थी और सामान्य स्थिति बहाल हो गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि उसे बैंक की सुदृढ़ता और स्थिरता के संबंध में कोई शंका नहीं है।

[हिन्दी]

विशेष संघटक योजना के लिए धनराशि

1006. श्री रामदास आठवले : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए संविधान में संशोधन करने का है कि विशेष संघटक योजना के अंतर्गत दलितों की जनसंख्या के अनुपात में आवंटित धनराशि को अन्यत्र नहीं लगाया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस उद्देश्य हेतु उपलब्ध तंत्र का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से राज्य के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की मांग में विशेष संघटक योजना के लिए अभिप्रेत सम्पूर्ण धनराशि को रखने हेतु एक बजटीय तंत्र आरंभ करने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

बैंकों द्वारा काल मार्केट में पैसा लगाना

1007. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा काल मार्केट में पैसा लगाने के लिए दो चरणों में व्यावहारिक सीमाएं निर्धारित की हैं;

(ख) यदि हां, तो आरबीआई की उक्त सिफारिशें किस तिथि से प्रभाव में आएंगी;

(ग) ऋण की उपलब्धि पर इस निर्देश का क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई आकलन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार नए निर्देशों को लागू करेगा जिससे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए ऋण का प्रवाह सुनिश्चित रहे?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, हां।

(ख) पहला चरण 5 अक्टूबर, 2002 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रभावी होगा और दूसरा चरण 14 दिसम्बर, 2002 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रभावी होगा।

(ग) से (ङ) बैंकों द्वारा मांग/नोटिस मुद्रा बाजार में निधियों का प्रयोग 1–14 दिन की सीमा के संसाधनों में आस्तियों और देयताओं के अस्थायी असन्तुलन को सन्तुलित करने के लिए किया जाता है। अतः वाणिज्यिक बैंकों द्वारा माग/नोटिस मुद्रा बाजार में एक्सपोजर संबंधी विवेकपूर्ण सीमा से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र सहित उत्पादक क्षेत्रों में बैंक ऋण का प्रवाह प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

चीनी विश्लेषण के तरीके

1008. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे में हाल ही में एशिया में प्रथम बार चीनी विश्लेषण के एक समान तरीके के लिए 42 राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय आयोग की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन मुद्दों पर चर्चा हुई और चीनी प्रौद्योगिकी के लिए कौन से नए तरीके अपनाए गए;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारत के चीनी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता घटी है;

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ङ) क्या भारतीय चीनी निर्यातकों को नया परिवहन भत्ता दिए जाने के बाद स्थिति सुधरने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) चीनी विश्लेषण की एक–समान विधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग का 23वां सत्र एशिया में पहली बार 3 से 5 जून, 2002 में पुणे में हुआ था।

(ख) 23वें सत्र में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई–

जी.एस.1–कच्ची चीनी; जी.एस.2–श्वेत चीनी; जी.एस. 3–स्पेशलिटि शुगर; जी.एस.4–शीरा; जी.एस.5–गन्ना; जी. एस.6–चुकन्दर; जी.एस.7–गन्ने से तैयार चीनी का प्रसंस्करण; जी.एस.8–चुकन्दर से तैयार चीनी का प्रसंस्करण; जी.एस.9–स्टार्च से तैयार स्वीटनर्स; एस. 1–संविधान और उप–नियम; एस.2–न्यून शर्करा और बहु शर्करा; एस.3–आंकड़ों का फार्मेट संयुक्त परीक्षण और सांख्यिकीय उपचार की विधि; एस.4–सघनता, ऑप्टिकल रोटेशन और अपावर्तनाक; एस.5–शुष्क तत्व; एस. 6–विश्लेषण की अप्रत्यक्ष विधि; एस.7–रंग, गंदलापन और परावर्तकता का आंकलन; एस.8–शुगर्स के लिए वर्णलेखी तकनीकें; एस.9–नान–शुगर्स के लिए वर्णलेखी तकनीकें; एस.10–विकर और प्रतिरक्षी विधियां; एस.11–द्रवप्रवाहिकी; एस.12–जीवाणुविज्ञान; एस.13–रिड्यूसिंग शुगर; एस. 14–ऐश।

(ग) और (घ) पिछले तीन चीनी मौसमों में चीनी के निर्यात में वृद्धि हुई है। तथापि, चीनी के निर्यात की मात्रा चीनी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों और उसकी गुणवत्ता सहित विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करती है।

(ङ) से (छ) सरकार ने चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में संशोधन किया है ताकि वह, अन्य बातों के साथ–साथ, चीनी विकास निधि का उपयोग चीनी फैक्ट्रियों को चीनी के निर्यात शिपमेंट्स पर आंतरिक ढुलाई और भाड़ा प्रभारों के खर्च की अदायगी के लिए कर सके। आशा है कि सरकार द्वारा मुहैया की गई इस सुविधा से चीनी के निर्यात में और अधिक वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने इस संबंध में निम्नलिखित उपाय भी किए हैं–

(i) चीनी के निर्यात पर पहले जो मात्रात्मक प्रतिबंध था, वह समाप्त कर दिया गया है।

(ii) निर्यात के लिए निर्धारित चीनी की मात्रा पर लेवी देयता से छूट दी गई है।

(iii) निर्यात के लिए रिलीज की गई चीनी की मात्रा

को खुली बिक्री की चीनी की अग्रिम निर्मुक्ति के रूप में माना जाता है जिसका समायोजन 18 मास की अवधि के पश्चात् चीनी फैक्ट्रियों के खुली बिक्री की चीनी के स्टाक से किया जाता है।

(iv) चीनी के निर्यात के जहाज तक निष्प्रभार मूल्य की 4% की दर पर डी.ई.पी.बी. की अनुमति दी गई है।

चाय की उत्पादन लागत

1009. श्री वी. वेत्रिसेल्वन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में श्रम लागत सहित चाय की औसत उत्पादन लागत कितनी है;

(ख) भारत और इसके पड़ोसी राष्ट्रों यथा श्रीलंका, बांग्लादेश और चीन के चाय की औसत उत्पादन लागत में कितना अंतर है; और

(ग) इन देशों से आयातित चाय की तुलनात्मक कीमत कितनी है और उस पर कितना सीमा शुल्क लिया जाता है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) वर्ष 2000-01 के दौरान चाय की क्षेत्रवार अनुमानित उत्पादन लागत तथा श्रम लागत निम्नानुसार है—

(रु./कि.ग्रा.)

राज्य/क्षेत्र	उत्पादन लागत	श्रम लागत
असम घाटी	65.00	33.31
काचर	55.00	23.24
डूअरस	62.50	33.00
तराई	62.50	26.88
दार्जिलिंग	135.00	88.18
त्रिपुरा	55.00	23.65
दक्षिण भारत	55.00	23.65

(ख) भारत में चाय की औसत उत्पादन लागत तथा पड़ोसी देशों [illegible] श्रीलंका और बांग्लादेश में चाय की इस लागत के [illegible] का अंतर इस प्रकार है—

(अमरीकी डालर प्रति कि.ग्रा.)

देश	उत्पादन लागत	श्रीलंका की तुलना में अंतर	बांग्लादेश की तुलना में अंतर
भारत	1.58		
श्रीलंका	1.46	(+) 0.13	
बांग्लादेश	0.93		(+) 0.66

श्रीलंका की तुलना में भारत में चाय की उत्पादन लागत 0.13 अमरीकी डालर प्रति कि.ग्रा. तथा बांग्लादेश की तुलना में 0.66 अमरीकी डालर प्रति कि.ग्रा. अधिक है। चीन में चाय की उत्पादन लागत किसी भी स्रोत से उपलब्ध नहीं है और इस कारण चीन की तुलना में लागत का यह अंतर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

(ग) वर्ष 2001 के दौरान श्रीलंका, बांग्लादेश एवं चीन से भारत में आयातित चायों की भाड़े सहित इकाई लागत का विवरण नीचे दिया जा रहा है—

देश	इकाई सीआईएफ कीमत (रु./प्रति कि.ग्रा.)	#भारत में सीमा शुल्क (%)
श्रीलंका	89.43	70*
बांग्लादेश	55.10	70
चीन	30.00	70

*तथापि भारत तथा श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार करार के टैरिफ रेट कोटा के तहत श्रीलंका से आयातित चाय पर मात्र 7.5% का आयात शुल्क लगाया जाता है।

#वर्ष 2002-03 के लिए चाय के सभी आयातों पर सीमा-शुल्क बढाकर 100% कर दिया गया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

1010. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या वित्त और **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सेंटर फार मानीटरिंग इंडियन इकोनामी के

अनुसार भारत का व्यापार घाटा वर्ष 2002–2003 के दौरान 15.4 बिलियन डालर तक पहुंचने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो सी एम आई ई ने भारतीय अर्थव्यवस्था की ताजा समीक्षा में कहा है कि भुगतान आधार पर व्यापार घाटा और अधिक होगा क्योंकि वर्ष के दौरान रक्षा खर्च बढ़ने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो सी एम आई ई द्वारा अन्य कौन–कौन से सुझाव और निष्कर्ष दिए गए हैं; और

(घ) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय अर्थव्यवस्था अनुवीक्षण केन्द्र (सी एम आई ई) ने भारतीय अर्थव्यवस्था की अपनी ताजा समीक्षा (जून, 2002) में वर्ष 2001 -02 में 12.5 बिलियन डालर (अनुमानित) की तुलना में 2002–03 के दौरान व्यापार घाटे में 15.4 बिलियन डालर की वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। व्यापार घाटे में इस संभावित वृद्धि का एक कारण रक्षा खर्चों में वृद्धि बताया गया है।

(ग) समीक्षा ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भारत और पाकिस्तान में मौजूद राजनीतिक एवं सैन्य स्थितियों से उप–महाद्वीप का आर्थिक माहौल दूषित हुआ है जिससे इस क्षेत्र में निवेश के वातावरण पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इस तरह की राजनीतिक आक्रामक स्थिति का भारत में व्यापार और निवेश पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और जिसका आर्थिक पैरामीटरों जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद, चालू खाता घाटा और सकल वित्तीय घाटे पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

(घ) भारत की भुगतान संतुलन स्थिति के बारे में जो सुखद है, अनावश्यक चिंता करने का कोई कारण नहीं है। वर्ष 2001–02 में भारत के पास 1.35 बिलियन अमरीकी डालर की राशि अधिशेष थी जो सकल घरेलू उत्पाद का 0.3 प्रतिशत है। ताजा सूचना के अनुसार अमरीकी डालर के रूप में पण्य आयातों के संबंध में अप्रैल–मई 2001 की तुलना में अप्रैल–मई, 2002 में 3.7 प्रतिशत की गिरावट हुई है और हमारा व्यापार घाटा अप्रैल–मई 2001 के 2024 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में अप्रैल–मई, 2002 में 995 मिलियन अमरीकी डालर होने से काफी कम हो गया। 12 जुलाई, 2002 की स्थिति के अनुसार हमारी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (स्वर्ण एवं एस डी आर को छोड़कर) 55.5 बिलियन अमरीकी डालर हैं और वर्ष 2002–03 में 11 माह के लिए आयातों के लिए पर्याप्त हैं। तथापि, सरकार द्वारा उपयुक्त नीतियों के निर्माण और उपाय करते समय अनुसंधानकर्त्ताओं और संस्थाओं द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखा जाता है।

सड़क और पुलों के निर्माण हेतु नाबार्ड द्वारा धनराशि देना

1011. श्री ए. नरेन्द्र : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाबार्ड राज्य सरकारों को सड़क और पुलों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस उद्देश्य हेतु राज्यवार विशेषतः बिहार को कितनी धनराशि दी गई है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने नाबार्ड से ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सम्पर्क सड़कों के निर्माण हेतु ऋण मांगा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और नाबार्ड की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) उन सड़कों/पुलों की राज्यवार संख्या कितनी है जहां नाबार्ड की सहायता से निर्माण कार्य शुरू है या शुरू होने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) के अंतर्गत सड़कें और पुलों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष इस उद्देश्य के लिए मंजूर निधियों का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। नाबार्ड ने सूचित किया है कि सिर्फ नागालैंड सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कों

का निर्माण करने के लिए 25.04 करोड़ रु. की राशि मंजूर की गई है। नाबार्ड राज्य में स्थान और आधारभूत ढांचे की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ऐसी परियोजनाओं को चयनात्मक रूप से मंजूरी देता है।

(ङ) उन सड़कों और पुलों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है जिसके लिए आरआईडीएफ के अंतर्गत ऋण से निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है/प्रारम्भ होने की संभावना है।

विवरण-I

वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए आरआईडीएफ के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा मंजूर निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(रु. करोड़ में)

राज्य	1999-2000		2000-2001		2001-2002		कुल	
	सड़क	पुल	सड़क	पुल	सड़क	पुल	सड़क	पुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	90.22	77.09	109.41	44.10	179.97	48.24	379.60	169.43
अरुणाचल प्रदेश	5.84	19.26	73.29	2.23	36.61	0.00	115.74	21.49
असम	0.00	47.77	48.84	0.73	0.00	0.00	48.84	48.50
बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	41.11	1.37	41.11
छत्तीसगढ़	5.33	21.58	1.49	9.04	28.86	30.30	35.68	60.92
गोवा	0.00	0.00	9.74	2.16	10.70	0.61	20.44	2.77
गुजरात	199.54	0.00	282.59	30.45	0.00	40.90	482.13	71.35
हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	1.07
हिमाचल प्रदेश	60.20	7.13	42.96	26.24	83.14	33.81	186.30	67.18
जम्मू और कश्मीर	105.98	2.71	124.15	14.56	163.42	7.61	393.55	24.87
झारखंड	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
कर्नाटक	154.42	16.27	226.11	27.61	107.01	22.46	487.54	66.34
केरल	51.87	50.90	69.57	40.87	83.81	67.83	205.25	159.60
मध्य प्रदेश	86.89	37.05	104.07	17.95	58.01	22.78	248.97	77.78
महाराष्ट्र	326.89	23.39	243.95	19.83	214.82	19.64	785.66	62.86
मेघालय	24.45	6.24	16.80	11.06	9.69	7.86	50.94	25.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मिजोरम	45.04	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	45.04	0.75
नागालैंड	10.52	52.87	54.88	47.89	0.00	106.94	65.40	207.70
उड़ीसा	8.96	5.71	0.00	76.87	8.82	2.11	17.78	84.69
पंजाब	63.22	0.00	8.14	0.00	82.01	0.00	153.37	0.00
राजस्थान	77.99	58.44	92.40	94.65	175.67	57.98	346.06	211.07
सिक्किम	0.00	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	4.55	0.00
तमिलनाडु	168.05	45.01	129.99	0.00	141.62	0.00	439.66	45.01
उत्तर प्रदेश	123.81	79.57	218.01	0.76	181.97	83.46	523.79	163.79
उत्तरांचल	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00
पश्चिम बंगाल	131.17	18.98	248.50	41.75	216.53	71.67	596.20	132.40
कुल	1741.74	573.66	2109.44	508.74	1784.03	666.38	5635.21	1748.78

विवरण-II

सड़कों और पुलों की संख्या का राज्य–वार ब्यौरा जिसके लिए निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है/प्रारंभ किए जाने की संभावना है

क्र.सं.	राज्य का नाम	सड़कों की संख्या	पुलों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1301	243
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	6
3.	असम	6	138
4.	बिहार	1	67
5.	छत्तीसगढ़	66	107
6.	गोवा	97	13
7.	गुजरात	8556	3778
8.	हरियाणा	62	9
9.	हिमाचल प्रदेश	150	62
10.	जम्मू एवं कश्मीर	451	49
11.	झारखंड	1	2
12.	कर्नाटक	2013	422
13.	केरल	399	176
14.	मध्य प्रदेश	400	118
15.	महाराष्ट्र	4255	999
16.	मेघालय	129	47
17.	मिजोरम	2	–
18.	नागालैंड	97	2
19.	उड़ीसा	29	213

1	2	3	4
20.	पंजाब	288	37
21.	राजस्थान	3565	25
22.	सिक्किम	37	25
23.	तमिलनाडु	3790	564
24.	त्रिपुरा	–	113
25.	उत्तर प्रदेश	9582	274
26.	उत्तरांचल	230	11
27.	पश्चिम बंगाल	436	93
	कुल	35954	7593

काला धन

1012. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 मई, 2002 के "द एशियन एज" में "रूपीज 2,500 कोर इंडिया डर्टी मनी इन स्विस बैंक्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) गैर सरकारी संगठनों, संस्थाओं, निगमों और अन्य भारतीय कंपनियों सहित भारतीय लोगों का अनुमानतः ऐसा कितना धन रिवस बैंकों में है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (घ) सरकार इस समाचार से अवगत है। तथापि स्विस बैंकों में 2500 करोड़ रुपए की राशि के बारे में किसी भी जांच एजेंसी के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 11ख की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 7(3)/99–आई.पी. जिसमें मदों की सूची में ऐसी मदों, जिनके लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश की लघु उद्योग की सीमा 5 करोड़ रुपए होगी, को शामिल करने से संबंधित आदेश दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5833/2002]

(2) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 29ख की उपधारा (2ज) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का. आ. 533(अ) जो 20 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 25 जुलाई, 1991 की अधिसूचना संख्या का. आ. 477(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि लघु उद्योग क्षेत्र में अनन्य विनिर्माण के लिए आरक्षित मदों की सूची में से 51 मदों को हटाया जा सके और दो मदों के नाम में परिवर्तन किया जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5834/2002]

(3) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उपधारा (8) के अन्तर्गत स्टेटिक एंड मोबाइल प्रेशर वेसल्स (अनफायर्ड) (अमेंडमेंट) नियम, 2002 जो 17 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 372(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5835/2002]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधि–सूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) सिक्का निर्माण मानक वजन और गुणवत्ता के अंतर की सीमा से युक्त एक सौ रुपए (जिसमें 50 प्रतिशत चांदी, 40 प्रतिशत तांबा, 5 प्रतिशत निकल और 5 प्रतिशत जिंक सम्मिलित है) और पांच रुपए (जिसमें 75 प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत निकल सम्मिलित है) के स्मृति सिक्के जिन्हें "भगवान महावीर" की स्मृति में निर्मित किया गया है, नियम, 2001 जो 9 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 587(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5836/2002]

(दो) सिक्का निर्माण मानक वजन और गुणवत्ता के अंतर की सीमा से युक्त एक सौ रुपए (जिसमें 50 प्रतिशत चांदी, 40 प्रतिशत तांबा, 5 प्रतिशत निकल और 5 प्रतिशत जिंक सम्मिलित है), पचास रुपए, दस रुपए और दो रुपए (जिनमें 75 प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत निकल सम्मिलित है) के स्मृति सिक्के जिन्हें "डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी" की स्मृति में निर्मित किया गया है, नियम, 2001 जो 20 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 679(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5837/2002]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : महोदय, मैं भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 की धारा 39 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (वैज्ञानिक संवर्ग की भर्ती) विनियम, 2002 जो 3 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 326(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5838/2002]

अपराह्न 12.03 बजे

सभा का कार्य

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार 22 जुलाई, 2002 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा–

1. आज की कार्यसूची में बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अध्यादेश, 2002 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन विधेयक, 2002 पर विचार और पारित करना।

3. परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार और पारित करना।

4. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार और पारित करना।

5. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना–

(क) जैव विविधता विधेयक, 2000

(ख) कम्पनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2001

(ग) इम्पीरियल लाइब्रेरी (अनुबंध विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक, 2002

6. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना–

   (क) गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2002

   (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2002

   (ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2002

   (घ) तटरक्षक (संशोधन) विधेयक, 2002

7. निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान–

   (क) वर्ष 2002–2003 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें (रेल)

   (ख) वर्ष 1999–2000 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगें (रेल)

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में मेरे इस विषय को शामिल किया जाए कि उत्तर प्रदेश भारी बिजली की कमी के कारण 4 घंटे से 20 घंटे तक विद्युत की मार झेल रहा है जिसमें यहां के उद्योग धंधे कुटीर उद्योग, किसान तथा आम उपभोक्ता सभी त्रस्त हैं। आए दिन यह जानकारी शासन की ओर से दी जाती रही है। इसलिए प्रदेश में विद्युत का उत्पादन बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय जोड़े जाएं–

1. मीडिया से जुड़े लोगों तथा प्रेस पर बढ़ते हुए हमलों के कारण मीडिया जगत में असंतोष व्याप्त है। सदन में प्रेस की स्वतंत्रता पर चर्चा होनी चाहिए ताकि देश में अभिव्यक्ति–स्वातंत्र्य सुनिश्चित की जा सके।

2. हमारे देश के कृषि मजदूर बहुत दुखी हैं। उन्हें काम नहीं मिल रहा। देश के विभिन्न भागों में आई भयंकर बाढ़ और सूखे के कारण स्थिति और खराब हो गई है। पिछले दो दशकों से कृषि श्रमिकों के लिए केन्द्रीय कानून (सेंट्रल लेजिस्लेशन) पर चर्चा हो रही है लेकिन अभी तक ऐसा कोई कानून पारित नहीं हो सका। इस पर कार्यवाही की जानी चाहिए और कृषि श्रमिकों के लिए इसी सत्र में केन्द्रीय अधिनियम बनाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय जोड़े जाएं–

1. म.प्र. की रानी अवंती बाई सागर परियोजना की दाईं तट नहर को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता है ताकि अधूरी सिंचाई योजनाएं पूरी हो सकें।

2. बालाघाट के नक्सल प्रभावित जिले की नदियों पर पुल बनाने की आवश्यकता है। विशेषकर चंदन नदी पर आरंया से खैरलिंजी के बीच पुल की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : अध्यक्ष महोदय, मैं अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ने का निवेदन करता हूं–

1. एल.एन.जी. पैट्रोनेट नामक एल.एन.जी. संयंत्र की स्थापना में हुई देरी के कारण केरल में ऊर्जा के विकास के क्षेत्र में अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न हो गई है। यह अत्यंत आवश्यक हो गया है। मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस संबंध में शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाए ताकि कार्य शुरू हो सके।

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन जी, कृपया मूल विषय पर ही ध्यान दें, क्योंकि आपको भाषण देने की अनुमति नहीं है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : लम्बे समय से बाजार में आए भारी उतार–चढ़ाव के कारण रोजगार के मामले में कॉयर मजदूरों की स्थिति चिंताजनक है। इसकी बिक्री न तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में है और न ही घरेलू बाजार में। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले में

हस्तक्षेप करे और जो छूट उन्हें पहले मिल रही थी वह वापस दे।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा के समय मैं आपको इस पर बोलने के लिए दस मिनट दूंगा।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ने की कृपा की जाए–

1. "देश में खासकर झारखंड राज्य के बेरमों, गोमियां, गिरिडीह टेलीफोन एक्सचेंजों के द्वारा अनियमित एस. टी.डी. सेवा को नियमित और प्रभावी बनाने की अपेक्षा।"

2. "कोल इंडिया लिमिटेड, सरकार और ट्रेड यूनियन्स के बीच नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट एन.सी.डब्ल्यू. ए. में सेवा अवधि के दौरान मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति प्रदान करने में सेंट्रल कोल फिल्ड्स लिमिटेड द्वारा व्याप्त अनियमितताओं को दूर करने तथा पति–पत्नी किसी एक की भी मृत्यु होने की स्थिति में और मृतक के दामाद–पुत्री को नियुक्ति प्रदान करने की अपेक्षा।"

[अनुवाद]

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय जोड़े जाएं–

1. राज्यों को और अधिक अधिकार देना और उसके लिए प्रत्येक राज्य से अब तक उनके राजस्व का 50 प्रतिशत हिस्सा लेने पर विचार करना, और राज्यों के प्रति केन्द्र के कार्यभार में नीतिगत कमी करना तथा अखिल भारतीय विषयों–संघवाद को लागू करना।

2. कानून के माध्यम से कृषकों को उनके उत्पाद के मूल्य तय करने का अधिकार देना तथा उसे लागू करने का भी अधिकार देना।

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय जोड़े जाएं–

1. देश के अनेक भागों में मौजूद भयंकर सूखे की स्थिति।

2. बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की चूककर्त्ताओं से वसूली के संबंध में।

अपराह्न 12.11 बजे

[अनुवाद]

सरकारी विधेयक–पुरःस्थापित

(एक) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन विधेयक, 2002*

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन का विनियमन करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन का विनियमन करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

अपराह्न 12.12 बजे

[अनुवाद]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अध्यादेश के बारे में विवरण

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : महोदय, मैं वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 19.7.2002 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अध्यादेश, 2002 द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5839/2002]

अपराह्न 12.12½ बजे

[अनुवाद]

सरकारी विधेयक पुरःस्थापित—जारी

(दो) परक्राम्य लिखत (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) विधेयक, 2002*

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जसवंत सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 12.13 बजे

[हिन्दी]

भारतीय क्षेत्र के कुछ भागों (लद्दाख और उत्तरांचल) पर चीन द्वारा कथित दावे के बारे में

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर) : अध्यक्ष महोदय, देश इस समय बहुत ही खतरे में पड़ गया है। एक तरफ पाकिस्तानी घुसपैठिए आ रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैंने एक नोटिस दिया था...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब मैंने उनको बुला लिया है। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, राष्ट्रीय महत्व के अति महत्वपूर्ण विषय के बारे में मैंने नोटिस दिया है... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह : हमारा विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन जी, मुझे आपका नोटिस प्राप्त हुआ था।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, बंगलादेश जैसे छोटे से देश ने हमारे बारह बी.एस.एफ. के जवानों को निर्दयतापूर्वक मार दिया। इस सरकार ने पत्र लिखा लेकिन आज तक कुछ नहीं कर पाई। देहात में हम लोगों की भाषा में एक कहावत है—कमजोर की महरारू सबकी भौजाई। जो कमजोर होता है, उस पर सब चढ़ाई कर लेते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने समझा है कि इन्होंने क्या कहा है।...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रनाथ सिंह : इसको मैं समझाता हूं। जो कमजोर होता है, उस पर सब चढ़ाई कर लेते हैं। इस समय जो केन्द्र सरकार बैठी हुई है, वह इतनी कमजोर है कि न तो

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग—II, खंड—2, दिनांक 19.7.2002 में प्रकाशित।

इसकी विदेश नीति ठीक चल रही है, न गृह नीति सुदृढ़ चल रही है। एक तरफ पाकिस्तान हमारे ऊपर कब्जा कर रहा है, दूसरी तरफ बंगलादेश आंख दिखा रहा है। एक सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। आज राष्ट्रीय सहारा अखबार के मुख्य पृष्ठ पर निकला है कि चीन भारतीय सीमा पर घुसपैठ कर रहा है। मैं आपके माध्यम से आगाह करना चाहता हूं कि अगर यह सोई हुई सरकार नहीं जागी तो निश्चित रूप से चीन हमारे ऊपर दावा ठोक रहा है। हमारी लद्दाख सीमा पर, उत्तरांचल सीमा पर 385 वर्ग किलोमीटर पर आज चीन दावा ठोक रहा है। अभी हाल में चीन के अधिकारियों और भारत के अधिकारियों की बातचीत हुई और हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो नक्शा पेश किया गया है, चीन ने उसे लेने से इंकार कर दिया और कहा है कि हम नक्शा बनाएंगे। हमारे लद्दाख में स्थित फागुन चौकी पर इस वर्ष 44 बार चीनी सैनिक घुसे। यह सरकार अभी तक इस बात को गम्भीरता से नहीं ले सकी है। वहां थाकुंग चौकी के पास पेगोंग झील है, चीन ने उस झील पर कब्जा कर लिया है और उसके सैनिक आकर घुस गए हैं और यह सरकार कुछ नहीं कर पाई है। उत्तरांचल में बाराहोती इलाके में 378 किलोमीटर भूभाग पर चीन अपना दावा ठोक रहा है कि यह हमारा इलाका है। धीरे–धीरे हमारे देश में चीन घुसता चला आ रहा है और भारत सरकार इसे गम्भीरता से नहीं ले रही है। रिमखिम चौकी पर चीन ने छः बार प्रवेश किया है, वहां चीनी सीमा में घुसे हुए हैं। हम समझते हैं कि हमारे सैनिकों पर रक्षा मंत्री का या भारत सरकार का दबाव होगा कि आप मत बोलिए, इसलिए धीरे–धीरे वे अपना कब्जा हमारे क्षेत्र में बढ़ाते चले जा रहे हैं। हमारे नक्शे को वे तैयार कर रहे हैं, जो चीन ने नक्शा तैयार किया है, उसमें ट्रेक जोन, बर्तसा, हॉट स्प्रिंग, चुसुल, थाकुंग, दुंगटी, डेमचाक, चूमर, छोजन, रिमखिम और फोबरंग आदि शामिल हैं। इन सब चौकियों पर वे अपना कब्जा दिखा रहे हैं। इस देश में बैठे हुए सत्ता के लोगों के लिए यह कितने शर्म की बात है कि हमारी सीमा पर चीन अपना दावा ठोक रहा है और भारत सरकार उस पर कुछ नहीं कर रही। ...*(व्यवधान)* मैं एक अन्तिम बात कहकर एक मिनट में खत्म कर रहा हूं।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सरकार आज ही इसका जवाब दे। मैं समझता हूं कि यह सरकार इतनी कमजोर है, इतनी निकम्मी सरकार है कि यह हमारे देश को बर्बाद कर देगी। एक तरफ विदेशी व्यापारी हमारे देश में घुसकर कब्जा कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी सीमा को खतरा है। यह सरकार अगर रह गई तो हिन्दुस्तान कई टुकड़ों में बंट जाएगा। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है और एक तरफ बंगलादेश है, लेकिन आज तक यह सरकार कोई जवाब नहीं दे सकी है। इसका बड़ा उदाहरण यह है कि यह सरकार सोती रही और 300 किलोमीटर तक कारगिल तक पाकिस्तान घुस गया और सरकार ने दो साल बाद उस पर ध्यान दिया। अगर चीन के मामले में सरकार ध्यान नहीं देगी तो हमारी तमाम सीमाओं पर विदेशी घुस जाएंगे। यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो भी इनके साथ एसोसिएट करेंगे, उनका नोटिस होना चाहिए।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : महोदय, आज जो समाचार–पत्रों में आया है, राष्ट्रीय सहारा में जो कुछ छपा है, निश्चय ही यह गम्भीर मामला है। हम सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं कि समाचार–पत्र में जो छपा है कि लद्दाख और उत्तरांचल के कुछ भू–भाग पर चीन ने अपना दावा दर्शाया है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या पुनः कारगिल जैसी घटना की पुनरावृत्ति होने का प्रयास तो नहीं है। क्या चीन अपनी साम्राज्यवादी विस्तार की नीति पर कार्य नहीं कर रहा है, उसको दोहराने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। इसलिए आवश्यक है कि इस मुद्दे को गम्भीरता से लिया जाए और चीन की विस्तारवादी नीति पर अंकुश लगाया जाए। उत्तरांचल और लद्दाख के भू–भाग पर चीन ने अपना कब्जा दिखाने का जो प्रयास किया है, उसे रोकने का प्रयास किया जाए।...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रनाथ सिंह : महन्त जी को हमारा समर्थन करने के लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : अध्यक्ष जी, जो मुद्दा यहां उठाया गया, उससे सम्बन्धित भावनाओं को सरकार तक पहुंचा दिया जाए। मैं स्वयं भी इस पर चिन्तित हूं। सवाल यह है कि हमारे एक मित्र राष्ट्र से संबंधित यह एक ऐसी सूचना है, जो स्वभावगत तरीके से बहुत संवेदनशील है। मैं समझता हूं कि इस पर हमें बहुत गम्भीरता से, बहुत जिम्मेदारी से कोई बात कहनी या सुननी चाहिए। यह बेहतर होता कि

सरकार इस मामले में विजीलेंट होती और वह इसे ऑथेण्टिकेट करती, जो भी हम कह रहे हैं। एक समाचार–पत्र की कटिंग में जो समाचार आया है, उसके आधार पर कह रहे हैं। यह कोई ऑथेण्टिक विषय वस्तु नहीं है कि वास्तव में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। हमें इस मामले में थोड़ा सा सोचकर, थोड़ी गम्भीरता से विचार करना होगा। इसका इम्प्लीकेशन फॉरेन पॉलिसी में हो सकता है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस मामले को सरकार गम्भीरता से देखे और अगर यह सूचना ऑथेण्टिक है तो उसके ऊपर स्टेटमेंट दे।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : जो विषय उठाया गया है, सरकार इस पर स्थिति स्पष्ट करे। इसके मायने सरकार का कोई ध्यान नहीं है, कोई सुन नहीं रहा है, इस पर कौन जवाब देगा, कोई नोटिस नहीं लेता। सरकार सीरियस नहीं है, लापरवाह है तो लोग कैसे भरोसा करें कि सीमा पर भी ये मुस्तैद हैं, लापरवाह नहीं हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : माननीय अध्यक्ष जी, यह विषय मैंने नोट कर लिया है। मैं संबंधित मंत्री को इसके बारे में जानकारी दूंगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, आज के समाचार–पत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण खबर और भी प्रकाशित हुई है। इसमें कहा गया है कि हमारे नव–नियुक्त उप–प्रधान मंत्री ने अमेरिका से अनुरोध किया है कि वह पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करे...*(व्यवधान)* मैं समझता हूं कि यह अनुरोध दोहराया गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसी देश को आतंकवादी देश घोषित करने का अधिकार अमेरिका को किसने दिया। उन्होंने ऐसा अनुरोध क्यों किया? इसका क्या कारण है मुझे नहीं पता। बहरहाल उन्होंने अनुरोध किया।...*(व्यवधान)* उप–प्रधान मंत्री जी ने भारत की ओर से यह अनुरोध किया। अमेरिका ने भारत के इस अनुरोध को सम्भवतः ठुकरा दिया। और यही नहीं, उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में पाकिस्तान को अपना पक्का समर्थक घोषित कर दिया। अतः पाकिस्तान अमेरिका का घनिष्ठ मित्र घोषित हो चुका है। इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान को विश्व बैंक वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। अमेरिका से उसे पर्याप्त धन मिल रहा है। अमेरिकी सरकार के रवैये से पाकिस्तान मजबूत हुआ है।

लेकिन यह बड़े दुख की बात हैं कि विदेश मंत्रालय के कर्त्ताधर्त्ता मानते हैं कि अमेरिका ही ऐसा देश है जो इस मामले में हमारी मदद कर सकता है। उन्होंने हमारी सुरक्षा बलों को खोल दिया। भारत में संयुक्त अभ्यास किया जा रहा है और इससे हमारे सुरक्षा संबंधी राज उस देश के लिए खुल गए हैं। हम पाकिस्तान को अपना शत्रु मानते हैं और वे पाकिस्तान को अपना घनिष्ठ मित्र मानते हैं। अमेरिका को पाकिस्तान हमेशा अति प्रिय देश मानता है।

महोदय, यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। यह हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी का अपमान है। वे केवल नव–नियुक्त उप–प्रधान मंत्री हैं, और उन्होंने यह अनुरोध किया। माननीय मंत्री जी को मेरे अनुरोध का उत्तर देना चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर) : हमें अमेरिका पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। बिल्ली थैली से बाहर आ गई है और हमें पता लग चुका है कि उसके थैले में क्या है। अमेरिका अब तक कहता था कि वह दुनिया के सब देशों को साथ लेकर आतंकवाद का मुकाबला करेगा। लेकिन पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश को आतंकवादी देशों की सूची में सम्मिलित करने से उसने इनकार कर दिया है और वह पाकिस्तान को आतंकवादी देश मानने को तैयार नहीं है। उसने यह भी कहा है कि पाकिस्तान हमारा सहयोगी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवादी गतिविधियां चलाई जा रही हैं, उनका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की ओर हमें नहीं ताकना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, चूंकि यह महत्वपूर्ण मामला है, माननीय मंत्री जी को चाहिए कि वे इसे विदेश मंत्री के ध्यान में लाएं। मंत्री महोदय इस बारे में आपका क्या कहना है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस मामले को नोट कर लिया है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। उन्हें मेरे निवेदन का उत्तर देना ही चाहिए...*(व्यवधान)* इसका उत्तर अवश्य दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, पत्रकारों पर हमले की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। अभी 11 जुलाई को भारत–नेपाल एकता मंच की बैठक मंडी हाउस के त्रिवेणी कला संगम में हो रही थी। उसमें भारत के नौ और नेप.ल के चार पत्रकार भी थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के लोग वहां गए और उन पत्रकारों के साथ बिना बताए तथा बिना पूछे दुर्व्यवहार किया। इसके बाद वे उनको लोधी रोड के थाने में ले गए और वहां उन पत्रकारों को रखा गया।

उच्चतम न्यायालय द्वारा जो तय मापदंड हैं, जो तय दिशा–निर्देश हैं, उनका भी उल्लंघन हुआ, मानवाधिकारों का भी उल्लंघन हुआ। इसके अलावा नेपाल के पत्रकारों को जबरिया देश छोड़ने को कहा गया। यह बहुत गम्भीर मामला है। कल जंतर–मंतर पर जन हस्तक्षेप और पी.यू.सी.एल. की ओर से पत्रकारों का प्रदर्शन भी इस बात को लेकर हुआ। लगता है यह सरकार चाहती है कि अखबार वही लिखें जो सरकार चाहती है।

आप जानते हैं गुजरात के दंगों के दौरान भी जब साबरमती आश्रम में स्वैच्छिक संगठनों की बैठक हो रही थी, तो वहां भी पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। टाइम पत्रिका ने जब प्रधान मंत्री के खिलाफ कुछ लिखा, तो उसके संवाददाता पैरी को हतोस्ताहित किया गया। यह सरकार अपनी मनमर्जी के मुताबिक अखबार वालों से काम लेना चाहती है। दूसरे देशों के पत्रकार जब भारत आते हैं तो उनको अपमानित किया जाता है। मेरी सरकार से मांग है कि जिन पुलिसकर्मियों न उन पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो, जिससे दोबारा कोई ऐसी हिम्मत न कर सके। इस संबंध में सदन में चर्चा होनी चाहिए। श्री रवि प्रकाश वर्मा भी मेरे साथ एसोसिएट करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जहां तक इस विषय का संबंध है उन्होंने स्वयं को आपके साथ संबद्ध किया है।

[हिन्दी]

आपने नोटिस दिया है इसलिए मैं आपको एसोसिएट करने की इजाजत दे रहा हूं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : महोदय, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं। यह मामला जितना संवदेनशील है, उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत और नेपाल के संबंध एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। भारत और नेपाल एकता मंच के साथ जो पत्रकार नेपाल से आए हुए हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। इससे लगता है कि नेपाल में हिन्दुस्तान के खिलाफ एक मूवमेंट चलाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार इस विषय में कॉगनिजेंस ले और दोषी कर्मचारियों व सिपाहियों को दंडित करे और एक माहौल बनाने का प्रयास करे, ताकि नेपाल में हिन्दुस्तान के प्रति सदाशयता बनी रहे।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : अध्यक्ष महोदय, में आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। बंगाल की खाड़ी में हवा का दबाव कम होने के कारण मानसून अवरुद्ध हुआ है। भारत में अनेक राज्यों सहित, उत्तर प्रदेश और विशेषकर उत्तर प्रदेश के 48 जिलों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। चारों तरफ त्राहि–त्राहि मची हुई है और चारे की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। ऐसी सूरत में किसानों के लिए केवल नहर और नलकूप का ही सहारा रह गया है। किसान चिन्तित हैं। नहर और नलकूप को संचालित करने के लिए बिजली की आवश्यकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति की गम्भीर समस्या है। यद्यपि, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के 15 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है और बिजली आपूर्ति के लिए 35 करोड़ रुपए देने की बात कही है। मात्र इतनी राशि से उत्तर प्रदेश की बिजली की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इस संबंध में मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं–प्रदेश में 97,134 गांव हैं, जिनमें से 40,880 गांवों का विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है। इसमें से 39,380 गांवों के विद्युतीकरण के लिए पावर कार्पोरेशन को 4,721 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इसके अलावा इन गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए वितरण सब–स्टेशनों के सुदृढ़ीकरण के लिए 1,125 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त नेडा सुदूर स्थित 1500 गांवों के विद्युतीकरण के लिए 550 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। सब मिलाकर 6,396 रुपये उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव में बिजली देने के लिए आवश्यक हैं, अर्थात् 1/10 राशि से उत्तर प्रदेश में गांवों का विद्युतीकरण करने का प्रयास किया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से और खासकर विद्युत मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश में विद्युत

की आपूर्ति के लिए आगामी दसवीं पंचवर्षीय योजना में धनराशि को बढ़ाएं, ताकि उत्तर प्रदेश में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर) : महोदय, राजस्थान में सबसे बड़ा शहर जयपुर है और उसके बाद जोधपुर आता है। इस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। इस क्षेत्र में रेल ब्रिज नहीं के बराबर हैं। आज स्थिति यह है कि इस क्षेत्र में 28 पैसेंजर गाड़ियां और 30–40 माल गाड़ियां निकलती हैं, लेकिन अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज न होने की वजह से यातायात घंटों अवरुद्ध रहता है। इस वजह से आम जनता को परेशानी हो रही है।

मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि सांगरिया, बासनी, रसाला रोड, कल्याण सिंह प्याऊ, भदवासिया, मंडोर और मंडोर मंडी आदि स्थानों पर अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज बनाने की व्यवस्था करें, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान किया। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा सहित देश के विभिन्न भागों में बिजली की अनापूर्ति के कारण त्राहि–त्राहि मची हुई है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है और इसके लिए स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, केन्द्र में बैठी सरकार भी जिम्मेदार है। मैं आदरणीय जायसवाल जी को बताना चाहता हूं कि 25.2.2000 को भारत सरकार ने जो एमओयू साइन किया है, उसके मुताबिक एनटीपीसी से उत्तर प्रदेश का 2700 मेगावाट का शेयर बनता है, लेकिन उत्तर प्रदेश को आज मात्र 1600–1700 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। एक रिफार्म स्टेट होने के नाते उस समय यह तय हुआ था कि एनटीपीसी का जो बकाया है, उस पर जोर नहीं दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश को अनवरत विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उस एमओयू को साइन करने के बाद भी केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश को बिजली नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश में स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि किसानों की फसल सूख रही है। आज हजारों–करोड़ों रुपए की फसल सूख चुकी है। इस भीषण गर्मी के माहौल में स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि उत्तर प्रदेश का फैजाबाद जनपद, जहां राम के नाम पर विवाद करके ये सरकार में आए थे, वहां स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि 15–16 जुलाई की रात को लोग विद्युत अनापूर्ति के खिलाफ सत्याग्रह करने सड़कों पर निकल आए। जब जनता सत्याग्रह करने के लिए सड़कों पर निकल आई तो पुलिस ने बर्बरतापूर्वक उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और उस लाठीचार्ज में 35 वर्ष के एक नौजवान राजीव गुप्ता की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात् जब उसके ससुर और परिवार के लोग उसका शव देखने के लिए आए तो पुलिस ने फिर लाठीचार्ज किया, जिसमें उनके ससुर के हाथ–पैर टूट गए। यह एक घटना का उदाहरण है।

महोदय, पूरे देश में विद्युत अनापूर्ति को लेकर जितने आंदोलन हुए होंगे, उनमें इस तरह का दृष्टांत नहीं मिलता है। यह एक गंभीर घटना है, इसलिए केन्द्र सरकार को सबक लेना चाहिए। जिसकी इस आंदोलन में मृत्यु हुई है, उसके परिवार वालों को दस लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। उत्तर प्रदेश में लगातार जन–आक्रोश बढ़ता जा रहा है और भय का वातावरण व्याप्त है। इस वातावरण को समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार पहल करे और विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर तरह का प्रयास करे, वरना स्थिति विस्फोटक होगी, जिसके लिए पूरे तौर पर केन्द्र सरकार जिम्मेदार होगी।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, सर्वप्रथम मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा कि आपने यह एक बहुत अच्छी रणनीति और नीति बनाई है कि विपक्ष द्वारा उठाए गए लोक महत्व के मुद्दों का सत्तापक्ष द्वारा समुचित उत्तर दिया जाना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो कम से कम उनकी बात तो सुनी ही जा सकती है और तत्पश्चात् उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जा सकती है। आज उस प्रक्रिया का लाभ उठाते हुए मैंने नेक इरादे से एक विषय का चयन किया है। मंत्री महोदय इस मुद्दे पर, जब उनके मंत्रालय का दिन हो, तब उत्तर दे सकते हैं।

मुझे संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वस्त किया था कि इस मामले पर उत्तर देने के लिए संबंधित मंत्री उपलब्ध होंगे। आप भी यह जानते हैं। मैं जो मुद्दा उठाने जा रहा हूं वह

गंभीर प्रकृति का है। लेकिन मंत्री महोदय अनुपस्थित हैं। यदि विपक्ष को ऐसे आश्वासन दिए जाते हैं और उनसे इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है तो मैं नहीं जानता कि इस प्रकार कैसे कार्य किया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय : राज्य मंत्री यहां हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : नहीं, महोदय...*(व्यवधान)*

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह) : मैं उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अतः अब आप सीधे विषय पर आ सकते हैं।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.34 बजे

भारत में विशेषकर असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चाय उद्योग के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, भारत ने गत सदियों से नहीं तो गत कई वर्षों से विदेशी बाजार में चाय के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वर्ष 1986–87 में भारत सरकार ने एक दीर्घावधि चाय नीति बनाई थी जिसे जर्मनी, ब्रिटेन और यहां तक कि संयुक्त राज्य अमरीका, जहां चाय पीने की आदत कम थी से भी प्रशंसा मिली।

गत डेढ़ वर्ष से, भारत में ऐसी सफलता प्राप्त करने वाला पूरा चाय उद्योग और चाय उत्पादक गंभीर संकटों का सामना कर रहे हैं। मैंने संसद में यह मुद्दा कई बार उठाया है। असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों, विशेषकर कुन्नूर में पूरा चाय उद्योग लड़खड़ा रहा है। परंपरागत चाय और सी.टी.सी. चाय मिट्टी के मोल बिक रही है। चाय की मुड़ी हुई पत्ती के कारण चाय की खेती के कार्यक्रम के विस्तार के साथ–साथ रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। युवा लोग एक समूह बनाते हैं और चाय उगाना शुरू कर देते हैं। वे इसे मुड़ी हुई पत्ती कहते हैं और इसकी पैकिंग के लिए कारखाने में जाते हैं। आहत करने वाली बात यह है कि तीसरे दर्जे की श्रीलंकाई और केन्याई चाय, जिसका भारत में ढेर है, भारतीय चाय के नाम से पैक की जा रही है। इसे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जा रहा है और इससे भारत की छवि खराब हो रही है।

इंदिरा जी द्वारा प्रस्तुत और राजीव जी द्वारा शुरू की गई असम के मार्के वाली और दार्जिलिंग के मार्के वाली चाय का अब कोई मूल्य नहीं है। पहले और दूसरे दर्जे की दार्जिलिंग चाय, जो कि साधारणतया वर्षा ऋतु में आती है, अब उसका मूल्य विश्व बाजार में न्यूनतम स्तर पर है। इसलिए, परिस्थितियां अंधकारमय हैं।

असम के चाय उत्पादक, वहां के मजदूर संघ, बंगाल के चाय उत्पादक और वहां के मजदूर संघ दिल्ली आए और मुझसे पांच–छह बार मिले हैं। उनका कहना है कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक वार्ता करे और एक चाय नीति बनाए। देश की चाय नीति ऐसी है कि जिस प्रकार आज उत्पादन हो रहा है, मैं आपसे कह सकता हूं कि, क्योंकि मैंने पांच वर्ष तक इस मंत्रालय का कार्यभार सम्भाला है, वर्ष 2015 तक भारतीय बाजार यहां तक कि भारतीय लोगों को भी चाय पीने को नहीं मिलेगी। आज यह स्थिति है। हमने 1986–87 की जो योजना बनाई थी उसमें वर्ष 2010 में यह क्षेत्र अपनी अधिकतम ऊंचाई पर होता। अब इससे कोई आय नहीं हो रही है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बदलाव हुआ है और भारत सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है।

इसलिए, मैं यह मांग करता हूं कि भारत सरकार को एक व्यापक चाय नीति बनानी चाहिए जिससे कि भारत के इस विख्यात चाय बाजार को घरेलू उपभोक्ताओं का निर्यात करने हेतु भी बचाया जा सके। यदि इसे गंभीरतापूर्वक नहीं किया गया तो इससे असम और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में कानून और व्यवस्था की एक गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी। ...*(व्यवधान)* मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चाय असम की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। गोवा की रीढ़ चाय है, तमिलनाडु में पूरी कुन्नुर घाटी की रीढ़ चाय है। मैंने बहुत से पत्र लिखे परन्तु उन्होंने इस समस्या पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया।

मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि कृपया मंत्री जी इसका उत्तर दें। गत सप्ताह ही विभिन्न स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय चाय उत्सव आयोजित किए गए थे, जर्मनी के हैम्सवर्ग में भी यह समारोह आयोजित किया गया

था जो कि भारतीय चाय का एक बड़ा उपभोक्ता था। अब उन्होंने यह चाय न लेने का निर्णय लिया है क्योंकि इसकी गुणवत्ता वह नहीं रही है। ऐसा हमारे कारण नहीं हुआ है अपितु ऐसा आयातित घटिया चाय के कारण है जो कि अलग-अलग तरीके से पैक करके लेबल बदलकर बेची जा रही है।

दार्जिलिंग चाय का मार्का खतरे में है, असम चाय का मार्का खतरे में है और पूरा चाय उद्योग खतरे में है। इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि सरकार एक बयान दे, घोषणा करे और भारत की एक दीर्घावधि व्यापक चाय नीति बनाए।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री जी इसका उत्तर देना चाहेंगे?

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : महोदय, मैं भारतीय चाय बोर्ड का एक सदस्य होने के नाते श्री दासमुंशी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से पूर्णतया सहमति व्यक्त करता हूं। भारत में चाय की स्थिति ऐसी हो गई है कि इसकी मांग पूरे विश्व बाजार में लगातार कम होती जा रही है। रूस भारतीय चाय का एक बेहतरीन बाजार है और वह भी चिंताजनक रूप से कम होता जा रहा है। हमें वास्तव में बहुत सतर्क हो जाना चाहिए और इस संबंध में एक पूर्ण चर्चा किए जाने की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि चाय से हमारे देश को विदेशी मुद्रा मिलती है। यदि यह उद्योग प्रभावित होता है तो देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। इसलिए, बिना किसी विलम्ब के इस मामले को गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, केरल में भी चाय की पैदावार है और यह भी बुरी तरह से प्रभावित राज्यों में से एक है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, हम अच्छी-खासी मात्रा में चाय पैदा करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी आयु का आदर करता हूं, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : महोदय, सरकार को इसका उत्तर देना पड़ेगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने डोमैस्टिक और एक्सपोर्ट मार्किट में चाय उत्पादकों की समस्याओं के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। मैं उसकी जानकारी सम्माननीय सदस्यों को देना चाहता हूं। हमने 2002-03 के बजट में चाय के आयात पर लगने वाले 70 परसेंट सीमा शुल्क को बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया है। डोमैस्टिक मार्किट को सेव करने के लिए पहला उपाय यह किया गया और दूसरा 2002-03 के बजट में उत्पादन शुल्क दो रुपए प्रति किलोग्राम से कम करके एक रुपए प्रति किलोग्राम किया गया। 2001-02 के बजट में आयकर अधिनियम की धारा 33(क) और (ख) के तहत छूट की राशि 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत की गई। टी बोर्ड ने इस दिशा में कदम उठाए। उसने कारखाना उन्नयन योजना की शुरूआत की जो देश में अच्छी गुणवत्ता की पारम्परिक और अपरिष्कृत सीटीसी चाय के उत्पादन को बढ़ावा देगी। सरकार का इसमें प्रयास है कि हैंडलिंग पैकेजिंग और परिवहन भाग को पूरा करने के लिए, निर्यातकों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना की शुरूआत की जा रही है। इसके अलावा बहुत सारे उपाय हैं जो डिटेल्ड डिसकशन में आएगा। मैंने यह प्रायमरी जानकारी दी है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : दीर्घावधि चाय नीति को पूर्णतया बदल दिया गया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रमण सिंह : मार्किट में जो डैमेज हो रहा है पॉलिसी में वे सारी चीजें आएंगी। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपकी और सारे सदन की चिन्ता समझता हूं। सरकार ने तात्कालिक कदम उठाए हैं। मैंने उसके बारे में सारी जानकारी दी है। सरकार में क्षमता है कि हिन्दुस्तान के चाय उत्पादकों की समस्याओं का निराकरण हो। उसके लिए आने वाले समय में पालिसी पर विचार होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी भारत की चाय नीति की घोषणा करेंगे या नहीं? सीरिया ने अपनी चाय नीति की घोषणा कर दी है और श्रीलंका ने अपनी चाय नीति की। भारत की चाय नीति का पता नहीं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी का कहना है कि आप इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं और वे उसका उत्तर देंगे।

अब, श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरे राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

गुजरात की सरकार ने केन्द्रीय मंत्री जी को गुजरात के कच्छ क्षेत्र को सिंधु नदी घाटी का हिस्सा दर्शाने वाले नक्शे के आधार पर सिंधु नदी जल का आवंटन गुजरात को करने की मांग में पत्र लिखे हैं। इसकी प्रमाणिकता पर 1987 के रावी–व्यास अधिकरण में भी विचार किया गया था। भारत सरकार के समेकित जल संसाधन संबंधी राष्ट्रीय आयोग ने भी 1999 में एक अन्य नक्शा तैयार किया था। सरकार के पास यह मुद्दा लंबे समय से लंबित है। मैं इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार की स्थिति जानना चाहूंगी।

[हिन्दी]

श्री चिन्तामन वनगा (दहानू) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज देश के आधे हिस्से में सूखे की स्थिति बनी हुई है परन्तु हमारे महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक दिन में 27 इंच बरसात हुई है। इस कारण आदिवासी एरिया में 64 लोगों की मौत हो गई है, 18 लोग लापता हैं, स्कूल और सड़कें बह गईं। खेतों की भारी हानि हुई है। बिजली की 50 करोड़ रुपये की हानि हुई है। पश्चिमी रेलवे लाइन पानी में डूबने के कारण यातायात 10 दिन बंद रहा है। इसका जायजा लेने के लिए सेंट्रल टीम गई है। करीब–करीब 300 करोड़ रुपये की हानि हुई है लेकिन आदिवासियों के पुनर्वास के लिए केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से...

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि इस विषय पर चर्चा होने वाली है। आप अपने विचार उस समय रख सकते हैं। मैं इससे ज्यादा आपको इजाजत नहीं दे सकता।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के मशहूर अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रमुखता से यह खबर छपी है :

[अनुवाद]

'आई.बी. कहती है कि एन.जी.ओ. को अनुदान पाने हेतु रिश्वत देने के लिए बाध्य किया जाता है।'

इसमें लिखा है : ...*

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई, उत्तर-पूर्व) : जब तक मंत्री जी को सूचना जारी नहीं की जाती तब तक यह कार्यवाही–वृत्तान्त का हिस्सा कैसे बन सकता है? मंत्री जी ने सूचना प्राप्त नहीं की है। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसमें आगे लिखा है : ...*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप एक मिनट के लिए बैठिए। आप यह जानते हैं कि जब यह प्रश्न उठाया गया था तो मैंने कहा था कि जो न्यूज आइटम टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, यदि आप उसे ऑथेन्टिकेट कर सकते हैं तभी इस विषय पर चर्चा हो सकती है। यदि आप ऑथेन्टिकेट नहीं कर सकते तो इस पर अभी चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि आपने मंत्री जी को नोटिस नहीं दिया है। यदि आप इस विषय पर नोटिस देना चाहते हैं तो कल सदन में नोटिस देने के बाद प्रोसीजर से आप विषय उठाइए। आप अच्छी तरह से नियम जानते हैं। मुझे मालूम है कि पूरे दिन

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही–वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

आप नियम ही पढ़ते हैं। मैं आपको इस विषय पर क्या कहूं।

(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हमने आपका और सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। यह एक गंभीर मामला है। सरकार...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कहा था कि इस विषय में जो कुछ कहा जाएगा वह रिकार्ड से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इस मामले में मंत्री जी को नोटिस नहीं दिया गया है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम सरकार से मांग करते हैं...*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे कार्यवाही–वृत्तान्त से निकाल दिया है।

[हिन्दी]

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (जलेसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं शून्यकाल में एक ऐसे प्रश्न को उठा रहा हूं जिससे सारे सांसद जुड़े हुए हैं। हिन्दुस्तान के सारे सांसद जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, यह उन सबकी समस्या है, इससे वे सभी प्रभावित हैं। भारत सरकार द्वारा एक सुनिश्चित रोजगार योजना चलाई गई थी। अब उसका नाम बदल दिया गया है। एस. आर.वाई. जो सुनिश्चित रोजगार योजना थी, अब वह सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना हो गई है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 70 प्रतिशत पैसा सीधे क्षेत्र पंचायतों को दिया जाता है और 30 प्रतिशत पैसा जिला पंचायतों को दिया जाता है। जो 70 फीसदी पैसा पंचायतों को दिया जाता है, उसकी कार्य योजना बी.डी.ओ. और ब्लाक प्रमुख मिलकर बनाते हैं और 30 फीसदी पैसे की योजना मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एक्जीक्यूटिव ऑफिसर आदि जो जिला पंचायत में होते हैं, वे बनाते हैं। जो सांसद देहातों से हैं, वे क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। यह बहुत बड़ी राशि है और उसकी कार्य योजना बी.डी.ओ. बनाता है। अधिकांश सांसद इस बात से सहमत होंगे कि क्षेत्र पंचायत की बैठक की सूचना भी एक सांसद को नहीं दी जाती है। जबकि यह सूचना जिला पंचायत में दी जाती है। क्षेत्र पंचायतों की रियल बैठक नहीं होती है। बी.डी.ओ. और ब्लॉक प्रमुख घर में बैठक कर लेते हैं। यहां तक कि बी.डी.सीज. को भी नहीं दी जाती है। यह बहुत बड़ी राशि है। आप ऐसा मत समझिए कि देहातों में हजारों योजनाएं चल रही हैं। सांसद निधि, विधायक निधि, प्रधान मंत्री सड़क योजना, एस.आर.वाई, जे.आर.वाई. आदि हैं। एस.आर.वाई. में बहुत सारा धन जाता है। क्या बी.डी.ओ. जानता है कि अमुक गांव में रामलाल के घर से श्याम लाल के घर तक एक खड़ंजा बनना है, क्या वह यह प्रस्ताव लिख सकता है। क्या वह लिख सकता है कि फलां गांव में नाली बननी है, क्या वह लिख सकता है कि इन–इन स्थानों पर पेयजल की समस्या है। क्या फिजीकली उसे इतना ज्ञान है। अगर सांसद से पूछा जाएं तो लगभग सभी सांसद सारे देहातों में शादी, ब्याह तथा भगवद्गीता के पाठ आदि कार्यक्रमों में जाते रहते हैं। वे अपने क्षेत्रों का दौरा करते हैं, वे क्षेत्र की समस्याओं को जानते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सुनिश्चित ग्रामीण रोजगार योजना और सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत योजना बनाते समय माननीय सांसदों से प्रस्ताव लिए जाएं और प्रस्ताव में यह तय किया जाए कि इन–इन ब्लॉक में इतने लाख रुपये स्वीकृत किए जाएं तथा देखा जाए कि उसमें कितने प्रतिनिधि हैं और उनमें राशि का वितरण करने से पहले सांसदों से कहा जाए कि इतने लाख रुपये के प्रस्ताव दे दें। अगर सांसदों की प्रस्तावित सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में नियमों के तहत उनकी राशि है तो वह राशि कंसीडर की जाए। यह निर्देश भारत सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। दूसरी बात जो इस मद में काम होता है, जिला पंचायत उसके तहत काम कर रही हैं, लाखों रुपये व्यय कर रही हैं और भारत सरकार का वह पैसा है। सांसदों को उसका क्रैडिट नहीं मिल रहा है। सांसदों के प्रस्ताव नहीं लिए जा रहे हैं। सांसद यह भी नहीं कह सकता कि हमने ये काम कराए हैं। इसलिए राज्यों को निर्देश दिए जाएं कि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की कार्य योजना बनाते समय सांसदों के प्रस्ताव लिए जाएं अथवा उनका कोटा निश्चित किया जाए।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : इसी संदर्भ में मेरा एक सुझाव है।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही–वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे चैम्बर में आकर सुझाव दीजिए।

कुंवर अखिलेश सिंह : मेरा सुझाव है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत जो राज्यों को धन जा रहा है, भौतिक रूप से मात्र 25 प्रतिशत धन खर्च हो रहा है और 75 प्रतिशत धन की लूट हो रही है। इसकी भी केन्द्र सरकार जांच कराए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय बचत संगठन एक बहुत बड़ा संगठन है और इस संगठन के द्वारा कई योजनाएं–पंचवर्षीय योजना, 11 वर्षीय योजना डाकघरों के माध्यम से चलती हैं। राजस्थान में 11 कार्यालय इस पर काम कर रहे थे मगर बड़े खेद की बात है कि जयपुर का भी जो कार्यालय था वह बंद कर दिया गया और 11 कार्यालय बंद कर दिए गए। इससे कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे यह पहली बात है। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार को उससे जो 70–80 प्रतिशत मदद राजस्थान के विकास के लिए मिला करती थी, वह रकम मिलनी भी बंद हो जाएगी। राजस्थान को वैसे भी पैसा कम मिल रहा है और राजस्थान को कम पैसा मिलने के कारण राजस्थान की योजनाएं खटाई में पड़ जाएंगी और यह पैसा नहीं मिला तो राजस्थान में और भी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि राजस्थान में राष्ट्रीय बचत संगठन के जो 11 विभाग थे, वे उचित प्रकार से चलने चाहिए यह मेरी आपसे प्रार्थना है। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी आपका आभारी हूं कि आपने थोड़े शब्दों में विषय को सही ढंग से रखा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं संक्षेप में बोलता हूं। मैंने लंबी–चौड़ी बात करना बंद कर दिया है। उधर था तो बोला करता था। इधर आ गया तो आपकी अध्यक्षता में सीख गया कि कम बोलने से ही बात बनेगी वरना सरकार में रहकर जबान बंद हो जाएगी।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। मैं भारत के आखिरी हिस्से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को रिप्रेजेंट करता हूं। अंडमान–निकोबार द्वीप समूह में स्टेट सोशल एडवाइजरी बोर्ड है। उसकी हालत बहुत खराब है। यहां पर करीब 66 कर्मचारी रेगुलर काम करते हैं। 5 बॉर्डर एरिया प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से दो बड़े प्रोजेक्ट्स डिगलीपुर और विम्बरलीगंज में हैं उनके कर्मचारियों की तनख्वाह दिसंबर 2001 से ड्यू है। तीन प्रोजेक्ट्स कैम्पबैल बे, नानकौरी और रंगत में हैं जहां के कर्मचारियों की तनख्वाह मार्च 2002 से ड्यू है। इस पर अंडमान–निकोबार सोशल एडवाइजरी बोर्ड ने सरकार को और सेंट्रल बोर्ड को भी समय–समय पर पत्र देकर मांग की कि सैलेरी तुरंत दी जाए लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालत बहुत बिगड़ चुकी है। करीब–करीब 66 रेगुलर कर्मचारी काम करते हैं जिसमें अकाउंट्स क्लर्क, मुख्य सेविका, ड्राइवर्स, पियन्स, ग्राम सेविका और क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर्स हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इनको तनख्वाह देने के लिए तुरंत आदेश करें।

एक और दयनीय दृश्य आपके सामने मैं उपस्थित करना चाहता हूं। करीब–करीब 24 क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर्स हैं जो बिना काम किए हुए तनख्वाह ड्रॉ कर रहे हैं। 1976–77 में कुछ सिलाई की मशीनें उनको दी गई थीं। उसके बाद उनके रिपेयर या मेनटेनेंस का ध्यान नहीं रखा गया और नई मशीनें भी नहीं दी गईं। मशीनें खराब पड़ी हैं और बिना काम किए ही उनको तनख्वाह मिल रही है। उसी तरह से कुछ ड्राइवर्स हैं जिनको बहुत साल पहले जीप्स दी गई थीं। जीप बेकार हो चुकी हैं और बिना काम किए हुए तीन व्हीकल्स के ड्राइवर्स सैलेरी ड्रॉ कर रहे हैं। ड्राइवर्स कोई काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन जीप्स का रीप्लेसमेंट भी नहीं हुआ और न ही रिपेयर हुई। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस पर ध्यान देकर तुरंत कार्रवाई करें।

[अनुवाद]

श्री विजय हान्दिक (जोरहाट) : अध्यक्ष महोदय, मुझे तीन दिन बाद बाढ़ का मुद्दा उठाने का अवसर देने हेतु आपका बहुत धन्यवाद।

असम गत दो माह, जून और जुलाई से बाढ़ से घिरा हुआ है। वर्तमान में 10 जिले और 417 गांव 35,000 हेक्टेयर जमीन सहित, जिसमें फसल उगी हुई है, बाढ़ से घिरे हैं; और 4 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। सबसे बड़ी दुर्घटना ढ़ेमाजी में हुई जहां एक रेल का पुल ही बह गया है जिसके कारण पूरा जिला बाकी देश से कट गया है।

महोदय, हम वर्तमान बाढ़ की दशा और सघनता से चिंतित हैं। पिछले अनुभवों से यह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि यह आगे भी जारी रहेगी और बाढ़ की और लहरें आती रहेंगी।

महोदय, असम जैसा राज्य, जो कि संसाधनों की कमी से त्रस्त है, स्वयं के बल पर इन परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकता। राहत और पुनर्वास कार्यों के अतिरिक्त आपदा को न्यूनतम करने हेतु बाढ़ की और लहरें आने से पूर्व कुछ आपातकालीन सुरक्षा उपाय किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि, भारत सरकार और कृषि मंत्रालय द्वारा गत वर्ष जारी किए गए परिपत्र और राहत आयुक्तों के हाल ही में दो माह पूर्व हुए सम्मेलन में ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया है कि क्षतिग्रस्त आधारभूत ढांचे की मरम्मत का कार्य राहत के लिए दिए गए पैसे में से नहीं किया जाएगा। यह तर्क मेरी समझ में नहीं आ रहा। राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए जो अत्यंत आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य हैं, केन्द्र द्वारा स्वीकृत तथा निर्धारित की गई राशि किसी भी तरह ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लंघन नहीं कर रही हैं। दूसरी ओर यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जितना ज्यादा विनाश होगा राहत और पुनर्वास कार्यों पर उतना ही अधिक धन खर्च करना होगा।

महोदय, इसीलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह अपनी राय बदले और इस मामले में दोबारा निर्णय दे तथा राहत और पुनर्वास के लिए स्वीकृत निधि में से कम से कम कुछ धनराशि राज्य सरकार को खर्च करने की अनुमति दे।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं कि अत्यधिक वर्षा के कारण करीब दो किलोमीटर के क्षेत्र में, ऊपरी असम और बरक घाटी में जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

शीघ्र कार्यवाही के लिए रेल मंत्रालय का ध्यान इस ओर दिलाया गया है। इसने मिजोरम, मणिपुर, अगरतला तथा त्रिपुरा के लिए समस्या उत्पन्न कर दी है।

दूसरा, सभी सड़कें जो हफ्लोंग से सिल्चर तथा सिल्चर से ऐजवाल जो जोड़ती हैं और जो राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आती हैं और साथ ही अन्य सीमा सड़कों पर पहुंचना सम्भव नहीं है।

अतः मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस मामले में उचित कार्यवाही करे।

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो आपने इस मुद्दे पर आधे घंटे की चर्चा रख दी है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है, लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र इटावा एवं औरैया को छोड़ दिया है। जैसा आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं है, किसान परेशान हैं और वर्षा नहीं हो रही है। मैनपुरी, एटा सूखाग्रस्त हैं जबकि इटावा, औरैया सटा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर आधे घंटे की चर्चा रख दी है। आप कृपया बैठिए।

श्री रघुराज सिंह शाक्य : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से केवल इतना कहना चाहता हूं कि वह उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दे कि मेरे संसदीय क्षेत्र इटावा और औरैया को भी सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए। विद्वेष की राजनीति नहीं होनी चाहिए तथा शीघ्र इटावा एवं औरैया को भी सूखाग्रस्त जिला घोषित. किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, पुनः उसी विषय पर चर्चा की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, हमारे देश के करीब दस राज्य सूखे से बुरी तरह प्रभावित हैं। इससे अत्यधिक संख्या में किसान प्रभावित हुए हैं और ज्यादातर फसलें नष्ट हो गई हैं। अगर एक सप्ताह के अंदर वर्षा नहीं हुई तो सभी फसलें नष्ट हो जाएंगी *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इस विषय को बाढ़ और सूखे पर वाद-विवाद चर्चा में उठा सकते हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बाढ़ और सुखाड़ की समस्या पूरे देश के लिए स्थायी समस्या हो गई है, खासकर बिहार के लिए। आज उत्तरी बिहार बाढ़ से और मध्य बिहार सूखे से तबाह है। कई जिले बाढ़ और सूखे की चपेट में आ गए हैं। बिहार सरकार काफी लंबे समय से केन्द्र सरकार से वहां के सूखे जिलों के लिए सहायता की मांग कर रही है लेकिन भारत सरकार ने उसे नजरअंदाज किया और सहायता नहीं दी।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि बिहार जैसे गरीब प्रांत को अधिक से अधिक सहायता दी जाए ताकि बिहार राज्य सूखे और बाढ़ की चपेट से किसानों को बचा सके। अगर समय रहते यह सहायता नहीं दी जा सकती तो आप कोई विशेष व्यवस्था करके उन्हें पैकेज दें।

श्री ब्रजमोहन राम (पलामू) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सदन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। आज झारखंड राज्य को बिहार से अलग हुए दो साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक कैडर बंटवारा नहीं होने से दोनों राज्यों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। अधिकारी और कर्मचारी तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें झारखंड में रहना है या बिहार में रहना है। ऐसी स्थिति में सभी अधिकारी और कर्मचारी पूर्णरूपेण विकास के कार्यों में अपना सहयोग नहीं दे पा रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि विकास कार्यों में बाधा न पहुंचे, आप अविलम्ब कैडर बंटवारे को अंतिम रूप दे दें। मेरा यह भी कहना है कि किसी भी कर्मचारी का केस फाइनलाइज नहीं हो पाया है। बिहार में रहने वाले लोग सोच रहे हैं कि हमें झारखंड में जाना पड़ेगा और झारखंड में रहने वाले लोग सोच रहे हैं कि हमें बिहार में जाना पड़ेगा। इस तरह वहां काफी ऊहापोह की स्थिति है। वहां विकास के कामों में बाधा पहुंच रही है, जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है।

मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि अविलम्ब कैडर बंटवारे को अंतिम रूप दिया जाए। इसके बाद ही दोनों राज्यों में विकास की गति तेज होगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत् होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.08 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न दो बजकर आठ मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*)

संविधान अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2001

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा मद संख्या 9 पर विचार आरम्भ करेगी।

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) : सभापति जी, जैसा मैं कल कह रहा था कि पांच अक्टूबर, 1979 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया कि हरियाणा प्रदेश में रमदासिया जाति को रविदासी या समदासी के समक्ष समझा जाए और इसे 1950 की जातियों की जो शैड्यूल्ड लिस्ट है, उसमें लिस्ट दो में से निकालकर लिस्ट तीन में डाल दिया जाए। लेकिन साथ में गृह मंत्रालय ने यह भी शर्त लगा दी कि यह जो प्रस्ताव पेश किया गया है, यह भारत की किसी भी कोर्ट में तब तक चेलेंज किया जा सकता है, जब तक यह पार्लियामेंट में पास न हो। 1979 से लेकर आज तक इतना समय बीत गया, इस बीच में कितने ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को रोजगार से संबंधित और विकास की योजनाओं से संबंधित

[श्री रतन लाल कटारिया]

कितनी कठिनाइयां आई होंगी। कितने लोगों को वंचित होना पड़ेगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मैं प्रधान मंत्री जी को और जटिया जी को बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने अपने कार्यकाल में न केवल सरकारी स्तर पर एक कांफ्रेंस दलितों की समस्याओं को हल करने के लिए की, बल्कि 15 मई, 2002 को अनुसूचित जाति एवं जनजाति फोरम के अंतर्गत एक बहुत बड़ा सेमिनार संसदीय सौध में आयोजित किया। उस सेमिनार में भारत समस्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की समस्याओं पर विचार किया गया। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने इन वर्गों के लिए अपने दृष्टिकोण को क्रिस्टल क्लियर शब्दों में बताया। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में अस्पृश्यता जारी रहेगी, तब तक आरक्षण भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आज जो नौकरियों में आरक्षण का मामला है, यह केवल आर्थिक विकास के साथ नहीं जुड़ा है, बल्कि इन जातियों का हक बनता है, जिनको हजारों साल से पीड़ित और शोषित किया गया। यह उनके दर्शन को दर्शाता है।

आज उसी का परिणाम है कि 1980 की जनगणना के अनुसार 1991 में जहां राष्ट्रीय स्तर पर जनरल केटेगरी में शिक्षा का प्रसार 52.2 प्रतिशत था, वहां अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का 37 प्रतिशत और 41 प्रतिशत था। इसमें महिलाओं की स्थिति और भी खराब थी। 1980 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की केवल दस प्रतिशत लड़कियां ही पढ़ी-लिखी थीं। बाद में यह बढ़कर 23.70 प्रतिशत हुईं। आज दसवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए 390 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से भारत सरकार ने राज्य सरकारों को छूट दी है कि सारे देश के अंदर 125 बड़े-बड़े हॉस्टल बनाए जाएं, जिनमें केन्द्र और राज्यों का योगदान पचास-पचास प्रतिशत का होगा। लेकिन राज्य सरकरों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए मैं केन्द्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इसमें केन्द्र द्वारा 50 प्रतिशत की जगह 90 प्रतिशत का योगदान होना चाहिए और यह सेंटर द्वारा प्रायोजित हो। इससे देश के विभिन्न हिस्सों में दलित छात्रों के लिए हॉस्टल बनें, जिनमें वे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसी तरह से एक प्रावधान यह भी किया गया है कि जो भी अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के मेधावी छात्र देश और विदेश में जहां भी शिक्षा प्राप्त करना चाहें, कर सकते हैं और भारत सरकार उसका खर्चा वहन करने के लिए तैयार है।

बाबा साहेब अम्बेडकर के 111वें जन्म दिवस पर भारत सरकार ने अपने इस संकल्प को 14 अप्रैल, 2002 को दोहराया कि सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित ऐसे दस छात्रों को 60,000 रुपये, 50,000 रुपये और 40,000 रुपये प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि के रूप में देगी, जो मेधावी होंगे। इसमें यह भी कहा गया कि अगर इन तीन केटेगरी में कोई महिला या छात्र नहीं आता तो उसके लिए अलग से 40,000 रुपये का प्रावधान किया जाएगा। इसी तरह से सफाई कर्मचारी आयोग ने, अनुसूचित जाति विकास निगम ने नई-नई योजनाएं बनाकर हमारे देश के दलित समुदाय के आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा करने की ओर पूरा ध्यान दिया है।

लेकिन इसके साथ-साथ मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि भारत सरकार ने देश की इस महान संसद में अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों की रक्षा के लिए एक के बाद एक तीन संविधान संशोधन पास किए। वह भी पास हो गया, लेकिन उसका इम्पलीमेंटेशन नहीं हो रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या इस संसद ने जो निर्णय लिए हैं, उनके मुताबिक देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को लाभ मिलने लगा है और नौकरियों में बैकलॉग पूरा किया जाने लगा है? बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने सपना देखा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग केवल मात्र झाड़ू लगाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, वे भी पढ़-लिखकर आई.ए.एस और आई.पी.एस व इंजीनियरिंग क्षेत्रों में जाएं और देश की टॉप से टॉप सेवाओं में जाएं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपके मंत्रालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण के प्रति जागरूक होकर ध्यान दिया है? देश की आजादी को आज 55 साल हो गए हैं, इतने वर्षों के बाद भी अनुसूचित जाति वर्ग के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, उसके बारे में सरकार की क्लीयर इन्स्ट्रक्शन के बाद भी कानून में जो प्रावधान किए गए हैं, सिविल राइट प्रोटैक्शन या अन्य जो कानून हैं, उनके मुताबिक इम्पलीमेंटेशन हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि स्पेशल कोर्ट के माध्यम से कितने लोगों को सजाएं दी गई हैं? माननीय मंत्री जी इन चीजों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

महोदय, इन वर्गों के कल्याण के लिए भारत सरकार ने 12,500 करोड़ रुपये खाद्यान्न के मामले में पी.डी.एस. सिस्टम में तथा इन वर्गों के आर्थिक उत्थान के लिए निश्चित किए हैं। इस पी.डी.एस. सिस्टम के तहत 80 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को लाभ दिया जा रहा है। लेकिन आज भी देखने को मिलेगा कि कुछ राज्यों जैसे पंजाब और हरियाणा, जहां से मैं आता हूं, में फूड सरप्लस है और बिहार के अन्दर पलामू व उड़ीसा में कालाहांडी और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग भूखों मर रहे हैं। उनके लिए शिक्षा के साधन भी उपलब्ध नहीं हैं। स्कूल जाने की बात वे क्या करें, उनको खाने तक के लिए भी नहीं मिलता है। आज बड़े–बड़े घराने के लोग अपने बच्चों पर एक–एक लाख रुपया महीना खर्च करते हैं और अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, कान्वेंट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग जिन स्कूलों में जाते हैं, वहां अध्यापक नहीं हैं, अध्यापक हैं, तो टाट नहीं हैं। टाट हैं, तो चार्ट नहीं है। पांचवीं तक के बच्चों को एक ही अध्यापक पढ़ाता है। प्रारम्भिक कक्षा में अ, आ, इ, ई 45 मिनट तक पढ़ाता है और फिर दूसरी कक्षा में जाकर 2 + 2 पढ़ाता है। ऐसी स्थिति में ये बच्चे, कान्वेंट स्कूल के बच्चों से कैसे कम्पीट कर सकते हैं। इसके अलावा उनके सामने आज भी भोजन की समस्या बनी हुई है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि उन्होंने जो राशि इस क्षेत्र में निश्चित की है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। देश में यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि आपके आदेशों का कहां तक पालन किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्यों को सख्त आदेश दिया जाए कि इन वर्गों के लिए भारत सरकार जो भी स्कीम्स बनाती हैं, उनको इम्पलीमेंट करने के लिए राज्य सरकारें दिलचस्पी दिखाएं। आज जरूरत है इन वर्गों के एजुकेशनल, सोशल एंड इकोनोमिक एम्पावरमेंट की। स्पेशल कम्पोनेंट असिस्टेंट के अंतर्गत इनके लिए जो भी पैसा निर्धारित किया, वह पैसा कहीं लेप्स न हो और ये अपने अधिकारों से वंचित न रह जाएं। इसी तरह देश के अंदर सात लाख के लगभग स्कवेंजर्स आज भी कूड़ा उठाने का काम कर रहे हैं। यह एक–दूसरे की डिग्निटी के खिलाफ एक ऐसा हीनियस क्राइम है, जो समाज के माथे पर कलंक है। आज मंत्रालय के सामने चुनौती है कि इस कलंक को हमें हमेशा–हमेशा के लिए समाप्त करना होगा।

महोदय, मैं मंत्री जी की प्रशंसा करना चाहूंगा, 1991 से लेकर आज तक भारत सरकार ने विभिन्न प्रदेशों के, इस मद के अंतर्गत 671 करोड़ 19 लाख रुपये खर्च किए हैं, लेकिन यह राशि और ज्यादा बढ़ाई जानी चाहिए। आज भी सात लाख लोग स्कवेंजर्स के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें राहत प्रदान की जानी चाहिए। सेनीटेशन के जो मामले वर्षों से लम्बित पड़े हैं, इस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी तरह नेशनल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशंस के कार्य का भी विस्तार किया जाना चाहिए। मैं वर्तमान सरकार को बधाई देना चाहूंगा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कटारिया जी, जो विषय है, आप उसी पर ही प्रकाश डालिए।

श्री रतन लाल कटारिया : महोदय, यह उसी से ही संबंधित है। इसी में से सब कुछ निकलेगा, जब सूची में समावेश किया जाएगा, जिन बातों को मैं बोल रहा हूं तभी तो मंत्रालय उन पर ध्यान देगा। विषय बहुत छोटा था, लेकिन उसमें से तभी कुछ निकलेगा जब सरकार के ध्यान में महत्वपूर्ण बातें लाई जाएंगी। मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि यह नेशनल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन बनी है, हम चाहेंगे कि आप इसका जमकर इन वर्गों के उत्थान के लिए उपयोग कीजिए। अभी तक यह होता आया है कि कांग्रेस के जमाने में प्रधान मंत्री हाथी पर बैठकर आते थे और कहते थे कि हम गरीबी दूर करेंगे। इन वर्गों के लिए जब कोई लोन की बात आती थी तो कहते थे कि 2000 रुपये सुअर और मुर्गी पालने के लिए ले लो। दो–दो हजार रुपये एससी एवं एसटी को कर्जा देने की बात करते थे। इनके जो बड़े–बड़े सत्तासीन लोग थे वे 500–500 करोड़ रुपए, हजारों–करोड़ रुपए लोन लेकर सुपर मिल लगाया करते थे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कटारिया जी, जो विषय है, उसी पर आप अपनी बात रखिए।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : अगर किसी ने इनके लिए कुछ किया है तो वह कांग्रेस ने ही किया है। ...*(व्यवधान)* इन्होंने आज तक क्या किया है।...*(व्यवधान)* इन्होंने कानून बना दिए, लेकिन उनका पालन नहीं किया।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : बंसल जी, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[अनुवाद]

श्री ए. सी. जोस (त्रिचूर) : महोदय, यह विधेयक पर बोल रहे हैं या चुनाव भाषण दे रहे हैं? ऐसा लगता है कि वे चुनावी भाषण दे रहे हैं। उन्हें विधेयक पर बोलना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठें।

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया : बंसल जी मेरे दोस्त हैं और मेरे पड़ोस के सांसद भी हैं। इन्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। मैं वे आंकड़े बोल रहा हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी जी के जमाने में 415 एमपी होते थे, जिन्होंने एससी, एसटी का वोट लेकर 50 वर्ष तक देश के ऊपर राज किया, आज वे मार्जिनलाइज होकर, घटते–घटते 112–114 पर आ गए हैं। आज अनेकों काम हम इन वर्गों के लिए कर रहे हैं। यही कारण है कि आज हम दो से 200 तक पहुंच गए हैं और बढ़ते–बढ़ते हम उस टारगेट को प्राप्त करेंगे, जो किसी जमाने में आपने 415 का प्राप्त किया था। यह आंकड़े बता रहे हैं कि हम इन वर्गों के कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं और क्या संदेश जा रहा है? यह मैं नहीं कह रहा हूं।

अंत में मैं इस बिल का पूरा–पूरा समर्थन करता हूं और आदरणीय प्रधान मंत्री जी को यह बिल लाने के लिए बधाई देना चाहूंगा। मैं परम पिता से प्रार्थना करना चाहूंगा कि उनकी उम्र लम्बी हो ताकि वह एक के बाद एक इन वर्गों के कल्याण के लिए कदम उठाएं।

[अनुवाद]

श्री बाजू बन रियान (त्रिपुरा पूर्व) : सभापति महोदय, इस विधेयक के माध्यम से आठ समुदायों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने, 24 समुदायों को इन जातियों की सूची से निकालने और 49 अन्य समुदायों के बारे में सूची में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

कुल मिलाकर इससे 81 समुदाय प्रभावित होते हैं और यह 18 राज्यों के संबंध में है। राज्यों की संख्या अधिक भी हो सकती है।

महोदय, विधेयक का प्रारूप तैयार होने के बाद, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक संबंधी कैबिनेट समिति ने इसे 15 जून, 1999 को पारित कर दिया। ऐसा तीन वर्ष पहले किया गया। उस वक्त बिहार तथा मध्य प्रदेश को दो–दो भागों में विभाजित नहीं किया गया था। अब चूंकि बिहार और मध्य प्रदेश के दो–दो भाग हो गए हैं, बिहार को बिहार तथा झारखंड में और मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विभाजित किया गया है। इस तरह से झारखंड तथा छत्तीसगढ़ जुड़ने के बाद 18 के बजाय 20 राज्य इससे जुड़े हुए हैं।

महोदय, मैं इस विधेयक की भावना का समर्थन करता हूं। प्रविष्टि 33 में प्रस्ताव है कि घूलि, सबडाका, और बडयाकर समुदायों को शामिल किया जाए। इसी प्रकार प्रविष्टि 34 में नाटा तथा नट समुदाय को शामिल करने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव त्रिपुरा राज्य की ओर से है।

महोदय, इस विधेयक को व्यापक विधेयक नहीं कहा जा सकता। कुछ समुदाय और हो सकते हैं जिन्हें इस सूची में शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए मैं नहीं कहता कि इस विधेयक में कोई अपवाद नहीं है या फिर सूची में मौजूद सभी अपवाद जो 1950 में अधिसूचित किए गए थे, उनको हटा दिया गया है।

महोदय, पश्चिम बंगाल में कुछ समुदाय हैं जैसे 'देशवुआली' और 'माझी' जो मुख्यतः पश्चिम बंगाल के तीन जिलों पुरुलिया, बांकुरा और मिदनापुर में, बसे हुए हैं। मेरी जानकारी के अनुसार एक प्रस्ताव था कि इन समुदायों को इस सूची में शामिल किया जाएगा। उनकी आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हुए, उन्हें इस सूची में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन इस विधेयक में यह प्रस्ताव नहीं किया गया है।

इस प्रकार अगर हम पूरे देश में देखें तो पाएंगे कि कुछ समुदाय हैं जिन्हें इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन वे विधेयक में नहीं हैं।

महोदय, 24 समुदायों को इस सूची से निकालने का प्रस्ताव है। इन 24 समुदायों की कुल जनसंख्या कितनी है की अभी कोई जानकारी मुझे नहीं है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के वक्तव्य में यह स्पष्ट नहीं किया गया है। वित्तीय ज्ञापन में कहा गया है इस स्तर पर यह अनुमान लगाना कि इस वजह से कितना अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा,

संभव नहीं है। अतः वे अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि कितना अतिरिक्त खर्च होने की संभावना है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। सरकार को इन 24 समुदायों जो इस सूची से निकाले जा रहे हैं, की सही जनसंख्या बताते हुए एक व्यापक विधेयक लाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि किन कारणों से इनको निकाला जा रहा है। इन 24 समुदायों के अनुसूचित जाति के लोगों का स्तर अब ऊपर उठ गया है और इन्हें आम जाति के लोगों के रूप में माना जाएगा। इनकी स्थिति में सुधार किया जा रहा है और अगर ऐसा है तो ठीक है। ऐसा हमारे संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के प्रावधानों के अनुरूप है। अनुसूचित जातियों से संबंधित अनुच्छेद 341 को मैं उद्धृत करना चाहूंगा। इसमें कहा गया है—

> "राष्ट्रपति[1] [किसी राज्य[2] या [संघ राज्य क्षेत्र] के संबंध में और जहां वह[3]**** राज्य है वहां उसके राज्यपाल[4]**** से परामर्श करने के पश्चात्] लोग अधिसूचना[5] द्वारा, उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों, अथवा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए[6] [यथास्थिति] उस राज्य[7] [या संघ राज्यक्षेत्र] के संबंध में अनुसूचित जातियां समझा जाएगा।"

इस प्रावधन के अनुसार भी एक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में माने जाने वाले समुदायों को अन्य स्थानों पर नहीं माना जाता। इसके परिणामस्वरूप, यह लोग एक ही स्थान पर सीमित होकर रह गए हैं। उदाहरण के तौर पर, मैं त्रिपुरा राज्य की जनजाति से हूं और अगर मैं दिल्ली में बसना चाहूं तो मेरे पुत्र और पुत्री को जनजाति की मान्यता प्राप्त नहीं होगी। मैं समझता हूं कि संविधान की ऐसी मंशा नहीं थी। हमारे संविधान की ऐसी भी मंशा नहीं है कि अनुसूचित जाति के लोग किसी विशेष क्षेत्र में सीमित रहकर जेल की तरह रहें। यह स्थिति ठीक नहीं। मेरा अनुरोध है कि जिस समुदाय विशेष को देश में कहीं भी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति माना जाता है उसे पूरे देश में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। वे कहीं भी जाकर बस सकते हैं अन्यथा उनमें हीन भावना पनपेगी।

इन लोगों का आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्तर उठाने के उद्देश्य से अलग–अलग सरकारों ने अनेक विकास की स्कीमें पिछले 52 वर्षों में लागू की। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में इस मद के अंतर्गत भारी धनराशि का आवंटन किया गया। हालांकि इस कार्य के लिए आवंटन की गई धनराशि कम नहीं थी, फिर भी हम पाते हैं कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों का जीवन स्तर सुधरने की बजाय गिरता जा रहा है। स्कीमों को ठीक तरह से लागू नहीं किया गया तथा उनकी संख्या का आकलन भी ठीक तरह से नहीं किया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या ज्यादा हो सकती है। जनसंख्या के आंकड़ों, जिन्हें प्रस्तावित विधेयक में लिया गया है, वे 1991 की जनगणना पर आधारित हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या 13.82 करोड़ थी जो कुल जनसंख्या का 16.48 प्रतिशत है। उस समय कुल जनसंख्या 84.63 करोड़ थी। अब भारत की जनसंख्या 100 करोड़ से ज्यादा है। अतः इस पर मुझे बड़ी हैरानी है कि इस विधेयक को 1991 की जनसंख्या के आधार पर क्यों तैयार किया गया है? हमें 2001 की जनसंख्या के आंकड़ों को लेना चाहिए। तभी, हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितने अधिक व्यय की आवश्यकता होगी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। सरकार की मंशा ठीक है, लेकिन उसने यह विधेयक लापरवाही से तैयार किया है। जितना ध्यान इस पर दिया जाना चाहिए था उतना उन्होंने नहीं दिया।

महोदय, प्रस्ताय के अनुसार 16 अनुसूचित जातियों को अरुणाचल प्रदेश राज्य की सूची से निकाला जा रहा है। अगर हम इतिहास में जाएं तो पाएंगे कि असम को विभाजित करके ही मिजोरम, मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश राज्य बनाए गए हैं। ये 16 समुदाय जो अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जाति में आते हैं वे असम विभाजन से पहले वहां रहते थे और अब भी वहां रह रहे हैं। वे इस क्षेत्र में नये नहीं हैं। जिन लोगों को अनुसूचित जाति की सूची से निकालना प्रस्तावित है उन्हें असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे पड़ोसी राज्यों में अनुसूचित जातियां माना जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस विधेयक का प्रारूप तैयार करते समय उचित ध्यान नहीं दिया गया अन्यथा ऐसा नहीं होता। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े समुदायों की पहचान उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक पृष्ठभूमि तथा शैक्षणिक स्तर को ही ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। अगर हम इन सब बातों को ध्यान में रखें तो पाएंगे कि कुछ समुदाय ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति की सूची में रहते ही रहेंगे। स्वतंत्रता

[श्री बाजू बन रियान]

के पश्चात् कुछ राज्य बनाए गए। कुछ समुदाय हैं जिनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक पृष्ठभूमि एक जैसी है लेकिन वे अलग–अलग पड़ोसी राज्यों जैसे उड़ीसा, बिहार, बंगाल तथा अन्य राज्यों में रहते हैं। इस तरह लोग अलग–अलग बसे हुए हैं। इस प्रस्ताव के अनुसार कुछ जातियां और समुदाय अब से अनुसूचित जाति नहीं मानी जाएंगी। लेकिन उड़ीसा में रहने वाले उसी जाति और आर्थिक स्तर के लोगों को अनुसूचित जाति माना जाएगा। इस तरह अन्य राज्यों में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अन्याय होगा। अतः मैं सरकार से एक व्यापक विधेयक लाने का अनुरोध करता हूं ताकि सामने आई सभी विसंगतियों को हटाया जाए और हमारे देश की सभी अनुसूचित जातियों को संशोधित सूची में शामिल किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं।

डा. मन्दा जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : सभापति महोदय, यह प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों की सूची में कुछ और जातियों को शामिल करने तथा उनमें से कुछ को संशोधित करने हेतु संविधान अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2002 प्रस्तुत किया है। यह प्रशंसनीय है कि सरकार खास समुदायों की सामाजिक स्थिति और विकास को आधार मानते हुए संविधान के अनुच्छेद 341 में निहित प्रावधानों के अनुसार वर्ष 1950 में घोषित की गई अनुसूचित जातियों की सूची के बाद से समय–समय पर इस सूची को संशोधित करती रही है तथा उन जातियों को इसमें शामिल करती रही है जिन्हें अब तक यह दर्जा नहीं दिया गया है तथा जो आरक्षण के लाभ से वंचित रहे हैं। अब इस सूची में शामिल करने हेतु उनका पता लगाया गया है तथा अब ये आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे।

देश की जनसंख्या के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत क्रमशः 17 तथा 7.8 है जो देश की कुल जनसंख्या का 25 प्रतिशत है। किन्तु उन्हें प्राप्त आरक्षण का प्रतिशत आजादी के 55 वर्ष के बाद भी वही है। यद्यपि उनकी जनसंख्या बढ़कर करीब 25 प्रतिशत हो गई है। उनके लिए आरक्षण का प्रतिशत अभी भी 22.5 प्रतिशत है जो अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत है। अद्यतन आंकड़ों के मद्देनजर इसे बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाना चाहिए।

सरकार अधिक से अधिक जातियों को सूची में शामिल करके उनके पक्ष को कोई बहुत सहायता पहुंचाने नहीं जा रही है क्योंकि पहले से ही बेरोजगारी विद्यमान है। विनिवेश की प्रक्रिया जारी है और इसीलिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए, सूची में अधिक से अधिक जातियों को शामिल करने मात्र से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होने जा रहा है। आपको उनके आरक्षण की मात्रा को उनकी जनसंख्या में हुई वृद्धि के अनुपात में बढ़ाना होगा जो कि अभी करीब 25 प्रतिशत है।

जब आप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधानों के कार्यान्वयन पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि 55 वर्षों के बाद भी इसकी स्थिति काफी दयनीय है। यदि आप रोजगार क्षेत्र को देखें तो उच्चतर श्रेणी के पदों में यह करीब 8 प्रतिशत तथा निम्न श्रेणी के पदों में 12 से 14 प्रतिशत के बीच है। उपबंधों को सही रूप में क्रियान्वित किए बगैर यदि हम सूची में अधिकाधिक समुदायों को जोड़ते रहेंगे तो हम उनके सामने आ रही समस्याओं के अलावा उनके लिए बेरोजगारी और अधिक बढ़ाएंगे। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आरक्षण की प्रतिशतता, उनकी जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुसार बढ़ाई जाए।

जब आप उन लोगों की दशा को देखेंगे जो रोजगार में हैं तो आपको पता चलेगा कि उनकी प्रताड़ना और अत्याचार में वृद्धि हुई है। हजारों सालों से विकास से वंचित रहे इन लोगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने के बजाय इन्हें किसी दूसरे तरीके से उत्पीड़ित करने की कोशिश की जाती है। भर्ती के मामले में भी इनके कई पदों को कोई न कोई कारण बताकर रिक्त रखा गया है जिससे उनमें और अधिक बेरोजगारी बढ़ रही है। जब तक इसे नहीं सुधारा जाता तब तक अधिकाधिक जातियों को शामिल करने मात्र से उन्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है।

भारत सरकार द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं। विशेषकर, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए जनजातीय उप–योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद द्वारा प्रदत्त अद्यतन आंकड़ों के अनुसार विशेष संघटक योजना के 22.5 प्रतिशत में से योजनाओं के कुल क्रियान्वयन का राष्ट्रीय

औसत 4 प्रतिशत है। कुछ राज्यों जैसे मेरे राज्य, आंध्र प्रदेश के मामले में यह औसत 10.6 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से लगभग दुगुने से भी अधिक है। यह दर्शाता है कि श्री चन्द्रबाबू नायडू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए कितनी तत्पर है। आंध्र प्रदेश में, मुख्य मंत्री नियमित बजट के अलावा जो करीब 500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष है अनुसूचित जातियों के लिए आवंटित बजट को प्रतिवर्ष 15 से लेकर 20 प्रतिशत तक बढ़ा देते हैं तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कार्मिकों के उन्नयन हेतु नए कार्यक्रम लागू करते हैं। हम लोगों ने मुंडाडुगु नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु सामान्य आवंटन के अतिरिक्त 100 करोड़ रु. आवंटित करके इन लोगों और आगे बढ़ाना है। इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं।

हमारी सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आवासीय विद्यालय और महाविद्यालय खोल रही है जिसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। पिछले हाल के दिनों में, इन आवासीय विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने विद्यालय व महाविद्यालय की अंतिम परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए हैं। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि शिक्षा की ओर अधिक बल दिया जाना चाहिए जो कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के चहुंमुखी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अंत में, आपके माध्यम से मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि विशेष संघटक योजना और जनजातीय उप–योजना को सही मायने में क्रियान्वित किया जाना चाहिए ताकि उनका तेजी से विकास हो। यहां तक कि आजादी के 54 वर्ष बाद भी निधियों का व्यपवर्तन हो रहा है तथा इस जनजातीय उप–योजना के लागू होने के बावजूद यदि औसत 4 प्रतिशत और 10 प्रतिशत है तो यह बहुत ही दयनीय स्थिति है। जब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के विकास हेतु आवंटित राशि को पूर्णतः खर्च नहीं किया जाता तब तक हम उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते।

अब, निजीकरण और वैश्वीकरण के सवाल के संबंध में जिसे पूरे विश्व में अपनाया जा रहा है, वे हमारे संविधान की अवधारणा के विरुद्ध है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग आरक्षण की वजह से रोजगार क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र में कुछ अवसर प्राप्त कर रहे हैं। अब, निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण यह पहलु घटता जा रहा है तथा यदि इन्हें अधिक से अधिक अपनाया जाता है तो आरक्षण प्रणाली ठहर सी जाएगी और अनुसूचित जातियों का विकास नहीं होगा। यह सरकार से मेरा निवेदन है। हम निजीकरण और वैश्वीकरण के विरुद्ध नहीं हैं। परन्तु आरक्षण की सुविधाएं निजी क्षेत्र में भी होनी चाहिए ताकि संवैधानिक गारंटी की रक्षा की जा सके।

अंततः, मैं अपनी ओर से तथा अपने दल, तेलगुदेशम की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं तथा इस विधेयक को लाने के लिए माननीय मंत्री, श्री जटिया को बधाई देता हूं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के चहुंमुखी विकास के लिए अधिक से अधिक नए कार्यक्रमों को लाएं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति जी, संविधान अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2001 पर हम विचार कर रहे हैं। अनुसूचित जाति की 81 जातियों के नामों में परिवर्तन और कुछ जातियों को जोड़ा जाना इसमें शामिल है और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने प्रारंभिक भाषण के समापन में बताया था कि विभिन्न राज्यों से और भी मांगें आ रही हैं कि उन तमाम जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाए। अभी विभिन्न राज्यों में 364 जातियों ऐसी और हैं जिन्हें लोग समझते हैं कि अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के पास भी एक फेहरिस्त है जिसमें कुछ जातियों को अनुसूचित जातियों में जोड़ने का सुझाव दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची सबसे पहले 1950 में बनी थी। लेकिन समय–समय पर इसमें तबदीली होती रही, परिवर्तन होता रहा। जटिया जी, विभिन्न प्रांतों से जो मांग हो रही है, यह काम थोड़ा विलम्ब से होता है, अगर आप उनको अभी से विश्वास में ले लेते तो मैं समझता हूं कि कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे लगता है कि इसी सवाल पर आपको फिर से इसी हाउस में आना पड़ेगा।

[श्री रामजीलाल सुमन]

मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि अनुसूचित जाति और जनजाति की जो सूची थी, उस सूची में लगातार वृद्धि हो रही है। तमाम जातियों को जोड़ने से इन जातियों का प्रतिशत बढ़ रहा है। मेहरबानी करके यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति का जो प्रतिशत बढ़ रहा है, उसमें दौलत का आवंटन, योजनाओं को लागू किया जाना—जब ये सब काम हों तो हमारे ध्यान में यह बात रहनी चाहिए कि अगर हम 21 या 22 प्रतिशत के हिसाब से सोचेंगे तो वह किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं होगा।

आपका जो वित्तीय ज्ञापन है, उसमें आपने मामले को गोलमोल कर दिया है और कहा है कि इस प्रक्रम पर, इस मद पर उपगत होने वाले अतिरिक्त व्यय का प्राक्कलन करना संभव नहीं है। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब है कि अनुसूचित जाति–जनजाति की सूची में वृद्धि हो रही है लेकिन वृद्धि के साथ–साथ कितना पैसा आप उन पर खर्च करेंगे, इस मामले में कोई सफाई नहीं है। हालांकि यह भारत सरकार की निधि से होगा, इसमें लिखा हुआ है।

मैं एक बात बड़ी विनम्रता के साथ मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति की कितनी जातियां उसमें शामिल हैं, यह महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उन जातियों को प्रदत्त जो सुविधाएं हैं वे उन तक पहुंच रही हैं या नहीं? जैसा कि अभी रतन लाल कटारिया जी बात कर रहे थे, उन्होंने कभी इधर आरोप लगाया तो कभी उधर आरोप लगाया, मैं समझता हूं कि यह परम्परा ठीक नहीं है। हमारा दृष्टिकोण व्यावहारिक होना चाहिए। इसी सिलसिले में मैं कह सकता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण से जुड़ा हुआ सवाल दल से कहीं ज्यादा हमारी मानसिकता का है, हमारी मनोवृत्ति का है। उसी लिहाज से हमें सोचना चाहिए। आप नीतियां कितनी भी अच्छी बना दें लेकिन यदि उस धन का उपयोग उन वर्गों तक नहीं होगा, उनके पास नहीं जाएगा तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा।

जटिया साहब, आप इस विभाग में अभी आए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आपने कुछ अच्छा करने की कोशिश की है। लेकिन इसी सरकार में बैठे हुए कुछ लोगों ने इस विभाग को नेस्तनाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया। जिन वर्गों के कल्याण के लिए काम होना चाहिए, उसका उल्टा काम हुआ है। हम लोग बड़ी लम्बी–चौड़ी बात करते हैं। लेकिन नौवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो धन का आवंटन हुआ था, उसमें से 900 करोड़ रुपये का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। अधिकांश राज्यों से शिकायत आई है कि वहां के सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है इसलिए वह पैसा तनख्वाह में बांट दिया गया। कहीं शिकायत आती है कि इस पैसे का दुरुपयोग हो गया लेकिन इससे ज्यादा दुखद बात और क्या हो सकती है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में जो धन उन वर्गों के कल्याण के लिए, उन वर्गों की माली हालत सुधारने के लिए दिया गया था, उसमें से 900 करोड़ रुपये का हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। मैं समझता हूं कि यह गंभीर मामला है और इसे देखने की आवश्यकता है।

जैसा मैंने पहले कहा कि जो इमदाद करने वाले लोग हैं, लागू करने वाले लोग हैं, अगर उन वर्गों के साथ उनका कमिटमेंट नहीं है, वचनबद्धता नहीं है, प्रतिबद्धता नहीं है, तो मैं समझता हूं कि उन वर्गों के साथ किसी भी कीमत पर इंसाफ नहीं हो सकता। दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि पूरे समाज में एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव बना दिया गया है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों की समस्या सिर्फ आरक्षण तक सीमित है। मैं समझता हूं कि यह बात ठीक नहीं है। आरक्षण का मुद्दा एक अलग सवाल है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की जब तक माली हालत नहीं सुधरेगी, जब तक उनके परम्परागत उद्योगों को संरक्षण नहीं दिया जाएगा, जब तक भूमि सुधार का काम हमारे देश में तेजी से नहीं होगा, तब तक उनका कल्याण नहीं हो सकता। असल सवाल आत्मविश्वास का है और आत्मविश्वास आत्मनिर्भर बनने से पैदा होता है। उस दिशा में सार्थक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मैं सरकार के बारे में नहीं कहना चाहता लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर नौवीं पंचवर्षीय योजना तक, लाइब्रेरी से निकलवा लीजिए या आपके डिपार्टमेंट में मौजूद होगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए जो दौलत आवंटित की गई थी, मैं समझता हूं कि पहली पंचवर्षीय योजना में एक परसेंट भी नहीं है। जिस तरह उन वर्गों के कल्याण के लिए धन का आवंटन होना चाहिए था, प्रारम्भ से ही उन वर्गों के कल्याण के लिए उस मात्रा में धन का आवंटन नहीं हुआ। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हम जिस तरह अनुपात बढ़ाते जा रहे हैं, उसी अनुपात से दौलत का भी आवंटन करें और देखें

कि उस दौलत का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हम शिक्षा की बात करते हैं, मैं बड़ी वेदना के साथ कहना चाहूंगा और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस आरक्षण का लाभ अब चंद लोगों को ही मिल रहा है। आरक्षण का मतलब यह है कि पहले बच्चों को आरक्षण का पात्र बनाएं। जब बच्चा तालीम हासिल नहीं करेगा, मैं अनुसूचित जाति, जनजाति की बात नहीं कह रहा हूं, हर वर्ग के 87 प्रतिशत बच्चे इंटरमीडिएट की परीक्षा तक जाते–जाते बैठ जाते हैं क्योंकि उनके मां–बाप की हैसियत नहीं है कि वे अपने बच्चों को बेहतर तालीम दे सकें। अनुसूचित जाति और जनजाति में आरक्षण का लाभ भी उन्हीं वर्गों को मिलेगा जिनकी माली हालत ठीक होगी। सही मायने में जिसको मदद पहुंचनी चाहिए, जिसको लाभ मिलना चाहिए, वह व्यक्ति वहां भी वंचित रह जाता है। उसके कल्याण के लिए, उसके बेटे को बेहतर तालीम दिलाने के लिए, उसे प्रशिक्षण देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस पर भी गंभीरता के साथ विचार किए जाने की आवश्यकता है। जब तक हम इन मूल सवालों पर ध्यान नहीं देंगे, मैं नहीं समझता कि उन वर्गों के कल्याण के लिए कोई बहुत बड़ी बात हो सकती है।

मैं एक और निवेदन करूंगा। दुर्भाग्य यह है कि अनुसूचित जाति, जनजाति की विभिन्न प्रांतों से जो सूची बनी हुई है, उसमें परस्पर कोई तालमेल नहीं है। हरियाणा में कोई जाति अनुसूचित जाति में है, उत्तर प्रदेश में वही अनुसूचित जाति में नहीं है। पंजाब में कोई जाति अनुसूचित जाति में है, बिहार में वह जाति अनुसूचित जाति में नहीं है। इससे बड़ा अहित होता है।

मेरे पास अभी एक नौजवान आया था। उसका एम. बी.बी.एस., बंगलौर में एडमिशन हो गया था। उसके बाद उससे पूछा कि तुम जिस जाति के हो, वह सर्टीफिकेट लाकर हमें दो। वह आगरा के कलेक्टर के पास गया। उन्होंने सूची देखने के बाद कहा कि फलां–फलां जाति अनुसूचित जाति में आती है। कर्नाटक सरकार ने कहा कि यह जाति हमारे यहां अनुसूचित जाति में नहीं आती। इसलिए सब कुछ होने के बावजूद भी वह प्रवेश से वंचित रह गया। आप कैसे तालमेल स्थापित करेंगे, कैसे कोआर्डीनेशन करेंगे, मैं नहीं जानता। इसे मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन कभी–कभी पात्र व्यक्ति को भी इसलिए लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि विभिन्न राज्यों में बनने वाली अनुसूचित जाति, जनजाति की सूची में परस्पर कोई तालमूल नहीं है। इसे भी आज देखे जाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि अगर आप इसे देखेंगे तो निश्चित रूप से कुछ वर्गों के साथ, कुछ नौजवानों के साथ जो नाइंसाफी होती है, वह बंद हो जाएगी।

मुझे एक निवेदन और करना है। आरक्षण की बात बहुत होती है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि आज की जो नई आर्थिक उदार नीति है, उसमें आरक्षण का मामला भी चौपट होने वाला है लेकिन जो बचा–खुचा आरक्षण है, उस पर सदन में और सदन के बाहर कई बार चर्चा हुई और आप जानते हैं कि करीब सौ एम.पीज ने प्रधान मंत्री जी को लिखकर दिया था कि एक कम्प्रीहैनसिव बिल बनना चाहिए। वह बिल आपके महकमे में धूल चाट रहा है। कुछ राज्यों में यदि अनुसूचित जाति, जनजाति का आरक्षण पूरा नहीं होता तो वहां दंड का प्रावधान है। भारत सरकार के पास इस तरह का कोई कानून या कोई एक्ट नहीं है। जब तक आरक्षण लागू करने वाले लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा नहीं करेंगे, मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं बनाएंगे, जब तक उनको यह डर नहीं होगा कि अगर उन्होंने आरक्षण को लागू नहीं किया तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही होगी, तब तक आरक्षण का काम पूरा नहीं हो सकता। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मेहरबानी करके अगर इस काम को तत्काल कर सकें तो निश्चित रूप से एक अच्छा काम होगा।

अंत में मेरी एक प्रार्थना और है। अभी कुछ समय पहले अनैक्सी में प्रधान मंत्री जी ने जटिया साहब की पहल पर अनुसूचित जाति, जनजाति के सांसदों को बुलाया था। वहां उनका कमिटमेंट था कि एक बार फिर सब लोगों को बुलाकर पूरे एक या दो दिन विस्तार से चर्चा होगी और उसमें हम अनुसूचित जाति, जनजाति की समस्याओं पर खुलकर चर्चा करेंगे। अगर उस चर्चा में सब लोगों का योगदान रहा तो मैं समझता हूं कि हम उन वर्गों के कल्याण में एक अहम भूमिका निभा सकेंगे।

अपराह्न 3.00 बजे

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय जटिया जी को और इस सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों के लिए, उनके

[श्री थावरचन्द गेहलोत]

हितों के लिए, उनके लिए बनी हुई योजनाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए यह संविधान अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक यहां प्रस्तुत किया है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं।

वैसे अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए, भेदभाव मिटाने के लिए, समानता का वातावरण बनाने की दृष्टि से बहुत लम्बे समय से इस देश में प्रयास होते रहे हैं। दयानन्द सरस्वती से लेकर महात्मा गांधी, अम्बेडकर जी और वर्तमान संसद तक यह क्रम जारी है। इस क्रम में एक बार नहीं, अनेकों बार, केन्द्र शासित प्रदशों के लिए हो या राज्यों के लिए हो, किस जाति का कौन सा समूह किस वर्ग में होगा, कौन सी जाति अनुसूचित जाति होगी, इस प्रकार के विचार–विमर्श के बाद निर्णय लिए जाते रहे। वर्तमान सरकार ने इन वर्गों की भलाई के लिए 2–3 बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, इसलिए मैं इन्हें बधाई दे रहा हूं और प्रशंसा भी कर रहा हूं। आपने और हम सबने देखा कि लगभग छः साल पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद 1997 में कुछ आदेश जारी हो गए, जिसके कारण से अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों को जो आरक्षण थे, उनको नौकरियों में जो छूट मिलती थी, उस पर वापस प्रतिबंध लग गए थे। संविधान में संशोधन करके, वे भी एक नहीं, तीन संशोधन किए गए और उन अधिकारों को या उन प्रावधानों को फिर से इस सरकार ने और इस संसद ने बहाल किया। उसके बाद केन्द्र की सरकार की ओर से आदेश जारी हो गए और जो रिक्त स्थान हैं या उनको आरक्षण में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थीं, रिलैक्सेशन मिलने चाहिए थे, वे फिर से बहाल कर दिए गए, इस पर कार्रवाई शुरू कर दी। वह कार्रवाई कुछ राज्यों में शुरू हुई है, कुछ विभागों में शुरू हुई है, पर बाकी में वह होनी शेष है। मुझे उम्मीद है कि आदरणीय जटिया जी और यह सरकार इस दिशा में तेज गति से प्रयास करके कुछ करेगी।

इसके साथ ही साथ मेरे पूर्व वक्ताओं ने सुझाव दिया कि जो नियम, कायदे–कानून बने हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों की जनसंख्या बढ़ी है, उस बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर भी लाभ मिलना चाहिए। इस सरकार ने एक निर्णय लिया है, जिससे लोक सभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजाति वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, उनकी संख्या बढ़ेगी। जो परिसीमन का कदम उठाया है, जब परिसीमन होगा तो इन्सानों की जनसंख्या के मान में अनुसचित जाति और जनजाति की जितनी जनसंख्या बढ़ गई है, पहले 1971 के मान से थे, 20 साल में अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग के लोगों की जितनी संख्या बढ़ी है, जितने प्रतिशत बढ़ी है, उतने प्रतिशत लोक सभा और विधानसभाओं में सीटों में भी वृद्धि होगी। आज नहीं तो कल, जब परिसीमन होगा और उसका परिणाम सामने आएगा, तब इस सरकार ने जो कृत्य किया है, वह हमारे सामने दिखाई देगा और जब सामने दिखाई देगा तो हमें लगेगा कि यह एक सक्रिय प्रयास है।

इतना ही नहीं, संविधान समीक्षा की कार्रवाई भी इस सरकार के समय में हुई। भारत का संविधान लागू हुए 50 वर्ष हो गए। अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया था, तब उन्होंने एक कल्पना की थी कि इस देश में अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग के बीच में भाईचारे का वातावरण बनेगा, अपनत्व पैदा होगा, समरसता का वातावरण बनेगा, छुआछूत मिटेगी और अमीरी और गरीबी की खाई में तेज गति से समानता आ सकेगी। उसके लिए 10 वर्ष की निर्धारित अवधि दी थी कि दस वर्ष में कुछ सक्रिय प्रयास करके इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। उसमें एक बार में सफलता नहीं मिली तो फिर दस वर्ष बढ़ गए और 50 साल में पांच बार वह अवधि बढ़ा दी गई। लेकिन उसके बाद भी आज हम देखते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग के लोगों को जिस स्तर पर ऊंचाई की ओर अग्रसर होना चाहिए था, समानता का वातावरण बनना चाहिए था, वह नहीं बना। इसीलिए आवश्यकता महसूस की गई कि क्या संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई खामी है। या संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं, वे उपयुक्त हैं, परंतु उन पर अमल करने में किसी प्रकार की कोई खामी रही है। इस बात की समीक्षा के लिए सरकार ने संविधान समीक्षा आयोग बनाकर संविधान की समीक्षा भी कराई है। मेरी जानकारी के अनुसार शायद शासन को उसका प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। उस पर भी गम्भीरता से विचार होगा। मुझे विश्वास है कि यह सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के लोगों की जो कठिनाइयां हैं, उनको दूर करने का प्रयास करेगी।

इस विधेयक में जो बातें रखी गई हैं, मैं उससे इधर–उधर जाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि इन वर्गों के लिए

बहुत सारी योजनाएं हैं, उन पर अलग–अलग बहस करने का यह अवसर नहीं है। इस विधेयक के माध्यम से कुछ जाति समूह अनुसूचित जाति में होने चाहिए, जनजाति में होने चाहिए, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इस पर बहुत विचार–विमर्श के बाद कुछ निर्णय किए गए हैं। मैं केवल उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। आज भी अनेक विसंगतियां हैं, जिनको ठीक करने की आवश्यकता है। जैसे राजस्थान और कुछ अन्य प्रांतों में मीणा जाति को अनुसूचित जनजाति माना जाता है, लेकिन कई राज्यों में वह इसके अंतर्गत नहीं आती। बिहार में धोबी जाति, रजक जाति अनुसूचित जाति में आती है, मध्य प्रदेश में भी 45 जिलों में केवल दो–तीन जिलों में उसे अनुसूचित जाति माना जाता है, बाकी के अन्य जिलों में नहीं माना जाता। अगर धोबी कपड़े धोता है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके प्रति समाज में कहीं न कहीं दूसरे दर्जे का व्यवहार होता रहा है, तो इस बात को लेकर अगर उसे अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया है, तो बिहार में तो वह अनुसूचित जाति में है, मध्य प्रदेश में भी तीन जिलों में है, फिर बाकी जिलों और दूसरे प्रांतों में वह कैसे सवर्ण हो गया, कैसे सम्पन्न परिवार का हो गया, यह समझ में नहीं आता। इसलिए क्यों नहीं उसको हर जगह अनुसूचित जाति में जोड़ा जाता?

मध्य प्रदेश में धोबी समाज की ओर से एक बार नहीं, अनेक बार मांग पत्र इस बारे में प्रस्तुत किए गए हैं। इसी प्रकार से कुम्हार जाति के लोगों ने भी, प्रजापत समाज के लोगों ने भी मांग की है कि उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। अगर केन्द्र सरकार को राज्य सरकार ने यह प्रस्ताव नहीं भेजा है तो आप वहां से इसे मंगाएं। इसके अलावा अनुसूचित जाति आयोग, सचिवालय और अन्य संस्थाओं ने जो सुझाव दिए हैं, उन पर अमल करने की कार्यवाही करनी चाहिए।

प्रस्तुत विधेयक में बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जो हमारे मन में शंका पैदा करती हैं या लोगों के मन में ऐसे विचार आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें 24 वर्ग जाति समूह ऐसे हैं, जिनको अपवर्गीत किया जा रहा है। पहले वह अनुसूचित जाति और जनजाति में थे, लेकिन अब उनको इससे अलग किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, देश की जनता के मन में शंका पैदा न हो, आखिर 24 जातीय समूह किस प्रकार से ऊपर उठ गए हैं, जो आप इनको हटा रहे हैं? क्या कारण है कि इनको अपवर्गीत कर रहे हैं? आप आठ और जोड़ रहे हैं, लेकिन 24 हटा रहे हैं। 50 जाति समूह ऐसे हैं, उसमें रविदास, रैदास और रविदासिया, इस प्रकार के जाति के पूरक नाम हैं। एक ही जाति में दो–चार पूरक जातियां हैं, क्या इस कारण से उनको शामिल कर रहे हैं, क्योंकि 50 ऐसे हो गए, आठ नए जोड़ रहे हैं और 24 जो पहले थीं, उनको हटा रहे हैं। यह क्यों हटा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : राज्य सरकारों की तरफ से मांग आई है कि इनको हटाया जाए इसलिए ऐसा कर रहे हैं।

श्री थावरचन्द गेहलोत : मंत्री जी ने जो जानकारी दी है, वह मुझे भी है। परंतु राज्य सरकारों ने इनको हटाने के क्या कारण बताए हैं, वह आप बताएं। मैं अनुसूचित जाति का हूं, क्या मैं सम्पन्न हो गया, कुछ तो कारण दिया होगा कि इस कारण इन जातियों को हटाया जाना चाहिए। इसके लिए केन्द्र सरकार ने क्या प्रयास किया है? यह आप बताएं। जाति कोई रोज–रोज नहीं बदलती है। अगर अच्छी नौकरी मिल जाए, तो आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है, लेकिन जाति नहीं बदल सकती। यह सुविधा जाति के आधार पर दी जा रही है। वर्ग समूह जातीय आधार पर बन रहे हैं। उनको क्यों हटाया गया है, यह आपको राज्य सरकारों से भी पूछना चाहिए। जिन राज्य सरकारों ने ऐसी कार्यवाही की है और जो कारण बताए हैं, उससे संसद को भी अवगत कराना चाहिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कहार और धेलिया आदि जातियां आदिवासी सूची में है और कुछ अनुसूचित जनजाति में हैं। इसमें भी समस्या हो गई है। आप आंध्र प्रदेश का उदाहरण ले लें, भाग–I, प्रविष्टि–9 के स्थान पर निम्नलिखित किया जाए। इसमें बेड़ जाति पूरे प्रदेश के लिए थी, लेकिन अब इसको कुछ जिलों तक सीमित कर दिया। इसमें भी वही समस्या होगी। कुछ प्रांतों में कोई जाति समूह सम्पन्न हैं, लेकिन वहां कोई नौकरी नहीं है। वहां के लोग दूसरी जगहों पर नौकरी करना चाहते हैं। जब वे दूसरी जगह जाते हैं, तो वे वहां उस जाति के समूह में नहीं हैं। इस वजह से उनको सुख–सुविधाएं नहीं मिलती हैं। बहुत सारे लोग जब एक प्रांत से दूसरे प्रांत में नौकरी करने के लिए जाते हैं और एक जिले से दूसेर जिले में नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो सवर्ण बन जाते हैं। इस प्रकार

[श्री थावरचन्द गेहलोत]

नहीं होना चाहिए। हमें इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। इस बारे में मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं।

सभापति महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त करिए।

श्री थावरचन्द गेहलोत : महोदय, मैं विषय से भिन्न नहीं बोल रहा हूं। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने विषय से भिन्न बहुत लम्बा–चौड़ा भाषण दिया है। मैं विषय से संबंधित बात कह रहा हूं। मैं विषय की बात कह रहा हूं। आपका संरक्षण चाहता हूं, लेकिन अगर आपका आदेश है कि समाप्त करूं, तो मैं कर देता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुख्य बिन्दु आपने रख दिया है। आप कन्क्ल्युड करिए।

श्री थावरचन्द गेहलोत : आप आदेश दे रहे हैं, तो मैं समाप्त कर रहा हूं।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। सरकार को बधाई देना चाहता हूं, इस आशा के साथ कि इन वर्गों के ऊपर देश के विभिन्न राज्यों में जो कठिनाइयां व्याप्त हैं, उनको शीघ्रातिशीघ्र दूर करेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने इस विषय पर चर्चा करते हुए यह दर्शाने का प्रयास किया है कि अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु उन्होंने ही सब कुछ किया है। इतना ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए इस बात की अनदेखी की कि कांग्रेस ने उन लोगों के कल्याण के लिए वास्तव में क्या कुछ नहीं किया है। हम लोग ही थे जिन्होंने इसे अपना कर्त्तव्य समझकर वर्षों से इसके लिए प्रयास किया है। बल्कि कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि शुरू से ही यह कांग्रेस थी जिसके लिए यह एक आस्था का विषय था कि यदि भविष्य में, हम यह कहना चाहते हैं कि भारत को आजादी मिल गई है तो हम यह बात सिर्फ तभी कह पाएंगे, जैसा कि राष्ट्रपिता ने कहा था, जब हम निर्धनतम व्यक्ति की आंखों का आंसू पोंछ सके। यही जादूमंत्र था जिसे उन्होंने कांग्रेस तथा देश की जनता को दिया था। यदि तुम कभी असमंजस में पड़ जाओ, तुम्हारे कदम डगमगाने लगें तो अपने दिमाग में निर्धनतम व्यक्ति के चेहरे की छवि लाने की कोशिश करो और तत्पश्चात् अपने आप से प्रश्न पूछो कि जो कदम तुम उठाने जा रहे हो उससे उस निर्धनतम व्यक्ति को लाभ पहुंचेगा अथवा नहीं तथा यदि उत्तर 'हां' में हो तो तुम स्वतः सही दिशा में आगे बढ़ोगे।

महोदय, मैं इस बहस को दलगत राजनीति के वाद–विवाद में नहीं घसीटना चाहता। मैं अपने को सिर्फ दो या तीन साधारण मुद्दों तक सीमित रखूंगा तथा चाहूंगा कि माननीय मंत्री उनका उत्तर दें।

महोदय, मैं केवल अनुच्छेद 341 का बहुत संक्षेप में जिक्र करता हूं।

मुझे वस्तुतः इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। परन्तु अनुच्छेद 341 के तहत प्रदत्त यह शक्ति ही है जिसका उपयोग करके राष्ट्रपति समय–समय पर अनुसूचित जाति संबंधी विभिन्न संवैधानिक आदेशों को जारी करते हैं।

श्री रामजीलाल सुमन ने एक राज्य से दूसरे राज्य की सूचियों में अंतर की वजह से उत्पन्न होने वाली बहुत ही दयनीय स्थिति का जिक्र किया है। उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है जहां एक युवक जिसे सरकारी विभाग में नौकरी मिली थी उस नौकरी को हासिल करने से इसलिए वंचित रह गया क्योंकि जिस राज्य में उसे नौकरी मिली थी उस राज्य ने उसे प्रमाण–पत्र देने से मात्र इस वजह से मना कर दिया क्योंकि उसके पैतृक राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में उसकी जाति का जिक्र था परन्तु दूसरे राज्य की संबंधित सूची में इसका उल्लेख नहीं था। मैं सही में जिस बात का उल्लेख करना चाहता हूं वह और अधिक दयनीय है।

इसके लिए, में संक्षेप में संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ का उल्लेख करना चाहता हूं। वर्ष 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के समय संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951 को संशोधित किया गया। इस आदेश के पैरा–4 को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया गया–

"इस आदेश में, अनुसूची के भाग–I में केन्द्र शासित प्रदेश का मतलब उस केन्द्र शासित प्रदेश से है जिसे

पहली नवम्बर, 1956 से केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया है।"

हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है। दूसरा भाग है–

"अनुसूची के भाग–2 में संघ राज्य क्षेत्र का मतलब उस प्रदेश से है जिसे पहली नवम्बर, 1996 से संघ राज्य क्षेत्र के रूप में गठित किया गया है।"

महोदय, मैंने कल अपनी बात अलग संदर्भ में कही थी। मैं उसके लिए इस सरकार को दोषी नहीं ठहराता हूं। ऐसा यहां तक कि पहले भी किया गया था जब वहां कांग्रेस की सरकार थी। आज जो लोग विधि का प्रारूप तैयार कर रहे हैं, जो लोग संकल्पों का प्रारूप तैयार कर रहे हैं तथा जो इस देश के लिए आदेश जारी कर रहे हैं वे शायद इस देश को अनिश्चितता की ओर ले जा रहे हैं। उनका मानना है कि सही कानून का प्रारूप तभी तैयार किया जा सकता है जब भारी भड़कीले शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग किया जाए। इस संबंध में उन्होंने यहां कहा है कि "अनुसूची के भाग–2 में संघ राज्य क्षेत्र का मतलब उस प्रदेश से है जिसे पहली नवम्बर, 1996 से संघ राज्य क्षेत्र के रूप में गठित किया गया है।" इन सभी बातों का क्या मतलब है? मैं बताऊंगा कि इसका मतलब है। अब भाग–2 में सिर्फ चंडीगढ़ है। अनुसूची में किसी संघ राज्य क्षेत्र अथवा चंडीगढ़ के नाम का उल्लेख नहीं है। यह संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संविधान आदेश है। वास्तव में उन दो पंक्तियों का मतलब यथार्थ में कुछ भी नहीं है लेकिन उसका मतलब उन लोगों के लिए अत्यधिक हो जाता है जो अपने जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के अधिकार से वंचित रह गए हैं। अब इस आदेश की व्याख्या इतनी देर से क्यों की गई है? इस संबंध में, मैं यह कहूंगा कि भा.ज.पा. सरकार के सत्ता में आने के बाद ही उस आदेश की इस प्रकार से व्याख्या की गई है कि अनेक लोग अनुसूचित जाति के प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के अधिकार से वंचित हो गए हैं। वहां क्या कहा गया है? यह बात कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है। आप अनुच्छेद 341 से अनुमान नहीं लगा सकते हैं। आप इस आदेश से भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। परन्तु वे क्या कहते हैं? कोई व्यक्ति, यदि चंडीगढ़ की अनुसूचित जाति की सूची में उसकी जाति का नाम है, यदि वह 1 नवम्बर, 1966 के बाद चंडीगढ़ में आया है तो वह अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए अर्ह नहीं है। ऐसे कई मामले हैं। मैं यह कहूंगा कि यह व्यवस्था तर्कसंगत नहीं है। महोदय, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। यहां पर देश के अन्य हिस्सों से भी लोग आते हैं। चंडीगढ़ एक लघु भारत है। यह तो भारत की मिली–जुली संस्कृति का उदाहरण है। परन्तु निश्चित रूप से पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों से भारी संख्या में लोग चंडीगढ़ आ रहे हैं जो कि इन दोनों राज्यों की राजधानी है। मैं तो यह सब उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। यूं कहिए कि एक व्यक्ति है जो 'रामदासिया' है। यह शब्द वहां नहीं है। एक पल के लिए मैं 'रामदसिया' नहीं कहूंगा क्योंकि यह दूसरी गलती है जो इस सरकार ने की है। मैं इसका उल्लेख बाद में करूंगा। मेरा यह कहना है कि एक व्यक्ति जो 'रामदासी' के रूप में पंजीकृत है, यदि 'रामदासी' व्यक्ति आज पंजाब से चंडीगढ़ में आकर बस जाता है तो इस तथ्य के बावजूद कि चंडीगढ़ की सूची में 'रामदासी' जाति का उल्लेख है, उसे प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? यह समस्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब तक ऐसे लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा था जो सरकारी नौकरी में जाना चाहते थे। मुझे ऐसे मामलों की जानकारी है। लोग मेरे पास नियुक्ति पत्र लेकर आए थे। उन्हें अ.जा. के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।

एक मामले में एक युवा लड़के को वायुसेना में नौकरी मिली थी और उसे अ.जा. का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। उसके पिता के पास प्रमाण–पत्र था और उसके भाई के पास भी प्रमाण–पत्र था परन्तु उसे प्रमाण–पत्र देने से इनकार कर दिया गया। अतः, उसकी नौकरी हाथ से निकल गई। क्या आप इसी के बारे में बात कर रहे हैं? मुझे खेद है कि श्री रतन लाल कटारिया इस समय यहां मौजूद नहीं हैं। क्या आपकी सरकार लोगों के लिए इसी प्रकार कार्य कर रही है? ऐसी बात पहले कभी सुनने को नहीं मिली और ऐसा पहली बार हुआ है। जब हम प्रशासन को इसके बारे में लिखते हैं तो एक के ऊपर एक फाइलों का ढेर लग जाता है परन्तु इसका कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है। सभी प्रकार के अन्तिम स्पष्टीकरण दिए जाते हैं जो कि निर्धन लोगों के लाभार्थ नहीं होते हैं बल्कि ये उनकी परेशानी और निराशा ही बढ़ाते हैं। उन्हें नौकरी से बाहर रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है।

मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री से यह अनुरोध करना

[श्री पवन कुमार बंसल]

चाहूंगा। यदि वे मुझे बुलाना चाहते हैं तो मैं उनके पास सभी पत्र लेकर जा सकता हूं। मैं यह नहीं जानता वे यहां भी वैसा ही उत्कृष्ट कार्य करेंगे जैसा उन्होंने अपने पिछले मंत्रालय में किया था। अपने पिछले मंत्रालय में वे किसी विषय में अपने निर्णय पर अड़े रहे और उन्हें अन्य मंत्रालय में भेज दिया गया। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मैंने वहां उनका कार्य देखा है। मैंने वहां किए गए उनके कार्य की प्रशंसा की है और यहां भी मैं उनके कार्य की प्रशंसा करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि वे इस मंत्रालय में रहें और इसमें पाई जाने वाली कमियों और गड़बड़ियों में सुधार करें। मैं चाहता हूं कि वे इन सभी बातों का ध्यान रखने के लिए यहां रहें।

जैसा कि मैंने उदाहरण में बताया है कि इन लोगों को प्रमाण–पत्र देने से इनकार किया गया है। मैं यह नहीं जानता कि ये संविधान आदेश कब तैयार किए गए थे, संभवतः संविधान बनाने के तुरन्त बाद विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न आदेश और उनके लिए अलग–अलग अनुसूची और सूची बनाने का एक तर्क अथवा कारण और आधार रहा हो। परन्तु क्या आज पूरे देश के लिए एक संयुक्त सूची बनाने का सही समय नहीं आ गया है? मैं मानता हूं कि यह नितांत आवश्यक है। संविधान वे अनुच्छेद 19 के अधीन उपबंधों पर विचार कीजिए। देश के किसी भी हिस्से में जाकर बसना किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार है। क्या आप यह नहीं चाहते हैं कि कोई व्यक्ति पश्चिम बंगाल से चंडीगढ़ अथवा पंजाब में आकर वहां बस जाए? यदि वे वहां अनुसूचित जाति के हैं तो आप उन्हें यहां इस लाभ से वंचित क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि आप वास्तव में उनको अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए मौलिक अधिकार के रूप में उनके अधिकारों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम किन अधिकारों की बात कर रहे हैं कि हमने उन्हें सचमुच में दिए हैं? इस संदर्भ में मैं पहली दो बातों के बाद केवल एक बात कहना चाहूंगा।

वह बात यह है कि संविधान (अनुसूचित जातियों) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश में उल्लिखित तिथि का लोप किया जाए। इसका कोई मायने नहीं है। यदि दिल्ली–अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली–जो संघ शासित प्रदेश है, कुछ समय के लिए रहने वाला कोई भी व्यक्ति उसमें उल्लिखित किसी भी जाति का है तो उसे प्रमाण–पत्र मिलना चाहिए, चाहे उसके दिल्ली में आने की तिथि जो भी हो। इसी प्रकार चंडीगढ़ और दमन और दीव के मामले में भी किया जाए। अतः तिथि के बारे में प्रतिबंध जो दिल्ली के मामले में नवम्बर 1956, चंडीगढ़ के मामले में नवम्बर, 1966, और दमन और दीव के मामले यह संभवतः 1987 है–का कोई मायने नहीं हैं। अनुसूची में उल्लिखित जाति के किसी भी व्यक्ति को प्रमाण–पत्र प्राप्त होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे अब पूरे देश के लिए संयुक्त सूची बनाने हेतु कदम उठाएं।

माननीय मंत्री ने अपनी आरम्भिक टिप्पणी में कल यह उल्लेख किया था कि यह संविधान अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) विधेयक ऐसे एक अन्य संशोधन विधेयक जिसे 2002 में लाया गया था, के बाद आया है परन्तु इसके बाद इसे तत्काल पारित कर दिया गया था क्योंकि विशेषकर पंजाब में 'रामदासी' और 'रामदासिया' को लेकर अत्यधिक अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यह व्याख्या की गई थी कि रामदासी, रामदासिया से अलग है। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए एक विधेयक लाया गया और इस विधान का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् पुनः संभवतः सरकार की प्रतिक्रिया व्यापक नहीं थी। यह प्रतिक्रिया बहुत सीमित थी। वे यह नहीं जानते थे कि यदि वे पंजाब के लिए ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें चंडीगढ़ के लिए भी ऐसा ही करना पड़ेगा। यह बात इस सरकार के ध्यान में नहीं आई। मैंने सरकारी विधेयक के पेश किए जाने से पहले, एक पंजाब के लिए और दूसरा चंडीगढ़ के लिए दो संशोधन विधेयक पुरःस्थापित किए थे। अब पंजाब से संबंधित विधेयक पर ध्यान दिया गया है। रामदासी, रामदासिया और रामदासिया सिक्ख को रविदारी, रविदारिया और रविदासी सिक्ख के साथ शामिल कर दिया गया है। जबकि दूसरे की जरूरत नहीं थी क्योंकि यदि सिक्ख अनुसूचित जाति का है तो उसे अनुसूचित जाति का माना जाएगा। परन्तु, किसी मामले में यदि आपने इन्हें शामिल किया है, तो सचमुच में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि, आपने चंडीगढ़ में यही कार्य नहीं किया है। क्या आपके ध्यान में यह बात किसी ने नहीं लाई है कि यह चंडीगढ़ के लिए अपेक्षित है? क्या कोई भी आपके ध्यान में गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयक को नहीं लाया जिसे मैंने पुरःस्थापित किया है? आप इसे वहां से ले सकते थे। कृपया अभी भी यह कार्य कीजिए; अन्यथा ऐसी विसंगतिपूर्ण स्थिति से कई लोगों, जो चुनाव लड़ना चाहते हों, जो नौकरी के इच्छुक हैं अथवा अन्यत्र कार्य करना चाहते हैं, का भविष्य

अंधकार में चला जाएगा। यदि आप वास्तव में निर्धन लोगों को लाभ देना चाहते हों तो ऐसी विसंगतियों को तत्काल दूर किया जाए।

महोदय, मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं इससे पहले नौकरी ढूंढ़ने वाले लोगों का उल्लेख कर रहा था। इससे पहले चंडीगढ़ में यही घटना हुई है। ऐसे छात्रों, जिनके माता–पिता 36 वर्षों अर्थात् 1966 से चंडीगढ़ में रहे हैं। और अब नई पीढ़ी के लोग आ गए हैं, को अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र प्राप्त न करने के अधिकार से वंचित किया गया है। उन्हें केवल प्रमाण–पत्रों से वंचित नहीं किया गया है अपितु उन्हें विद्यालयों में प्रवेश के अवसर से भी वंचित कर दिया गया है। अतः, कृपया इस कारक की जांच कीजिए कि प्रमाण–पत्र, जिसे प्रशासन जारी नहीं कर रहा है, न होने के कारण उन्हें विद्यालयों में प्रवेश नहीं मिल रहा है। यह कहा जा रहा है कि आप इन लोगों की स्थिति को सुधारने हेतु माहौल उपलब्ध कराते हैं ताकि वे अपने–आपको शिक्षित कर सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें परन्तु सरकारी विद्यालयों में भी उन्हें प्रवेश नहीं मिल रहा है क्योंकि आप उन्हें प्रमाण–पत्र नहीं दे रहे हैं। अतः, अब ऐसी स्थिति बन गई है।

महोदय, मैं अपनी बात को दलगत राजनीति में बिना उलझे, जैसा कि मैंने कहा है, इस बहस तक ही सीमित रखना चाहूंगा। यह एक ऐसा मामला है जो हम सबकी चिंता का विषय है। यह समाज के कमजोर वर्ग, जिसके कल्याण के लिए हम सभी तत्पर हैं, के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम सचमुच में वही चाहते हैं जो हम कहते हैं, यदि हम यह चाहते हैं कि हमारी कथनी और करनी में अंतर न रहे, तो कृपया उनके लिए कुछ कीजिए।

महोदय इन्हीं शब्दों के साथ में निश्चित रूप से इस वर्तमान विधेयक का स्वागत करता हूं परन्तु माननीय मंत्री से यह आग्रह करता हूं कि वे इस मामले में तेजी से आगे बढ़ें और सिर्फ यह कहकर अपने आपको संतुष्ट न कर लें कि उनके समक्ष भारी संख्या में अर्थात् 364 सिफारिशें लम्बित हैं और सरकार समय–समय पर कार्यवाही कर रही है। अब तत्काल कार्यवाही करने का समय आ गया है।

[हिन्दी]

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल (बुलढाना) : सभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अपने भाषण के शुरू में माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समिति का सदस्य होने के नाते, दो यूनियन का प्रेजीडेंट होने के बाद माननीय मंत्री जी कॉस्ट, सब–कॉस्ट का अनुभव ले रहे हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग जो प्राब्लम फेस कर रहे हैं, उन सारी प्राब्लम्स को इकट्ठा करके हमारे मंत्री महोदय यह बिल लाए हैं। माननीय मंत्री जी की खासियत यह है कि जो भी पोर्टफोलियो इनके पास रहा है, उसमें जो पैंडिंग इश्यूज होते हैं, उन्हें हाउस में लाते हैं और डिसीजन देते हैं। जब लेबर मिनिस्टर थे, तब उसका अनुभव लिया। इसलिए मैं एक बार फिर से उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति जी, माननीय सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया कि अगर कॉस्ट सर्टिफिकेट लेना है, हमारे पिताजी, फिर उसके पिताजी यानी दादाजी जब कभी स्कूल गए नहीं तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट न होने के कारण बहुत प्राब्लम आती है। मेरा भी ऐसा अनुभव है कि गौंड और ग्वारी कॉस्ट के लिए भी यही बात है कि एक रिकार्ड के सामने गौंड लिखा हुआ है और एक रिकार्ड पर ग्वारी लिखा है...

सभापति महोदय : आप अगली तिथि पर अपना भाषण जारी रखिएगा। अब हम प्राइवेट मैम्बर्स बिल लेते हैं।

[अनुवाद]

अपराह्न 3.30 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के पच्चीसवें और छब्बीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

श्री डेन्जिल बी. एटकिन्सन (नामनिर्दिष्ट) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा 15 मई और 17 जुलाई, 2000 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के क्रमशः पच्चीसवें और छब्बीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 15 मई और 17 जुलाई, 2000 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के क्रमशः पच्चीसवें और छब्बीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.31 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक– पुरःस्थापित

(एक) देशी लौह और इस्पात उद्योग संवर्धन विधेयक*

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आर्थिक नीति के उदारीकरण और उसके अंतर्गत व्यापार नीतियों में किए गए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए उद्योगों में देशी लौह और इस्पात के उपयोग तथा विकास का संवर्धन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आर्थिक नीति के उदारीकरण और उसके अंतर्गत व्यापार नीतियों में किए गए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए उद्योगों में देशी लौह और इस्पात के उपयोग तथा विकास का संवर्धन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुनील खां : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 19.7.2002 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.32 बजे

[अनुवाद]

(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक* (अनुच्छेद 275 का संशोधन)

श्री एस. मुरुगेसन (तेनकासी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस. मुरुगेसन : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

अपराह्न 3.33 बजे

[अनुवाद]

(तीन) काम का अधिकार विधेयक**

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि काम का अधिकार और किसी नागरिक को समुचित काम दिए जाने तक भत्ता, काम का अधिकार निधि की स्थापना, काम का अधिकार बीमा का सृजन और तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि काम का अधिकार और किसी नागरिक को समुचित काम दिए जाने तक भत्ता, काम का अधिकार निधि की स्थापना, काम का अधिकार बीमा का सृजन और तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

**भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 19.7.2002 में प्रकाशित।

वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

अपराह्न 3.34 बजे

[अनुवाद]

(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 243ग का संशोधन)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.35 बजे

[अनुवाद]

(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(नए अनुच्छेद 21क का अंतःस्थापन)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

अपराह्न 3.36 बजे

[हिन्दी]

अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) निवारण विधेयक

(एक) वाद-विवाद स्थगित किए जाने के बारे में प्रस्ताव

सभापति महोदय : डा. सरोजा ने चेयर से रिक्वैस्ट किया है कि उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई इसलिए उनके बिल को दूसरे दिन लिया जाए। अगर सदन सहमत है तो यह बिल हम दूसरे दिन ले लें।

अनेक माननीय सदस्य : हां, हां।

[अनुवाद]

श्री एस. मुरुगेसन (तेनकासी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि डा. वी. सरोजा का अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) निवारण विधेयक, 2000 पर वाद–विवाद को गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए आवंटित अगले दिन के लिए स्थगित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि डा. वी. सरोजा का अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) निवारण विधेयक, 2000 पर वाद–विवाद को गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए आवंटित अगले दिन के लिए स्थगित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

**भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 19.7.2002 में प्रकाशित।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

(दो) नियम 30 और नियम 29 के परन्तुक का निलम्बन किए जाने के बारे में प्रस्ताव

श्री एस. मुरूगेसन (तेनकासी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि डा. वी. सरोजा का अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) निवारण विधेयक, 2000 पर वाद–विवाद जिसे गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए आवंटित अगले दिन के लिए स्थगित किया है, पर लोक सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम 30 के उप–नियम (1) के उपबंध और नियम 29 के परन्तुक के लागू किए जाने को स्थगित किया जाए जिससे कि इस विधेयक को कार्यसूची में बिना बैलेट किए हुए ही प्रथम मद के रूप में रखा जा सके।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि डा. वी. सरोजा का अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) निवारण विधेयक, 2000 पर वाद–विवाद जिसे गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए आवंटित अगले दिन के लिए स्थगित किया है, पर लोक सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम 30 के उप–नियम (1) के उपबंध और नियम 29 के परन्तुक के लागू किए जाने को स्थगित किया जाए जिससे कि इस विधेयक को कार्यसूची में बिना बैलेट किए हुए ही प्रथम मद के रूप मे रखा जा सके।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.40 बजे

[हिन्दी]

संविधान (संशोधन) विधेयक–विचाराधीन (अनुच्छेद 44, आदि का लोप)

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय, आज जिस विषय पर संविधान संशोधन करने के लिए मैंने निजी विधेयक प्रस्तुत किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह देश की एकता, एकात्मता और अखंडता से जुड़ा हुआ एक ऐसा विषय है जो पिछले 50 वर्षों से इस देश की प्रत्येक सरकार से संविधान में संशोधन करके देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने की अपेक्षा करता रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं।

महोदय, देश के सभी नागरिक इस बात को जानते हैं कि इस देश का बंटवारा किस आधार पर हुआ। अगर हम अपने देश के पुराने इतिहास को देखें तो विदित होगा कि किसी भी सभ्य समाज में यह आवश्यक है कि यदि देश की व्यवस्था को अनन्त समय तक बनाए रखना है, तो हमें इतिहास से कुछ सबक सीखना चाहिए। लेकिन यह दुर्भाग्य हम सबके साथ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि हम लोगों ने इतिहास को अनदेखा किया है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि किस आधार पर देश का बंटवारा हुआ और उस बंटवारे को स्वीकार करने के बाद जो भारत बचा हुआ है उसमें देश के संविधान की उन मूल भावनाओं का आदर आज तक किसी सरकार ने नहीं किया जबकि देश के संविधान की धारा 44 बार–बार इस बात का आह्वान करती है कि भारत देश के विभिन्न राज्यों के लिए समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

महोदय, किसी भी देश के लिए आवश्यक है कि जिस प्रकार उसका एक झंडा होना चाहिए, उसी प्रकार देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने, विभिन्न समुदायो में परस्पर सौहार्द का माहौल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहित बनाई जाए और इसी अपेक्षा के साथ मैंने संविधान में संशोधन करने का अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसके बहुत से कारण हैं। पहला कारण यह है कि यदि देश के बंटवारे के आधार को देखा जाए, तो क्या यह सत्य नहीं है कि द्विराष्ट्रवाद को बनाए रखने का प्रयास हो रहा है, देश में 1947 से पहले जैसा किया गया, और हर व्यक्ति जानता है कि देश के बंटवारे के बाद भी, उस अंग को काटकर अलग करने के बाद भी, वहां चाहे कोई भी व्यवस्था रही हो, लेकिन भारत ने कभी भी उसको मान्यता नहीं दी। द्विराष्ट्रवाद और त्रिराष्ट्रवाद को मान्यता नहीं दी। जनहित में यह आवश्यक क्यों नहीं है कि हम देश के प्रत्येक नागरिक

के लिए समान नागरिक संहिता बनाकर देश की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करें।

महोदय, हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या हमें किधर ले जा रही है–आज प्रत्येक का इससे चिन्तित होना स्वाभाविक है। हमारे देश में लोकतंत्रीय व्यवस्था है और लोकतंत्र में जनसंख्या का महत्व है। देश के विभिन्न समुदायों में शादी–विवाह के अलग–अलग कानून होंगे, तो क्या यह ठीक लगता है कि किसी समुदाय के लोग एक शादी करें और किसी समुदाय के लोगों को चार–चार शादी करने की छूट दी जाए और इस प्रकार से जनसंख्या असंतुलन पैदा किया जाए। यदि ऐसा होगा तो यह देश को कहां ले जाएगा, इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

महोदय, हर व्यक्ति जानता है कि देश की जनसंख्या 2.1 प्रतिशत के अनुपात से प्रति वर्ष बढ़ रही है। प्रति वर्ष देश में 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा मेहमान आ जाते हैं। हमारा देश प्रति वर्ष एक नया आस्ट्रेलिया पैदा कर रहा है। अगर समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाए, तो कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में उसका असर देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाने हेतु हो सकता है। इसके अलावा पिछले दो दशकों से एक महत्वपूर्ण मुद्दा देश के जनमानस को उद्वेलित किए हुए है। वह मुद्दा राम जन्म भूमि का था। राज जन्म भूमि के मुद्दे को लेकर देश के बहुसंख्यक समाज ने अपनी भावनाओं का सम्मान करने की अपेक्षा केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकारों से की थी लेकिन उस मुद्दे को आपस में बातचीत करके सुलझाने की बात चलती रही। उस समय तमाम लोगों ने यह बात कही कि इस पर न्यायालय जो भी फैसला करेगा, उसे हम मानेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। इसमें कौन सी गारंटी है कि जो लोग एक तरफ राम जन्म भूमि के मामले में न्यायालय की दुहाई देते हैं, वही लोग दूसरी तरफ शाहबानो के प्रकरण में न्यायालय के फैसले को उलट देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं, तीन–तीन बार देश के व्यापक हित में, देश की एकता, एकात्मता और अखंडता के हित में, देश में एक समान नागरिक संहिता की अपेक्षा केन्द्र सरकार से की लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने इस संबंध में कोई पहल नहीं की।

मेरा कहना है कि ये स्थितियां हमें कहां ले जाने का प्रयास कर रही हैं, आज निश्चित ही यह प्रश्न हम सबके सामने है। देश के व्यापक हित में इस पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि जिस समान नागरिक संहिता की अपेक्षा माननीय न्यायालय ने की है, उसमें तमाम पक्ष सामने आए हैं। पिछले 15 वर्षों में तीन–तीन बार देश के सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार से अपेक्षा की थी कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू की जाए लेकिन इस मामले में अभी तक कोई भी इस प्रकार का प्रयास नहीं हो पाया जिसके बारे में कहा जाए कि ईमानदारी से प्रयास किया गया और संविधान की मूल भावनाओं का आदर किया गया।

मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले 1985 में शाहबानो का मामला आया था। तत्कालीन सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश को कुछ कट्टरपंथियों के दबाव में आकर बदल दिया। उस समय एक कानून बनाकर, मुस्लिम महिला कानून बनाकर उस महत्वपूर्ण मुद्दे की अनदेखी करने का प्रयास किया था। उसी वर्ष एक और मामला आया था। उसमें जाडर्न डेन डेक बनाम एस. एस. चोपड़ा के मुकदमे में यही बात सामने आई थी। उसके बाद 1995 में सुप्रीम कोर्ट का वह मामला भी सामने आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ याचिकाओं पर सुनवाई के बाद, जिन्हें एक स्वयंसेवी संस्था 'कल्याणी' की ओर से अपील दायर की गई थी, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लाए गए थे, जो विभिन्न प्रकार के थे। एक था कि यह किसी समाज या देश के हित में होगा कि एक वर्ग को कानून बनाकर एक से अधिक शादी करने पर रोक लगा दी गई और दूसरे वर्ग विशेष को चार–चार शादियां करने की छूट देकर समाज में अन्य लोगों को भी धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार का प्रकरण 1995 में सामने आया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस समय यह फैसला दिया था और उस समय की सरकार से अपेक्षा की थी कि वह देश के हित में एक समान नागरिक संहिता बनाए।

आज हम उसी महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर इस माननीय सदन में आए हैं। निश्चित ही हर व्यक्ति जानता है कि विवाह एक सभ्य समाज का आधार है। समाज ही नहीं, समाज से छोटी इकाई परिवार का भी आधार है, उसकी नींव है, सभ्य विवाह की परम्परा है, सभ्य समाज की नींव है, उसमें किसी प्रकार की कोई आपस में विषमता न हो। समाज में सौहार्द का माहौल हो। विभिन्न सम्प्रदायों में आपस में सौहार्द का माहौल पैदा हो, इसके लिए आवश्यक है कि सभ्य देश

[श्री योगी आदित्यनाथ]

के जितने भी सम्प्रदाय हैं, उन सभी सम्प्रदायों में देश की व्यवस्था को चलाने के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाई जाए। इसी अपेक्षा के साथ आज हम यहां आए हैं कि संविधान की उस मूल भावना को जो संविधान की धारा 44 में है और जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को यहां तक कहना पड़ा कि सरकार की बार–बार की उपेक्षा के कारण यह धारा लगभग मृतप्राय हो गई है। ऐसी स्थिति क्यों हो गई है जबकि समान नागरिक संहिता देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए मददगार हो सकती थी। आज आवश्यक है कि हम संविधान की सम्पूर्ण बदली हुई भावना को समझने का प्रयास करें जिसके तहत इस प्रकार की भावनाएं हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि केवल भारत में ही इस प्रकार की व्यवस्था की बात नहीं की जा रही है बल्कि विश्व के तमाम देशों में ऐसी स्थितियां सामने आई हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस बारे में अगर आप देखें तो आज विश्व के तमाम ऐसे देश हैं जहां देश की एकता और अखंडता के लिए, उस देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था दी गई है जिससे वह देश एकता और अखंडता के मजबूत सूत्र में बंध सके। आज तमाम ऐसे इस्लामिक देश भी हैं, चाहे इराक, सीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, टर्की, सऊदी अरब, यमन या पाकिस्तान हों, जहां पर्सनल लॉ में बदलाव करके बहु–विवाह का खंडन किया गया है, उस पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं और कानूनी रूप से रोक लगाई गई है, फिर भारत में अगर सर्वोच्च न्यायालय सरकार से इस प्रकार की अपेक्षा करता है तो उसके लिए अनावश्यक बवंडर क्यों खड़ा कर दिया जाता है। देश की एकता और अखंडता से महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। देश के व्यापक हित में इस प्रकार की स्थिति से हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन और पारसियों ने अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को तिलांजलि दी है, उसका परित्याग किया है, फिर अन्य सम्प्रदायों से इस बात की अपेक्षा क्यों नहीं की जा सकती। देश का संविधान इस बात की अपेक्षा करता है क्योंकि देश की एकता और अखंडता उसमें रची–बसी है। आज देश ने उन तमाम बुराइयों पर रोक लगाई है चाहे सती प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे मानव–बलि हो, चाहे तमाम वे कुप्रथाएं हों जो समाज के लिए एक कलंक थीं। मैं समझता हूं कि थोड़े–बहुत विरोध के बाद समाज ने उसे स्वीकार किया है। समाज ने विधवा विवाह की मान्यता को स्वीकार किया है तो आज हम ऐसी स्थितियां क्यों नहीं पैदा करें जिससे देश की एकता को मजबूती प्रदान की जा सके।

हर व्यक्ति जानता है कि द्वि–पति या द्वि–पत्नी विवाह को ईसाइयों के 1872 के 15वें अधिनियम द्वारा, पारसियों के 1936 के तीसरे अधिनियम द्वारा और हिन्दुओं के 1955 के 25वें अधिनियम द्वारा अपराध बनाया जा चुका है, फिर यह स्थिति पूरे देश के लिए क्यों नहीं लागू हो सकती। यह दोहरी व्यवस्था कब तक चल सकती है। एक तरफ जब देश की एकता और अखंडता की बात आती है, देश के प्रत्येक नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता बनाने की बात आती है, उस समय कुछ कट्टरपंथी, कुछ मुस्लिम संगठन खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि इससे इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, वे उस समय शरीयत की दुहाई देते हैं। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो क्या उस पर शरीयत का कानून लागू होगा, अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति बलात्कार करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर शरीयत का कानून लागू होगा? शरीयत कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके हाथ–पैर काट दिए जाएं, अगर शरीयत कानून के तहत कोई व्यक्ति बलात्कार करते हुए पकड़ा जाता है तो चौराहे पर ले जाकर पत्थरों से मारकर उसकी हत्या कर दी जाए। अगर उस दिशा में उस पर समान नागरिक संहिता की अन्य धाराएं लागू होती हैं तो समान नागरिक संहिता के मामले में भी पूरे देश के लिए जो कानून लागू है, देश के उन सम्प्रदायों में, जो अपने पर्सनल लॉ की बात इसमें करते हैं, उन पर यह कानून क्यों न लागू हो, आज इस बात पर विचार करना आवश्यक हो गया है। इसलिए मैं सदन में बैठे हुए सब माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि निश्चित ही आज इतने वर्षों के बाद भी हम संविधान की उन मूल भावनाओं का सम्मान नहीं कर पाए। हम हर व्यक्ति को केवल वोट बैंक तक सीमित रख रहे हैं। क्या हमारे लिए वोट बैंक की राजनीति देश की एकता और अखंडता से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। क्या हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ इतने प्रबल हो गए हैं कि हमें समाज के व्यापक हित, देश के व्यापक हित नजर नहीं आ रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सब बातों पर विचार हो और इस पर निश्चित ही चर्चा हो।

आज आवश्यकता देश की एकता और अखंडता की है, इसे ध्यान में रखकर देश के विभिन्न सम्प्रदायों में आपस में सौहार्द का माहौल बनाए रखने के लिए हम संविधान की

उस मूल भावना का सम्मान करें, जिसके तहत संविधान ने यह अपेक्षा की है कि राज्य प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाए। संविधान की धारा 14 भी यही कहती है और कानून की दृष्टि से देश के किसी भी नागरिक के साथ किसी प्रकार के भेदभाव की बात नहीं उठती। कानून की दृष्टि से किसी प्रकार का कोई भेदभाव किसी के साथ न हो, संविधान की धारा 14 का सम्मान भी हो, यह आवश्यक है कि हम संविधान की धारा 14 को पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में एक समान नागरिक संहिता बनाकर संविधान की मूल भावना का सम्मान करते हुए देश की एकता और अखंडता की रक्षा करें। देश में जो सौहार्द का माहौल बनना चाहिए, उस माहौल को बनाने में हम लोग सहयोगी बनें।

मैं सदन से और माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा करूंगा और अनुरोध भी करूंगा कि इस पर सम्यक रूप से विचार किया जाए। हमारे व्यक्तिगत स्वार्थों से महत्वपूर्ण किसी एक सम्प्रदाय के व्यक्तिगत हितों से महत्वपूर्ण देश और समाज का हित है। अगर यह देश रहेगा, देश की एकता और अखंडता सुरक्षित रहेगी तो निश्चित ही हम अपने स्वार्थों की बात उसके अन्दर कर सकते हैं। लेकिन जब देश और समाज के ऊपर ही संकट के बादल गहराते जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं तो उस स्थिति में आवश्यक है कि हम लोग देश की एकता और अखंडता के लिए जो विभिन्न सम्प्रदायों के अपने पर्सनल लॉ हैं, उनको बदलकर आज की व्यवस्था के अनुसार, देश की आवश्यकता के अनुसार, समाज की आवश्यकता के अनुसार, उसमें तब्दीली करें। उस व्यवस्था को बदलें और उसके अनुसार हम देश के सम्पूर्ण नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता देश के व्यापक हित में, समाज के व्यापक हित में बनाएं। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि इसमें दोनों चीजें हैं, एक महिला के प्रति, जिसको मातृ शक्ति के रूप में हमारे यहां पूजा गया है, उसको सम्मान दिया गया है। हमारे यहां मातृ शक्ति को इतना सम्मान दिया गया है कि अगर ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी के रूप में देखें तो मां सरस्वती की हम पूजा करते हैं। अगर हम शक्ति की अधिष्ठात्री देवी के रूप में किसी की पूजा करते हैं तो मां दुर्गा की पूजा करते है। और अगर हम धन और ऐश्वर्य की देवी के रूप में किसी की पूजा करते हैं तो मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं–यानी हर दृष्टि से मातृ शक्ति की पूजा हमने की है। देश के लिए भी जब आवश्यकता पड़ी तो भारत देश को भी जब एक स्वरूप देना पड़ा तो भारत माता के स्वरूप में हमने उसकी पूजा की है। उस मातृ शक्ति को यदि एक सम्प्रदाय विशेष के अन्दर, जब मर्जी आए उपभोग करके, मात्र उपभोग की वस्तु समझकर तलाक–तलाक–तलाक कहकर छोड़ दिया और उसके बाद वह दर–दर की ठोकरें खाए, इस प्रकार की स्थिति किसी भी सभ्य समाज के लिए शोभा नहीं देती।

अपराह्न 3.59 बजे

(डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*)

सभ्य समाज के लिए यह आवश्यक है कि हम इस प्रकार की स्थितियों को बदलें। हमने हमेशा हिन्दू परम्परा में मातृ शक्ति को बड़ा सम्मान दिया है। हमारे यहां 16 संस्कारों में से एक संस्कार विवाह को माना गया है। उस विवाह को समाज की नींव और परिवार की नींव माना गया है। वह नींव समाज के लिए, राष्ट्र के लिए मजबूती प्रदान कर सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक सम्प्रदाय में आपस में सौहार्द का माहौल पैदा हो। आपस में सौहार्द का माहौल राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान कर सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि देश के व्यापक हित में हम इस पर चिन्तन करें, मनन करें और संविधान में आवश्यक संशोधन करके देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता यहां पर लागू करें।

अपराह्न 4.00 बजे

इसके लिए मैं अपना यह निजी विधेयक प्रस्तुत करता हूं, इस अपेक्षा के साथ कि इससे निश्चित ही एक समान नागरिक संहिता के माध्यम से हम समाज को मजबूत नींव प्रदान कर सकेंगे। मैं प्रत्येक सदस्य से अपेक्षा करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में रचनात्मक सहयोग दें। वर्तमान में जो कानून समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, मातृ शक्ति को कमजोर और असहाय करने का काम कर रहे हैं उसके लिए न्याय और मानवीय तथा पारिवारिक मूल्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक समान नागरिक कानून देश के प्रत्येक नागरिक को दें। मैं यह अपेक्षा प्रत्येक माननीय सदस्य से करूंगा कि वे इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करें और अपना मत देकर संविधान में इस महत्वपूर्ण संशोधन वाले विधेयक को पारित करने में सहयोग दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को यहीं समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : सभापति महोदय, मैं गत कई बार से इस बहस में भाग लेने के अवसर की प्रतीक्षा में था और आज मुझे खुशी है कि मेरे साथी और मित्र ने यह विधेयक प्रस्तुत किया तथा उस पर होने वाली चर्चा में भाग लिया और मुझे इस पर होने वाली चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मुझे यह स्पष्ट करने का अवसर दिया कि मैं इस विधेयक का विरोध क्यों कर रहा हूं।

महोदय, सभ्यता के आरंभ से ही यह भारत भूमि 'अनेकता में एकता' के लिए जानी जाती रही है। माननीय संसद सदस्य ने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों, विशेषकर अनुच्छेद 44 की सुरक्षा लेने का प्रयास किया है।

अनुच्छेद 44 में लिखा है :

"राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहित प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।"

इसमें कहा गया है कि राज्य 'प्रयास' करेगा। जबकि संविधान सभा इसमें विभिन्न प्रावधानों को जोड़े जाने पर बहस कर रही थी तो उस समय डा. राजेन्द्र प्रसाद, बाबा साहेब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य प्रख्यात विशेषज्ञों ने यह अनुमान लगा लिया था कि भारत जैसे विशाल देश में अपनी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने, सामाजिक बाध्यताओं और राजनैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हमें समय–समय पर अपने संविधान में ऐसे प्रावधान करने पड़ सकते हैं जो परीक्षण किए जाने के पश्चात् ही देश में बाध्यकारी रूप से कार्यान्वित किए जाएंगे और उन्हें राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहा जाता है।

'राज्य प्रयास करेगा' इसमें प्रयास का अर्थ है ऐसी परिस्थिति पैदा करना। यदि हम संविधान सभा की वाद–विवाद की कार्यवाही का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि 'प्रयास' शब्द का अर्थ 'ऐसा किया ही जाना चाहिए' नहीं है। इसका अर्थ है कि 'प्रयास किए जाने चाहिए और यदि असफलता मिलती है तो इन्हें कार्यान्वित नहीं करना चाहिए।'

अब मैं संविधान का अनुच्छेद 49 भी पढ़ना चाहूंगा। अनुच्छेद 44 में लिखा है 'राज्यों को प्रयास करना चाहिए'। अनुच्छेद 49 में लिखा है :

"संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का, यथास्थिति, लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्ययन या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी।"

यदि मैं यह स्वीकार करता हूं कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में उसी स्थान विशेष में हुआ था और बाबर के शासन काल में वहां एक मस्जिद बनाई गई तो वह स्थान भगवान राम का पवित्र स्थल है। यदि मैं यह स्वीकार करता हूं कि वह भगवान राम का जन्म–स्थल नहीं था और वह बाबर द्वारा निर्मित एक मस्जिद थी तो उसे ध्वस्त करना, खराब करना, उसका अपमान करना, क्या यह संविधान के अनुच्छेद 49 के अनुरूप है? यदि एक हिन्दू होने के नाते मैं यह स्वीकार करता हूं कि वह भगवान राम का जन्म–स्थल था और वह एक मंदिर था तो मैंने एक 'मंदिर' नष्ट किया है। यदि वह स्थान मुसलमानों का पूजा–स्थल था तो मैंने एक मस्जिद नष्ट की है। एक ओर अनुच्छेद 44 का बहाना लेते हुए आप कहते हैं कि यह बाध्यता नहीं है प्रयास है और दूसरी ओर आप अनुच्छेद 49 की उपेक्षा कर रहे हैं जिसमें कहा गया है कि यह राज्य की बाध्यता है। मैं राजनीतिक आधार पर यह नहीं पूछ रहा हूं।

महोदय, हमारा देश बड़ा विशाल है। हिन्दू धर्म से आरंभ करते हैं। मैं हिन्दू धर्म का पंडित नहीं हूं। मेरे प्रिय साथी इसमें निष्णात हैं। मैं नहीं जानता कि हिन्दू धर्म के कितने पंथों का इन्होंने अध्ययन किया है। कदाचित उन्हें सभी वेदों को पढ़ने का समय मिला हो। आज तक, विश्व में कोई भी यह दावा नहीं कर सका है कि उसको सभी वेदों का ज्ञान है या वह उपनिषदों के बारे में सभी कुछ जानते हैं। हम बहुत छोटे लोग हैं, हम इसके बारे में नहीं जानते। भगवान दशरथ की तीन पत्नियां थीं–कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीन महान माताएं–जिन्होंने चार महान पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को जन्म दिया। यह सत्य है कि आधुनिक भारत यह महसूस करता है कि किसी को भी एक बार से अधिक विवाह नहीं करना चाहिए। यह एक सत्य

है। यह भी सत्य है कि हिन्दू समाज, एक बहुत रूढ़िवादी, दकियानूसी और पिछड़ा समाज था जिस पर ब्राह्मणों के एक वर्ग का प्रभुत्व था जो कई बार मृत्युशैया पर पड़े एक वृद्ध व्यक्ति से शीघ्र विवाह करने का निदेश देते थे। बंगाल में यह होता था क्योंकि ऐसा विश्वास था कि यदि एक ऐसे व्यक्ति से किसी कन्या का विवाह किया जाता है तो उस कन्या पर भगवान की कृपा होगी। ऐसी दकियानूसी विचारधारा ने ही विद्यासागर जी को बंगाल में क्रांति लाने हेतु बाध्य किया। उन्होंने कहा कि वे ऐसी चीजें सहन नहीं कर सकते और इसे रोकने हेतु उन्होंने विधवा विवाह आरंभ किया। क्या आप मुझे हिन्दू धर्म में विधवा विवाह से संबंधित कोई ऐसा उदाहरण दिखा सकते हैं? विद्यासागर जी ने समाज को सही रास्ते पर लाने की आवश्यकता महसूस की। क्या विद्यासागर जी हिन्दू नहीं थे? वह एक पंडित थे, संस्कृत के महान विद्वान थे। कलकत्ता के एक संस्कृत महाविद्यालय में वह एक अध्यापक थे। मेरे विचार से आप उनकी भूमिका को नहीं नकार सकते...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : युद्ध के पश्चात मंदोदरी ने भी विभीषण से विवाह कर लिया था। वह एक ब्राह्मण था...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : जब आप हिन्दू धर्म की बात करते हैं तो आप यह सोचते हैं कि हिन्दू धर्म केवल मंदिर, मस्जिद या अयोध्या से आरंभ होता है। यहां ऐसा कुछ है जो मस्जिद, मंदिर, अयोध्या या 6 दिसंबर की घटना से भी पुराना है। हमें उसे जानना चाहिए। मेरे पास समय नहीं है वरना मुझे इस चर्चा में भाग लेकर प्रसन्नता होती।

अब हिन्दू विवाह क्या है? हमारे पास हिन्दू विवाह अधिनियम है जिसमें विवाह–विच्छेद करने के बारे में बताया गया है परन्तु धर्म कहता है कि हम विवाह–विच्छेद नहीं कर सकते। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि विवाह के समय हम कौन से मंत्रों का उच्चारण करते हैं? आप एक महान संत हैं, आपको यह पता होना चाहिए।

[हिन्दी]

जन्मः जन्मः साथ। जन्म–जन्म का साथ ही नहीं, बल्कि अगले जन्म में भी तुम्हारे साथ रहेंगे।

योगी आदित्यनाथ : यही तो हम करते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आपके विचार से संघर्ष नहीं कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जानकारी नहीं है और जानना कोई गलती नहीं है। हमारे धर्म में जब शादी करते हैं, तो अग्नि को साक्षी मानकर शादी करते हैं।

[अनुवाद]

और एक दिन सुबह–सुबह परिवार में से कोई कहता है : "तुम्हारी पत्नी बच्चा पैदा नहीं कर रही है, वह बेकार है। जब से यह हमारे घर में आई है बहुत सी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। अतः किसी बहाने से इसे तलाक दे दो।" तब मैं भगवत गीता नहीं देखता या वेदों या उपनिषदों का उच्चारण नहीं करने लगता अपितु अधिवक्ता के पास जाता हूं और संसद द्वारा पारित किया गया हिन्दू कानून कहता है : "हां, तुम तलाक ले सकते हो।" धर्म के जिन मूल आधारों के अनुसार मैंने विवाह किया था और वह कानून दोनों परस्पर विरोधी हैं। हम कहां जाएंगे? हमें धर्म को स्वीकार करना चाहिए या कानून को? कानून और धर्म के बारे में पंडित जी ने जो कहा था वह सही था। उन्होंने कहा था कि धर्म का अपना क्षेत्र है जो न केवल किसी व्यक्ति की आत्मा और मन–मस्तिष्क को शुद्ध करता है अपितु समाज को भी सच्चाई और शान्ति की ओर अग्रसर करने का कार्य करता है परन्तु कानून को आज की आवश्यकता और समय की मांग को पूरा करना चाहिए। लेकिन इनमें कोई टकराव नहीं होना चाहिए। आपने इसे बहुत अच्छे ढंग से कहा है और मैं इससे सहमत हूं। आपने पूछा है कि हमें अयोध्या के मंदिर और बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर न्यायालय के निर्णय को क्यों मानना चाहिए जबकि हमने शाहबानो के मामले में न्यायालय के निर्णय को क्यों नहीं माना? आपने यह बिल्कुल ठीक कहा है। मैं निश्चित रूप से आपके तर्क की प्रशंसा करता हूं। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आप न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने हेतु विधेयक लाने या एक कानून बनाने में सक्षम हैं तो उच्चतम न्यायालय का कोई भी निर्णय आपको कुछ करने या न करने हेतु बाध्य नहीं कर सकता।

जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले में उच्चतम न्यायालय में हार गई थीं, तो वे राष्ट्र के सम्मुख गईं और कहा कि उनके हाथ बंधे हैं। उन्होंने लोगों से संविधान में संशोधन करने हेतु जनादेश देने के लिए कहा। यदि आपकी पार्टी या गुट या आपका विश्वास यह महसूस करते हैं कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय आपको

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

स्वीकार्य नहीं है तो आप संसद में इसके दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने हेतु विधेयक ला सकते हैं। संसद यह घोषणा कर सकती है कि वहां भगवान राम का जन्म हुआ था। ऐसा कहा जा सकता है कि उस अधिनियम की प्रस्तावना और शीर्षक यह होगा और हिन्दुओं के अतिरिक्त वहां और कोई नहीं जाना चाहिए। या तो आप संसद का निर्णय स्वीकार करें या न्यायपालिका का। लेकिन यदि आप कहते हैं कि आप न तो संसद का निर्णय स्वीकार करेंगे और न ही न्यायपालिका का और यह करें कि हम केवल कांचीपीठ या गोरखपुर जाकर उनकी बात ही मानेंगे तो देश नहीं चल सकता। आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा। संविधान में भी ये ही प्रावधान है।

महोदय, समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है लेकिन क्या अभी यह संभव है? पूर्वोत्तर का मामला ही लें। वहां सामाजिक जीवन और विवाह के संबंध में कितनी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं? न केवल विवाह अपितु उत्तराधिकारियों को सम्पत्ति के हस्तांतरण के मामले में भी ऐसा है। उनके यहां 28 से अधिक व्यवस्थाएं हैं। जैसे नागालैंड में होता है वैसा मणिपुर में नहीं होता। और मणिपुर में भी सारे मणिपुरी एक ही व्यवस्था का पालन नहीं करते। यह इस देश की शक्ति है। हम भारत की शक्ति को ब्रिटेन या अमरीका के समतुल्य रखकर चर्चा नहीं कर सकते। आपने सऊदी अरब का उल्लेख किया। आप सऊदी अरब और पुर्तगाल की तुलना भारत से करना चाहते हैं। भारत भूमि विश्व की सभी सभ्यताओं की जननी है। हमें इस पर गर्व है। आप भारत की तुलना इन देशों से करना चाहते हैं। हमारा एक ऐसा राष्ट्र है जो केवल एक राष्ट्र ही नहीं है अपितु इसमें विभिन्न महासागर और संस्कृतियां समाई हुई हैं। टैगोर ने 'भारत तीर्थ' में क्या लिखा है? मैं आशा करता हूं कि आप भारत तीर्थ का हिन्दी अनुवाद पढ़ें। भारत इतना बड़ा क्यों है और हमें इस पर गर्व क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह विभिन्न नस्लों का समूह है। कौन कह सकता है कि 200 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज कौन थे? मैं नहीं जानता। वे ईरान या सिंध या अफगानिस्तान से आए हुए हो सकते हैं? कौन पता लगा सकता है? मैं नहीं जानता। अतः हमें इतिहास में आर्य और अनार्य उल्लिखित किया गया था। सभ्य समाज में अब हम गर्व से यह कह सकते हैं कि भारत आर्य, द्रविड़ और मंगोलों का सम्मिश्रण है। सौ वर्ष बाद यह हो सकता है कि किसी खोज से यह पता लगे कि यहां कोई और लोग भी रहते थे। हम इसी स्वांगीकरण के साथ बढ़ और विस्तृत हो रहे हैं। यही भारत को बांधकर रखने की क्षमता और शक्ति है।

शाहबानो के मामले में हमने यह ठीक ही महसूस किया था कि न्यायपालिका धर्म में हस्तक्षेप कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 26(ख) में स्पष्ट रूप से लिखा है :

"अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का;..."

एक काशी का हिन्दू होने के नाते या असम या बंगाल का हिन्दू होने के नाते मुझे शरद उत्सव में क्या करना चाहिए? यह सब हमारी परम्परा में व्याख्यायित किया गया है। फिर शरीयत की बात लें। पूरे इस्लामी कानून के लिए उनकी अपनी व्याख्या है।

संविधान यह कहता है कि किसी को किसी समुदाय के धर्म से संबंधित आंतरिक मामलों में अपना निर्णय थोपने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बंगाल में गुरुवार को हम देवी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। कुछ अन्य लोग गुरु बृहस्पति की पूजा करते हैं। यह केवल श्रद्धा है, ये कहीं लिखा नहीं है। यह 'श्रुती' से आया है। ऋषि गौतम ने इसे किसी और ढंग से कहा है और ऋषि भारद्वाज ने किसी और ढंग से। ऋषि विश्वामित्र ने इसे अलग ही तरीके से कहा है। यह सब भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले हिन्दुओं की धमनियों में बहता है। जो लोग ऋषि कश्यप में विश्वास रखते हैं वे स्वयं को कश्यप गोत्र का बताते हैं। जो ऋषि गौतम में विश्वास करते हैं वे गौतम गोत्र के हैं। अब क्या आप प्रत्येक को एक ही गोत्र में संगठित कर सकते हैं? हिन्दू धर्म में यह गोत्र कश्यप मुनि से संबंध रखता है। लेकिन कुछ लोग ऋषि गौतम को भिन्न गोत्र का मानते हैं और अपने आपको गौतम गोत्र का मानते हैं। लेकिन अंत में वे एक साथ आ जाते हैं लेकिन वह अंत क्या है? वह ओम शांति है, लक्ष्य केवल एक ही है, अर्थात शांति। ईसाई धर्म में भी वही लक्ष्य है अर्थात आमीन (एमेन)। इस्लाम में भी वही लक्ष्य है, लेकिन रास्ते अलग–अलग हैं। अगर आप सभी छोर एक गुच्छे में बांधना चाहते हैं, अर्थात सभी को एक ही धर्म का पालन करने के लिए बाध्य करेंगे तो भारत बिखर जाएगा।

क्या आप भारत का आकार पुर्तगाल, सऊदी अरब या ईरान जितना कम करना चाहते हैं या फिर भारत को विश्व सभ्यता के शिखर पर चाहते हैं जो सब कुछ और सभी को अपना कर और बलशाली बना है? इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने उस वक्त शब्द 'इनडेवर' (प्रयास) का उपयोग किया है।

[हिन्दी]

उसे समझाओ, प्रस्तुत करो, तैयार करो, अगर बाधा आती है तो जबर्दस्ती मत करो।

[अनुवाद]

मैं समझता हूं कि एक या दो दल छोड़कर यही इस देश के सभी राजनीतिक दलों का दर्शन है। साथ ही मैं समझता हूं कि विधेयक प्रस्तुत करने वाले सदस्य का दृष्टिकोण ठीक नहीं है। इसलिए सदन द्वारा इस विधेयक को पारित नहीं किया जाना चाहिए।

हमारे संविधान को बहुत विचार–विमर्श कर, समझकर, अत्यधिक ध्यान से तथा उचित दृष्टिकोण के अनुसार तैयार किया गया है। उदाहरण के लिए संविधान की समीक्षा के लिए कुछ दिन पूर्व एक समिति नियुक्त की गई थी, जिसका हमने राजनैतिक विरोध किया। वह अलग बात है। चूंकि आज हम गैर–सरकारी सदस्य के विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं इसलिए मैं अपने दल की राजनीति इसमें नहीं लाना चाहता। उस समिति ने भी काफी विचार–विमर्श करने बाद भी इस विषय को नहीं छुआ। उन्होंने इस विषय को क्यों नहीं छुआ? उन्होंने यह महसूस किया कि इस विषय को छूना इस देश की एकता के मुख्य तत्व को छेड़ना है।

निःसंदेह मैं भी देवी दुर्गा की पूजा करता हूं। सभी हिन्दू अपनी इच्छानुसार पूजा करते हैं, और इसी प्रकार मुस्लिम भी अपने ढंग से इबादत करते हैं। लेकिन एकता, समझ, दृष्टिकोण तथा सत्य कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण प्रत्येक हिन्दू उदार दृष्टिकोण रखता है। इसलिए हर कोई समझता है कि यही एक ऐसा धर्म है जो घृणा नहीं करता और दूसरे पर प्रहार नहीं करता। यही हिन्दू धर्म की मूल भावना है। लेकिन अब कोई इसे तोड़ना चाहता है। हिन्दू धर्म इतना महान है कि टीपू सुल्तान युद्ध में जाने से पहले श्रीरंगपटनम् के मंदिर में भगवान विष्णु का नमन करने जाते थे। अगर किसी मसजिद का मौलाना कभी उनसे पूछता कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वह कहते कि अगर मैसूर के करोड़ों लोग भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं तो वह भी उनका आशीर्वाद लेंगे। यही दृष्टिकोण बादशाह अकबर का था और यही टीपू सुल्तान का भी।

यही दृष्टिकोण हम आधुनिक भारत में श्री विद्यासागर और राजा राममोहन राय का भी पाते हैं। जब आप हिन्दू धर्म की बात करते हैं, तब क्या आप सती दहन को स्वीकार करते हैं? कोई कहता है कि पति की मृत्यु के पश्चात् अगर उसकी पत्नी भी जल जाती है तो वह स्वर्ग में जाती है। अगर आप इसे स्वीकार करते हैं तो आप हिन्दू दर्शनशास्त्र के मूल तत्व के विरुद्ध जाते हैं क्योंकि औरत की पूजा आप मातृ शक्ति के रूप में करते हैं। इसके साथ ही आपके बहुत सारे मित्र कहेंगे कि हालांकि वे औरत की पूजा मातृ शक्ति के रूप में करते हैं लेकिन सती दहन की प्रथा भी अच्छी प्रथा है। राजा राममोहन राय आगे आए और इस प्रथा से लड़कर समाज को मजबूत किया और कहा कि यह बकवास है। मैं समझता हूं कि दूसरों को बाध्य करने का प्रयास हिन्दू धर्म के बारे में भ्रांति उत्पन्न करना और यह छवि बनाने की कोशिश कि केवल मुसलमान लोग ही गड़बड़ी कर रहे हैं, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला।

मैं आपसे शत–प्रतिशत सहमत हूं। मैं समझता हूं कि अगर कोई सरकार जनसंख्या नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए कोई कठोर कानून बनाती है तो हम उसका समर्थन करेंगे। 1975 से पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऐसा करने की कोशिश की और हमें उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ा। इसी संसद में उन्होंने कहा था—मैं उस समय संसद सदस्य था—कि वह राजनीति की बात नहीं कर रही हैं, अगर हमारे खाद्य भंडार आधे विश्व को खिला सकते हैं, तो कम जनसंख्या से हमारा देश मजबूत बन सकता है। उस समय राजनीति खेलते हुए किसी ने कहा कि श्रीमती गांधी परिवार नियोजन के नाम पर मुस्लिम धर्म पर प्रहार कर रही हैं। श्रीमती गांधी को हटाने के लिए उसी मंच से अनेक बैठकों का आयोजन किया गया, लेकिन जिस व्यक्ति ने उन बैठकों में भाग लिया उसका मैं नाम नहीं लूंगा।

मैं मानता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण हमारा मुख्य एजेन्डा होना चाहिए। धर्म के मामले पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको इस बात से मत जोड़िए कि केवल मुसलमान ही जनसंख्या में वृद्धि कर रहे हैं और देश के अन्य लोग जनसंख्या में वृद्धि नहीं कर रहे। इस तरह की गलत सूचना देना अपराध है। आप अनावश्यक रूप से समूह बना रहे हैं और इस पर दोष लगा रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि कोयला खान क्षेत्रों और जूट मिल क्षेत्रों में कौन लोग रहते हैं? मुझे इसका अनुभव है जब मैं विश्वविद्यालय सर्वेक्षण समूह के छात्र के रूप में वहां गया था। मैंने वहां पाया कि चाहे वे न्यूनतम मजदूरी पाने और आधा वेतन पाने

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

वाले चाहे वे हिन्दू हैं या मुसलमान, वे बहुत ही दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। उनकी पहुंच समाज, फिल्म मनोरंजन, पुस्तकालय तक नहीं है। वे अपने बच्चों को अच्छे पार्क में नहीं भेज सकते। उनके मनोरंजन का साधन केवल सेक्स है और इसलिए उस क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान अथवा ईसाई हों।

अचानक हमने पाया कि देश में अभियान चलाया जा रहा है कि देश की जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता क्योंकि देश में मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। आइए संसद में हम इस विषय पर वाद–विवाद कराएं तथा आंकड़े देखकर ही पता लगाएं कि क्या सच है। यह सही प्रस्ताव नहीं है। कानून के द्वारा इसे सुनिश्चित करना और जब हम इस बात पर ज्यादा से ज्यादा बात करते हैं तो देश को अधिक हानि पहुंचाते हैं। यह ठीक नहीं। प्रत्येक व्यक्ति इस बात के प्रति सजग है कि अगर किसी का परिवार बड़ा है या किसी की शादी पहले होती है तो क्या होगा। आप दो या तीन बार शादी कर सकते हैं, लेकिन कानून इस संबंध में 'नहीं' कहता है। इस अभियान को कौन चला रहा है? अगर आप गुप्त रूप से दूसरी या तीसरी पत्नी रखते हैं जो वैध नहीं है और वे बच्चों को जन्म देती हैं जिन्हें हम लावारिस पुकारते हैं, तो ऐसे मामले में क्या होगा? आप मुझसे बहस न करें। मैं इस पर संसद में चर्चा नहीं करूंगा। मुझे मालूम है कि हम किस तरह समान नागरिक संहिता की धारणा तैयार करते हैं और किस तरह कहते रहते हैं कि किसी को दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको समाज के आंकड़े दे सकता हूं। मैं एक बार से अधिक विवाह की बात अच्छी तरह समझता हूं। लेकिन उस स्त्री को मान्यता दें कि वह आपकी पत्नी है। लेकिन हममें से ज्यादातर आधिकारिक तौर से एक ही बार शादी करते हैं और मैं जानता हूं कि हम अनाधिकारिक तौर पर क्या करते हैं। यह बहुत ज्यादा हो गया है और यह ठीक नहीं...*(व्यवधान)*

इसलिए इस विषय पर हमें इस परिप्रेक्ष्य में चर्चा नहीं करनी चाहिए। नागरिक संहिता के मामले में सिद्धांतः हम तीन विषयों पर चर्चा करें। समाज में जहां समान नागरिक संहिता महत्वपूर्ण है हमें किसी समूह, धर्म या जाति के अंदरूनी रिवाज को नहीं छूना चाहिए चाहे वे भारत के किसी भी हिस्से के क्यों न हों। लेकिन अन्य मूलभूत विषय भी हैं जैसे शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन तथा अन्य रूढ़िवादी बातों के विरुद्ध लड़ना जिनके बारे में हमें अपने विचारों का आदान–प्रदान करना चाहिए। पहले लोग चिकित्सकों के पास नहीं जाते थे। वे ज्योतिषियों के पास जाते थे और समझते थे कि वे उनके बच्चों को ठीक कर देंगे। अब लोग बदल चुके हैं। वे कहते हैं कि अब वे दिन नहीं रहे और अब चिकित्सकों से परामर्श करना आवश्यक मानते हैं। इसे हम सामाजिक बदलाव कहते हैं। इसे आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहेंगे।

आपने भारत के बंटवारे का संदर्भ दिया। मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं। मुझे गर्व है कि हमने वह सब नहीं किया जो पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने जो किया उसका परिणाम वह भुगत रहा है। उन्हें बार–बार किसी विदेशी ताकत के इशारे पर नाचना पड़ता है ताकि वे साबित कर सकें कि वे कट्टरपंथी या उदारवादी हैं। भारत को ऐसा साबित नहीं करना पड़ता। भारत पूरे विश्व में घोषणा करते हुए गौरवान्वित महसूस करता है कि उसने श्री ए. पी. जे. अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति चुना है, जो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। यह भारत है। इसलिए इस विधेयक को पारित करने के लिए कृपया जोर न डालें। अगर सम्भव हो तो इसे वापस ले लें और हिन्दू धर्म के बारे में गलत सूचना देने का प्रयास न करें। अपनी प्राचीन धरोहर की अवहेलना करके हिन्दू दर्शन का विश्लेषण अपनी कल्पना के अनुसार न करें।

श्री अनादि साहू (बहरामपुर, उड़ीसा) : सभापति महोदय, धन्यवाद, मैं श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रस्तुत इस संविधान (संशोधन) विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

विधेयक पर चर्चा करने से पहले मैं श्री प्रियरंजन दासमुंशी को बताना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत भ्रम उत्पन्न करने की कोशिश की है। धर्म में रीति–रिवाज नागरिक व्यवहार से भिन्न होते हैं जो कि एक समाज में अपेक्षित होता है। शुरू–शुरू में उन्होंने रीति–रिवाज और धर्म के बारे में कहा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हिन्दू समाज का पतन मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप हुआ। समाज ने बाहर के लोगों के हमले से बचने के लिए स्वयं को अत्यधिक संकुचित दृष्टिकोण अपनाना पड़ा, जिसके फलस्वरूप कुछ हद तक समाज का पतन हुआ।

मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि समाज में जो स्थिति एक समय विशेष पर होती है कानून उसी के अनुरूप बनाया जाता है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि कैसे व्यभिचार कानून बनाया गया। अगर वह ऋग्वेद और यजुर्वेद को पढ़ें तो पाएंगे कि व्यभिचार का उल्लेख वहां किया गया है।

[हिन्दी]

मदिन्त मांग त्वा पतमन्ना घुनोमि आदि।

[अनुवाद]

मैं आपको किसी स्त्री की ओर देखने से मना करता हूं। जिस स्त्री की सुंदर उंगलियां हैं, उसे देखने के लिए मैं आपको मना करता हूं। जो स्त्री सुंदर है उसको देखने को मैं मना करता हूं। यही सब यजुर्वेद में है। ऐसा क्यों लिखा गया? यह इसलिए है क्योंकि जिन लोगों ने कुछ व्यवहारों को वर्गीकृत किया है ने निर्णय किया कि व्यभिचार अच्छा नहीं। कृपया उद्दालक–श्वेतकेतु सिद्धांत देखिए जिसे बहुत पहले प्रतिपादित किया गया था। उद्दालक एक ऋषि थे। वह सूर्यदेव को चढ़ावा अर्पित कर रहे थे। उनकी पत्नी उन्हें पानी दे रही थी। एक अन्य ब्राह्मण आए और उन्होंने कहा "आइए मेरे साथ सेक्स कीजिए" उद्दालक को पानी देने के बजाय वह स्त्री उस ब्राह्मण के साथ चली गई। श्वेतकेतु छोटे बालक थे। वह अपने पिता की ओर देख रहे थे, उसे अपने पिता के चेहरे पर बदले हुए भाव नहीं मिले। उन्होंने अपनी माता की ओर देखा जो किसी अन्य पुरुष के साथ जा रही थी। जब उसकी माता चली गई और सूर्यदेव को चढ़ावा अर्पित हो चुका तो श्वेतकेतु ने अपने पिता से पूछा–"पिताश्री आपने विरोध क्यों नहीं किया?" उद्दालक ने कहा–"लोग ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं।" उस छोटे बच्चे को यह ठीक नहीं लगा और जब वह ऋषि बन गए तो उन्होंने व्यभिचार पर पहला सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हम उद्दालक श्वेतकेतु सिद्धांत कहते हैं। आप इससे सहमत होंगे कि उपनिषद काल के दौरान पिता के नाम की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। जबली हर किसी के साथ सोने वाली एक वेश्या थी। उसका एक पुत्र था। उसने अपने पुत्र को शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक ऋषि के पास भेजा। मेरे विचार से वह पिप्पलाद था। ऋषि ने कहा : "तुम्हारा पिता कौन है?" उसने कहा : "मुझे नहीं पता। मैं अपनी मां से पूछूंगा।" उसने वापिस जाकर अपनी मां से वही प्रश्न किया। जबली ने साहसपूर्वक कहा : "जाकर कहो कि तुम जबली के पुत्र हो।" बस। उसने वापिस जाकर कहा : "मैं जबली का पुत्र हूं।" उसका नाम जबलक हुआ और वह पिप्पलाद की सहायता से प्रश्नोउपनिषद नामक एक बहुत ही सुंदर उपनिषद का प्रवर्त्तक बना। आप सोचिए कि चीजें कैसे बदल रही हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 11वीं सदी के पश्चात् ही पतन हुआ है। मैं इतिहास के ऐसे दौर को जानता हूं जिस पर मैंने एक उपन्यास भी लिखा है। रानी कर्पूरसरी को ताम्रपत्र भू–दान दिया गया था। यह भू–दान सोमबंशी वंश के अंतिम नरेश उत्कल द्वारा प्रदान किया गया था। तत्पश्चात् यह उड़ीसा बना। 11वीं शताब्दी में उत्कल तथा कलिंग का विलय हो गया था। अंतिम ताम्रपत्र भू–दान के अनुसार : "मैं यह भूमि मैहरी उदयश्री की पौत्री एवं महुनामैहरी की पुत्री रानी कर्पूरसरी को प्रदान करता हूं।" मैहरी का अर्थ है–देवदासी। मैहरी, उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर या बौद्धविहार में एक देवदासी होती है। उस समय ऐसे व्यवहार किया जाता था। पिता के नाम की उस समय आवश्यकता नहीं थी। ऐसे ही चीजें चलती थीं। यदि आपके पास एक राज्य है तो निश्चय ही आपको एक दृष्टिकोण, एक व्यवहार और एक तरह की ही सोच अपनानी पड़ेगी। जब तक हमारी वह सोच नहीं होगी तब तक हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में एकरूपता स्थापित होनी बहुत कठिन है।

मैं श्री प्रियरंजन दासमुंशी की बात से सहमत हूं कि अनेकता में एकता होनी चाहिए। किन्तु जहां तक अनेकता में एकता का संबंध है, इसे धार्मिक व्यवहार में भी लाया जाना चाहिए। मैं उस तरीके पर प्रश्नचिह्न नहीं लगा रहा हूं जिस तरीके से विवाह होंगे। मैं उन धार्मिक अनुष्ठानों पर भी प्रश्नचिह्न नहीं लगा रहा हूं जो मृत्यु के समय किए जाते हैं। मुसलमान परिवार में मृत्यु होने पर मैयात नामक एक धार्मिक अनुष्ठान होता है। तत्पश्चात् मृत शरीर को खजूर की चटाई में लपेटकर कब्रिस्तान ले जाया जाता है। वहां कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं जो जल या जल संसाधनों से संबंधित नहीं होते हैं। किन्तु भारत में यह अलग चीज है क्योंकि हम हरे–भरे शाक वाले नदी–तटीय क्षेत्र में रहते हैं। मैं उस तरीके पर प्रश्नचिह्न नहीं लगा रहा हूं, जिस तरीके से निर्जन क्षेत्र से अपनाए गए विश्वास या धार्मिक अनुष्ठानों को यहां व्यवहार में लाया जा रहा है। यदि कोई उन्हें व्यवहार में ला रहा है, तो ठीक है। हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना है। जहां तक विवाह संबंधी धार्मिक अनुष्ठानों का संबंध है, इस विधेयक में कुछ नहीं कहा गया है।

श्री योगी आदित्यनाथ इस विधेयक को बड़ी ही सावधानी से लाए हैं। वे आपको यह बताना चाहते हैं कि जहां तक विवाह का प्रश्न है, इसके लिए सिविल प्राधिकरण होना चाहिए। जहां तक उत्तराधिकार का संबंध है इसके लिए भी प्राधिकरण होना चाहिए। जहां तक विवाह–विच्छेद का संबंध है इसके लिए भी एक प्राधिकरण होना चाहिए तथा एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए ताकि समाज में किसी प्रकार की भ्रांति

[श्री अनादि साहू]

न रहे। यही मुख्य उद्देश्य है जिसके लिए मुझे विश्वास है कि संविधान निर्माताओं ने इसे राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में समाहित किया था। वे चाहते थे कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य को प्रयत्न करना चाहिए। जी हां, आपने कहा "प्रयत्न करो, एक निश्चित सीमा तक प्रयत्न करो।" किंतु श्री योगी आदित्यनाथ ने 'सिक्योर' शब्द का प्रयोग किया है। वे यही अंतिम प्राधिकार प्रदान करना चाहते हैं। स्वतंत्रता के 52 वर्षों के पश्चात् क्या यह आवश्यक नहीं है कि हमारी समान सिविल संहिता होनी चाहिए, समाज में हमारे व्यवहार में समान दृष्टिकोण होना चाहिए? जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं धार्मिक विश्वासों या दृष्टिकोण की बात नहीं कर रहा हूं। यह एक तथ्य है कि संपूर्ण हिन्दू समाज के पतन का कारण जैमिनी द्वारा प्रस्तुत उनका कर्मकांड ही है। हालांकि कपिल मुनि ने उसे ठीक करने का प्रयास भी किया किंतु वे ऐसा नहीं कर पाए। मैं कपिल मुनि के सांख्य योग की बात कर रहा हूं जिसमें प्रकृति एवं पुरुष, दोहरे आदिकालीन सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। जैसा कि मैंने कहा, जैमिनी के कर्मकांड से अनेक धार्मिक अनुष्ठानों सहित हमारे लिए समस्या उत्पन्न हुई हैं। हमारे भारतीय समाज पर बाहरी आघात से यह पतन हुआ है।

मुझे प्रसन्नता है कि आपने विद्यासागर जी की बात की। जी हां, एक समय विशेष में, और उससे पहले भी, आपको चैतन्य देव के बारे में विचार करना चाहिए कि उन्होंने जिस प्रकार हिन्दू समाज के लोगों को मुस्लिम समाज में जाने पर रोक लगाने का प्रयत्न किया था। उन्होंने आस्था एवं अराधना का बहुत ही सरल मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने आराधना का सरल उपाय सुझाया जिसे सहज भक्ति कहते हैं। इसलिए, उस पर रोक लगी थी। इस तरह रोक लगाने पर भी, वे अन्य लोगों और अन्य धार्मिक आस्थाओं को भी लाए थे।

पुरी में, आपको यवन हरिदास मठ दिखाई देगा जो समुद्र के तट पर बना एक बहुत ही महत्वपूर्ण मठ है। यवन हरिदास, चैतन्य देव के शिष्य थे। वे मुसलमान थे। उन्होंने उस विशेष समय में सुधार किया। उस समय धार्मिक अनुष्ठान संबंधी दृष्टिकोण की ओर झुकाव पैदा न करके आस्था के दृष्टिकोण की ओर झुकाव पैदा करना पूर्णतया आवश्यक हो गया था। वे धार्मिक अनुष्ठानों का पालन कर रहे थे किंतु चैतन्य देव ने उस विश्वास की ओर अपना झुकाव कर लिया ताकि लोग उस विश्वास विशेष से जुड़े रहें। इस संविधान (संशोधन) अधिनियम में, श्री आदित्यनाथ इस विश्वास की ओर झुकने के लिए नहीं कह रहे हैं। वे आपसे विभिन्न प्रकार के समाज बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं। वे मात्र यही कह रहे हैं कि हम इसे एक समान संहिता द्वारा क्यों न प्राप्त करें, हम एकता की अनुभूति को एक नया वेग क्यों न प्रदान करें। केवल तीन बार 'तलाक' कहने से विवाह विच्छेद हो जाएगा। इसे बदला क्यों न जाए।

हम यह प्रक्रिया क्यों न अपनाएं कि यह किस प्रकार किया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय अपने कई निर्णयों में यह कह चुका है कि केवल तलाक, तलाक, तलाक ही कह देना उचित नहीं है।

महोदय, बहुत पहले मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें अमिताभ बच्चन, नूतन और पद्मा खन्ना ने अभिनय किया था। वह फिल्म मुस्लिम समुदाय के बारे में थी जिसमें अमिताभ बच्चन गुड़ बनाया करता था। पहले वह पद्मा खन्ना से शादी करना चाहता है किंतु वह ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। वह नूतन से शादी करता है, उसे तलाक देता है, उसी से कुछ धन प्राप्त करता है और फिर वह पद्मा खन्ना से शादी करता है। वह बहुत ही उत्कृष्ट फिल्म थी। संभवतः कई लोगों ने वह फिल्म न देखी हो।

अतः हमें देखना चाहिए कि मात्र तीन बार 'तलाक' शब्द कहकर हम महिलाओं के लिए किस प्रकार की पीड़ा उत्पन्न कर देते हैं। हमने दंड–प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में संशोधन किया है। इस संहिता की धारा 125 में क्या कहा गया है? यह दंड–प्रक्रिया संहिता का धर्मेनिरपेक्ष पहलू है। यदि किसी महिला को तलाक दिया जाता है तो उसके लिए भरण–पोषण हेतु हर्जाना भी देना होगा। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने एक अच्छा आदेश दिया है किंतु इस सभा में हमने राजनैतिक उद्देश्यों और अपने लिए वोट बैंक बनाने के लिए इसे रद्द कर दिया। शाहबानो मामले में यह निर्णय दिया गया था जिसका योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में भी उल्लेख किया है। हमने इसे रद्द कर दिया। क्या यह उचित था? हम विद्यासागर की बात करते हैं। क्या हम उन सभी चीजों को रद्द कर सकते हैं जो विद्यासागर लाना चाहते थे? उन्होंने कहा कि विपत्तिग्रस्त महिलाओं को पैसा मिलना चाहिए और विधवाओं को पुनर्विवाह करना चाहिए। मनुस्मृति में, विधवा द्वारा पुनर्विवाह न किए जाने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। उसमें भी पुनर्विवाह की व्यवस्था है। जैसा कि मैंने कहा इस पतन के कारण कई विकृति आई हैं। कई चीजों पर बोला जा सकता है किंतु मैं अब

उन सभी के विस्तार में नहीं जाऊंगा। मेरे विचार से, अब मुझे अपनी बात समाप्त करनी चाहिए। समान सिविल संहिता के विस्तार में न जाते हुए अपनी बात समाप्त करना ही मेरे लिए उचित होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह केवल विवाह, उत्तराधिकार, विवाह–विच्छेद एवं पुनर्विवाह से ही संबंधित है अन्य किसी चीज से नहीं।

महोदय, मैंने एक कविता का बहुत ही सुंदर अंश चुना है और मेरे विचार से मुझे अपनी बात समाप्त करने से पहले उसे पढ़ना चाहिए।

"ईच थरटिन्थ ईयर ही मैरिड;
ठैन डी डाईड देयर वर आलरेडी सैवन चिल्ड बाईव्ज;
ईनसेबल आरबिट–रिंग्ज, कारज्, परमानैंट वेब्ज;
वी हैड फैल्ट हीम वार्मिंग अप फॉर ए ग्रीन ब्राईड;
ही कुड अफोर्ड इट; ही वाज इन हिज प्राईम;
एंड थ्री स्कोर टेन बट मनी वाज नोट टाइम।"

हम यही चाहते हैं कि बहुविवाह को रोका जाना चाहिए और यही वे इस विधेयक के माध्यम से करना चाहते हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : माननीय सभापति महोदय, मैं अपने सहयोगी योगी आदित्यनाथ द्वारा लाए गए इस विधेयक का विरोध करता हूं। मेरा विरोध संविधान के निर्देश पर नहीं है क्योंकि मैं संविधान में किए गए सुझाव से सहमत हूं। संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों पर एक अध्याय है। उसमें बहुत से नीति निदेशक सिद्धांत हैं किंतु हम पिछले 50 वर्षों में उनमें से कुछ ही सिद्धांतों को लागू कर पाए हैं। कई सिद्धांतों को अभी लागू नहीं किया गया है। भले ही कोई भी सरकार हो, उसे अपने प्रयास जारी रखने चाहिए और इन नीति निदेशक सिद्धांतों को भविष्य में कार्यान्वित करने का प्रयत्न करना चाहिए किंतु यहां यह संशोधन, मुस्लिम समुदाय में कुछ सुधार करने के व्यापक और उचित उद्देश्य से नहीं लाया गया है। इसके पीछे कोई दूसरा ही उद्देश्य है इसलिए में इसका विरोध करता हूं। हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि राज्य को यथासमय समान सिविल संहिता लाने का प्रयत्न करना चाहिए किंतु इसके लिए कोई समय निश्चित नहीं किया गया है।

मैं श्री दासमुंशी से पूर्णतः सहमत हूं और मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं और मैं उन चीजों को नहीं दोहरा रहा हूं। किंतु इसके पश्चात् उनके तर्क के आधार पर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी अवधारणा है कि समुदाय को स्वयं सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह हमारे देश की मुख्य चीजों में से एक है। जैसा कि सभी सहमत हैं कि हमारे देश की पहचान है अनेकता में एकता। हम अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास से परिचित हैं और उसके आधार पर हम हमेशा यह महसूस करते हैं कि सुधार अंदर से होना चाहिए और वही वास्तविक सुधार होगा।

मैं आपको यह बता सकता हूं कि मुस्लिम समाज में भी कई समझदार वर्ग, आधुनिक वर्ग और शिक्षित वर्ग बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि जहां तक शिक्षा का संबंध है इसमें मुसलमानों की संख्या सबसे कम है और वे समाज में बहुत पिछड़े हुए हैं जबकि उन्हें किसी प्रकार के आरक्षण की सुविधा नहीं मिली है। वे कई क्षेत्रों में तो अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों से भी पिछड़े हुए हैं।

हमारे संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं परन्तु उनकी स्थिति में बहुसंख्यक समुदाय की तुलना में सुधार नहीं हुआ है। यह जीवन का तथ्य है। परन्तु अब समाज में शिक्षित लोगों की संख्या, सुविज्ञ मुसलमान लोगों की संख्या बढ़ रही है और अब एक नई सोच बन रही है। मेरे विचार से समुदाय में दो–तीन पहलुओं पर मांग बढ़ रही है। पहला है महिलाओं को समान अधिकार। महिलाओं के अधिकार एक प्रमुख प्रश्न है। अतः अब अन्य महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाएं भी इस मामले में जागरूक हो रही हैं कि उन्हें क्या अधिकार प्राप्त होने चाहिए। अतः, अब मुस्लिम महिलाएं भी आवाज उठा रही हैं और वे सड़कों पर जुलूस निकाल रही हैं, वे समाज में, परिवार में सेमिनार, वाद–विवाद आयोजित कर रही हैं और अब वे अपने अधिकारों की मांग हेतु आवाज उठा रही हैं।

हमें इस आंदोलन को प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। हमें ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए जिससे यह बुलंद आवाज दब जाए। यदि हम इस प्रकार का विधेयक लाएंगे तो इससे केवल उन्हीं लोगों को मदद मिलेगी, जो इस प्रयास को, इस समूह को, जो आगे बढ़कर समाज में, समुदाय में सुधार की मांग कर रहे हैं, को दबा देना चाहते हैं। इस कारण से मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

संविधान में यह निदेश है कि राज्य को अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए परन्तु हमें इसके लिए समय का

[श्री हन्नान मोल्लाह]

चयन करना होगा, हमें ऐसे वातावरण के बारे में विचार करना होगा और हमें अपने अन्दर इस सुधार आंदोलन को प्रोत्साहित करना होगा। श्री दासमुंशी ने यह स्पष्ट किया कि किस प्रकार हिन्दू समाज में सुधार लाया गया था। यह सुधार हमारे अन्दर से ही शुरू हुआ और न कि बाहर से।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : न ही कानून के द्वारा !

श्री हन्नान मोल्लाह : जी हां, न ही कानून के द्वारा अथवा न ही बाहरी दबाव के द्वारा सुधार लाया गया। बल्कि यह लोगों में शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, वैज्ञानिक सोच के विकास से ही संभव हो पाया है। अब वे जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है और एक के बाद एक वे आगे बढ़े हैं।

योगी आदित्यनाथ जी ने जनसंख्या वृद्धि के बारे में उल्लेख किया है। भारत में जनसंख्या वृद्धि पर चर्चा की जानी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण के बारे में कतिपय नियम होने चाहिए। हम जनसंख्या नियंत्रण के बारे इस सभा में व्यापक चर्चा कर सकते हैं। ताकि हमारे देश में एक समुचित जनसंख्या नीति तैयार की जाए और कार्यान्वित भी हो सके। यह आधुनिक समाज के लिए चुनौती है। हमारा यह अनुभव रहा है कि शिक्षित मुस्लिम समाज में जनसंख्या कम है और यहां जनसंख्या हिन्दू परिवारों की तुलना में भी कम है। परन्तु मुस्लिम समाज के पिछड़े वर्गों, निर्धन वर्ग में जनसंख्या थोड़ी अधिक होगी और यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों अथवा पिछड़े वर्गों के बराबर होगी।

अतः, यह संयुक्त रूप से सामाजिक और आर्थिक मुद्दा है। आपको इस मुद्दे पर, उस दृष्टिकोण से, विचार करना चाहिए। मेरे विचार से इस अनुच्छेद के कार्यान्वयन पर बल देने का यह सही समय नहीं है।

श्री योगी आदित्यनाथ ने विवाह के बारे में उल्लेख किया। एक समाजशास्त्री ने व्यापक सर्वेक्षण कराया था और उसने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि मुसलमानों में चार प्रतिशत, हिन्दुओं में छः प्रतिशत, बौद्धों में आठ प्रतिशत और जनजातियों में 17 प्रतिशत एक से अधिक पत्नी वाले व्यक्ति हैं। अतः यह कहना कि बहुविवाह केवल मुसलमानों में है, तथ्य नहीं है। यदि बारह करोड़ मुसलमान हैं तो इनमें छः करोड़ पुरुष होंगे, और यदि वे चार महिलाओं से विवाह करना चाहते हैं, तो 24 करोड़ महिलाएं अपेक्षित होंगी। तो इतनी महिलाएं वे कहां से लाएंगे? वे महिलाओं का आयात नहीं कर सकते। यह अजीब है। मेरे विचार से यह गलत है। इस तर्क का कोई आधार नहीं है। यह किसी दुर्भावना से प्रेरित दुष्प्रचार मात्र है। शिक्षा, वैज्ञानिक रुचि और आधुनिक समझ के बढ़ने के साथ ही इसमें कमी आई है। अतः मेरे विचार से इस अनुच्छेद पर बल देने का यह सही समय नहीं है।

महिलाओं के अधिकारों के संबंध में, भारत में हजारों वर्षों से हमने महिलाओं का गुणगान किया है परन्तु इसके साथ ही हमारे देश में 'देवदासी' की प्रथा भी रही है। यह सब साथ–साथ चलता रहा। एक पक्ष बहुत उज्ज्वल है और दूसरा पक्ष अंधकारपूर्ण है। हर समाज में बुराइयां होती हैं। हमें इन बुराइयों को दूर करना होगा। हमें बुराइयों को अपनाना नहीं चाहिए। इससे समाज में अच्छा माहौल नहीं बनेगा। इससे केवल समाज में बुराई फैलेगी। इस दृष्टिकोण से मेरे विचार से यह इस विधेयक को लाने का उचित समय नहीं है।

हमारे संविधान ने हमें निदेश दिया है। हमें निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का निदेश प्राप्त है। 50 वर्ष बीत चुके हैं। यद्यपि हमने संविधान में संशोधन किए हैं तथापि सम्पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के इस मौलिक अधिकार के कार्यान्वयन में अभी और कई दशक लग जाएंगे। परन्तु हमने, संसद ने इसकी पहल की है। डा. मुरली मनोहर जोशी यहां उपस्थित हैं। उन्होंने इसकी शुरूआत की है।...*(व्यवधान)*

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : निश्चित रूप से, इसमें कई दशक नहीं लगेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह : परन्तु इसमें कुछ और समय लगेगा। यह तत्काल संभव नहीं होगा। इस स्थिति में पहुंचने के लिए हमें पांच दशक लग गए। अतः, मेरे विचार से इसका सही समय आएगा। यदि हमारे पास सही दिशा है तो हम तरक्की करेंगे। ऐसी सोच होनी चाहिए।

संविधान ने हमें समाज में कतिपय सुधार लाने के लिए प्रयास करने हेतु निदेश दिया है। प्रत्येक समाज में सुधार की आवश्यकता होती है। कोई भी समाज बहुत ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा है। यहां तक कि 'हिन्दुत्व' की वह धारा जिसका आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सबके लिए स्वीकार्य नहीं है। हिन्दू लोग 5000 वर्षों से चले आ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि हिन्दू लोग सिर्फ आपकी नई व्याख्या के बाद अस्तित्व में आए हों। हिन्दू समाज के कतिपय वर्गों द्वारा अब नई व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। यह हिन्दुत्व

नहीं है। हिन्दुत्व 5000 वर्षों से चला आ रहा है। इसकी अत्यधिक समृद्ध और पुरानी परम्परा और इतिहास है। आप इसे अपने सांचे के अनुसार बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हिन्दुत्व समाज को सांचे में रखा नहीं जा सकता है परन्तु इसे सांचे में रखने की कोशिश की जा रही है। जो भी हो, यह एक अलग मुद्दा है। यह मामला यहां पर चर्चा करने का नहीं है। यह तो इतिहास का, संस्कृति का और बुद्धिजीवियों द्वारा व्यापक चर्चा का मामला है। परन्तु यह विशिष्ट मुद्दा है, क्या हम इस अवसर पर इस अनुच्छेद पर बल देंगे।

मैं माननीय सदस्य और सरकार से भी यह अपील करूंगा कि अभी इसके लिए उचित समय नहीं है। जैसा कि मैंने स्पष्ट किया है कि हमें समुदाय में प्रगतिशील आंदोलन को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह आंदोलन बढ़ रहा है और एक दिन यह खुलकर सामने आएगा। इसी में से यह मांग और बढ़ेगी और हम संविधान के निदेश को कार्यान्वित कर पाएंगे। यह सही दृष्टिकोण होगा। हमें समाज में किसी स्वार्थ से कोई दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए, जिससे समाज में केवल गड़बड़ी ही पैदा हो, जिससे समाज में भेदभाव हो, और जिससे हमारे उद्देश्यों की पूर्ति न हो; तो हम अपने देश को सुदृढ़ नहीं कर पाएंगे, और इससे देश का एक और बंटवारा हो सकता है और हमारे समाज में एक अन्य प्रकार की अशांति फैल सकती है।

हमारे पास काफी समस्याएं हैं। हमें और समस्याएं पैदा नहीं करनी चाहिए। हमें एकजुट होना चाहिए। हमें अपनी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपनी समस्याओं को और बढ़ाना नहीं चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरे दृष्टिकोण पर विचार करेगी। मेरे विचार से सरकार का नजरिया किसी एक सदस्य अथवा समाज के किसी एक वर्ग की तरह संकुचित नहीं होगा। सरकार इस मामले में व्यापक दृष्टिकोण अपनाएगी और वह इस विधेयक को स्वीकार नहीं करेगी। मैं आशा करता हूं कि सरकार निश्चित रूप से शिक्षा, वैज्ञानिक रुचि और विविधता में एकता को बढ़ावा देगी और इसके माध्यम से समाज में सुधार आएगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति महोदय, संसद भवन के अन्दर जहां बैठकें होती हैं, वहां वेद मंत्रों की पंक्तियां लिखी हुई हैं। समानो मंत्रः समिति समानी समान मनः सह चित्तमेषाम, यानी हमारे मंत्र, हमारी समितियां, हमारे विचार हमारे आचार समान हों। कहीं–कहीं यह भी लिखा है, सं गच्छध्वं, सं वदध्वं, सं वो मनांसि जानताम्, अर्थात् हों विचार समान सब के, चित्त मन सब एक हों। आदर्श तो अच्छे ही होते हैं। यह ठीक है कि पहाड़ की चोटी पर पहुंचने का लक्ष्य रखना चाहिए, भले ही पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंच पाएं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : इस तरफ यह भी लिखा हुआ है : "जहां सुमति तहां सम्पत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपति निदाना।"

प्रो. रासासिंह रावत : मैं सुमति की बात ही कह रहा हूं कि आदर्श तो अच्छे ही होने चाहिए। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के आदर्श होने चाहिए, भले चोटी पर नहीं पहुंचें, लेकिन तलहटी से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो भी अच्छा है, इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कॉमन सिविल कोड की बात की है। आदर्श रूप में यह बात बहुत अच्छी है, अनुकरणीय है। माननीय हन्नान मोल्लाह साहब भी नहीं भूले होंगे कि डेढ़–दो वर्ष पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों ने, फुल बैंच ने यह निर्णय दिया था और कहा था कि समान आचार संहिता अब तक इस देश के अन्दर लागू क्यों नहीं की गई, यह वास्तव में देश का बड़ा दुर्भाग्य रहा और एक तरह से उन्होंने फटकार सी लगाई थी। हालांकि बाद में इस पर काफी विचार–विमर्श चला, लेकिन फिर उस बात को थोड़ा भुला दिया गया। वह बात शायद आपकी स्मृति में अवश्य होगी।

इस देश के अन्दर दो प्रकार के लोग हैं। एक वे जो आज के परिप्रेक्ष्य में अपने आपको हिन्दू कहते हैं और दूसरे वे, जिनके पूर्वज हिन्दू थे। लेकिन हम सब अगर यह कहें कि न मैं हिन्दू हूं, न मुसलमान हूं, मैं भारतीय हूं या मैं इन्सान का बेटा हूं, इन्सान हूं तो बहुत अच्छा होगा। अगर यह मान लिया जाए और हम पहले अपने आपको भारतवासी मान लें तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमारे देश का आचार–विचार, हमारे देश की वेशभूषा, हमारे देश की भाषा, हमारे देश की सारी चीजें एक सी हों। जब हम यह कहते हैं, अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता...*(व्यवधान)* मैं अपनी बात कह रहा हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : माननीय सदस्य साधू की

[प्रो. रासासिंह रावत]

वेशभूषा में यह प्रस्ताव लाए हैं तो उनकी वेशभूषा में सबको बना दीजिए।...*(व्यवधान)*

प्रो. रासासिंह रावत : आप सुन तो लीजिए। आप तो लकीर के फकीर बने हुए हैं, आप लिट्रल ट्रांसलेशन लेते हैं। मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि हमारे ऋषि–मुनियों ने यह कहा, महावीर और गौतम ने यह कहा कि सत्य बोलो। मौहम्मद साहब ने और ईसा मसीह ने यह कहा कि दया करो। राम और कृष्ण ने हमारे सामने जो आदर्श रखे, वे सारे देश के लिए, हम सबके लिए अनुकरणीय हैं, जो हमें अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार थोड़े या ज्यादा अपनाने चाहिए। लेकिन सत्यम् बुर्यात् और सत्यमेव जयते, यही हमारे आदर्श हैं। आदर्श तो आदर्श ही रहेंगे। हमारे शास्त्रों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की बात कही गई है, लेकिन क्या चोरियां नहीं होतीं, लेकिन फिर भी हमने आदर्श सामने रखा है कि चोरी नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार से हमारे देश में कॉमन सिविल कोड की भारतीय संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स में बात कही है। वहां पर गौहत्या निषेध की बात कही गई है, चाहे प्रोहिबीशन, नशाबन्दी की बात कही गई है, चाहे समान आचार संहिता की बात कही गई है, ये सब अनुकरणीय है। हमें प्रयास करना चाहिए कि अगर हमारा राष्ट्र पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक अगर एक विचार में, एक सूत्र में आबद्ध होना चाहता है तो कॉमन सिविल कोड भी उसकी भावनात्मक और राष्ट्रीय एकता का एक आधार हो सकता है, हमें यह तनिक मात्र भी नहीं भूलना चाहिए।

जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा कि इस देश के अन्दर दो प्रकार के लोग हैं। मैंने यह बात इसलिए कही कि क्या आज कन्याकुमारी का आदमी उत्तर में अमरनाथ के दर्शन नहीं करना चाहता? वह कौन सी चीज है कि गोलियों की बौछार के अन्दर भी कश्मीर में अमरनाथ के दर्शन करने के लिए नाना प्रकार के कष्ट सहन करने के बाद भी लोग लाखों की संख्या में पहुंचते हैं। उत्तर का आदमी दक्षिण में, दक्षिण का आदमी उत्तर में, पूर्व का पश्चिम में और पश्चिम का पूर्व में कामाख्या देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचता है। कौन आदमी प्रागज्योतिषपुर या गौहाटी के अन्दर नहीं जाना चाहता, परशुराम कुंड के दर्शन करने के लिए कौन आदमी अरुणाचल प्रदेश के अन्दर नहीं जाना चाहता? इस देश के हर कंकर में शंकर के दर्शन होते हैं, इस देश की मिट्टी को हमारे महापुरुषों ने पवित्र माता कहकर पुकारा, इसको भी भारत माता का महत्व दिया। गऊ माता, गंगा माता, मातृभाषा, मातृभूमि मादरे वतन, मदरलैंड, ये हमारे आदर्श थे। इसी प्रकार से कॉमन सिविल कोड, समान आचार संहिता होनी चाहिए, यूनीफोर्म सिविल कोड होना चाहिए, चाहे शादी के लिए हो, विवाह के लिए हो, उत्तराधिकार के लिए हो, तलाक के लिए हो, सबके लिए समान आचार संहिता होनी चाहिए। वह राष्ट्रीयता से ओत–प्रोत हो और एकत्व लिए हो। मैं समझता हूं सिद्धांततः आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। श्री दासमुंशी अभी यहां नहीं हैं। उन्होंने और श्री अनादि साहू ने बड़े शास्त्रों की चर्चा की, वेदों की, उपनिषदों की, रामायण, महाभारत, स्मृति ग्रंथ सारे उनकी चर्चा में आए। लेकिन मुझे चाणक्य का कथन याद आ रहा था–

अनंतशास्त्रं, बहुलाश्चविद्याः
अल्पश्चकालेः, बहुविघ्नात च
यत्सारभूतं, तदुपासनीयम।

शास्त्र तो अनंत है, उसका अंत नहीं है, विद्या भी बहुत है, लेकिन समय बहुत कम है और उसमें भी बाधाएं हैं। जो सार की बात हो, जो तत्व की बात, जो सबकी भलाई करने वाली बात हो, उसको ग्रहण करना चाहिए। कल क्या था, कैसा था, हमारे आदर्श हैं और यथार्थ है, आदर्शों को हम ग्रहण करते रहे हैं इसलिए आदर्शों को ग्रहण करना चाहिए। मैं कोई उपदेश नहीं देना चाहता। लेकिन वेदों में भी लिखा है–

एकोवशी सर्वभूतांतरात्मा,
एकंसद्विप्रा बहुधावदंति।
तं आत्मस्थं ये अनुपश्यंति धीराः
तेषां शाश्वतं सुखं नैतरेषाम्।।

सारे संसार का नियंता, सारे ब्रह्मांड का नियंता जो है, वह परमात्मा है। अगर वह है तो वही एक है। समस्त प्राणियों की आत्मा में और कण–कण में वह बसा हुआ है। उसको कोई किसी नाम से पुकारता है और कोई दूसरे नाम से पुकारता है। लेकिन वह एक शक्ति विराजमान है, जो सोर जगत में नियंता के रूप में वास करती है। विद्वानों ने अनेक नामों से उसे सम्बोधित किया है। शास्त्रों में, ग्रंथों में अनेक प्रकार से उसकी चर्चा हुई है, लेकिन वह है एक शक्ति। उस शक्ति को अपने अंतःकरण में मानकर उसका हम ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, संस्कारित करते हैं। वही एक रास्ता है उसी से हमें चिर शाश्वत सुख

की प्राप्ति होती है। इसके अलावा और किसी से नहीं होती।

मैं अजमेर से आता हूं। वहां जहां तीर्थराज पुष्कर है, जो ब्रह्मा जी की नगरी है तो वहीं पर ख्वाजा जी की दरगाह भी है। सीधे–सादे शब्दों में कहूं–

माना कि खुदा को ढूंढ़ने वाले को आलम में मिलता है,
मगर इतना बता दे कि तू किस मौसम में मिलता है,
तेरा पता पूछें किसी ब्राह्मण से या किसी मोमिन से
न तू गंगा में मिलता है, न ही जमजम में मिलता है।

इसका उत्तर बड़े सीधे तौर पर देश की एकता में विश्वास रखने वाले इन्सान ने दिया–

है हवा आकाश में मगर वे नजर आती नहीं
है लाली मेंहदी के पत्ते में, मगर वह नजर आती नहीं।
हर रंग में मौजूद है, मगर वह नजर आता नहीं
योग साधन के बिना उसे कोई पा सकता नहीं।

सब विकारों पर नियंत्रण पाना हो तो योग ही उत्तम है और मानसिक विकृतियों पर नियंत्रण प्राप्त करना है तो योग ही उत्तम है। यम पांच हैं, नियम भी पांच हैं, अब समय कम है इसलिए किन–किन की व्याख्या करूंगा, क्योंकि यह विषय बड़ा व्यापक है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर इंडोनेशिया का मुसलमान रामायण देखने के अंदर गौरव का अनुभव करता है, वहां का कोई व्यक्ति सुकर्णा या मेधावती नाम रखने में गौरव का अनुभव करता है तो भारत की रंगभूमि में भी चाहे इस्लाम का मानने वाला हो, वह भी इस देश का रहने वाला है। उसका नाम भी राधेश्याम हो सकता है, अगर गोपाल होता है तो भी वह यहां का रहने वाला है। प्राचीन संस्कृति से अपना धर्म मानते हुए भी जैसे हिन्दुओं के अनेक पंथ हैं, उसी तरह से इस्लाम में मुहम्मदपंथी या ईसापंथी अनेक पंथ हो सकते हैं। लेकिन हमारा देश, हमारा वतन, हमारी संस्कृति एक है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह भी है कि महाजनोः न गतः सः एव पंथः।

प्रो. रासासिंह रावत : ठीक है। महापुरुषों ने जिस मार्ग का अनुसरण किया वही धर्म है। हम यह कहते हैं कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। क्या हम उस अनेकता को उजगार नहीं करते हैं, क्या उस अनेकता ने क्षेत्रवाद को जन्म नहीं देते, क्या उस अनेकता ने आतंकवाद को जन्म नहीं दिया, भाषावाद को जन्म नहीं दिया।

अपराह्न 5.00 बजे

हमारे साथी कह रहे हैं कि भारत अनेक राष्ट्रों का संघ है, एक राष्ट्र ही नहीं है। इस प्रकार की विचारधारा प्रकट कर दी जाती है। हम अनेकता में एकता की बात कहते हैं, क्या इससे यह अलगाववादी विचारधारा उजागर होती है या नहीं। हमारी एकता नष्ट नहीं हो सकती है। एक राष्ट्र के लिए तो एक होना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि समान नागरिक संहिता का आधार जो हमारे पवित्र संविधान में दिया गया है, डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स के रूप में, उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, इसको मानना होगा। हमने प्रारम्भ से ही धारा 377 की बात कही है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के जन्म–भूमि की बात जैसे स्वामी जी ने कही है, इसके साथ समान आचार संहिता की बात हो। हम लोग शुरू से ही इस विचारधारा को मानने वाले हैं। इससे न इस्लाम धर्म को खतरा है, न हिन्दू धर्म को खतरा है और न सिक्ख धर्म को खतरा है। कामन सिविल कोड में जिस प्रकार कामन सिविल मैरिज एक्ट की बात है, ऐसी ही अन्य बातों को मानकर तन्त्र को खड़ा करना होगा, तभी जाकर यह मन्त्र सार्थक होगा।

अंत में, मैं आपके माध्यम से स्वामी जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि हमारा आदर्श ऊंचा हो और उस तरफ बढ़ने के लिए हम प्रयास करते रहें।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : सभापति महोदय, मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने हेतु मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, सर्वप्रथम, मैं माननीय संसद सदस्य योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं यहां रखे गए तर्क से कुछ सीमा तक असहमत हूं। इस देश में ऐसी धारणा बन रही है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भा.ज.पा. एक दल के रूप में समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास कर रही है। ऐसी छवि बनाई गई है। लेकिन हम वास्तव में समान नागरिक संहिता से क्या समझते हैं और इस देश में यह मुद्दा कितना पुराना है?

[श्री भर्तृहरि महताब]

महोदय, जहां तक मैं समझता हूं इस विचार को नागरिक बोध से बढ़ावा मिला है। जैसा कि माननीय संसद सदस्य श्री अनादि साहू ने अपने विस्तृत और वाक्पटुतापूर्ण भाषण में कहा कि हमारी सभ्यता केवल 5,000 वर्ष नहीं अपितु इससे भी कहीं अधिक पुरातन है। हमारी सभ्यता 8,000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है और कई ऋषियों ने दोहों और ऋचाओं की रचना की व जानबूझकर उनमें अपना नाम नहीं दिया। यहां कुछ हजार वर्ष पूर्व एक सभ्य समाज का गठन हो चुका था। कई अवसरों पर न केवल बाहरी आक्रमणों के कारण अपितु अन्य कई कारणों से यह सभ्यता संघर्ष और दबाव के दौर से गुजरी। यह विकसित हुई, शीर्ष तक पहुंची और फिर पुनः इसका पतन हो गया। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन इसी प्रकार होते हैं और ऐसे ही विभिन्न चरणों में भारतीय समाज विकसित हुआ है।

महोदय, 21वीं सदी में हम एक अलग युग में हैं। मैं यह कह रहा था कि भारत में भी हमारी भू–राजनैतिक स्थितियों के कारण समाज एक समान रूप से विकसित न होकर असंतुलित रूप से और अलग–अलग तरह से विकसित हुआ। अलग–अलग समय में देश का एक भाग विकसित हो गया और दूसरा भाग पिछड़ गया क्योंकि वहां 1947 से कभी भी एकरूपीय सरकार नहीं रही।

महोदय, इससे पूर्व कि हम 1947 की बात करें, 1946 से 1950 तक संविधान सभा रही जिसने भारत के संविधान को अंगीकार किया और 26 जनवरी, 1950 से यह प्रभावी हुआ।

मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, इतिहास बताता है कि विक्रमादित्य के समय से ही समाज में विभिन्न मत प्रचलित थे। उस समय तक खानाबदोश जनजातियां आर्यवर्त में नहीं आई थीं। लेकिन उस समय भी समाज विभिन्न मतों में विभाजित था। उस समय गणपति थे, शक्ट थे, सनातनी थे और अन्य मत भी प्रचलित थे। सभी मतों की रक्षा करना राजा की जिम्मेदारी थी। इसीलिए विक्रमादित्य को हमारे समाज में बेहतरीन राजाओं में से एक माना जाता है। लेकिन उसके बाद समाज में परिवर्तन हुए। ग्यारहवीं शताब्दी के आरंभ में उड़ीसा में सभी मत मिलकर एक हो गए और आज भी उसे जगन्नाथ का सम्प्रदाय कहा जाता है। हमने पाया कि सारे मत भगवान में विलीन हो गए। सब कुछ उसमें समा गया। उस समयावधि में, दूसरी सहस्राब्दी के आरंभ में पूरा भारतीय समाज संक्रमण काल से गुजरा। जैसा कि श्री साहू ने बिल्कुल सही इंगित किया, समाज ने धीरे–धीरे स्वयं को समेट लिया। हमने समुद्री गतिविधियां त्याग दीं। हम बाहर की यात्राएं नहीं करते थे। हम भूमध्य सागर की तो बात ही क्या दक्षिण–पूर्व एशिया भी नहीं जाते थे, जबकि पहले स्थिति इसके विपरीत थी। पूरा समाज जो पहले स्पंदमान था उसने स्वयं को मैक्कन की भांति समेट लिया था। यह बहुत संकुचित सोच वाला हो गया था। लेकिन उसी समयावधि में एक दूसरी बात हुई जिसने हमारे समाज को नवजीवन दिया। उससे पहले क्या था? उससे पहले राजशाही समाज था। एक हजार वर्ष पूर्व जनपद थे। पंचायत समाज के व्यवहार के बारे में, विवाह और तलाक के मामलों और सम्पत्ति के वितरण के मामलों में विवाद का निपटारा करती थी। इस प्रकार पंचायत निर्णय करती थी। लेकिन बाद में राजशाही का उदय हुआ, इसमें राजा सर्वोच्च होता था। लेकिन जब मुसलमान आए और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राजवंश स्थापित किए तब उस समय उन्होंने भारतीय समाज को न्यायपालिका दी। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया था। हम कहेंगे कि विश्व सभ्यता को मुसलमानों की यह एक सबसे बड़ी देन है। इससे पूर्व कार्यपालिका ही निर्णयक्षम थी। लेकिन मुस्लिम शासन काल में, यह मुसलमान ही थे जिन्होंने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया। उस कालावधि में ग्यारहवीं शताब्दी से अंग्रेजों के भारत आने तक वे देश के विभिन्न भागों में शासन करते रहे। हमारे यहां विभिन्न प्रकार की नागरिक प्रक्रिया अपनाई जाती थी और अंग्रेजों ने इस प्रकार की समस्याओं को समझते हुए क्या किया? 1857 के तुरन्त बाद जब भारत में ब्रिटिश ताज ने सत्ता संभाली और जब कम्पनी की सत्ता समाप्त कर दी गई तब 1861 में भारतीय दंड संहिता अस्तित्व में आई। भारतीय दंड संहिता में क्या है? इसमें विवाह अधिनियम, उत्तराधिकार अधिनियम, तलाक संबंधी कानून भी हैं और इसमें मुस्लिम समुदाय को भी मान्यता दी गई और कहा गया कि शरीयत को संरक्षण दिया जाएगा। लेकिन अंग्रेजी राज के दौरान पहली बार 1940 में–यदि मैं गलत हूं तो आप मुझे ठीक कर सकते हैं–समान नागरिक संहिता की बात अस्तित्व में आई थी। उस समय पहली बार इस पर राजनैतिक स्तर पर चर्चा की गई थी। इस पर सर्वप्रथम 1940 में, हमारी स्वतन्त्रता से महज पांच या छह वर्ष पूर्व, चर्चा की गई थी।

मेरे विचार से, हममें से अधिकांश लोग 1940 में देश की परिस्थितियों से अवगत होंगे। विश्व युद्ध का समय था।

स्वतन्त्रता प्राप्ति का आंदोलन अपने चरम पर था। उस समय के दौरान ही आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। ब्रिटिश भारत को यह आशंका बनी हुई थी कि जापान, आजाद हिंद फौज किसी भी समय उस पर आक्रमण कर सकते हैं। उस समय की राजनीतिक स्थिति यह थी। उसका अन्तर्निहित अंग भारतीय समाज को विभाजित करना था। उस समय, यह जानते हुए भी कि ब्रिटेन भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत 80 वर्षों से अधिक समय से इस देश पर शासन कर रहा है, राजनैतिक स्तर पर समान नागरिक संहिता कि अवधारणा प्रस्तुत की गई। लेकिन उन्होंने कभी भी समान नागरिक संहिता को थोपने या कार्यान्वित करने का प्रयास नहीं किया। इस पर कभी चर्चा नहीं की गई थी। लेकिन 1940 में उन्होंने यह कहना आरम्भ किया कि : "हम एक समान नागरिक संहिता चाहते हैं।"

आज, वर्ष 2002 में जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार सत्ता में है और न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह और उस पीठ के अन्य सदस्यों द्वारा नब्बे के दशक में सरकार को दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए, मैं पूछता हूं कि हम समान नागरिक संहिता से क्या समझते हैं? समान नागरिक संहिता का अर्थ हिन्दू संहिता नहीं है। इसका अर्थ हिन्दू संहिता नहीं हो सकता। जिस प्रकार दूसरी ओर का पक्ष इस पर चर्चा करता है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह हिन्दू संहिता है जिसे थोपा जा रहा है। ऐसा कभी नहीं कहा गया कि यह हिन्दू संहिता है जिसे थोपा जाएगा। समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि सभी के बेहतरीन पक्षों को सम्मिलित किया जाना चाहिए और फिर एक समान संहिता बने।

हाल ही में, मेरे विचार से गत बजट सत्र में ईसाई समुदाय के संबंध में उत्तराधिकार संबंधी प्रावधानों पर एक विधेयक पारित किया गया था। पहले वह नहीं था। आज, यदि कोई भी संविधान सभा में हुई बहस का अध्ययन करे तो उसे पता लगेगा कि हिन्दू संहिता विधेयक पर उस समय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच कितना मतभेद था। बहुत सी बातें यहां हैं। यह इतिहास का हिस्सा हैं और मैं इस पर विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि आज हम पर विभिन्न संहिताएं प्रभावी हैं। इससे तो बेहतर है कि केवल एक नागरिक संहिता हो।

संयुक्त राज्य अमरीका के बारे में एक उल्लेख आया है। आज मुझे जो थोड़ी–बहुत जानकारी है उसके आधार पर मैं कहता हूं कि संयुक्त राज्य अमरीका में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि बहुपत्नीत्व को बढ़ावा देने से रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। लेकिन अमरीका के विभिन्न राज्यों में विवाह के संबंध में अलग–अलग कानून हैं। वहां कोई एक कानून नहीं है क्योंकि अमरीका का इतिहास भी अलग है। वहां आज तक समान कानून नहीं है। वह दुनिया में सबसे विकसित देश है। वह बहुपत्नीत्व को बढ़ावा नहीं देता। यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है।

लेकिन मैं यहां, यदि आप मुझे कुछ मिनट और दें, तो मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) अधिनियम और शरीयत की संकल्पना का उल्लेख करना चाहूंगा। इस पर विभिन्न परिस्थितियों में कई बार चर्चा की जा चुकी है। लेकिन मैं कहूंगा और अधिकार से कहूंगा कि हमारे समाज, हिन्दू समाज ने शरीयत की तुलना में कई अवसरों पर बालिका के अधिकारों, पत्नी या महिला के अधिकारों को उतनी मान्यता नहीं दी है। कुरान शरीफ में बालिका को जितनी मान्यता दी गई है, महिला को जितनी मान्यता और सम्पत्ति का अधिकार दिया गया है उतना हिन्दू कानून में भी दिए जाने की आवश्यकता है। मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं। मेरे विचार से यह आवश्यक है कि जब आप 'मित्राक्षर' के बारे में, उत्तराधिकारी के बारे में सोचते हैं और जब आप गोद लेने पर विचार करते हैं तो ईसाई कानून या मुस्लिम कानून से हिन्दू कानून अधिक समुचित हैं। इस संदर्भ में, मेरे विचार से यह आवश्यक है कि इसका प्रयास किया जाना चाहिए और एक स्थायी नीति बनाई जानी चाहिए और हमें इस देश में समान नागरिक संहिता बनाने हेतु आगे आना चाहिए। इस देश में गत 55 वर्ष से इस विषय पर बार–बार बहस होती रही है।

श्री एम. सी. छागला ने एक अलग बैठक में यह मुद्दा उठाया था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह एक कट्टर मुसलमान थे। वह विधि मंत्री थे। मेरे विचार से स्वतंत्र भारत में उन्होंने पहली बार यह मुद्दा 1964 में उठाया था और हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् इस पर पुनः चर्चा कर रहे हैं। मुझे योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देना चाहिए कि वह इस मामले को गैर–सरकारी विधेयक के रूप में यहां लाए। मेरे विचार से सरकार इस पर निर्णय लेने हेतु अपनी सारी सामर्थ्य लगाएगी और हमें भी एक रामान नागरिक संहिता बनाने हेतु प्रयास करना चाहिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति जी, मैं बहुत ही संक्षेप में तीन बिन्दुओं पर अपनी बात रखना

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

चाहूंगा। माननीय सदस्य श्री योगी जी ने संविधान संशोधन द्वारा धारा 44 का जिक्र राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में किया है। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि यह एक निजी विधेयक है जिसे सदन में प्रस्तुत किया गया है। यह एन.डी.ए. का एग्रीड एजेंडा नहीं है और नागरिक आचार संहिता उस एजेंडा के अंतर्गत नहीं आती है। इसलिए एन.डी.ए. में रहते हुए भी हमारी बाध्यता नहीं कि मैं इसका समर्थन करूं। मैं इसका विरोध करता हूं। चूंकि मैं अपनी राय पूरी आजादी के साथ रख सकता हूं, इसलिए इसका समर्थन नहीं कर सकता। यह एन.डी.ए. सरकार का विधेयक नहीं बल्कि प्राइवेट मैम्बर बिल है।

सभापति महोदय : यह एन.डी.ए. सरकार की ओर से लाया गया विधेयक नहीं, बल्कि निजी विधेयक है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं इस विधेयक का पूरी तरह से विरोध करता हूं। मैं इसका विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि जो मंशा विधेयक में बताई गई है, नीति निर्देशक सिद्धांत की बात की गई है, वे हमारे संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं। इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को राज्य सरकार को निश्चित करना है। राज्य को प्रयास करना था कि उनमें से कितने लागू हुए हैं। हां, संसद में इनके बारे में कुछ विचार किया गया है जैसे अनिवार्य शिक्षा का मामला है। पिछले दिनों माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री यहां विधेयक लेकर आए थे। भारत का संविधान 1950 में बना लेकिन क्या कारण है कि इतने सालों तक केन्द्र में जो भी सरकार रही हो, जो भी व्यवस्था रही हो, इस देश में प्रजातंत्र है, किसी ने भी इन्हें छुआ तक नहीं। इसलिए माननीय सदस्य मजबूरी में इस विधेयक को लेकर आए हैं। सरकार की क्या मजबूरी है, क्या जस्टिफिकेशन है?

सभापति जी, भारत बहुभाषी देश है जिसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं। हमारे देश का संविधान इसी बात पर आधारित है कि किसी को कर्म–काण्ड या धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर संविधान ने भेद करने का अधिकार नहीं दिया है। संविधान की धारा 49, जिसका माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे, उसमें अयोध्या के मंदिर की बात कही गई। संविधान की धारा 49 में साफ कहा गया है कि भारत के सभी पुरातन और ऐतिहासिक ढांचे हिन्दुस्तान की धरोहर हैं। हिन्दुस्तान के ऐतिहासिक घटना–चक्र को मिटाने की कोशिश कर मन्दिर का ढांचा बनाने की अनुमति संविधान नहीं देता। मैं समझता हूं कि देश के इतिहास को मिटाने की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए। तभी यह देश एक रह सकता है। क्योंकि बिल में यह मंशा जाहिर की गई है कि यह एक धर्म का देश हो जाएगा, एक तरह का कॉमन सिविल कोड बनने से बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे हिन्दुस्तान में एकता और राष्ट्रीयता बनेगी। लेकिन पाकिस्तान में राष्ट्रीयता नहीं निकली। वहां एक ही धर्म का मामला चल रहा है, तानाशाही चल रही है, वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चलती है। एक–दो साल में तानाशाही आ जाती है। वह तानाशाही अभी कैसे–कैसे चल रही है। वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था लड़खड़ा जाती है, जहां एक ही धर्म की बहुलता हो। कभी भाषा के सवाल पर लोग लड़ते हैं, कभी धर्म के आधार पर लोग लड़ते हैं, कभी क्षेत्रीयता के आधार पर लड़ते हैं। इस देश में सबसे बड़ी बीमारी जाति व्यवस्था की है–कास्ट सिस्टम इन इंडिया। यह कास्ट सिस्टम सभी बुराइयों की जड़ है। इसीलिए धर्म को आगे लाकर समान नागरिक संहिता की बात नहीं करनी चाहिए। निश्चित रूप से इससे देश में एकता, अखंडता और सद्भावना नहीं बढ़ेगी। जब देश में भाईचारा होगा, एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ने की बात नहीं करेगा, एक–दूसरे से नफरत नहीं करेगा, तभी हमारी एकता कायम रहेगी। जाति व्यवस्था टूटेगी तभी समरस समाज की स्थापना होगी।

सभापति महोदय, भारत में कांस्टीट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, उसे बहुत सोच–समझकर हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया है। इसलिए इस पर किसी तरह का आघात नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इस तरह के विधेयक पर खासतौर से मैं प्रश्नचिह्न लगाता हूं कि इस तरह से समान नागरिक संहिता की बात अर्थहीन होगी।

मैं अंत में कहना चाहता हूं कि धर्म के मामले में पैगम्बर आदि के बहुत सारे उदाहरण माननीय सदस्य श्री अनादि साहू ने दिए हैं। श्री दासमुंशी जी ने ऋग्वेद से लेकर ऐतिहासिक और पौराणिक कई उदाहरण दिए हैं। श्री अनादि साहू जी काफी विद्वान सदस्य हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इंसान की पहचान राह से होगी, विचार से होगी। इंसान कभी महान नहीं होता। पैगम्बर जो महान होते हैं, उनकी राह और रास्ता क्या है, उनकी राह इंसाफ वाली है या नहीं। श्रीकृष्ण और श्री राम की क्या राह रही। इन पर हिन्दू धर्म में करोड़ों लोगों की आस्था है। संविधान में उपासना, इबादत करने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन आप विराटनगर से देख लें, जरासंध से लेकर मगधराज और समुद्र तक द्वारिकाधाम तक देख

लें। द्वारिकाधाम में जो कृष्ण का दौर था, उनकी मुखालिफत उन्हीं की बिरादरी के लोगों ने की थी। इंसाफ को कायम रखने के लिए श्रीकृष्ण को इनसे जूझना पड़ा और जूझते–जूझते अंत में श्रीकृष्ण रणछोड़ भी कहलाए। मथुरा से भागकर उन्हें द्वारिकाधाम जाना पड़ा। जुल्म और अत्याचार जो पौराणिक मान्यता है, उसे इंसाफ में बदलने के लिए पैगम्बर को भी संघर्ष करना पड़ा। हमारे समाज में इतनी बुराई है।

सभापति महोदय : 5.40 पर इसका समय समाप्त हो जाएगा। माननीय मंत्री जी को उत्तर भी देना है, इसलिए अब आप समाप्त कीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं समाप्त कर रहा हूं। इसी तरह से पैगम्बर हजरत मोहम्मद भी मक्का से मदीना गए। उनकी बिरादरी के लोगों ने उनकी मुखालिफत की। उनकी राह को पसंद नहीं किया। उन्होंने इंसाफ का रास्ता बताया तो मदीना में जाकर उन्हें अपने लोगों ने कैद कर लिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि दोनों में समानता है। धर्म में एक तरफ श्रीकृष्ण और प्रोफेट मोहम्मद को कहीं देखा जाए पैगम्बर हजरत मोहम्मद और श्रीकृष्ण की राह देखी जाए, वह इंसाफ की राह है। लेकिन बिरादरी के धर्म को आधार बनाकर समाज और देश को यदि तोड़ा जाएगा और ऐसा विधेयक लाया जाएगा तो इस विधेयक के रखने से समाज में सद्भावना और राष्ट्रीयता मजबूत नहीं हो सकती है। जब हम सर्व धर्म के लोग अनेकता में एकता स्थापित करेंगे तब राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। इसलिए इस विधेयक का हम घोर विरोध करते हैं।

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग) : जनाबवाला, जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, मैं इसकी मुखालिफत करता हूं। मौअज्जिज मैम्बर जिन्होंने इस बिल को पेश किया, उन्होंने तीन प्वाइंट्स दिए हैं, जिनकी बिना पर वह चाहते हैं कि यह बिल पेश हो। उनका कहना है कि इस बिल से हिंदुस्तान में इत्तेहाद होगा। इस बिल से जो मुसलमान ज्यादा पापलेशन बढ़ाते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, उन पर कंट्रोल होगा, यह इसकी खास बात है। उनका यह कहना है कि यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल है जहां यह कहा गया है कि सरकार इस किस्म के इंतजामात करे। मेरा जवाब यह है कि जहां तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होने का ताल्लुक है यह संविधान में है और कांस्टीट्यूशन में यह कहा गया कि गवर्नमेंट कोशिश करेगी यह चीज करने की। 50 साल से ज्यादा कांस्टीट्यूशन बने हो गए हैं लेकिन जितनी भी सरकारें आईं उन्होंने अपनी समझ से इसको बनाना मुनासिब नहीं समझा। इसलिए उन्होंने इसको ओपन रखा है। एक तरह से यह खुला है।

दूसरी बात कही जाती है कि इससे मुल्क में इत्तेहाद होगा। हिन्दुस्तान वह मुल्क है जिसमें मुखतलिफ जबान के लोग, मुखतलिफ मजहब के लोग रहते हैं। क्या सिविल कोड से इत्तेहाद हो सकता है? हमारे सामने मिसालें हैं। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना और इस्लाम के नाम पर वैस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान पर अपनी मर्जी की जुबान थोपने की कोशिश की। कहां रहा पाकिस्तान? बंगलादेश बना और पाकिस्तान से अलग हो गया। अभी मुम्बई की मिसाल हमारे सामने है। मुम्बई में जुबान के मसले पर इतना झगड़ा हुआ कि महाराष्ट्र और गुजरात बनाना पड़ा। यह अपने मुल्क की मिसाल है। लिहाजा इस बात से इत्तेहाद नहीं बनेगा, बल्कि मसलिकी झगड़े होंगे। हमारा दामन ऐसी बड़ी चीजों से भरा हुआ है, हमें इसमें इजाफा नहीं करना चाहिए।

जहां तक पापुलेशन की बात है, कहा जाता है कि एक मुसलमान चार शादी करता है, उनसे पापुलेशन बढ़ जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि जो ताजी मरदमशुमारी हुई, क्या बता सकते हैं कि लेटेस्ट फिगर्स इस थ्योरी को सपोर्ट करती हैं? नहीं करती हैं। दूसरी बात यह है कि हर कौम और मजहब के लोगों के सौ लोगों के पीछे जनरली सौ औरतें होती हैं शादी के लिए। किसी भी समुदाय में 100 पुरुषों के लिए शादी के योग्य 98 या 100 महिलाएं होती हैं... *(व्यवधान)* यह आदमी का बनाया हुआ नहीं है। अगर 20 मुसलमान चार शादियां करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि 80 औरतें 20 मुसलमानों में तकसीम हो गईं। फिर 20 औरतें रह गईं 80 मुसलमानों के लिए तो 20 मुसलमानों ने एक–एक शादी कर ली। मगर 60 मुसलमानों के पास कुछ नहीं है शादी करने के लिए, वह लाएंगे कहां से? उनके लिए महिलाएं नहीं होंगी। उन्हें बच्चे पैदा करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो अगर चार–चार औरतें भी हो जाएं तब भी बड़े मर्द ऐसे ही रहते हैं। यह बड़ी अजीब बात है। इस बात में कोई दम नहीं है। यह विधेयक देश की अखंडता हेतु नहीं है। यह विधेयक देश की एकता हेतु नहीं है। यह विधेयक देश को बचाने हेतु नहीं है। मैं इस विधेयक का कड़ा विरोध करता हूं क्योंकि मैं एक संगठित भारत चाहता हूं। मैं एक विभाजित भारत नहीं चाहता।

[श्री अली मोहम्मद नायक]

جناب علی محمد نائک (اننت ناگ): جناب عالی، جہاں تک اس بل کا تعلق ہے، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ معزز ممبر جنہوں نے اس بل کو پیش کیا، انہوں نے تین پوائنٹس دیئے ہیں، جنکی بنا پر وہ چاہتے ہیں کہ یہ بل پیش ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ اس بل سے ہندوستان میں اتحاد ہوگا۔ اس بل سے جو مسلمان زیادہ آبادی بڑھاتے ہیں، زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں، ان پر کنٹرول ہوگا، یہ اسکی خاص بات ہے۔ انکا یہ کہنا کہ یہ ڈائریکٹیو پرنسپلس میں ایک پرنسپل ہے جہاں یہ کہا گیا ہے کہ سرکار اس قسم کے انتظامات کرے۔ میرا جواب جہاں تک ڈائریکٹیو پرنسپلس ہونے کا تعلق ہے یہ آئین میں ہے اور کانسٹی ٹیوشن میں یہ کہا گیا ہے گورنمنٹ کوشش کریگی یہ چیز کرنے کی۔ 50 سال سے زیادہ کانسٹی ٹیوشن بنے ہوگئے ہیں لیکن جتنی بھی سرکاریں آئیں انہوں نے in their wisdom اس کو بنانا مناسب نہیں سمجھا۔ اسلئے انہوں نے اسکو اوپن رکھا ہے۔ It is, in a way, open.

دوسری بات کہی جاتی ہے کہ اس سے ملک میں اتحاد ہوگا۔ ہندوستان وہ ملک ہے جس میں مختلف زبان کے لوگ، مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں۔ کیا سول کوڈ سے اتحاد ہوسکتا ہے؟ ہمارے سامنے مثالیں ہیں۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا اور اسلام کے نام پر ویسٹ پاکستان نے ایسٹ پاکستان پر اپنی مرضی کی زبان تھوپنے کی کوشش کی۔ کہاں رہا پاکستان؟ بنگلہ دیش بنا اور پاکستان سے الگ ہوگیا۔ ابھی ممبئی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ممبئی میں زبان کے مسئلے پر اتنا جھگڑا ہوا کہ مہاراشٹر اور گجرات بنانا پڑا۔ یہ اپنے ملک کی مثال ہے۔ لہذا اس بات سے اتحاد نہیں بنے گا، بلکہ مسلکی جھگڑے ہونگے۔ ہمارا دامن ایسی بڑی چیزوں سے بھرا ہوا ہے، ہمیں اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہیئے۔

جہاں تک پاپولیشن کی بات ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک مسلمان چار شادی کرتا ہے، ان سے پاپولیشن بڑھ جاتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو حالیہ مردم شماری ہوئی، کیا بتا سکتے ہیں کہ لیٹیسٹ فگرس اس تھیوری کو سپورٹ کرتی ہیں؟ نہیں کرتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر قوم اور مذہب کے لوگوں کے سو لوگوں کے پیچھے سو عورتیں ہوتی ہیں شادی کے لئے۔ In a community for hundred males there will be 98 or 100 females available for marriage...(Interruptions) It is not man made. اگر 20 مسلمان چار شادیاں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 80 عورتیں 20 مسلمانوں میں تقسیم ہوگئیں۔ پھر 20 عورتیں رہ گئیں 80 مسلمانوں کے لئے تو 20 مسلمانوں نے ایک ایک شادی کرلی۔ مگر 60 مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہیں شادی کرنے کے لئے، وہ لائیں گے کہاں سے؟ They will have no females. They will have no chance to produce children. تو اگر چار چار عورتیں بھی ہو جائیں تب بھی بڑے مرد ایسے ہی رہتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔

It has no legs to stand. This is not a Bill for the integrity of the country. This is not a Bill for the unity of the country. This Bill is not for protecting India. I strongly oppose this Bill because I want a united India. I do not want a divided India.

श्री श्रीराम चौहान (बस्ती) : सभापति महोदय, मैं योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रस्तुत गैर सरकारी बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

भारत एक प्राचीन राष्ट्र है और इस राष्ट्र में ऋषि–मुनि और महर्षियों द्वारा समाज को शासित करने के लिए संहिता और स्मृतियां बराबर बना करती थीं। जब भी समाज में कोई परिवर्तन करना होता था तो उन संहिताओं और स्मृतियों के माध्यम से अनवरत परिवर्तन हुआ करते थे। इसलिए ठीक प्रकार से समाज शासित होता था, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं रहती थी, हर प्रकार की समानता रहती थी। लेकिन तमाम प्रकार की विकृतियां समाज में पैदा होती हैं जब समाज में विभिन्न प्रकार के समाजों के लिए विभिन्न प्रकार के कानून हुआ करते हैं।

महोदय, दासमुंशी जी धर्म की बड़ी व्याख्या कर रहे थे। जहां तक मैं समझता हूं, धर्म का अर्थ है–'धारयति इति धर्मः'–जो धारण किया जाए वह धर्म है। पानी का धर्म बहना है, आग का धर्म जलना है। आग यदि ऊष्मता त्याग दे तो आग को कोई आग नहीं कहेगा। पानी बहने का धर्म त्याग दे और कहीं पर इकट्ठा हो जाए तो उसमें सड़न और बदबू पैदा होने लग जाती है। उसका भी धर्म नष्ट हो जाता है। उसी तरह से इस सदन का धर्म है कि इस देश के लिए लाभकारी नियम बनाए, कानून बनाए जिससे देश की जनता के हित के सभी कानून उसके ऊपर समान रूप से लागू हों, देश का शासन देश की जनता पर समान रूप से शासित हो, यह परमावश्यक है। इसीलिए यह बिल योगी आदित्यनाथ जी द्वारा लाया गया है। यह उस समय और बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जब देश डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मशती वर्ष मना रहा हो जिसने यह नारा दिया कि इस देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान मंत्री नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। उन्होंने ऐसा कहते हुए जम्मू–कश्मीर में अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस वर्ष को देश उनकी जन्मशती के रूप में मना रहा है। 6 जुलाई को समूचे राष्ट्र ने उन्हें याद किया और नमन किया।

योगी आदित्यनाथ जी, जो बिल लाए हैं वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस देश में जो तमाम समस्याएं पैदा हो रही हैं या चल रही हैं उन्हें दूर करने में इस बिल के पारित हो जाने से बहुत बल मिलेगा। जिन विदेशी ताकतों की निगाहें इस देश पर लगी हुई हैं और देश में धर्मान्तरण के नाम पर, दारुल धर्म के नाम पर दारुल इस्लाम बनाया जाए और मुसलमानों की संख्या बढ़ाकर इस प्रकार की चीजों को फैलाया जाए और इस प्रकार की नीयत से, एक नियोजित षड्यंत्र के तहत धर्मान्तरण और राष्ट्रान्तरण की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई है, उससे भी छुटकारा मिलेगा। इसलिए लोगों का एक संहिता के द्वारा, एक कानून के द्वारा शासित होना नितान्त आवश्यक है। आज यह देश की महती आवश्यकता है।

सभापति महोदय, हम इस देश में खाएं, इस देश में हर प्रकार के क्रिया–कलाप एक साथ करें, लेकिन शासित हों विभिन्न संहिताओं के माध्यम से, विभिन्न कानूनों के माध्यम से। यह किसी भी दशा में उचित नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सांसदों से निवेदन करता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी द्वारा लाए गए इस महान राष्ट्रवादी, राष्ट्र कल्याणकारी, जनहितकारी, लोक कल्याणकारी विधेयक को पारित कराने में सहयोग करें क्योंकि यह संपूर्ण समाज को सही दिशा देने वाला विधेयक है।

सभापित महोदय, इससे एक ओर जहां जनसंख्या वृद्धि की जो भयावह स्थिति है और जनसंख्या विस्फोट की परिस्थितियां जो उग्रता से देश को लीलने के लिए बढ़ रही हैं, उनको रोकने में, उन्हें काबू करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर अशिक्षा व तमाम प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों, जिनका मुस्लिम महिलाओं को सामना करना पड़ता है, उनसे मुक्ति मिलेगी और उन्हें अनेक कष्टों को सहन कर जो घृणित एवं जघन्य जीवन जीना पड़ता है उससे भी मुक्ति मिलेगी। इसलिए यह बड़ा ही कल्याणकारी बिल है। समाज में भेदभाव और असमानता पैदा करने की स्थितियां, इस बिल के पारित होने से दूर हो जाएंगी। यह विधेयक देश की एकता को अक्षुण्ण बनाने, देश की जनता के सुख और समृद्धि को बढ़ाने वाला है। मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का कड़ा विरोध करता हूं।

संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार : "राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।" यह अनुच्छेद निदेशक सिद्धांतों में है और जैसा कि सही कहा गया है यह विधि

[श्री जी. एम. बनातवाला]

के तहत लागू नहीं किया जा सकता। माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत यह विधेयक केवल अनुच्छेद 44 के लोप हेतु नहीं है। यदि मामला यह होता तो मैं विधेयक का समर्थन करता क्योंकि हमने सदैव ही पर्सनल लॉ को समाप्त करने का विरोध किया है। कुछ वर्ष पूर्व, स्वयं मैंने इस सभा में अनुच्छेद 44 की समाप्ति हेतु एक गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया था।

किंतु सभा में प्रस्तुत यह मौजूदा विधेयक केवल अनुच्छेद 44 के लोप हेतु ही नहीं है बल्कि यह संविधान के भाग IVख के एक अन्य अध्याय शामिल करने के लिए भी है जिसमें प्रावधान है कि नागरिकों के लिए संपूर्ण भारत में समान आचार संहित लाना सरकार के लिए अनिवार्य होगा।

इसलिए, विचार स्पष्ट है कि सरकार हमारे देश के सभी पर्सनल लॉ को समाप्त करे एवं सभी पर एक समान आचार संहिता लागू करे।

माननीय सभापति महोदय, अब हमारे पास कई समान सिविल कानून हैं। उदाहरण के लिए, हमारे पास कॉमन कांट्रेक्ट एक्ट इत्यादि हैं। यहां समान आचार संहिता से हमारा अर्थ है—सभी समुदायों के पर्सनल लॉ को समाप्त करना और यहां तक कि धार्मिक कर्त्तव्यों से जुड़े मामलों में भी। इस सभा द्वारा अधिनियमित एक समान आचार संहिता सभी पर लागू की जाए।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए यह भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त धर्मनिरपेक्ष राजव्यवस्था के लिए मृत्यु की आवाज है। यह फासीवाद लाना है। धर्मनिरपेक्षता एवं प्रजातंत्र में धार्मिक स्वतंत्रता या धर्म की पवित्रता से संबंधित मामलों में स्वतंत्रता पहले से ही निहित होती है। इन्हें हटाना प्रजातंत्रीय या धर्मनिरपेक्ष मार्ग नहीं है। यह फासीवाद राज के सृजन का एक प्रयास है।

[अनुवाद]

भारत एक बहुलवादी समाज है...

सभापति महोदय : श्री जी. एम. बनातवाला, कृपया एक मिनट।

[हिन्दी]

इस विधेयक पर दो घंटे का समय निर्धारित किया गया था। वह दो घंटे 5 बजकर 40 मिनट पर पूरे हो रहे हैं। चूंकि अभी और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, फिर मंत्री जी अपना उत्तर देंगे, उसके बाद विधेयक प्रस्तुत करने वाले जो माननीय सदस्य हैं, वे भी इस पर कुछ कहेंगे, इसलिए यदि सदन सहमत हो तो इस विधेयक का समय आधा घंटा या 45 मिनट तक और बढ़ा देते हैं।

श्री जी. एम. बनातवाला : आप दो घंटे का समय और बढ़ा दीजिए क्योंकि अभी तो मुझे भी बहुत कुछ कहना है। मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया। इसलिए आप इसका समय दो घंटे और बढ़ा दीजिए।...*(व्यवधान)* देश को ऐसी महत्वपूर्ण चीज पर चर्चा करने में क्यों हिचकिचाना चाहिए? ...*(व्यवधान)* इस पर हम खुलकर बहस कर लें।...*(व्यवधान)* हर मुद्दे पर बहस कर लें। इसलिए आप इसका समय दो घंटे का और बढ़ा दीजिए।...*(व्यवधान)* जब यह विधेयक आया है तो हर बात पर बहस कर ली जाए।

جناب جی۔ایم۔ بنات والا (پوننانی): آپ دو گھنٹے کا وقت اور بڑھا دیجئے کیونکہ ابھی تو مجھے بھی بہت کچھ کہنا ہے۔ میں نے تو ابھی شروع بھی نہیں کیا۔ اسلئے آپ اس کا وقت دو گھنٹے اور بڑھا دیجئے۔...(مداخلت) Why should the nation hesitate to discuss such an important thing?...*(Interruptions)* اس پر ہم کھل کر بحث کر لیں۔...(مداخلت) ہر مدے پر بحث کر لیں۔ اسلئے آپ اس کا وقت دو گھنٹے اور بڑھا دیجئے۔...(مداخلت) جب یہ بل آیا ہے تو ہر بات پر بحث کر لی جائے۔

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं सभा की राय ले रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेख सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : सभापति महोदय, सदन में जो संख्या है, वह इस लायक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री जी. एम. बनातवाला : मुझे भी बोलने के लिए वक्त चाहिए।...*(व्यवधान)*

جناب جی۔ایم۔ بنات والا (پوننانی): مجھے بھی بولنے کے لئے وقت چاہئے۔...(مداخلت)

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : सभापति जी, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है इसलिए इस बिल पर बोलने के लिए सबको समय मिलना चाहिए।...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति महोदय, अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो आप दो घंटे का समय और बढ़ा दीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों के और भी महत्वपूर्ण विधेयक हैं। क्या आप चाहते हैं कि वे विधेयक न लिये जाएं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सभी को बोलने का अवसर मिले और ठीक मिले। सदन की इस बारे में क्या राय है?

श्री जी. एम. बनातवाला : आप मुझे बोलने के लिए अच्छा वक्त दीजिए।...*(व्यवधान)*

جناب جی۔ایم۔ بنات والا (پونانی): آپ مجھے بولنے کے لئے اچھا وقت دیجئے۔

आखिरकार, चर्चा करना ही प्रजातंत्र है।

सभापति महोदय : मैं आपको बोलने से रोक नहीं रहा हूं।

(व्यवधान)

डा. मुरली मनोहर जोशी : आज छः बजे खत्म कीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो अगले दिन होगा।

श्री जी. एम. बनातवाला : अगले दिन पर तो यह बिल जाने वाला है। अभी तो बहुत कम वक्त ही बचा है।

جناب جی۔ایم۔ بنات والا (پونانی): اگلے دن پر تو یہ بل جانے والا ہے۔ ابھی تو بہت کم وقت ہی بچا ہے۔

सभापति महोदय : अगर आगे के लिए नहीं जाएंगे तो आज छः बजे तक ही होगा।

श्री जी. एम. बनातवाला : आज छः बजे कैसे समाप्त होगा। जरा ख्याल कीजिए, इतना अहम मामला है।

جناب جی۔ایم۔ بنات والا (پونانی): آج چھ بجے کیسے ختم ہوگا۔ ذرا خیال کیجئے، اتنا اہم معاملہ ہے۔

सभापति महोदय : आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मैंने कहा कि अगर हमने घंटाभर बढ़ाया तो आज हम छः बजे तक ही बैठेंगे और यह अगली बार जाएगा।

श्री जी. एम. बनातवाला : ठीक है।

جناب جی۔ایم۔ بنات والا (پونانی): ٹھیک ہے۔

सभापति महोदय : तो चर्चा के लिए समय एक घंटा बढ़ाया जाता है।

श्री जी. एम. बनातवाला : मुझे उम्मीद है कि आइंदा एक घंटे से ज्यादा समय बढ़ता रहेगा।

جناب جی۔ایم۔ بنات والا (پونانی): مجھے امید ہے کہ آئندہ ایک گھنٹے سے اور زیادہ وقت بڑھتا رہے گا۔

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : अगर एक घंटे का समय बढ़ाएंगे तो जो सदस्य यहां बैठते हैं, उनको सजा मिलती है।

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला : माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि धर्मनिरपेक्षता, जैसा कि भारतीय संविधान में इसका अर्थ ग्रहण किया गया है, का स्वरूप धर्म–विरोधी नहीं है। विविधता में एकता में इसका विश्वास है और यही तथ्य है जिसे समझने की आवश्यकता है। भारत एक बहुविद् समाज है। यह बहु–धार्मिक, बहु–भाषीय, बहु–जातीय इत्यादि है और समाज के किसी भी वर्ग को अपनी संस्कृति से धार्मिक पवित्रता से जुड़े किसी भी मामले से वंचित करने के प्रयास से केवल देश की एकता भंग होगी।

माननीय सभापति महोदय, हमें यह बताया गया कि समान आचार संहिता से राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा। यह भ्रामक है। यह सर्वथा मिथक है कि किसी भी समान आचार संहिता से राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। हम सभी जानते हैं। उदाहरण के लिए, अमरीका में विभिन्न राज्यों में विवाह, तलाक इत्यादि के पृथक्–पृथक् कानून हैं फिर भी इनसे अमरीका की एकता प्रभावित नहीं होती। अमरीका की एकता की खातिर कोई भी समान कानून लागू करने की बात नहीं सोचता है। यह भी महसूस किया जाएगा कि प्रथम एवं द्वितीय भीषण विश्वयुद्ध काफी हद तक समान आचार संहिता के तहत लोगों

[श्री जी. एम. बनातवाला]

और राष्ट्रों के बीच लड़े गए थे। वे सभी ईसाई आचार संहिता में विश्वास रखते थे। वे सभी एक ही संहिता में विश्वास रखते थे किंतु फिर भी युद्ध हुए। ये सर्वथा मिथक है कि किसी समान आचार संहिता से एकता को बल मिलेगा। समाज के सभी वर्गों की संस्कृति तथा मानवाधिकारों का आदर करने से ही एकता आती है न कि उन्हें आघात पहुंचाकर और उन पर जबरन कोई विचारधारा थोप कर।

महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। इसमें 'हिन्दू' शब्द की व्याख्या है। इस व्याख्या के अनुसार हिन्दू शब्द में सिख एवं अन्य आते हैं। अतः जहां तक इनका संबंध है उनके लिए भी करीब–करीब समान आचार संहिता तो है ही। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार हिन्दू, सिखों एवं अन्यों पर करीब–करीब एक ही 'समान आचार संहिता' लागू है। हम जानते हैं कि इस तथ्य के बावजूद कि उनमें हमेशा से ही समान आचार संहिता रही है, कई बार दुर्भाग्यवश इन समुदायों के बीच गंभीर मतभेद उत्पन्न हुए हैं।

इसलिए, में यह कहूंगा कि यह केवल एक मिथक है कि समान आचार संहिता से राष्ट्रीय एकता आएगी। मामला इसका उल्टा है। समान आचार संहिता जबरन लागू करने का कोई भी प्रयास विघटनकारी ही होगा। मैं सभा और संपूर्ण राष्ट्र को इसके गंभीर परिणामों के प्रति सावधान करता हूं। समान आचार संहिता की अवधारणा बहुत ही विघटनकारी है और यह संपूर्ण राष्ट्र को विघटन की ओर ही ले जाएगी।

हमारे यहां कई समुदाय हैं। यहां हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई इत्यादि हैं। हमारे यहां कई जनजातियां हैं और उन सभी के अपने–अपने पर्सनल लॉ हैं। जी हां, हिन्दुओं के भी अपने पर्सनल लॉ हैं। यह मात्र मुसलमानों का ही सवाल नहीं है। हिन्दुओं को अपने पर्सनल लॉ से वंचित कीजिए और परिणाम राष्ट्र की एकता के लिए खतरा होंगे। सैकड़ों–हजारों जनजातियों को उनके पर्सनल लॉ, सामाजिक नियमों एवं उनकी संस्कृति से वंचित कीजिए तो परिणाम राष्ट्र की एकता के लिए विनाशकारी होंगे। इसलिए हमें उस मार्ग को नहीं अपनाना चाहिए।

इसके विपरीत, इन समुदायों के पर्सनल लॉ व संस्कृति इत्यादि की रक्षा एकीकरण की ताकत सिद्ध हुई हैं। नागालैंड में समस्या थी। मिजोरम में भी समस्या थी। इस सभा को भारत के संविधान में संशोधन करना पड़ा। जी हां, भारत के संविधान में संशोधन किया गया तथा नागालैंड के लिए पृथक् प्रावधानों को सम्मिलित किया गया तथा यह सुनिश्चित किया गया कि नागालैंड के पर्सनल लॉ, उसकी सामाजिक धाराओं और संस्कृति में इस सभा द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। परिणामस्वरूप, विभिन्न अतिवादी आंदोलन मुख्यधारा में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया।

मिजोरम का मामला भी ऐसा ही है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं तब भारत के संविधान में संशोधन कर मिजोरम की जनता को आश्वासन दिए गए थे। उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि राष्ट्रीय मुख्यधारा में सम्मिलित होने पर संसद उनके पर्सनल लॉ, सामाजिक धाराओं और उनकी संस्कृति में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस प्रकार के आश्वासन दिए गए थे। मैं यहां दर्शक दीर्घा में श्री लालडेंगा के साथ सभा में मौजूद था।

इसलिए हमने पाया कि संस्कृति तथा धार्मिक कानूनों के संरक्षण के आश्वासन भारत के लिए एकीकरण के घटक सिद्ध हुए हैं। किंतु आज इसे चुनौती दी जा रही है। सभी जनजातियों को चुनौती दी जा रही है। सभी समुदायों को चुनौती दी जा रही है। किसी समुदाय के धर्म से जुड़े मामलों में समान नियम लागू कर, एक संस्कृति को लागू कर, फासीवाद की अवधारणा से भारत की एकता की प्रक्रिया को चुनौती दी जा रही है। महोदय, इन घटकों को समझा जाना चाहिए। समान नागरिक संहिता की अवधारणा अस्वीकृत अवधारणा है। मैं यही कहूंगा कि भारत में बहुमत ने इस अवधारणा को अस्वीकृत किया है। क्या हुआ? विशेष विवाह कानून, जिसका उल्लेख किया गया था, को इस सभा ने अधिनियमित किया था और यह समझा गया था कि यह विशेष विवाह अधिनियम समान नागरिक संहिता जैसा है। सभापति महोदय, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत हमारे देश में कितने प्रतिशत विवाह होते हैं? मुश्किल से दो प्रतिशत। करीब 98 प्रतिशत विवाह, विशेष विवाह अधिनियम को नकारते हुए, अपने पर्सनल लॉ के अनुसार किए जाते हैं। समान नागरिक संहिता भारत में पूर्णतः अस्वीकृत, अप्रचलित और विघटनकारी अवधारणा के रूप में जानी गई है।

सभापति महोदय : आप लगभग बीस मिनट ले चुके हैं। बढ़ाया गया समय केवल आपके लिए ही नहीं है। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जी. एम. बनातवाला : कई प्रश्न उठे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : खत्म हो गया।

श्री जी. एम. बनातवाला : अभी कहां खत्म हुआ, अभी तो तलाक–तलाक और न जाने कितनी बातें कही हैं, जरा सुनिए तो सही।

جناب جی۔ایم۔ بنات والا (پوربندر): ابھی کہاں ختم ہوا، ابھی تو طلاق طلاق اور نہ جانے کتنی باتیں کہی ہیں۔ ذرا سنیے تو سہی۔

[अनुवाद]

हम चर्चा करने से बच क्यों रहे हैं? सभा चर्चा क्यों नहीं चाहती है?

सभापति महोदय : सभा चर्चा से बच नहीं रही है। आप बीस मिनट का समय ले चुके हैं। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जी. एम. बनातवाला : मैंने तो अभी केवल बोलना शुरू किया है। कृपया उन उठाए गए मुद्दों को देखिए। मैं पूरे राष्ट्र के हित में उन मुद्दों का संतोषजनक उत्तर दे पाऊंगा।

हमें सुधारों के बारे में बताया गया है। लेकिन समान नागरिक संहिता तथा सुधार का प्रश्न दो अलग–अलग बातें हैं। यह किस तरह माना जा सकता है कि समान सिविल नागरिक संहिता ही सर्वोत्तम सामाजिक प्रणाली होगी? मुस्लिम कानून के बारे में बात हुई है। मेरे विचार से मुस्लिम कानून अथवा शरीयत मानवजाति को अब तक प्राप्त सर्वोत्तम प्रणाली है। फ्रांसिसी लिबान ने कहा था, "मोहम्मद, शांतिदूत आ गए हैं और अब समाज में महिलाओं की स्थिति सुरक्षित हो गई है। जेनेवा के विधि कॉलेज के प्रधानाचार्य, प्रो. स्पाइरल ने कहा था कि 1000 वर्ष के बाद भी यदि मानवजाति इस्लाम के कानूनों का अनुसरण करेगी तो वह दिन समग्र मानवजाति की मुक्ति का दिन होगा...*(व्यवधान)* मैं आपके प्रश्नों का भी उत्तर दूंगा यदि सभापति मुझे बोलने की अनुमति देंगे। मुझे किसी से प्रमाणपत्र नहीं चाहिए। हमारे पास 'ईमान' है, विश्वास है और हम शरीयत के प्रत्येक सिद्धांत पर बहस कर सकते हैं कि यह सबसे आधुनिक, उचित और मानवजाति के पास उपलब्ध अब तक का सर्वोत्तम सिद्धांत है।

महोदय, हमें बताया गया है कि शायद हिन्दू कानून में कतिपय सुधार किए जाने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर माननीय सदस्य ने इस्लाम के अंतर्गत महिलाओं को सम्पत्ति के अधिकार की सुरक्षा का उल्लेख किया है। मैं इतनी महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करने के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं। माननीय सदस्य ने कहा कि इस कानून को हिन्दू कानून में स्थान दिया जाना चाहिए।

श्री भर्तृहरि महताब : मैंने ऐसा नहीं कहा था।

श्री जी. एम. बनातवाला : यदि आप महसूस करते हैं कि हिन्दू कानून में इसे शामिल किए जाने की आवश्यकता है तो क्या आपने इसे शामिल किया है...*(व्यवधान)* लेकिन समान नागरिक संहिता बनाने के लिए हिन्दू कानून में खामियां कोई तर्क नहीं हैं और वे सभी पर्सनल लॉ को समाप्त कर रहे हैं। इस देश के प्रत्येक वर्ग के अपने पर्सनल लॉ हैं। हिन्दुओं के पर्सनल लॉ हैं और यह अलग–अलग तरह के हैं। मैं इस बात के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : कृपया घड़ी देखिए। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, मुझे अभी कुछ और मुद्दों पर बात करनी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बार मैं यह चर्चा जारी रखूंगा।

सभापति महोदय : कोई अगली बार नहीं। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जी. एम. बनातवाला : क्योंकि मुझे उन कतिपय मुद्दों पर चर्चा करनी है जिनकी कटु आलोचना की गई है। मैं इस बात से सहमत हूं कि कुछ मुसलमान ऐसे हो सकते हैं जो मुस्लिम कानून का कड़ाई से पालन नहीं करते हैं। अतः, उनके बीच कुछ समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन यह मामला लोगों को सुधारने का है न कि मुस्लिम कानून के तर्कसंगत सिद्धांतों में सुधार करने का। बात यह है यदि शरीयत न्यायालय को प्राप्त शक्तियों के द्वारा मुस्लिम कानून लागू और क्रियान्वित किया जाता है तो इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मुसलमानों द्वारा मुस्लिम कानून के सिद्धांतों के अनुपालन न करने अथवा गलत अनुपालन के कारण उनके बीच उत्पन्न हो रही समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, इस तथ्य का उल्लेख किया

[श्री जी. एम. बनातवाला]

गया है कि इस कानून में तलाक, तलाक, तलाक की बात कही गई है और इसमें कुछ नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कम से कम माननीय सदस्यों को मुस्लिम महिलाओं के हितों की अत्यधिक चिंता है। मुझे विश्वास है कि उन्हें यह देखकर चिंता होगी कि समाज के विभिन्न वर्गों में दहेज के लिए एक के बाद एक महिला को जलाया जा रहा है और महिलाएं कष्ट झेल रही हैं। लेकिन यहां मामला यह नहीं है। कानून इतना सरल नहीं है जितना उन्होंने बताया है। क्या उन्हें पता है कि पैगम्बर मोहम्मद, शांतिदूत ने कहा था कि इस्लाम के अंतर्गत अनुज्ञेय सभी बातों में 'तलाक' सबसे बुरी बात है।

सभापति महोदय : कृपया बात समाप्त कीजिए।

श्री जी. एम. बनातवाला : यहां कतिपय उपायों और पद्धतियों पर चर्चा होनी है। लेकिन समय ऐसे संवेदनशील विषय पर बोलने की अनुमति नहीं देता है। सभापति महोदय, यदि आप अनुमति दें तो मैं विभिन्न कानूनों और मुस्लिम कानून में 'तलाक' की स्थिति के बारे में कहूं। यह अनभिज्ञता है, यह पूर्णतः जानकारी का अभाव है अथवा वास्तविकता या वास्तविक स्थिति को न समझने की कोशिश है जिसके कारण इस तरह का विधेयक इस सभा में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं सभा से अपील करता हूं कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा किसी तरह के फासीवाद का अंत करने तथा राष्ट्रीय एकता के नाम पर इस विधेयक को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया जाए।

सायं 6.00 बजे

मुझे आशा है कि माननीय सदस्य विधेयक वापस ले लेंगे। यदि वह विधेयक वापस नहीं लेते हैं तो सभा को यह विधेयक पूर्णतः अस्वीकार कर देना चाहिए।

महोदय, ऐसे कई पहलू हैं जिनके बारे में मैं बोलना चाहता था लेकिन समय के अभाव, आपकी बेचैनी तथा अपनी बात समाप्त करने के आपके निरंतर आदेशों को देखते हुए मेरे पास ऐसे समय में बात समाप्त करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है जब मैंने वास्तव में अपनी बात समाप्त नहीं की है और जबकि मुझे विभिन्न मुद्दों पर अभी भी कुछ और कहना है। ये गलत धारणाएं समाप्त होनी चाहिए। मुस्लिम समाज के बारे में गलत राय नहीं बनानी चाहिए कि हम अपनी संख्या बढ़ाकर 'राज' करना चाहते हैं। मुसलमानों ने हजारों वर्ष इस देश पर शासन किया। लेकिन फिर भी उन्होंने अत्यधिक आबादी वाला समुदाय बनने की कोशिश नहीं की। वे अल्पसंख्या में रहे। इसी बात से विभिन्न मुद्दे स्पष्ट हो जाते हैं। इसलिए, यह दुर्भावपूर्ण अभियान है जो हमारे देश की एकता और इसे शक्तिशाली बताने के प्रयासों को विफल करता है।

सायं 6.02 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

अड़तीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 38वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा सोमवार, 22 जुलाई, 2002 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 22 जुलाई, 2002/ 31 आषाढ़, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एल० एस० — 48/26/5/2002 (एन०)
280

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत
प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।